[2019] 16 एस. सी. आर. 424

केंद्रीय सार्वजनिक जानकारी

भारत का अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय

वी.

सुभाष चंद्र अग्रवाल

(2010 की सिविल अपील सं. 10044)

नवंबर 13, 2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, एन. वी. रमना,

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, दीपाक गुप्ता

और संजीव खन्ना, जे. जे.]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005–उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए कॉलेजियम प्रणाली; न्यायाधीशों द्वारा परिसंपत्तियों की घोषणा, आदि–इस संदर्भ में जानकारी–प्रतिवादी ने आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 के तहत तीन आवेदन दायर किए हैं जिनके बारे में जानकारी मांगी गई है: 1) संवैधानिक अधिकारियों के बीच आदान–प्रदान किए गए पत्राचार की प्रतियां उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित फाइल टिप्पणियों के साथ, जिन्होंने दिनांकित एक आवेदन द्वारा अन्य तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता को हटा दिया था;उच्चतम न्यायालय को प्रत्येक वर्तमान न्यायाधीश और सभी भविष्य की आवश्यकता है न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने पर दिनांक 10.11.2007 और 3) के आधार पर संपत्ति की घोषणा करने के लिएसमाचार पत्र की रिपोर्ट, के साथ आदान–प्रदान किया गया पूरा पत्राचारप्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी को सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा नियंत्रित और निपटाया नहीं गया था और न तो रजिस्ट्री के साथ बनाए रखा गया था और न ही उपलब्ध था–हालाँकि, केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) ने जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश दिया और कहा कि प्रकटीकरण न्यायाधीशों की स्थिति का उल्लंघन नहीं करेगा।आवेदन 23.01.2009 में मांगी गई जानकारी को सी. पी. आई. ओ. द्वारा फिर से अस्वीकार कर दिया गया था, यह देखते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामलों को नहीं देखा, हालांकि, सी. आई. सी. ने निर्देश दिया कि जानकारी जहाँ तक आवेदन दिनांक 10.11.2007 हैसंबंधित, इसे भी सी. पी. आई. ओ. और सी. आई. सी. द्वारा फिर से खारिज कर दिया गया थाउच्चतम न्यायालय के सी. पी. आई. ओ. को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दियाप्रत्यर्थी द्वारा अपने आर. टी. आई. आवेदन में पूछा गया जब तक कि सूचना के प्रकटीकरण को कानून द्वारा छूट नहीं दी गई हो–अपीलार्थी ने रिट की स्थापना की

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका और उसी को खारिज कर दिया गया था, अन्य बातों के साथ–साथ, यह मानते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को दी गई संपत्ति की घोषणा और'गठित जानकारी' की सामग्री, के प्रावधानों के अधीनआर. टी. आई. अधिनियम उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निर्णय को बरकरार रखाउच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश–निर्णय से व्यथितआर. टी. आई. में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ और सी. आई. सी.आवेदन, सी. पी. आई. ओ., सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को प्राथमिकता दी है दिनांकित 06.07.2009, 23.01.2009 आवेदनों में CIC के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष औरउच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ–आयोजित [प्रति संजीव खन्ना, जे. (के लिए)स्वयं, रंजन गोगोई, सीजेआई और एन. वी. रमन्ना, डॉ. डी. वाई.चंद्रचूड़ और दीपक गुप्ता, जे. जे.)] : मांगी गई जानकारी परिसंपत्तियों की घोषणा के संबंध में दिनांक 10.11.2007 के आवेदन में प्रत्यर्थी द्वारा, परिसंपत्तियों की घोषणा के संबंध में, परिसंपत्तियों की पूर्ण पीठ का निर्णयउच्च न्यायालय को बरकरार रखा गया है, जिसने द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा थासी. आई. सी. ने सी. पी. आई. ओ., उच्चतम न्यायालय को इस बारे में जानकारी देने का निर्देश दियाउच्चतम न्यायालय के वे न्यायाधीश जिन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की थी –इस तरह के प्रकटीकरण से किसी भी तरह से व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायाधीशों की जानकारी और निजता का अधिकार न्यासी क्ल (ई) से एस के संदर्भ में संबंध नियम। 8 (1) आर. टी. आई. अधिनियम लागू नहीं होता है–यह गोपनीयता के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा न्यायाधीशों और व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता की रक्षा करने का उनका अधिकार, जो वह मामला होगा जहां घोषणा में व्यक्तिगत संपत्ति के विवरण और सामग्री की मांग की जाती है और मांगी जाती है। एस के माध्यम से लागू होने वाले जनहित परीक्षण को कौन सा घटना बनाता है। 8 (1) (जे) और एस को परंतुक। 11 (1) आर. टी. आई. अधिनियम लागू होगा–जैसे जहां तक 06.07.2009 और 23.01.2009 दिनांकित अन्य दो आर. टी. आई. आवेदनों का संबंध है, ये आवेदन सी. पी. आई. ओ., उच्चतम न्यायालय को प्रक्रिया का पालन करने के बाद मामले की फिर से जांच करने के लिए भेजे जाते हैं।11 (1) आर. टी. आई. अधिनियम की जानकारी तृतीय पक्षों से संबंधित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – एस. 2 सी. एल. (एच) और उप–सी. एल. (आई) सी. एल. (ई) से एस में। 2 – चाहे भारत का सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश भारत के न्याय दो अलग–अलग सार्वजनिक प्राधिकरण हैं–आयोजित [प्रति [2019] 16 एस. सी. आर.संजीव खन्ना, जे. (अपने लिए, रंजन गोगोई, सीजेआई, और एन. वी. रमन्ना, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और दीपक गुप्ता, जे. जे.)] : यह निर्विवाद है कि सर्वोच्च न्यायालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण है ' क्ल (एच) से एस तक परिभाषित किया गया है। 2 आर. टी. आई. अधिनियम जैसा कि यह स्थापित किया गया है कार्यालय.और भारत के संविधान द्वारा या उसके तहत गठित मुख्य न्यायाधीश या उस मामले के लिए न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय से अलग नहीं हैं और एक निकाय, प्राधिकरण और संस्थान के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अभिन्न अंग हैं–मुख्य न्यायाधीश औरसर्वोच्च न्यायालय दो अलग और अलग सार्वजनिक नहीं हैं। प्राधिकरण 'यद्यपि बाद वाला एक सार्वजनिक प्राधिकरण है' और मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश मिलकर जनता का गठन और गठन करते हैं।प्राधिकरण ', अर्थात, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – एस. 2 सी. एल. (च) (i) और (जे) सूचना और सूचना का अधिकार–आयोजित [संजीव खन्ना, जे. (अपने लिए, रंजन गोगोई, सीजेआई, और एन. वी. रमन्ना, डॉ. डी. वाई.चंद्रचूड़ और दीपक गुप्ता, जे. जे.)] : क्या स्पष्ट भी हैसी. एल. में 'सूचना' की परिभाषा से निहित है। (च) से एस। 2 निम्नलिखितऔर 'सूचना के अधिकार' की परिभाषा से पुष्टि प्राप्त करता हैकि जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सुलभ होनी चाहिएऔर किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में रखा गया '–प्राकृतिक अर्थ का अर्थ होगा सूचना तक पहुँच प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का अधिकार और शक्ति–यह प्रभुत्व को संदर्भित करता है। सूचना या किसी भी सामग्री, दस्तावेज आदि के अधिकार पर–'किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में' शब्दों में शामिल होंगेउनके दायरे और दायरे में एक निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना तक पहुँचने के लिए लागू पूर्व–अधिरोपित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है।सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005। 8 (1) (ई)–संबंध मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के बीच–प्रति संजीव खन्ना, जे. (अपने लिए, रंजन गोगोई, सीजेआई, और एन. वी. रमन्ना, डॉ. डी. वाई.चंद्रचूड़ और दीपक गुप्ता, जे. जे.)] : आम तौर परमुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के बीच संबंध नहीं होगान्यासी और एक लाभार्थी–हालांकि, यह कुछ स्थितियों और कार्यों में न्यासी संबंधों के लिए एक पूर्ण नियम/संहिता नहीं है।उत्पन्न हो सकता है–किसी विशेष स्थिति में ऐसा संबंध उत्पन्न होता है या नहीं, इसे परीक्षणों और मापदंडों पर निपटना होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005–प्रत्ययी संबंध यू/एस 8 (1) (ई)–अपीलार्थी ने तर्क दिया कि न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी प्रकटीकरण से मुक्त है। 8 (1) (ई)–आयोजित [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.] के अनुसारः भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल आधिकारिक कार्यों के अनुसार जानकारी रखते हैं और किसी भी प्रत्ययी क्षमता में नहीं–जो न्यायाधीश अपनी संपत्ति का खुलासा करते हैं, उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए असुरक्षित और उन पर निर्भर नहीं कहा जा सकता है–इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा की गई संपत्ति की जानकारी उनके द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखी गई है, जिसका खुलासा होने पर, प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005। 8 (1) (जे) और एस। 11 – आयोजित किया गयाः [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.] के अनुसारः एसएस। 8 और 11 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए–हर मामले में जहां अनुरोध की गई जानकारी "व्यक्तिगत" है।सी. एल. के संचालन के भीतर जानकारी। (जे) एस की उप–धारा 1 की। 8 , नोटिस और आपत्तियों की प्रक्रिया एस. 11 का अनुपालन किया जाना चाहिए–दोनों प्रावधान नियंत्रण और संतुलन की एक ठोस प्रणाली बनाते हैं जो सूचना के अधिकार को संतुलित करने का प्रयास करते हैं।प्रस्तावित प्रकटीकरण का विरोध करें।सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005–जनहित–आयोजित [संजीव खन्ना, जे. (अपने लिए, रंजन गोगोई, सीजेआई, और एन. वी.

रमण, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और दीपक गुप्ता, जे. जे.)] : आर. टी. आई. अधिनियम के संदर्भ में जनहित परीक्षण का अर्थ होगा अधिकार के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करना।और एन. वी. रमण, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और दीपक गुप्ता, जे. जे.)] :न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक चिंता का विषय है और सीधे तौर पर लोक कल्याण से संबंधित है और जनहित परीक्षण को तौलने और लागू करने में ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक होगा इस प्रकार, जब लोक हित की मांग [2019] 16 एस. सी. आर.विवेकाधिकार के प्रयोग के प्रश्न पर निर्णय लेते समय सूचना का प्रकटीकरण, न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा–न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का संदर्भ नहीं हैउत्तरदायित्व को कमजोर करना और उससे बचना जो एक ऐसा पहलू है जिसे सार्वजनिक हित की जांच करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिएसूचना का प्रकटीकरण।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005–पारदर्शिता, न्यायिक स्वतंत्रता और आर. टी. आई. अधिनियम–आयोजित [एन. वी. रमण, जे. के अनुसार]: तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बीच संतुलन की आवश्यकता है। – एक ढाल के रूप में, न्यायिक स्वतंत्रता वह आधार है जिसके साथ न्यायपालिका ने नागरिकों द्वारा व्यक्त किए गए अपने विश्वास को बनाए रखा है–न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के प्रयासों से बचाने की आवश्यकता है–इस तरह के हस्तक्षेप के लिए मानांकन की आवश्यकता होती है –न्यायिक स्वतंत्रता के अनुरूप उचित मात्रा में पारदर्शिता–सूचना के अधिकार को प्रभावी कार्यप्रणाली को बाधित करने के लिए निगरानी के साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।न्यायपालिका से।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – एस. 8 सार्वजनिक हित का आकलन करते समय गैर–व्यापक विचार '–आयोजित [प्रति एन. वी. रमण, जे.]: आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 के तहत जनहित का आकलन करते समय निम्नलिखित गैर–व्यापक विचारों पर विचार करने की आवश्यकता है–ए) सूचना की प्रकृति और सामग्री; बी) गैर–प्रकटीकरण के परिणाम; जनता के लिए खतरे और लाभ; ग) गोपनीय दायित्व का प्रकार; घ) विश्वासपात्र का विश्वास; उचित संदेह; ङ) जिस पक्ष को जानकारी का खुलासा किया जाता है; च) जिस तरीके से जानकारी प्राप्त की जाती है; छ) सार्वजनिक और निजी हित; छ) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आनुपातिकता।

संदर्भ और अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः पर संजीव खन्ना, जे। (स्वयं के लिए, जीओजीओआई, सीजेआई और एन. वी. रमना,रंजन डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और दीपाक गुप्ता, जे. जे.)

रत का सर्वोच्च न्यायालय और भारत का तकनीकी न्याय दोनों अलग–अलग हैंसार्वजनिक प्राधिकरण?

1. संविधान का अनुच्छेद 124, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है,इसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें सी. पी. आई. ओ., मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का। यह निर्विवाद है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है, जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (एच) द्वारा

परिभाषित किया गया है क्योंकि इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा या उसके तहत स्थापित और गठित किया गया है।भारत का संविधान। धारा 2 के खंड (ई) में उपखंड (ii) के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सक्षम प्राधिकारी है। नतीजतन, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 28 के संदर्भ में, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैंनियम बनाने के लिए सशक्त, जिन्हें अधिसूचित किया जाना हैआर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आधिकारिक राजपत्र। [पैरा 13] [479–एफ–एच]

2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है, अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को शामिल करेगा।दो अलग और अलग 'सार्वजनिक प्राधिकरण', हालांकि बाद वाला एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है और मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश मिलकर 'सार्वजनिक प्राधिकरण' का गठन करते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय।भारत का न्यायालय। धारा 2 (एच) की व्याख्या संविधान के अपमान में नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत ठहराने का अर्थ यह होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत का सर्वोच्च न्यायालय दो अलग–अलग सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, और प्रत्येक के अपने सी. पी. आई. ओ. होंगे और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के सी. पी. आई. ओ. या मुख्य न्यायाधीश को आवेदन करना होगा – जब 'सूचना' रखी जाती है या विषय वस्तु दूसरे के 'कार्यों' के साथ अधिक निकटता से जुड़ी होती है तो दूसरे को हस्तांतरित किया जाता है। यह विसंगतियों और कठिनाइयों को जन्म देगा क्योंकि संस्था, प्राधिकरण या निकाय एक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संस्थान के प्रमुख हैं और न तो वह और न ही उनका कार्यालय एक अलग सार्वजनिक प्राधिकरण है। [पैरा 14] [480–ए–डी]

3. यह समान रूप से सच है और देश के उच्च न्यायालयों पर लागू होगा क्योंकि अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय होगा।प्रत्येक राज्य के लिए न्यायालय और अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और [2019] 16 एस. सी. आर. जैसे अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे।सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टभारत के राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्ति करना उचित समझ सकते हैं। [पैरा 15] [480–ई]जानकारी और जानकारी का अधिकार आर. टी. आई. अधिनियम के तहत

4. ' परिभाषा खंड के अनुसार 'सूचना' व्यापक और व्यापक है, क्योंकि इसका अर्थ 'किसी भी रूप में सामग्री' के रूप में परिभाषित किया गया है। अभिलेख (आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) द्वारा व्यापक शब्दों में फिर से परिभाषित एक शब्द), दस्तावेज़, ईमेल, ज्ञापन, सलाह, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री सहित शब्दों को बढ़ाना। इलेक्ट्रॉनिक रूप, आदि। परिभाषा खंड के अंतिम भाग में कहा गया है कि 'सूचना' शब्द में 'किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल होगी जिसे किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है' जिसे 'सूचना' के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो वर्तमान में सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध या आयोजित नहीं है, लेकिन जो हो सकती है

उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी निजी निकाय से सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पहुँचा गया। खंड में 'निजी निकाय' शब्द का उपयोग अंतर करने के लिए किया गया है और इसमें हैआर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एच) में परिभाषित 'सार्वजनिक प्राधिकरण' शब्द का विरोधाभास। यह निम्नलिखित है कि किसी भी आवश्यकता मेंपूर्व शर्त की प्रकृति और किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित प्रतिबंध लागू होते रहेंगे और किसी निजी निकाय द्वारा जानकारी प्राप्त करने और प्रस्तुत करने के लिए कहने से पहले उन्हें संतुष्ट किया जाना चाहिए। [पैरा 17] [481–एफ–एच; 482–ए]5. खंड (च) से धारा 2 में 'सूचना' की परिभाषा से जो स्पष्ट और निहित है, वह इस प्रकार है और प्राप्त होता है।

'सूचना के अधिकार' की परिभाषा से पुष्टि कि जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सुलभ होनी चाहिए और 'किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में होनी चाहिए'। व्हार्टन लॉ लेक्सिकन, 15 वें संस्करण में परिभाषित 'होल्ड' शब्द का अर्थ है स्वामित्व या उपयोग रखना; अपने रूप में रखें, लेकिन वर्तमान कानून के संदर्भ में, हम ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 6 वें संस्करण में 'होल्ड' शब्द की एक व्यापक परिभाषा को अपनाना पसंद करेंगे, जिसका अर्थ है; रखना, बनाए रखना, अधिकार या अधिकार बनाए रखना। अपने स्वाभाविक अर्थ के अनुसार 'किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में' शब्दों का अर्थ होगा सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का अधिकार और शक्ति।

यह सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद्र अग्रवालसूचना पर प्रभुत्व या किसी भी अधिकार को संदर्भित करता हैसामग्री, दस्तावेज आदि। 'किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में' शब्दों में एक निजी निकाय से संबंधित जानकारी उनके दायरे और दायरे में शामिल होगी, जिसे पूर्व में लागू शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।जानकारी तक पहुँच के लिए लागू। [पैरा 18] [482–बी–डी]

6. जब जानकारी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सुलभ होती है, तो वह आर. टी. आई. अधिनियम के तहत सूचना चाहने वाले को सूचना दी जानी चाहिए, भले ही पहले से ही लागू किसी अन्य क़ानून के तहत या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत शर्तें या निषेध हों, जो जनता द्वारा जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 में अबाधित खंड को ध्यान में रखते हुए, कोई भीनिजी निकायों की जानकारी प्राप्त करने की शर्त। बल्कि, धारा 2 का खंड (च) उक्त स्थिति को बरकरार रखता है और स्वीकार करता है जब यह अभिव्यक्ति का उपयोग करता है–"जिसे प्राप्त किया जा सकता है", अर्थात सार्वजनिक प्राधिकरण को एक स्थिति में होना चाहिए और पूछने का हकदार होना चाहिए।उक्त जानकारी के लिए। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22, एक ओवरराइड प्रावधान, व्याख्या के खिलाफ नहीं है क्योंकि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एफ) और अन्य वैधानिक अधिनियमों/कानून के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास या संघर्ष नहीं है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 एक ऐसी कुंजी है जो किसी नागरिक के जानकारी तक पहुँचने के अधिकार पर किसी भी पूर्व अधिनियम में प्रतिबंधों/सीमाओं को खोलती है जो एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सुलभ है। यह एक नहीं है

सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ कुंजी जिसका उपयोग सार्वजनिक प्राधिकरण के जानकारी तक पहुँचने के अधिकार पर प्रतिबंधों/सीमाओं को पूर्ववत करने और मिटाने के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक निजी निकाय होगाउसी सुरक्षा के हकदार हैं जो उनके लिए उपलब्ध है इस देश के कानून। [पैरा 19] [482–ई–जी; 483–ए–सी] आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8, 9, 10 और 11

7. धारा 8 की उप–धारा (1) एक गैर–बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है जो अलग–अलग धाराओं को प्रधानता देता है और उन पर कानूनी प्रभाव डालता है।आर. टी. आई. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ किसी भी टकराव के मामले में उप–धारा के तहत खंड। धारा 8 (1) 'सूचना' शब्द को संशोधित या संशोधित किए बिना, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एफ) में परिभाषित 'सूचना' तक पहुंच से इनकार किए जाने पर अपवादों को स्पष्ट करती है। नतीजतन, सूचना का अधिकार है आर. टी. आई. अधिनियम के तहत जानकारी तब उपलब्ध होती है जब आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) में सूचीबद्ध अपवाद आकर्षित नहीं होते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है, जो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, यानी 'किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में रखी गई जानकारी', सिवाय तब जब ऐसी जानकारी को छूट दी गई हो या बाहर रखा गया हो। [पैरा 25] [491–सी–ई]

8. उप–धारा (1) से धारा 8 के खंडों को विभाजित किया जा सकता है।दो श्रेणियों में: खंड (ए), (बी), (सी), (एफ), (जी), (एच) और (आई), और खंड (डी), (ई) और (जे)। बाद के खंडों में कहा गया है कि निषेधखंड (घ) और (ङ) में प्राधिकरण और खंड (ञ) में पी. आई. ओ. है –इस बात से संतुष्ट हैं कि व्यापक सार्वजनिक हित इस तरह के प्रकटीकरण की गारंटी देता हैजानकारी दी। इसलिए, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के खंड (डी), (ई) और (जे) में योग्य निषेध शामिल हैं और ये सशर्त हैं। और पूर्ण छूट नहीं। खंड (ए), (बी), (सी), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में ऐसी कोई शर्त नहीं है। में निषेधात्मक शर्तेंये खंड जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति नहीं देते हैंव्यापक लोकहित नियम की संतुष्टि। अतः इन खंडों में पूर्ण बहिष्करण शामिल हैं। [पैरा 26] [401–ई–जी]

9. धारा 8 की उप–धारा (2) में कहा गया है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 या इनमें से किसी में निहित किसी भी बात के बावजूद

उप–धारा (1) के अनुसार अनुमेय छूट, एक सार्वजनिक प्राधिकरण जानकारी तक पहुंच की अनुमति दे सकता है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हितों को नुकसान से अधिक है। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धारा 8 (2) के तहत प्रकटीकरण एक अधिदेश या मजबूरी नहीं है, बल्कि विवेकाधीन प्रकटीकरण के रूप में है। धारा 8 (2) सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी रूप से जानकारी का खुलासा करने के लिए स्वीकार करती है और अधिकार देती है।

सी. पी. आई. ओ. की उप–धारा (1) के तहत छूट के बावजूद उनके द्वारा आयोजित, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल

धारा 8 यदि लोक प्राधिकारी की राय है कि व्यापक लोक हित प्रकटीकरण का समर्थन करता है। इस तरह का खुलासा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद किया जा सकता है।

धारा 8 (2) एक निहित या न्यायोचित अधिकार नहीं बनाती है जिसे नागरिक पी. आई. ओ. के समक्ष एक आवेदन द्वारा लागू कर सकते हैं।

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत जानकारी। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत छूट के दायरे में आने वाली जानकारी का खुलासा करना पी. आई. ओ. का कोई कर्तव्य नहीं है। एक बार जब पी. आई. ओ. इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि किसी भी

छूट खंड लागू हैं, पी. आई. ओ. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत प्रकटीकरण का निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं कर सकता है क्योंकि यह विवेकाधीन शक्ति विशेष रूप से जनता के पास निहित है। प्राधिकरण। [पैरा 27] [492–ए–डी]

10. धारा 9 में प्रावधान है कि धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है यदि पहुंच प्रदान करने के लिए इस तरह के अनुरोध में शामिल होगा

राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में मौजूद कॉपीराइट का उल्लंघन। [पैरा 28] [492–ई]

10.1 धारा 10 छूट की पृथकता से संबंधित है।

सूचना और धारा 11 तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है और सूचना के उल्लंघन के आधार पर सशर्त बहिष्कार को शामिल करती है।

गोपनीयता। [पैरा 29 और 30] [492–ई–एफ; जी]10.2 आदित्य बंदोपाध्याय में, जिसमें यह न्यायालय, निर्णय लेते समय व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों के पहलू पर

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 से 11 के तहत सूचना के अधिकार और बहिष्करण के बीच संघर्ष ने पैराग्राफ 61,62 और 63 में कुछ टिप्पणियां की थीं। यह न्यायालय सम्मानपूर्वक निर्णय के अनुच्छेद 63 से सहमत है और इसे खंड (च) के अंतिम भाग पर की गई टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।2 'सूचना' शब्द को परिभाषित करें। [पैरा 31] [494–ए–बी; 495–जी]

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के तहत न्यासी संबंध 11. प्रत्ययी संबंध, चाहे वे औपचारिक, अनौपचारिक, स्वैच्छिक या अनैच्छिक हों, इन चारों को संतुष्ट करना चाहिए।

एक विश्वास संबंधी संबंध के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक संबंध के लिए शर्तें। चार सिद्धांतों में से प्रत्येक में, विश्वास, निर्भरता, प्रत्ययी की श्रेष्ठ शक्ति या प्रमुख स्थिति पर जोर दिया जाता है और

न्यासी पर लाभार्थी की संबंधित निर्भरता जो न्यासी पर सद्भावना से कार्य करने की जिम्मेदारी लगाती है [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं को। धारा 8 (1) (ई) एक कानूनी स्वीकृति है कि संबंधों में नैतिक या नैतिक संबंध या कर्तव्य हैं जोमानक और विशिष्ट अधिकारों के साथ संविदात्मक, नियमित या यहां तक कि विशेष संबंधों से परे अधिकार और दायित्वों का निर्माण करना और

संविदात्मक, वैधानिक और संभवतः सभी संबंध एक व्यापक क्षेत्र को शामिल करते हैं, लेकिन एक प्रत्ययी संबंध मौजूद हो सकता है, जो एक सीमित क्षेत्र या एक अधिनियम तक सीमित हो सकता है, क्योंकि संबंधों के कई पहलू हो सकते हैं। इस प्रकार, संबंध आंशिक रूप से प्रत्ययी और आंशिक रूप से गैर–प्रत्ययी हो सकते हैं जिसमें पूर्व एक विशेष कार्य या कार्रवाई तक सीमित हो सकता है जिसे दो पक्षों के बीच बातचीत और संबंध में पूरी तरह से प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। गैर–न्यासी संबंध को न्यासी संबंध या किसी अधिनियम से जो अलग करेगा, वह है न्यास की आवश्यकता, न्यासी की ओर से किसी विशेष लेन–देन के संदर्भ में विश्वास और ईमानदारी के उच्च मानक की आवश्यकता, जो लाभार्थी की तुलना में न्यासी की नैतिक, व्यक्तिगत या वैधानिक जिम्मेदारी के कारण होती है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी की निर्भरता होती है। यह प्रत्ययी के बेहतर ज्ञान और प्रशिक्षण या उसके द्वारा धारण किए गए पद के कारण उत्पन्न हो सकता है। [पैरा 34] [499–ए–एच; 500–ए–बी]

12. आम तौर पर मुख्य न्यायाधीश के बीच संबंध

और न्यायाधीश न्यासी और लाभार्थी नहीं होंगे। हालांकि, यह कुछ स्थितियों में सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v के लिए एक पूर्ण नियम/संहिता नहीं है।

सुभाष चंद्र अग्रवाल

और कार्य, प्रत्ययी संबंध उत्पन्न हो सकते हैं। किसी विशेष स्थिति में ऐसा संबंध उत्पन्न होता है या नहीं, इस पर ऊपर बताए गए परीक्षणों और मापदंडों पर विचार करना होगा। [पैरा 35] [500–सी]

आर. टी. आई. की धारा 8 (1) (जे) के तहत गोपनीयता का अधिकार और धारा 11 के तहत गोपनीयता

एक्ट।

13. यदि किसी का जानने का अधिकार निरपेक्ष है, तो वही हो सकता है

दूसरे की गोपनीयता के अधिकार पर आक्रमण करना और गोपनीयता का उल्लंघन करना, और इसलिए, पूर्व अधिकार को व्यक्तिगत गोपनीयता, सूचना की गोपनीयता और प्रभावी शासन की आवश्यकता के साथ सुसंगत होना चाहिए। आर. टी. आई. अधिनियम इस परस्पर क्रिया को दर्शाता है

धारा 8 (1) और धारा 11 के खंड (जे) के तहत प्रतिस्पर्धी अधिकार।

14. जबकि खंड (जे) दो प्रकार की जानकारी के प्रकटीकरण से छूट देता है, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 47 में उल्लेख किया गया है, वह है "व्यक्तिगत जानकारी" जिसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है और "जानकारी" जिसे रोकने के लिए प्रकटीकरण से छूट दी गई है।निजता पर अनुचित आक्रमण, इस न्यायालय ने इस बात को रेखांकित नहीं किया है, जैसा कि नीचे देखा जाएगा, ऐसी विशिष्टता और व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी जाएगी यदि ऐसा प्रकटीकरण गोपनीयता अधिकारों को संतुलित करने पर आक्रमण करता है, जिससे पूर्व प्रकार की जानकारी को बाद के प्रकार से जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि

जानकारी, जिसका खुलासा होने पर गोपनीयता अधिकारों पर अनुचित आक्रमण हो सकता है, का अर्थ होगा व्यक्तिगत जानकारी, जिसका सार्वजनिक जानकारी के साथ सह–संबंध नहीं है। [पैरा 53] [510–एफ–जी] [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. हमारी राय में, उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि नाम, पता, शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति सहित व्यक्तिगत रिकॉर्ड, निशान हैं।

प्राप्त ग्रेड और उत्तर पुस्तिकाओं को व्यक्तिगत जानकारी के रूप में माना जाता है। इसी तरह, पेशेवर रिकॉर्ड, जिनमें शामिल हैं

योग्यता, प्रदर्शन, मूल्यांकन रिपोर्ट, ए. सी. आर., अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि सभी व्यक्तिगत जानकारी हैं। चिकित्सा अभिलेख, उपचार, दवा का चयन, दौरा किए गए अस्पतालों और डॉक्टरों की सूची, दर्ज किए गए निष्कर्ष, जिसमें परिवार के सदस्य शामिल हैं, संपत्ति, देनदारियों, आयकर रिटर्न,

निवेश, ऋण और उधार आदि से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है। ऐसी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीयता के अनुचित आक्रमण से सुरक्षा का हकदार है और जब व्यापक सार्वजनिक हित की शर्त पूरी हो जाती है तो सशर्त पहुंच उपलब्ध होती है। यह सूची सूचक है और संपूर्ण नहीं है। [पैरा 59] [512–जी; 513

ए–बी]

16. यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि धारा 11 केवल नहीं है

प्रक्रियात्मक लेकिन एक ठोस प्रावधान भी जो तब लागू होता है जब पी. आई. ओ. ऐसी जानकारी का खुलासा करने का इरादा रखता है जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या जिसे किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किया गया है और जिसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है। इसके लिए पी. आई. ओ. को तीसरे पक्ष को नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है जो लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है, जिसे निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 11 (1) का प्रावधान सभी मामलों में लागू होता है सिवाय इसके किकानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्य। उल्लेखनीय रूप से, व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित जानकारी,

आदि धारा 8 के खंड (घ) से उप–धारा (1) और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 9 द्वारा शासित होते हैं। अन्य सभी मामलों में जहां

जानकारी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई है या उससे संबंधित है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय मानी गई है, परंतुक के संदर्भ में प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है जहां सार्वजनिक हित मेंप्रकटीकरण महत्व में किसी भी संभावित नुकसान या तीसरे पक्ष के हित को नुकसान से अधिक है। गोपनीयता को कानून में संरक्षित और संरक्षित किया जाता है क्योंकि सार्वजनिक हित के लिए ऐसी आवश्यकता होती है

संरक्षण। यह मुफ्त संचार में मदद करता है और बढ़ावा देता है।

प्रतिशोध का डर। हालाँकि, गोपनीयता की रक्षा करने में सार्वजनिक हित तीन प्रसिद्ध अपवादों के अधीन है। पहला अपवाद अन्याय के प्रकटीकरण में एक सार्वजनिक हित है क्योंकि एक सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v से जुड़ी गोपनीयता का कोई नुकसान नहीं हो सकता है।

सुभाष चंद्र अग्रवाल

गलत काम करना। दूसरा, जब जनता को गुमराह किया गया हो तो कोई जनहित नहीं हो सकता। तीसरा, गोपनीयता का सिद्धांत तब लागू नहीं होता है जब खुलासा सार्वजनिक चिंता के मामलों से संबंधित होता है, जो अभिव्यक्ति जनता की जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए समाचार मूल्य या समाचार से बहुत अलग होती है। सार्वजनिक सरोकार उन मामलों से संबंधित है जो बोलने और अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग हैं और इसके बारे में सच्चाई और निष्पक्ष टिप्पणी के लिए सभी का अधिकार है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं जहाँ गोपनीयता बनाए रखने में सार्वजनिक हित प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित से अधिक हो सकता है और इस प्रकार, सामान्य कानून में, इसे अदालतों द्वारा गोपनीय जानकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये पहलू आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1) के प्रावधान के तहत प्रासंगिक होंगे। [पैरा 61] [515–सी–एच]

17. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1) का प्रावधान एक वैधानिक प्रावधान है।

खंड (जे) से धारा 8 (1) तक की तुलना में व्यापक, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी शामिल हो सकती है जो व्यक्तिगत होने के साथ–साथ संबंधित जानकारी भी हो सकती है।सरकार और उसका कार्य, दूसरों के बीच, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा आपूर्ति की जाती है और जिसे गोपनीय माना जाता है।

तीसरे पक्ष में सार्वजनिक प्राधिकरण सहित कोई भी व्यक्ति, प्राकृतिक या न्यायिक इकाई शामिल हो सकती है। [पैरा 62] [516–ए–सी]

18. अधिकांश न्यायविद इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूर्ण पारदर्शिता

सरकार के सभी पहलुओं में न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय है, क्योंकि सरकार के पूर्ण प्रकटीकरण पर कई सीमाएँ हैं।

सरकारी जानकारी, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनयिक संबंधों, आंतरिक सुरक्षा या संवेदनशील राजनयिक पत्राचार से संबंधित मामलों में। सरकार के निर्णय निर्माताओं को स्वीकार करने और उन पर भरोसा करने की भी आवश्यकता है, जो उन्हें भी अर्जित करना पड़ता है, जब वे अनुरोध करते हैं कि उनकी बैठकों में गोपनीयता और विचारों के आदान–प्रदान की आवश्यकता है ताकि संवेदनशील, परेशान करने वाले और घातक मुद्दों पर विचारों का मुक्त प्रवाह हो जिसमें [2019] 16 एस. सी. आर.

अलग–अलग विचार हो सकते हैं। हालाँकि, यह कहने के लिए नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनयिक संबंधों, आंतरिक सुरक्षा या संवेदनशील राजनयिक पत्राचार से संबंधित पहलुओं पर भी गोपनीयता बनाए रखने में कोई खतरा नहीं है। ईमानदारी और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने में गोपनीयता का कुछ प्रभाव और महत्व हो सकता है, हालांकि यह दूसरे तरीके से भी काम कर सकता है और इसलिए, क्या खुलासा किया जाना चाहिए, यह सार्वजनिक हित से संबंधित प्रामाणिक जांच पर निर्भर करेगा, यानी कि क्या पहुंच का अधिकार और जानने का अधिकार गोपनीयता की रक्षा करने में संभावित सार्वजनिक हित

से अधिक है या तीसरे पक्ष को नुकसान और क्षति से अधिक है जब जानकारी ऐसे तीसरे पक्ष से संबंधित है या जानकारी प्रकृति में गोपनीय है। [पैरा 70] [524–ए–डी]

'सार्वजनिक रुचि' शब्द का अर्थ

सूचना तक पहुँच में लोक हित कुछ ऐसी चीज़ को संदर्भित करता है जो जानने के लिए लोक कल्याण के हित में है। लोक कल्याण व्यापक रूप से जनता के हित से अलग है। " कुछ ऐसा जो जनता के हित में हो "और" कुछ ऐसा जो सार्वजनिक हित में हो "दो अलग–अलग और अलग–अलग मापदंड हैं। उदाहरण के लिए, जनता को निजी मामलों में रुचि हो सकती है जिनके बारे में जनता को कोई चिंता नहीं हो सकती है और उन्हें जानने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, निजी मामलों में जनता का ऐसा हित गोपनीयता की सुरक्षा को अस्वीकार और सीधे पार कर जाएगा। विशिष्ट छूट के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य

धारा 8 (1) के खंड (जे) के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी तक अनुचित पहुंच से खुद को बचाना और गोपनीयता के अधिकार से जुड़े प्रतिष्ठा, सम्मान आदि जैसे पहलुओं की रक्षा करना है। इसी तरह, निजी व्यक्तियों और यहां तक कि सरकार के मामले में गोपनीयता बनाए रखने में सार्वजनिक हित है। [पैरा 75] [527–ई–एच]

21.जनहित का कोई संबंध नहीं है और इसका प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या से कोई संबंध नहीं है। प्रकटीकरण जो सी. पी. आई. ओ. की तुलना में छोटा और महत्वहीन हो सकता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल

प्रकटीकरण चाहने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या के लिए। यह मांगी गई जानकारी और सभी के अनुसार अलग–अलग होगा।

मामले की परिस्थितियाँ जो छूटों को बनाए रखने में सार्वजनिक हित पर निर्भर करती हैं और जिनका खुलासा करने में सही संतुलन का आकलन करने के लिए जानकारी का हिसाब रखा जाना चाहिए। जनहित अपरिवर्तनीय नहीं है और यहां तक कि समय–अंतराल भी एक

महत्वपूर्ण अंतर। छूट के पीछे सार्वजनिक हित को नुकसान के प्रकार और संभावना और प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित मायने रखता है। नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती हैप्रत्येक छूट के पीछे सार्वजनिक हित की पहचान और फिर स्वीकार करने या स्वीकार करने में सार्वजनिक हित को समग्र रूप से तौलना।

उस विशेष मामले में प्रकटीकरण में लोक हित के विरुद्ध किसी विशेष मामले में जानकारी से इनकार करने के लिए छूट (ओं) को बनाए रखना। इसके अलावा, धारा 11 (1) के तहत, तीसरे पक्ष को

'संभावित' नुकसान और चोट का संदर्भ दिया जाता है, जिसे गोपनीयता के प्रकटीकरण का निर्धारण करते समय भी ध्यान में रखना होगा।

तृतीय पक्षों से संबंधित जानकारी। [पैरा 78] [529–डी–एफ]22. जनहित परीक्षण के संदर्भ में अंतिम पहलू आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (2) के प्रभाव के बारे में स्पष्टीकरण के रूप में होगा, जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सूचना चाहने वाला अनुरोध करने का कोई भी कारण बताएगा जानकारी। स्पष्ट रूप से, बनाने के लिए 'उद्देश्य' और 'उद्देश्य'

जानकारी के लिए अनुरोध अप्रासंगिक है, और बाहरी होना जानकारी से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह कहना नहीं है कि जनहित परीक्षण द्वारा शासित योग्य छूटों के मामले में जनहित परीक्षण को लागू करते समय 'उद्देश्य' और 'उद्देश्य' प्रासंगिक कारक नहीं हो सकते हैं। इसमें यह

इस संदर्भ में कि आदित्य बंदोपाध्याय में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि

आवेदक के लिए ब्याज या विशेष महत्व। यह समान रूप से एक नकारात्मक कारक हो सकता है जब 'उद्देश्य' और 'उद्देश्य' परेशान करने वाला हो या यह कानून के स्पष्ट दुरुपयोग का मामला हो। [पैरा 79] [529–जी–एच; 530–ए बी]23. आर. टी. आई. अधिनियम में, उन विचारों के बारे में कोई सकारात्मक संकेत के अभाव में जिन्हें पी. आई. ओ. को ध्यान में रखना होता है।

एक निर्णय लेते हुए, विधायिका ने प्रतिस्पर्धी हितों को तौलने के लिए पी. आई. ओ. में एक सामान्य विवेकाधिकार निहित करने का इरादा किया था, जो [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल सुरक्षा के उद्देश्य, दायरे और उद्देश्य और सूचना तक पहुँच के अधिकार और धारा 11 (1) में, तीसरे पक्ष को 'संभावित' नुकसान और चोट से सीमित होना है। यह पी. आई. ओ. की ओर से एक विवेकाधीन मूल्य निर्णय का आयात करता है और अपीलीय मंच जैसा कि यह अनिवार्य करता है कि कोई भी निष्कर्ष निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए, प्रत्येक अधिकार की रक्षा करके जिसे सार्वजनिक हित में बनाए रखने की आवश्यकता है। लेने की कोई आवश्यकता नहीं है

एक फोर्टिओरी दृश्य जो एक दूसरे को पछाड़ देता है। [पैरा 80] [530–सी–डी]

न्यायिक स्वतंत्रता

24. इस न्यायालय ने निर्णयों और दृष्टिकोण का उल्लेख किया है।

पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता के मुद्दे की विवादास्पद प्रकृति को दोनों पक्षों के विभिन्न तर्कों और जवाबी तर्कों के साथ उजागर करना, जिनमें से प्रत्येक योग्यता का आदेश देता है और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि न्यायिक स्वतंत्रता के सवाल का हिसाब रखा जाए

व्यायाम को संतुलित करें। इस बात पर संदेह और बहस नहीं की जा सकती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सार्वजनिक चिंता का विषय है और सीधे तौर पर लोक कल्याण से संबंधित है और यह उन कारकों में से एक होगा जिन्हें विचार करने और लागू करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए

जनहित परीक्षा। इस प्रकार, जब जनहित सूचना के प्रकटीकरण की मांग करता है, तो न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जानकारी दी। न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का संदर्भ जवाबदेही को कम करने और टालने के लिए नहीं है जो एक पहलू है हम समझते हैं और मानते हैं कि सूचना के प्रकटीकरण के पक्ष में जनहित की जांच करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही साथ–साथ चलते हैं क्योंकि जवाबदेही सुनिश्चित करती है, और यह न्यायिक स्वतंत्रता का एक पहलू है। इसके अलावा, आनुपातिकता परीक्षण को लागू करते समय, जानकारी का प्रकार और प्रकृति एक प्रासंगिक कारक है। अंतिम राय के बीच अंतर किया जाना चाहिए या

न्यायाधीशों की नियुक्ति/पदोन्नति और स्थानांतरण के संबंध में कॉलेजियम द्वारा टिप्पणियों और सांकेतिक कारणों और उन इनपुट/डेटा या विवरणों के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए जिनकी कॉलेजियम ने जांच की थी। उम्मीदवार के इनपुट विवरण, डेटा और विवरणों को प्रकट करने में सार्वजनिक हित की कठोरता अलग–अलग सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v होगी।

सुभाष चंद्र अग्रवाल

आउटपुट के विवरण को प्रकट करने और प्रस्तुत करने से, यह निर्णय है। पूर्व में, लोकहित परीक्षण को प्रत्ययी संबंध (यदि यह उत्पन्न होता है) को ध्यान में रखते हुए लागू करना होगा, और गोपनीयता के अधिकार का आक्रमण और उम्मीदवार या सूचना प्रदाता को देय गोपनीयता के कर्तव्य का उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं औरविवरण। यह स्थिति प्रकटीकरण के पक्ष में और सूचना को रोकने के पक्ष में विभिन्न कारकों के बीच एक सैद्धांतिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और खुलेपन के साथ–साथ विचार–विमर्श की गोपनीयता

पारदर्शी और खुला। विशेष रूप से, नामों के प्रकटीकरण और जिन लोगों को मंजूरी नहीं दी गई थी, उनके कारणों पर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद बदलाव आया है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए रास्ते बनाते रहेंगेअतीत के अनुभव और भविष्य की आकांक्षाएँ। [पैरा 88] [539–ए–एच; 540–ए]

निष्कर्ष

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय 2010 की सिविल अपील No.2683 को खारिज कर देता है और दिनांकित निर्णय को बरकरार रखता है

122009 के एल. पी. ए. सं. 501 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी. आई. सी. द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था जिन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की थी। इस तरह का खुलासा किसी भी तरह से न्यायाधीशों की व्यक्तिगत जानकारी और निजता के अधिकार को बाधित नहीं करेगा। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के खंड (ई) के संदर्भ में प्रत्ययी संबंध नियम लागू नहीं होता है। यह न्यायाधीशों की गोपनीयता के अधिकार और व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता की रक्षा करने के उनके अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जो वह मामला होगा जहां घोषणा में व्यक्तिगत संपत्ति के विवरण और सामग्री की मांग की जाती है और जिस स्थिति में आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) और धारा 11 (1) के प्रावधान के अनुसार जनहित परीक्षण लागू होगा। [पैरा 89] [540–डी–पी]

26. जहाँ तक सिविल अपील सं। 10045 2010 और 2010 के 10044 का संबंध है, उन्हें सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय को [2019] 16 एस. की पुनः जांच करने के लिए प्रेषण के आदेश के साथ आंशिक रूप से अनुमति दी जानी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद क्योंकि जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है। [पैरा

–जी]

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एक अन्य v. आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य (2011) 8 एससीसी

497 : [2011] 11 एससीआर 1028; थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम। केरल राज्य और अन्य (2013) 16 एस. सी. सी. 82: [2013] 14 एस. सी. आर. 475;

खानपुरम गंडैया बनाम। प्रशासनिक अधिकारी औरअन्य (2010) 2 एस. सी. सी. 1: [2010] 1 एससीआर 1; के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एससीआर 569; गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम। केंद्रीय जानकारी

आयुक्त और अन्य (2013) 1 एस. सी. सी. 212: [2012]

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर(2002) 5 एस. सी. सी. 295: [2002] 3 एस. सी. आर. 696; बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी और एक अन्य (2012) 13 एस. सी. सी. 61: [2012] 11 एस. सी. आर. 1032; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2016) 5 एससीसी 1: [2015] 13 एस. सी. आर. 1; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम। भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: [1993] 2 पूरक। एससीआर 659–पर निर्भर।

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य (1981)

एस. सी. सी. 87 [1980] एस. सी. आर. 365; भूदान सिंह और

एक अन्य वी। नबी बक्स और एक अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 481: [1970] 2 एससीआर 10; कैलाश राय बनाम। जय राम (1973) 1 एससीसी 527 [1973] 3 एससीआर 411; यू. पी. राज्य बनाम राज नारायण और अन्य (1975) 4 एस. सी. सी. 428: [1975] 3 एस. सी. आर. 333; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम। जयंतीलाल एन.

मिस्त्री (2016) 3 एस. सी. सी. 525: [2015] 14 एससीआर 505;जिला पंजीयक और कलेक्टर बनाम। केनरा बैंक (2005) 1 एस. सी. सी. 496: [2004] 5 पूरक। एससीआर 833; स्पेंसर बनाम।

ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद अग्रवाल

आर. (2014) 2 एससीआर 212; केनरा बैंक बनाम। सी. एस. श्याम और एक अन्य (2018) 11 एस. सी. सी. 426: [2017] 7 एससीआर 741; सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य (2018) 11 एस. सी. सी. 634; आर. के. जैन बनाम। भारत संघ और अन्य (2013) 14 एस. सी. सी. 794 [2013] 5 एस. सी. आर. 411; हेलेन सुज़मैन फाउंडेशन बनाम। न्यायिक सेवा आयोग मामले का फैसला 24 अप्रैल 2018 को किया गया; सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम। न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्जी और अन्य (1995) 5 एस. सी. सी. 457: [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 319; बॉम्बे में उच्च न्यायालय बनाम। शशांक एस. पाटिल (1997) 6 एस. सी. सी. 339: [1997] 3 एस. सी. आर. 1131; जसबीर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2006) 8 एस. सी. सी. 295: [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 174–संदर्भित।

री को के एस्टेट एबर्ट एट अल वी। राज्य आदि। अल 33 Cal.2d 502; डॉलफस मिग और कम्पैग्नी एस. ए. वी. बैंक ऑफ इंग्लैंड (1950) 2 ऑल ई. आर. 611; न्यू कैसल अपोन टाइन वी। सूचना आयुक्त और ब्रिटिश संघ

माइनहार्ड वी. सैल्मन (1928) 164 उत्तर पूर्व 545,546; कोको वी. एएन क्लार्क (इंजीनियर्स) लिमिटेड [1969] आरपीसी 41; डगलस बनाम। हैलो! लिमिटेड (2001) क्यू. बी. 967; पी. जे. एस. बनाम। न्यूज ग्रुप न्यूजपेपर्स लिमिटेड (2016) यूकेएससी 26; संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। मिलर 425 यूएस 435 (1976); पेक बनाम। यूनाइटेड किंगडम (2003) ई. एम. एल. आर. 15; ऑस्ट्रेलियाई प्रसारणनिगम बनाम। लेना गेम मीट्स पीटीवाई लिमिटेड (2001) 185 एएलआर 1; कैम्पबेल बनाम। मिरर ग्रुप न्यूजपेपर्स लिमिटेड (2004) यूकेएचएल 22; अटॉर्नी जनरल (यूके) बनाम।

हेइनमैन पब्लिशर्स पीटीवाई लिमिटेड (1987) 10 एनएसडब्ल्यूएलआर 86 191 पर; राष्ट्रमंडल बनाम। जॉन फेयरफैक्स एंड संस लिमिटेड (1980) 147 सी. एल. आर. 39 51 पर; अटॉर्नी जनरल बनाम। जोनाथन केप लिमिटेड. [1976] क्यू. बी. 752; बर्मा ऑयल लिमिटेड बनाम। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड अदर [1980] एसी 1090; बटर गैस एंड ऑयल कंपनी v. हथौड़ा 1982 एसी 888 (एच. एल.); एयर कनाडा बनाम। व्यापार राज्य सचिव 1983 2 एसी 394 (एच. एल.); सिविल सेवा संघ परिषद v. सिविल सेवा मंत्री 1985 ए. सी. 374 (एच. एल.)–संदर्भित।

[2019] 16

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1980] एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पैराः

[1970] 2 एससीआर 10

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1973] 3 एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1975] 3 एससीआर 333

संदर्भित किया गया है

पारा!

[2011] 11 एससीआर 1028

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2015] 14 एससीआर 505

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 14 एससीआर 475

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2010] 1 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैराः

[2004] 5 पूरक। एससीआर 833

संदर्भित किया गया है

पैरा

उस पर भरोसा करें

[2017] 10 एससीआर 569

पैरा

[2014] 2 एससीआर 212

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2012] 8 एससीआर 1097

उस पर भरोसा करें

पैराः

[2017] 7 एससीआर 741

संदर्भित किया गया है

पैराः

(2018) 11 एस. सी. सी. 634

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 5 एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पैराः

उस पर भरोसा करें

पैरा

आकाशवाणी 2012 दिल्ली 29

[1993] 3 एससीआर 802

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2002] 3 एससीआर 696

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2012] 11 एससीआर 1032

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2015] 13 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1995] 3 पूरक। एससीआर 319

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1997] 3 एससीआर 1131

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2006] 7 पूरक। एससीआर 174

संदर्भित किया गया है

पैरा

न्यायिक स्वतंत्रता27. न्यायपालिका भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है।

और स्टे सीपीआईओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v के उचित संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सुभाष चंद्र अग्रवाल

कानून के शासन पर आधारित लोकतंत्र। न्यायपालिका की अखंडता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता निष्पक्ष और निष्पक्षता के लिए पूर्व शर्तें हैं।

न्याय तक प्रभावी पहुँच और अधिकारों की सुरक्षा के लिए। न्यायपालिका को देश में अखंडता के बुनियादी ढांचे के गढ़ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। [पैरा 45] [575–एफ]

28. जवाबदेही सुधार लाने में विफलता अदालतों की निष्पक्षता में विश्वास को कम करेगी, जिससे मुख्य न्यायिक प्रणाली को नुकसान होगा।

कार्य। इसके अलावा, यह व्यापक जवाबदेही को भी नुकसान पहुंचाता हैकार्य कि न्यायपालिका को लोकतांत्रिक प्रणालियों में सौंपा गया है जिसमें नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखना और अन्य शाखाओं के प्रतिनिधियों को मंजूरी देना शामिल है जब वे कानून का उल्लंघन करते हैं। पारदर्शिता और सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण रूप से कानून के शासन से जुड़े हुए हैं। [पैरा 45] [575–जी; 576–ए]

न्यायिक जवाबदेही

29. न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही हैं –

अवांछनीय है। अभिधारणा के बारे में एक भ्रांति है किस्वतंत्रता और जवाबदेही परस्पर विरोधी मूल्य हैं। [पैरा 46] [576–सी–डी]

30. न्यायिक स्वतंत्रता को उन स्थितियों के अस्तित्व द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एक न्यायाधीश को निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं। दबावों और प्रभावों के आगे झुकना जो इससे अलग हो जाते हैं

न्याय का मार्ग। स्वतंत्र होने के लिए एक न्यायाधीश के पास 'भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के बिना' निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। संविधान स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए परिस्थितियाँ बनाता है

नियुक्तियों, कार्यकाल और सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान निर्धारित करके न्यायाधीश। ये प्रावधान हैं जिनके माध्यम से

न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को अनिवार्य संस्थागत आवश्यकताओं के रूप में शामिल किया गया है। ये हमारी संवैधानिक रचना के आंतरिक तत्व हैं। लेकिन संवैधानिक डिजाइन को इसके वास्तविक कार्य के माध्यम से महसूस किया जाना चाहिए।

कार्यकर्ता। स्वतंत्रता की सुविधा देने वाले तंत्र [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

इसलिए यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि संवैधानिक डिजाइन न्यायिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में बदल जाता है। सुविधाजनक तंत्र में वे शामिल हैं जो पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता गलत कार्यों को रोकने के लिए एक ढाल नहीं है, बल्कि उन संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति को सुरक्षित करने के लिए एक साधन है जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है।

हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध। इसलिए न्यायिक स्वतंत्रता मनमाने व्यवहार के लिए एक कार्टे ब्लैंच नहीं है। जहाँ संविधान के प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय के लिए न्यायिक स्वतंत्रता के मानक को सुरक्षित करते हैं, वहाँ संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जो उस उद्देश्य को आगे बढ़ाता है जिसके लिए इसे सुरक्षित किया गया था। गारंटीकृत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से जुड़ी जिम्मेदारी के बीच संतुलन की खोज में, न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही एक साथ आती हैं। [पैरा 47] [576–ई–एच; 577–ए–बी]31. न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ न्यायाधीशों को कानून के शासन से अलग रखना नहीं है। संवैधानिक लोकतंत्र में

32. विधायिका के प्रति जवाबदेह सरकार के कैबिनेट रूप में कार्यपालिका। सरकार के मंत्री विधायिका के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सामूहिक रूप से, सरकार एक संस्था के रूप में विधायिका के प्रति और विधायिका के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेह है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विपरीत, जिले और उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया जिस तरह से जवाबदेही तय करती है

इसलिए विधायिका के सदस्यों से अलग होना उन न्यायाधीशों की जवाबदेही से अलग है जो उस विश्वास के प्रति जवाबदेह हैं जो स्वतंत्र निर्णय निर्माताओं के रूप में उनमें निहित है। उस न्यास के निर्वहन में उन्हें जवाबदेह बनाना उनकी स्वतंत्रता को कम नहीं करता है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता उन्हें कार्यपालिका और सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम के दबावों से बचाने के लिए बनाई गई है।

विधायिका और समाज में संगठित हित जो न्यायाधीशों को निष्पक्ष न्यायनिर्णायकों के रूप में न्यास का निर्वहन करने से रोक सकते हैं। ठीक से समझी गई जांच और पारदर्शिता को स्वतंत्रता के विरोधाभास में नहीं रखा गया है। वे बनाते हैं।ऐसी स्थितियाँ जहाँ न्यायाधीशों को हानिकारक प्रभावों से संरक्षित किया जाता है। जाँच और पारदर्शिता कर्तव्यनिष्ठों के सहयोगी हैं क्योंकि वे उन प्रभावों से बचाव के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं जो न्यायपालिका को नुकसान पहुँचाने का खतरा पैदा करते हैं।

जवाबदेही। पारदर्शिता और जांच–पड़ताल इसके साधन हैं सुरक्षित जवाबदेही। [पैरा 57] [583–ई–जी; 584–ए–बी]

विश्वास संबंधी संबंध

33.भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारी का प्रयोग करते हुए

माँगी गई जानकारी प्रत्ययी क्षमता में रखी जाती है जो लागू नहीं होती है।और इसका उपयोग जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है। [पैरा 69] [591–डी–एच] [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निजता और जानने का अधिकार।

34. यह भी ध्यान रखना उचित है कि धारा 8 के खंड (ए), (बी), (सी), (एफ), (जी) और (एच) से खंड (1) के लिए एक पूर्ण प्रावधान प्रदान करता है।

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकटीकरण के दायित्व से छूट।

धारा 8 की उप–धारा (1) का खंड (ए) एक बिना शर्त छूट प्रदान करता है जहां यह निर्धारित किया जाता है कि मांगी गई जानकारी का प्रकटीकरण "भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा"। दूसरी ओर, जबकि धारा 8 (1) का खंड (डी) इसी तरह प्रदान करता है कि जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है जहां इस तरह के प्रकटीकरण से "नुकसान होगा किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति "छूट को इस वाक्यांश द्वारा और अधिक योग्य बनाया जाता है", जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण की आवश्यकता है। इस प्रकार, खंड (घ) के तहत छूट निरपेक्ष नहीं है, लेकिन योग्य है और जहां "व्यापक सार्वजनिक हित" मौजूद है, वहां इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहाँ सूचना अधिकारी यह निर्धारित करता है कि "व्यापक लोक हित" एक प्रकटीकरण की गारंटी देता है, खंड (घ) में छूट का आह्वान नहीं किया जा सकता है और जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। [पैरा 75] [597–बी–डी]

35. धारा 8 (1) का खंड (जे) एक योग्य प्रावधान करता है

प्रकटीकरण से छूट जहां मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है जिसका प्रकटीकरण नहीं है

किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंध या जानकारी का खुलासा "गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण" का कारण बन सकता है। हालाँकि, छूट को ओवरराइड किया जा सकता है जहाँ सूचना अधिकारी "संतुष्ट है कि व्यापक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण को उचित ठहराता है"। खंड (जे) गोपनीयता के आधार पर जानकारी के प्रकटीकरण से पूर्ण छूट नहीं है, लेकिन यह कहता है कि उन मामलों में प्रकटीकरण से छूट दी गई है जहां "व्यक्तिगत जानकारी" मांगी गई है और कोई "बड़ा सार्वजनिक हित" मौजूद नहीं है। जहाँ सूचना अधिकारी संतुष्ट है कि "व्यापक लोक हित" का अस्तित्व "व्यक्तिगत जानकारी" के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है, वहाँ जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। न्यायपालिका के सदस्यों के संबंध में "व्यक्तिगत जानकारी" और "व्यापक सार्वजनिक हित" वाक्यांशों की सटीक रूपरेखा, और जिस तरह से वे एक–दूसरे से संबंधित हैं, वह तीसरे रेफरल प्रश्न का विषय है और यह होगा सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल

इस निर्णय के दौरान विश्लेषण किया गया। [पैरा 76] [597 बी–डी]

36. "तीसरे पक्ष" की परिभाषा में एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है। तीसरे पक्ष की जानकारी वह जानकारी है जो किसी अन्य व्यक्ति (सार्वजनिक संगठन सहित) से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदान की गई है।

प्राधिकरण) सूचना आवेदक के अलावा और ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है। जहां 'तीसरे पक्ष की जानकारी' का खुलासा करने की मांग की जाती है, और इस तरह की जानकारी को प्रथम दृष्टया तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है, वहां आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रक्रिया अनिवार्य है। सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के पाँच दिनों के भीतर

नोटिस प्राप्त करने के लिए। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से सूचना अधिकारी को सूचना के प्रकटीकरण या गैर–प्रकटीकरण के संबंध में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष की आपत्तियों को ध्यान में रखने का आदेश देता है। यह समाहित करता हैमौलिक विचार कि एक पक्ष जिसकी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने की मांग की जाती है, उसे चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता है

प्रकटीकरण। धारा 11 की उप धारा (1) का प्रावधान प्रकटीकरण की अनुमति देता है जहां प्रकटीकरण में "सार्वजनिक हित" तीसरे पक्ष द्वारा उजागर किए गए प्रकटीकरण में किसी भी संभावित नुकसान से "अधिक" होता है। [पैरा 77] [598–एफ–एच; 599–ए–सी] 37. धारा 8 और 11 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। उस मामले के अलावा जहां सूचना आवेदक प्रकटीकरण चाहता है

जानकारी जो स्वयं सूचना आवेदक से संबंधित है, वह जानकारी जो धारा 8 (1) के खंड (जे) के अर्थ के भीतर "व्यक्तिगत जानकारी" की श्रेणी में आती है, वह भी धारा 11 के दायरे में "तीसरे पक्ष की जानकारी" है। इसलिए, प्रत्येक मामले में जहां अनुरोध की गई जानकारी है

" व्यक्तिगत जानकारी "धारा 8 की उप धारा 1 के खंड (जे) के संचालन के भीतर, धारा 11 के तहत नोटिस और आपत्तियों की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। दोनों प्रावधान नियंत्रण और संतुलन की एक ठोस प्रणाली बनाते हैं जो [2019] 16 एस. सी. आर. की मांग करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूचना आवेदक के सूचना प्राप्त करने के अधिकार को तीसरे पक्ष के अधिकार के साथ संतुलित करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को रोकने के लिए बाद वाले को प्रस्तावित प्रकटीकरण का विरोध करने की अनुमति देना। [पैरा 78] [599–सी–ई]

38. धारा 11 के तहत प्रक्रिया का पालन न केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां सूचना की आपूर्ति की गई है

जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाता है वह किसी तीसरे पक्ष से "संबंधित" होता है। धारा 11 केवल एक प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं है, बल्कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आयोजित उनकी व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण के खिलाफ तीसरे पक्ष को उनकी जानकारी या सहमति के बिना पर्याप्त सुरक्षा। केवल यह तथ्य कि सार्वजनिक प्राधिकरण किसी तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी रखता है, इसे आर. टी. आई. अधिनियम के तहत स्वतंत्र रूप से खुलासा करने योग्य नहीं बनाता है। कोई तीसरा पक्ष हो सकता है

जानकारी के प्रकटीकरण पर आपत्ति करने का अच्छा कारण है, जिसमें इस आधार पर भी शामिल है कि प्रकटीकरण एक

निजता के अधिकार का उल्लंघन। आपत्तियों को आमंत्रित करने की आवश्यकता को शामिल करके और उसी पक्ष को तीसरे पक्ष की जानकारी के प्रस्तावित प्रकटीकरण पर सुनवाई प्रदान करके जो प्रकटीकरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, धारा 11 मूर्त रूप लेती है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। [पैरा 79] [600–एच; 601–ए–बी]

39. वर्तमान मामले में मांगी गई जानकारी न्यायपालिका के सदस्यों की संपत्ति की घोषणा से संबंधित है और

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की पदोन्नति के संबंध में आधिकारिक फाइल टिप्पणियाँ और पत्राचार। न्यायाधीशों की संपत्ति के संबंध में मांगी गई जानकारी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है, बल्कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की जाती है। न्यायाधीशों की पदोन्नति के संबंध में फाइल टिप्पणियों में न केवल सर्वोच्च न्यायालय के संचालन के बारे में जानकारी होती है, बल्कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से भी संबंधित है। इस प्रकार,माँगी गई जानकारी "संबंधित" और "किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई है और उसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है"। धारा 11 के तहत प्रक्रिया प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में लागू होती है और होनी चाहिए

अनुपालन किया। [पैरा 80] [601–सी–ई]40. आर. टी. आई. अधिनियम, हालांकि एक वैधानिक अधिनियम है, भारत के संविधान के भाग III में निहित अधिकारों को शामिल करता है।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो सभी नागरिकों को न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।स्वतंत्र भाषण, लेकिन स्वतंत्र रूप से भाषण का प्रसार करने का अधिकार भी। भाषण के प्रसार के लिए प्रेस की स्वतंत्रता लंबे समय से रही है

हमारे संविधान के तहत मान्यता प्राप्त। स्वतंत्र रूप से भाषण का प्रसार करने के अधिकार का एक अंतर्निहित घटक संबंधित अधिकार है

सूचना प्राप्त करने के अधिकार की नकारात्मक सामग्री, जो राज्य को पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी तक नागरिक की पहुंच को प्रतिबंधित करने से रोकती है, सूचना का अधिकार,अनुच्छेद 19 (1) (ए) के एक पहलू के रूप में, राज्य पर एक सकारात्मक कर्तव्य है कि वह कुछ जानकारी उपलब्ध कराए जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

डोमेन। [पैरा 81] [601–एफ–एच; 602–ए–बी]

41. निजता का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न होता है।संविधान और संविधान के भाग III में सन्निहित स्वतंत्रता और गरिमा के पहलुओं से। इस पर कोई प्रतिबंध

राज्य द्वारा निजता का अधिकार कानून द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, राज्य के वैध उद्देश्य का पीछा करना चाहिए और आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करना चाहिए। आनुपातिकता की आवश्यकता तब पूरी होती है जब प्रकृति

और अधिकार के संक्षिप्त होने का विस्तार राज्य द्वारा अपनाए जा रहे वैध उद्देश्य के अनुपात में है। निजता की संवैधानिक सुरक्षा में केवल व्यक्तिगत सुरक्षा ही शामिल नहीं है

अंतरंगता लेकिन निर्णयात्मक और सूचनात्मक स्वायत्तता तक भी फैली हुई है। एक व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। द.सूचना का अनधिकृत उपयोग नागरिकों के निजता के अधिकार को कम करता है। [पैरा 85] [607–जी–एच; 608–ए]

42. आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकट की गई जानकारी

व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी शामिल करें। आर. टी. आई. अधिनियम में इसके प्रावधानों के तहत प्रकट की गई जानकारी के अंतिम उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सूचना के अधिकार आवेदन के अनुसार राज्य के एक सूचना अधिकारी द्वारा प्रकट की गई जानकारी बाद में व्यापक रूप से [2019] 16 एस. सी. आर. हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फैलाया गया। धारा 8 की उप–धारा (1) के खंड (जे) में यह प्रावधान है कि, कुछ स्थितियों में, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी भी

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत व्यक्ति का खुलासा किया जा सकता है। जहाँ आर. टी. आई. अधिनियम "व्यक्तिगत जानकारी" के प्रकटीकरण पर विचार करता है, वहाँ व्यक्ति की निजता का अधिकार लगा हुआ है। इस अधिनियम में यह माना गया है कि आर. टी. आई. अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का पूर्ण या अनुचित प्रकटीकरण आर. टी. आई. अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के तहत "निजता के अधिकार पर अनुचित आक्रमण" का गठन करेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों को भी कम करेगा।

निजता का व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार। हालाँकि, आर. टी. आई. अधिनियम में सुरक्षा के लिए विभिन्न नियंत्रण और संतुलन हैं।

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी का मिलावट रहित प्रकटीकरण। [पैरा 86] [608–बी–डी]

43. एक उपाय के रूप में आर. टी. आई. अधिनियम की संवैधानिक वैधता

इस न्यायालय के समक्ष निजता के अधिकार को कम करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन यह कहना तुच्छ है कि आर. टी. आई. अधिनियम वैधता की कसौटी (एक विधान होने के आधार पर) को संतुष्ट करता है और एक वैध कानून का भी पालन करता है। राज्य का उद्देश्य सरकार और एक जागरूक मतदाता की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। प्रकटीकरण में लोक हित को संतुलित करने के लिए सूचना अधिकारी की आवश्यकता

निजता को हुए नुकसान के विरुद्ध, खंड (जे) आनुपातिकता का एक विधायी रूप से अनिवार्य उपाय बनाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति के निजता के अधिकार को नुकसान आनुपातिक नहीं है।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। [पैरा 87] [608 ई–एफ]

धारा 8 की उप–धारा (1) में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हैं – के. एस. पुट्टास्वामी में इस न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त संवैधानिक गोपनीयता के एक पहलू के रूप में सूचनात्मक गोपनीयता।

न ही 'राइट सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के एक पहलू के रूप में 'सूचना' और न ही गोपनीयता के अधिकार के एक पहलू के रूप में सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार

निरपेक्ष। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकारों को अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। अधिकार।

गोपनीयता और इसके कई पहलुओं को अनुमत रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है जहां संक्षिप्तता कानून द्वारा प्रदान की जाती है, एक वैध राज्य उद्देश्य का पालन करती है और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करती है। [पैरा 88] [608–जी–एच; 609–ए–सी]45. धारा 8 की उप–धारा (1) के खंड (जे) में सूचना अधिकारी से पहले यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या सूचना

माँगी गई जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" के अर्थ में आती है। जहाँ माँगी गई जानकारी "व्यक्तिगत" के दायरे में आती है।

आर. टी. आई. अधिनियम। हालांकि, जहां मांगी गई जानकारी के प्रकटीकरण में 'जनहित' मौजूद है, परीक्षण द्वारा लागू किया जाना हैसूचना अधिकारी अलग है। सूचना अधिकारी को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या "व्यापक सार्वजनिक हित" जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है, इस तथ्य के बावजूद कि जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" है। ऐसा करने में, सूचना अधिकारी को उस व्यक्ति के गोपनीयता हित को संतुलित करना चाहिए जिसकी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा जनता के जानकारी

के अधिकार के साथ किया जाएगा ताकि वह मांगी गई जानकारी को जान सके। "व्यक्तिगत जानकारी" और "सार्वजनिक हित" शब्दों की मूल सामग्री को संविधान द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकटीकरण और गैर–प्रकटीकरण के रूप में 'जानने के अधिकार' और गोपनीयता के अधिकार पर लागू मानक इन संवैधानिक अधिकारों को सीधे निहित करते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम के ढांचे के भीतर संतुलन बनाने के लिए, सूचना अधिकारी को इन अधिकारों की मूल सामग्री और हमारी संवैधानिक योजना के भीतर उन्हें किस हद तक प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। आनुपातिकता के मानक को लागू करना भी महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न तो अधिकार प्रश्न में प्रतिवर्ती हित के वैध हित को पूरा करने के लिए आवश्यक से अधिक सीमा तक प्रतिबंधित है। अब "व्यक्तिगत" की सामग्री की जांच करना आवश्यक है।

सूचना "और" जनहित "। [पैरा 89] [609–डी–एच]

46. आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से संरक्षित जानकारी के दायरे को समझने के लिए, यह प्रासंगिक है [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. टी. आई. अधिनियम की व्याख्या लेकिन अभिव्यक्ति के आयाम को समझने में मार्गदर्शन के उपयोगी स्रोत हैं। हमें निश्चित रूप से उन्हें एक चेतावनी के साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि उपयोग का संदर्भ समान नहीं है। [पैरा 90] [610–ए–बी] 47. इस प्रकार, चर्चा से यह पता चलता है कि कुछ श्रेणी की जानकारी जैसे चिकित्सा जानकारी, व्यक्तिगत संबंधों का विवरण, कर्मचारी रिकॉर्ड और व्यावसायिक आय को व्यक्तिगत जानकारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह सवाल कि क्या ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, सी. पी. आई. ओ. द्वारा मामले–दर–मामले के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जो प्रकटीकरण के पक्ष में प्रदर्शित जनहित पर निर्भर करता है। [पैरा 97] [618–एफ–जी]

48. निर्वाचित अधिकारियों के मामले में सूचना का अधिकार और पारदर्शिता की आवश्यकता लोकतांत्रिक व्यवस्था में आधारित है।

जनता द्वारा बेहतर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

पारदर्शिता और सूचना का अधिकार सीधे तौर पर निर्वाचित अधिकारियों के आचरण के संबंध में नागरिकों की निगरानी करने और अधिक सूचित निर्णय लेने की क्षमता में योगदान देता है। जहाँ एक निर्वाचित प्रतिनिधि के कदाचार को जनता के सामने उजागर किया जाता है, नागरिक अगले चुनाव में

उस व्यक्ति को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह, सूचना के अधिकार के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया बेहतर प्रशासन की सुविधा प्रदान करती है और अच्छे सार्वजनिक निर्णय लेने के लिए शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करती है। न्यायाधीशों के मामले में, नागरिकों के पास प्रत्यक्ष एजेंसी संबंध नहीं होता है। इसलिए, एक न्यायाधीश के संबंध में जानकारी का खुलासा करने में 'जनहित' को बेहतर सार्वजनिक निर्णय लेने के माध्यम से लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आधारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे कहीं और स्थित किया जाना चाहिए। [पैरा 98] [618–एच; 619–ए–बी]

49. सामान्य कानून वाले देशों में, सार्वजनिक हित को हमेशा एक स्वतंत्र हित के रूप में काम करने के लिए समझा गया है। राज्य से। लोकहित समान रूप से राज्य के खिलाफ काम करता है जैसा कि यह गैर–राज्य कर्ताओं के खिलाफ करता है। आर. टी. आई. अधिनियम के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सूचना का अधिकार सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल

पहले विशेष रूप से राज्य द्वारा रखी गई जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में। इसलिए लोक हित राज्य के हित से स्वतंत्र एक स्वतंत्र दृष्टिकोण के रूप में कार्य करता है।

प्रकटीकरण या गैर–प्रकटीकरण का पक्ष लेता है। इसके मूल में, 'जनहित' के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा लोकतांत्रिक निर्णय लेने की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है और किसी भी बिंदु पर समाज में सामान्य भलाई की दोनों साझा अवधारणाओं को ध्यान में रखती है और फिर भी यह स्वीकार करती है कि ऐसी अवधारणाएं हमेशा प्रतिस्पर्धा और असहमति का परिणाम हैं, जिससे व्यक्ति की आत्म–पूर्ति और सत्य की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। [पैरा 99] [619–सी–ई]

50. सूचना का अधिकार न केवल लोकतांत्रिक निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार पर आधारित है, बल्किइसकी जड़ें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्य आधारों में पाई जाती हैं, जिनमें व्यक्ति की आत्म–पूर्ति, 'विचारों के बाजार' में प्रतिस्पर्धी विचारों का परिचय और व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा शामिल हैं। 'जनहित' शब्द को ऐसी जानकारी तक सीमित करना जो व्यक्तियों को सार्वजनिक अधिकारियों के संबंध में बेहतर सार्वजनिक विकल्प बनाने की अनुमति देता है, इस पर विचार करने में विफल रहता है

सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आयोजित जानकारी के प्रसार से प्रवचन के विकास, निजी निर्णय लेने और व्यक्ति के पोषण पर शक्तिशाली लाभ हो सकते हैं। [पैरा 100] [620–सी–डी]

गोपनीयता के नुकसान के खिलाफ। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न दस्तावेजों का खुलासा अद्वितीय "सार्वजनिक" को जन्म देगा।प्रकटीकरण के पक्ष में ब्याज कारक। हालांकि, कुछ व्यापक सिद्धांतों को

निर्धारित किया जा सकता है कि "जनहित" वाक्यांश को कैसे समझा जाए। जहाँ कारक इस व्याख्या "सार्वजनिक हित" के भीतर आते हैं, वे ऐसे कारक हैं जो प्रकटीकरण के पक्ष में वजन करते हैं। सिद्धांत इस प्रकार हैं:

जनहित उन सूचनाओं तक सीमित नहीं है जो सीधे तौर पर निर्वाचित लोगों की लोकतांत्रिक जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं। अधिकारी;

((ii) जानकारी के प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित मौजूद है जहां मांगी गई जानकारी राजनीतिक जानकारी देती है।

बहस, शैक्षिक या बौद्धिक है या कलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करती है; [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((iii) जहाँ मांगी गई जानकारी जनता को बढ़ावा देगी।

राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक मुद्दों पर बहस, प्रकटीकरण में एक सार्वजनिक हित मौजूद है;

((iv) न्यायाधीशों और सूचना अधिकारियों को इस बारे में कोई मूल्य निर्णय नहीं देना चाहिए कि क्या विचाराधीन भाषण आगे बढ़ता है।

सार्वजनिक हित की कसौटी को पूरा करने के लिए सामाजिक भलाई या इसके लिए हित की उनकी अपनी अवधारणा;

(v) एक सूचक सूची के रूप में, संबंधित जानकारी

अधिकारियों की जवाबदेही, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन, शिकायतों से निपटना, एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किसी भी गलत काम का अस्तित्व, सार्वजनिक रूप से अक्षमता

लोक प्रशासन में प्रशासन और अन्याय सभी के पास लोक हित का मूल्य है, उनकी सापेक्ष शक्ति को मामले के आधार पर निर्धारित किया जाना है;

(vi) जहां सूचना का प्रकटीकरण आर. टी. आई. अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को बढ़ावा देगा, वहां एक "सार्वजनिक सूचना" मौजूद है।

ऐसी जानकारी का खुलासा करने में रुचि; और

(vii) आर. टी. आई. अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य राज्य को सूचना तक पहुंच प्रदान करने के सकारात्मक दायित्व को पूरा करना है।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत जानकारी और सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंधों का अस्तित्व

अधिनियम के तहत "लोक हित" के अर्थ को प्रतिबंधित नहीं करता है। [पैरा 107] [625–डी–एच; 626–ए–डी]

ब्याज "मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण" को उचित ठहराता है। सूचना अधिकारी को संतुलन या वजन का संचालन करना चाहिए प्रकटीकरण या गैर–प्रकटीकरण के पक्ष में निर्धारण करने में हित। सूचना अधिकारी को इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) के तहत कोई भी निर्धारण सूचना के अधिकार और गोपनीयता के अधिकार को निहित करता है क्योंकि सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल

संवैधानिक अधिकार। तर्क कानून का केंद्र है और सूचना अधिकारी के निर्णय को ठोस और स्पष्ट होना चाहिए।

दोनों हितों को संतुलित करने के लिए विचार किए गए कारकों और निष्कर्षों के कारणों को स्पष्ट करें। तीसरे निर्देशात्मक प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर देने में, यह न्यायालय गोपनीयता हितों के विरोध के साथ प्रकटीकरण में हितों को संतुलित करने में सूचना अधिकारी द्वारा लागू किए जाने वाले विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को निर्धारित नहीं करेगा। [पैरा 108] [626–ई–एच]

53. कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है और इसके मनमाने अभ्यास के खिलाफ एक जांच है

न्यायिक और अर्ध–न्यायिक निकायों द्वारा शक्ति। एक बनाने मेंकिसी दिए गए मामले में धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) के तहत निर्धारण, यह संतोषजनक नहीं होगा यदि कोई सूचना अधिकारी केवल यह दर्ज करता है कि गोपनीयता का हित सार्वजनिक हित से अधिक है। कुछ और चाहिए। दो हितों को ध्यान में रखने के लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करके और सूचना अधिकारी को इस ढांचे के भीतर विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है, सूचना अधिकारी के मनमाने अभ्यास या विवेक के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। [पैरा 108] [627–डी–ई]

54. न तो सूचना का अधिकार और न ही निजता का अधिकार

आर. टी. आई. अधिनियम के ढांचे के तहत पूर्ण अधिकार हैं। जहां सूचना का अनुरोध करने में सूचना आवेदक का सूचना का अधिकार उस व्यक्ति की निजता के अधिकार को छूता है जिसकी जानकारी मांगी गई है, आर. टी. आई. अधिनियम सूचना अधिकारी से दोनों हितों को तौलने और यह निर्धारित करने का आह्वान करता है कि कौन सा अधिक मजबूत है। [पैरा 109] [627–जी; 628–ए–बी]55. एक बार जब मांगी गई जानकारी की पहचान "व्यक्तिगत जानकारी" के रूप में की जाती है, तो सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत मामले में दावा किए जा रहे वास्तविक अधिकारों की पहचान करनी चाहिए। 'जनहित' और 'गोपनीयता' की मूल सामग्री को निर्धारित करने में इन अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित किया गया है। किसी भी मामले में, सूचना अधिकारी को सटीक हितों की पहचान करनी चाहिए।

'जनहित' प्रकटीकरण के पक्ष में वजन करना, और उन हितों को 'गोपनीयता' और गैर–प्रकटीकरण के पक्ष में वजन करना। तब सूचना अधिकारी को इसके औचित्य की जांच करनी चाहिएप्रत्येक अधिकार को सीमित करना और क्या उन्हें आर. टी. आई. अधिनियम और आम तौर पर कानून की योजना के तहत स्वीकार किया जाता है। जमीन की

गोपनीयता सरलीकरण [2019] 16 एस. सी. आर. के अधिकार को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. टी. आई. अधिनियम या संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत जानकारी। अंत में, सूचना अधिकारी को आनुपातिकता के सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि बैरोनेस हेल द्वारा देखा गया है, गोपनीयता का अधिकार और सूचना का अधिकार दोनों वैध उद्देश्य हैं। आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने में, सूचना अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी अधिकार का संक्षिप्तकरण नहीं है।

गैर–प्रकटीकरण के पक्ष में एक स्पष्ट गोपनीयता हित बनाना। यह कहना अपर्याप्त है कि चिकित्सा अभिलेखों में गोपनीयता की रुचि बहुत अधिक है और इसलिए परिणाम पूरी तरह से गैर–प्रकटीकरण होना चाहिए। आनुपातिकता के सिद्धांत के लिए आवश्यक हो सकता है कि छुट्टियों की संख्या और कारणों का खुलासा किया जाए और छुट्टी के लिए चिकित्सा कारणों को हटा दिया जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि जवाबदेही में रुचि केवल गोपनीयता के वैध उद्देश्य की रक्षा के लिए आवश्यक सीमा तक कम हो। सरकारी कर्मचारी। [पैरा 113] [631–ए–सी]

निष्कर्ष प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी (1) से संबंधित है।

उच्चतम न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पदोन्नति से संबंधित पत्राचार और फाइल टिप्पणियाँ, (2) 1997 के प्रस्ताव के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा की गई संपत्ति की घोषणा से संबंधित जानकारी, और (3) समाचार पत्र की रिपोर्ट में नामित वकील और न्यायाधीश के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की पहचान और प्रकृति। तीसरे रेफरल प्रश्न के लिए यह आवश्यक है

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मांगी गई जानकारी का प्रकटीकरण धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) के तहत छूट प्राप्त है। में।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मांगी गई जानकारी खंड (जे) के तहत छूट प्राप्त है, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि (i) यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या मांगी गई जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" है और गोपनीयता के अधिकार को संलग्न करती है, (ii) खंड (जे) के तथ्यों में पहचान करना आवश्यक है।

वर्तमान मामले में, सी. पी. आई. ओ. के पक्ष में लोक हित के विशिष्ट प्रमुख, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल

प्रकटीकरण और दावा किए गए विशिष्ट गोपनीयता हित, (iii) ऐसे हितों को प्रतिबंधित करने के लिए औचित्य निर्धारित करते हैं और (iv) यह सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हैं कि विरोधी अधिकार के वैध उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी अधिकार को आवश्यकता से अधिक संक्षिप्त नहीं किया गया है। आर. टी. आई. की धारा 11 के तहत प्रक्रियाजहां मांगी गई जानकारी 'तीसरे पक्ष की जानकारी' है, उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। वर्तमान फैसले में 'व्यक्तिगत जानकारी' और 'जनहित' शब्दों की मूल सामग्री भी निर्धारित की गई है। [पैरा 115] [632–सी–एफ]

उनकी संपत्ति "व्यक्तिगत जानकारी" का गठन नहीं करती है न्यायाधीश और निजता के अधिकार को शामिल नहीं करता है। परिसंपत्तियों की घोषणा की सामग्री के अर्थ के भीतर आता है

" व्यक्तिगत जानकारी और धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) के तहत निर्धारित परीक्षण आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रक्रिया के साथ लागू होगा। उपरोक्त को देखते हुए

टिप्पणियाँ, 2010 की सिविल अपील संख्या 2683 खारिज कर दी गई है और दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 12 जनवरी 2010 है। 2009 के एल. पी. ए. सं. 501 को बरकरार रखा गया है। [पैरा 116] [632–जी–एच; 633–ए]

58. 2010 की सिविल अपील संख्या 10044 और 1045 हैं –

59. यदि अधिकार की सामग्री और क़ानून के प्रवर्तन में एक सार्थक आयाम होना है न्यायपालिका में अनुप्रयोग–जैसा कि यह आवश्यक है, कुछ कदम आवश्यक हैं। उनमें से सबसे प्रमुख यह है कि

न्यायिक नियुक्तियाँ करते समय। इनकार नहीं किया जा सकतातथ्य यह है कि उन मानदंडों के बारे में जानने में सार्वजनिक हित का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिन्हें [2019] 16 एस. सी. आर. के चयन में ध्यान में रखा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायिक पद के लिए उम्मीदवार और न्यायिक नियुक्तियां करना। ज्ञान एक शक्तिशाली साधन है जो अनुप्रयोग में निरंतरता सुनिश्चित करता है और विश्वास पैदा करता है जो न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया की पवित्रता के लिए आवश्यक है। ऐसा अनिवार्य रूप से इसलिए है क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली यह मानती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव स्वयं न्यायाधीशों द्वारा शुरू किए जाते हैं। न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में आवश्यक महत्वपूर्ण मानदंडों में शामिल हैंः (i) उच्च न्यायिक पद के उद्देश्य के लिए बार के सदस्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है;

((ii) वे मानदंड जो यह निर्धारित करने में लागू होते हैं कि क्या बार का कोई सदस्य आवश्यकताओं को पूरा करता हैः

(iii) अभ्यास की मात्रा और प्रकृति में परिलक्षित अनुभव;

((iv) उन क्षेत्रों में डोमेन विशेषज्ञता जो मुकदमेबाजी की विकसित प्रकृति और प्रत्येक न्यायालय की आवश्यकताओं के लिए तैयार हैं;

(vii) उम्मीदवार का सामाजिक अभिविन्यास, जिसे प्रो बोनो या कानूनी सहायता कार्य की सीमा के संदर्भ में परिभाषित किया गया है;(viii) एक समावेशी संस्थान के रूप में न्यायपालिका की भूमिका और लिंग के संदर्भ में इसकी विविधता को बढ़ावा देने की आवश्यकता,

(ix) वर्तमान निर्णय यह परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए मानक क्या होने चाहिए। हालाँकि, जिस बात पर जोर देने की आवश्यकता है, वह यह है कि जो मूल मानक ध्यान में रखे गए हैं, उन्हें तैयार किया जाना चाहिए और एक ऐसे उपाय के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए जो नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा देगा। मानकों के लिए उचित प्रचार जो है तैयार किए गए और लागू किए गए हैं जो सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. में पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे और निर्णय लेने में जवाबदेही को बढ़ावा देंगे।

सुभाष चंद्र अग्रवाल

न्यायपालिका और सरकार के भीतर सभी स्तर। मानदंड

उच्च न्यायिक पद के लिए जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के मूल्यांकन के लिए पालन किए जाने वाले मानदंडों को भी स्पष्ट कर सकते हैं। उस आधार का खुलासा करने में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित है जिसके आधार पर न्यायिक अनुभव वाले लोगों का मूल्यांकन उच्च न्यायिक पद पर पदोन्नति के लिए किया जाता है, विशेष रूप से योग्यता, अखंडता और न्यायिक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए। न्यायिक नियुक्तियाँ करने में अनुसरण किए जाने वाले मानदंडों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने से उद्देश्य पूरा होगा औरआर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 का अधिदेश, प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाता है और प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले बाहरी विचारों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। [पैरा 117] [633–जी–एच; 634–ए–एच; 635–ए–बी]

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ [1982] 2 एस. सी. आर. 365:

(1981) सप. एस. सी. सी. 87; एल. चंद्र कुमार बनाम संघ

भारत (1997) 3 एससीसी 261: [1997] 2 एससीआर 1186;

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ ('एनजेएसी'), (2016) 5 एससीसी 1: [2015] 13

एस. सी. आर. 1; भारत संघ बनाम संकल्पचंद हिमतलाल

(1977) 4 एससीसी 193: [1978] 1 एस. सी. आर. 423; सी. बी. एस. ई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय (2011) 8 एस. सी. सी. 497: [2011] 11 एस. सी. आर. 1028; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन. मिस्त्री (2016) 3 एस. सी. सी. 525: [2015] 14 एस. सी. आर. 505; अरविंद केजरीवाल बनाम सेंट्रल

लोक सूचना अधिकारी ए. आई. आर. 2012 डेल 29; राज्यउत्तर प्रदेश बनाम राज नारायण (1975) 4 एस. सी. सी. 428: [1975] 3 एस. सी. आर. 333; थलाप्पलम सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2013) 16 एस. सी. सी. 82: [2013] 14 एस. सी. आर. 475; के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ

(2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एससीआर 569; गिरीश

रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना

आयुक्त (2013) 1 एस. सी. सी. 212: [2012] 8 एससीआर 1097; सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2018) 11 एससीसी 634; सचिव। , मंत्रालय

सूचना और प्रसारण विभाग, सरकार। भारत बनामक्रिकेट एसोसिएशन। बंगाल (1995) 2 एस. सी. सी. 161: [1995] 1 एस. सी. आर. 1036; बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी (2012) 13 एस. सी. सी. 61: [2012] 11 एससीआर 1032; एसएन मुखर्जी बनाम भारत संघ (1990) 4 एससीसी 495: [1990] 1 पूरक। एससीआर 126–पर निर्भर।

[2019] 16 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्जी

(1995) 5 एस. सी. सी. 457 [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 319;

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफभारत (1993) 4 एससीसी 441: [1993] 2 पूरक। एससीआर 659;

पी. वी. शंकर कुरुप बनाम लीलावती नाम्बियर (1994)

एससीसी 68: [1994] 2 पूरक। एससीआर 660; आर के जैन बनाम संघ

भारत (2013) 14 एस. सी. सी. 794 [2013] 5 एस. सी. आर. 411;

केनरा बैंक बनाम सीएस श्याम (2018) 11 एससीसी 426:

[2017] 7 एस. सी. आर. 741–संदर्भित।

हॉजकिन्सन बनाम सिम्स [1994] 3 एससीआर। 377 ; सुई

इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम नीडल इंडस्ट्रीज न्यूए (इंडिया)

होल्डिंग लिमिटेड (1981) 3 एससीसी 333: [1981] 3 एससीआर 698;

डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट (पी) लेफ्टिनेंट बनाम पी. के. प्रताफन

(2005) 1 एससीसी 212: [2004] 4 पूरक। एससीआर 334;

एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ [1959] एससीआर 12;

बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ (1972) 2 एस. सी. सी. 788;

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया(2003) 4 एस. सी. सी. 399 संदर्भित है।

एसईसी बनाम चेनरी कॉर्प 318 यू. एस. 80,85–86 (1942):

ऑस्ट्रेलियन सेक एंड इनव कम 'न बनाम सिटीग्रुप ग्लोबल

बाज़ार ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड [2007] एफसीए 963; वर्टेन बनाम

कॉन्डिको डी ट्राबालो सी–342/12 के रूप में ऑटोरिडेड पैरा

दिनांक 30 मई 2013; रेचनुंगशोफ बनाम ओस्टररीचिसर

रंडफंक, संयुक्त मामले (सी–465/00), (सी–138/01) और

(सी–139/01) दिनांक 20 मई 2003; राष्ट्रीय मीडियालिमिटेड बनाम जूस्टे 1996 (3) एसए 262 (एससीए); एनएम बनाम स्मिथ

[2007] जेड. ए. सी. सी. 6; ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम

बनाम लेना गेम मीट 2001 एचसीए 63; कैम्पबेल बनाम एमजीएन

लिमिटेड [2003] 1 ऑल ई. आर. 224; एच. आर. एच. प्रिंस ऑफ वेल्स बनाम

एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड [2006] EWHA Civ 1776

; कैम्पबेल बनाम एमजीएन लिमिटेड [2004] यूकेएचएल 22;

कैम्पबेल बनाम एमजीएम लिमिटेड [2004] यूकेएचएल 22–संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[1982] एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[1995] 3 पूरक। एससीआर 319

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

संदर्भित किया गया है

पैरा 8 ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद अग्रवाल

7] 2 एससीआर 1186

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

5] 13 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

8] 1 एससीआर 423

उस पर भरोसा करें

पैरा 50

पैरा 61

1] 11 एससीआर 1028

उस पर भरोसा करें

5] 14 एससीआर 505

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

4] 3 एससीआर। 377

संदर्भित किया गया है

पैरा 63

संदर्भित किया गया है

पैरा 65

1] 3 एससीआर 698 4] 4 पूरक। एससीआर 334

संदर्भित किया गया है

पैरा 65

4] 2 पूरक। एससीआर 660

संदर्भित किया गया है

पैरा 65

2012 डेल 29

उस पर भरोसा करें

पैरा 79

9] एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 81

2) 2 एस. सी. सी. 788

संदर्भित किया गया है

पैरा 81

उस पर भरोसा करें

5] 3 एससीआर 333

पैरा 82

3) 4 एस. सी. सी. 399

संदर्भित किया गया है

पैरा 82

3] 14 एससीआर 475

उस पर भरोसा करें

पैरा 83

7] 10 एससीआर 569

उस पर भरोसा करें

पैरा 84

2] 8 एससीआर 1097

उस पर भरोसा करें

पैरा 95

3] 5 एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पैरा 96

संदर्भित किया गया है

7] 7 एससीआर 741

पैरा 96

8) 11 एस. सी. सी. 634

उस पर भरोसा करें

पैरा 97

5] 1 एससीआर 1036

उस पर भरोसा करें

पैरा 100

उस पर भरोसा करें

2] 11 एससीआर 1032

पैरा 106

0] 1 पूरक। एससीआर 126

उस पर भरोसा करें

पैरा 108

पी. ई. आर. एन. वी. रमना, जे.

60. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) का उद्देश्य

सार्वजनिक हित के साथ गोपनीयता। प्रावधान के तहत ए

परीक्षण की पहचान की जा सकती है जिसमें पहला कदम थाः

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या गोपनीयता की उचित अपेक्षा है, और (ii) क्या एक अंतिम संतुलन विश्लेषण पर, गोपनीयता रास्ता देती है।अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? इन दोनों परीक्षणों को विश्लेषणात्मक रूप से अलग रखना बहुत मुश्किल है। [पैरा 35] [646–जी–एच]

पहला कदम 61. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए पहला कदम है –

62. कुछ कारक हैं जिन पर यह निष्कर्ष निकालने से पहले विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कोई उचित अपेक्षा थी।संबंधित व्यक्ति की गोपनीयता। ये गैर–संपूर्ण कारक हैं;

1. सूचना की प्रकृति।

2. निजी जीवन पर प्रभाव।

3. अनुचित आचरण।

4. आपराधिकता

5. वह स्थान जहाँ गतिविधि हुई या

जानकारी मिली।

6. दावेदारों के सार्वजनिक होने जैसे गुण

आकृति, एक नाबालिग आदि और उनकी प्रतिष्ठा।

7. सहमति का अभाव।

8. परिस्थितियाँ और उद्देश्य जिनके लिए

जानकारी प्रकाशकों के हाथों में आ गई।

9. दावेदार पर प्रभाव।

10. घुसपैठ की प्रकृति और उद्देश्य।

इन गैर–संपूर्ण कारकों पर विचार किया जाना चाहिए

गोपनीयता अधिकारों के तहत अनुमानित रूप से संरक्षित। येजानकारी में लिंग, आयु और यौन वरीयताएँ आदि शामिल हैं।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल

उपरोक्त परीक्षण के तहत पहली आवश्यकता का आकलन करते समय इन उदाहरणों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। [पैरा 37] [647–डी–एच; 648–ए–बी] 63. यदि जानकारी को उपरोक्त सूत्रीकरण के तहत सख्ती से शामिल किया जाता है, तो व्यक्ति को सूचना के अधिकार से छूट दी जाती है, जब तक कि 'जनहित परीक्षण' से इसे खत्म करने की आवश्यकता न हो। [पैरा 38] [648–सी]

दूसरा कदम

64. यह सुनिश्चित करने के बाद कि जानकारी निजी है या नहीं, एक न्यायाधीश को नोट करने के लिए एक संतुलन परीक्षण अपनाने की आवश्यकता होती है।

क्या जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है

65. कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार समान स्तर पर है। एक प्राथमिक दृष्टिकोण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक अधिकार दूसरे को पछाड़ देता है। हालाँकि ऐसे अमेरिकी मामले हैं, जिन्होंने यह विचार रखा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर मामले में अन्य सभी अधिकारों को पछाड़ देती है। हालाँकि, भारत में हम अधिकारों को ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। [पैरा 40] [648–ई–एफ]66. प्रासंगिक संतुलन में 'आनुपातिकता परीक्षण' शामिल है। [के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 एस. सी. सी. 1]। परीक्षण यह देखने के लिए है कि क्या सूचना जारी करना आवश्यक होगा, यह सूचना चाहने वाले पर निर्भर करता है जो 'सामाजिक आवश्यकता' या 'लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्यकारी आवश्यकता' को दर्शाता है। यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारा 8 (1) (जे) के तहत होने वाली जनहित की छूट के लिए एक संतुलन परीक्षण की आवश्यकता है। दो अलग–अलग अवधारणाओं में अंतर करने की आवश्यकता है।

" जनता के हित में "और" सार्वजनिक हित में कुछ "। इसलिए, उपरोक्त के बीच भौतिक अंतर

अवधारणाएँ उन मामलों से संबंधित हैं जो जनता के राजनीतिक, नैतिक और भौतिक कल्याण को प्रभावित करते हैं, जिन्हें सार्वजनिक मनोरंजन, जिज्ञासा या मनोरंजन से अलग करने की आवश्यकता है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत यह अभिनिर्धारित करने की आवश्यकता है कि केवल पूर्व वाला ही [2019] 16 एस. सी. आर. है।

छूट के लिए अपवाद। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

के. एस. पुट्टास्वामी में बहुमत की राय है कि डेटा गोपनीयता गोपनीयता के अधिकार का हिस्सा है, हालांकि, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि डेटा सुरक्षा की अवधारणा अभी भी विकसित हो रही है [गूगल स्पेन बनाम देखें। एईपीडी, सी/131/12; बवेरियन लेगर बनाम आयोग, [2007] ईसीआर ॥–4523]। चूँकि यह न्यायालय उपरोक्त से संबंधित नहीं है

पहलुओं से, इस न्यायालय को यह कहने के अलावा और कुछ नहीं कहना चाहिए कि सूचना संरक्षण के सिद्धांतों को सूचना के अधिकार न्यायशास्त्र में एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता है। [पैरा 41] [648–जी–एच; 649–ए–बी]

67. पारदर्शिता के पहलू पर आते हुए, न्यायिक

स्वतंत्रता और आर. टी. आई. अधिनियम, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि तीनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए जो समान रूप से महत्वपूर्ण है। अवधारणाएँ। हमारे संविधान को संरक्षित करने का पूरा कवच न्यायपालिका पर भरोसा किया जाता है, जबकि अन्य शाखाएं सक्षम नहीं हैं

ऐसा करने के लिए। एक ढाल के रूप में, न्यायिक स्वतंत्रता वह आधार है जिसके साथ न्यायपालिका ने नागरिकों द्वारा व्यक्त अपने विश्वास को बनाए रखा है। उसी के आलोक में, न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के प्रयासों से बचाने की आवश्यकता है। इस तरह के हस्तक्षेप के लिए सामंजस्य में उचित मात्रा में पारदर्शिता के अंशांकन की आवश्यकता होती है।

न्यायिक स्वतंत्रता के साथ। [पैरा 42] [649–डी–ई]

68. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पारदर्शिता

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दक्षता समान रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे अपने पूर्ण रूप में चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सूचना के अधिकार का उपयोग न्यायपालिका के प्रभावी कामकाज को बाधित करने के लिए निगरानी के उपकरण के रूप में करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे चरण को लागू करते समय संबंधित प्राधिकारी को इन विचारों को भी संतुलित करने की आवश्यकता होती है। [पैरा 43] [649–एफ]

69. उपरोक्त चर्चा के अनुरूप, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि निम्नलिखित गैर–विस्तृत विचारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है –

धारा 'के तहत जनहित का आकलन करते समय विचार किया गया

8 आर. टी. आई. अधिनियम

ए। जानकारी की प्रकृति और सामग्री

बी। गैर–प्रकटीकरण के परिणाम; खतरे और

आम जनता को लाभ

सी। गोपनीय दायित्व का प्रकार।

ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चन्नी अग्रवाल

डी। विश्वासपात्र के विश्वास; उचित संदेहई. जिस पक्ष को जानकारी का खुलासा किया जाता है

एफ. जानकारी प्राप्त करने का तरीका

जी। सार्वजनिक और निजी हित

एच. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आनुपातिकता।

[पैरा 44] [649–जी–एच; 650

भारत का चुनाव आयोग v. डॉ. सुब्रमण्यमस्वामी (1996) 4 एससीसी 104: [1996] 1 पूरक। एस. सी. आर. 637–पर निर्भर।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। राज नारायण (1975) 4 एस. सी. सी. 428 [1975] 3 एस. सी. आर. 333; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) सप. (1) एससीसी 87: [1982] एस. सी. आर. 365; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) v. दिलीप कुमार और अन्य। (2018) 9 एस. सी. सी. 40; के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एससीआर 569

यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल अपोन टाइन v. सूचना आयुक्त और ब्रिटिश यूनियन फॉर एबॉलिशन ऑफ विविसेक्शन, [2011] यूकेयूटी 185; रेचनुंगशोफ बनाम।ओस्टेरिचिसर रुंडफंक और ओआरएस। सी–465/00; कोको

वी. क्लार्क, [1968] एफएसआर 415; गार्टसाइड बनाम। आउटराम, (1856) 26 एलजे सीएच (एनएस) 113; फ्रेजर बनाम। इवांस, [1969] 1 क्यू. बी. 349; सर्विस बनाम। पुटरिल, [1968] 1 क्यू. बी. 396 बेलॉफ बनाम। प्रेसड्राम, [1973] 1 ऑल ई. आर. 24; लायन लैबोरेटरीज बनाम। इवांस, [1985] क्यू. बी. 526; महामहिम के वकील

जनरल वी. द ऑब्जर्वर लिमिटेड और अन्य। , [1991] एसी 109; कॉर्स पेवी व्हाइटिंग और बायर्न वी। कलेक्टर

सीमा शुल्क, (1987) 14 एफ. सी. आर. 434; स्मिथ क्लाइन और फ्रेंच लैबोरेटरीज [ऑस्ट्रेलिया] लिमिटेड बनाम। विभाग

सामुदायिक सेवा और स्वास्थ्य, (1990) 22 एफ. सी. आर. 73; वुडवर्ड बनाम। हचिन्स, [1977] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 760; डचेस ऑफ आर्गिल बनाम। ड्यूक ऑफ आर्गिल, 1967 Ch302; मर्रे v. एक्सप्रेस अखबार पीएलसी, [2009] सीएच 481; गूगल स्पेन बनाम। ए. ई. पी. डी., सी/131/12; बवेरियन लेगर बनाम आयोग, [2007] ई. सी. आर. ।।–4523–संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 1 पूरक। एससीआर 637

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[1975] 3 एससीआर 333

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[1982] एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

(2018) 9 एससीसी 40

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2017] 10 एससीआर 569

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 10044

2019 से।

माननीय द्वारा 24.11.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ने अपील सं. सी. आई. सी. डब्ल्यू. बी./ए/2009/00529।

के साथ

सी. ए. सं. 10045/2010 , 2683/2010 के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, सौरभ मिश्रा,

अपीलार्थी की ओर से देवाशीष भारुका, अंकुर तलवार, जी. एस. मक्कर, बी. कृष्ण प्रसाद।

ए. मारियारपुथम, अधिवक्ता। जनरल, सुशील कुमार जैन, आर. एन. वेंजरानी,

प्रवीण एच. पारेख, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, सुश्री.

नेहा राठी, टी. सुधाकर, जतिन भारद्वाज, वी. एन. रघुपति, सुनील कुमार वर्मा, सुनील फर्नांडीस, सिबो शंकर मिश्रा, निरंजन साहू, राजा चटर्जी, रुना भुइयां, सतीश कुमार, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री उम्मी सलमा, पुनीत जैन, सुश्री पी. एस. चंद्रलेखा, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजारा नरेश के.

शर्मा, एम. पी. विनोद, कुलदिप सिंह, कृष्णानंद पांडे, सुश्री सी. के.

मेसर्स के लिए सुचरिता, भारत संगल, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, सुश्री गीतांजलि। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी अनिरुद्ध पी. मयी, चिराग जैन, ए. सेल्विन राजा, चारुदत्तमैसर्स के लिए महिंद्राकर, खत्रशाल राज, सुश्री तान्या चौधरी। पारेख एंड कंपनी, यशवर्धन, जगजीत सिंह छाबड़ा, सक्षम माहेश्वरी, सुश्री स्नेहा कलीता, संजय कुमार पाठक, सुश्री शशि पाठक, अरविंद कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

संजीव खन्ना, जे।

1. यह निर्णय पूर्व–शीर्षक वाली अपीलों का फैसला करेगा।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (संक्षेप में सी. पी. आई. ओ.), भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सिविल अपील सं. 2010 का 10044 और 10045), और महासचिव, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (2010 की सिविल अपील संख्या 2683 में अपीलार्थी), आम प्रतिवादी के खिलाफ –

सुभाष चंद्र अग्रवाल, और इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत कितना पारदर्शी है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में अधिनियम, 2005 (संक्षेप में आर. टी. आई. अधिनियम); न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा आदि।

2. 2010 की सिविल अपील संख्या 10045 जिसका शीर्षक केंद्रीय जनता है

सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद्रअग्रवाल 6 जुलाई, 2009 को सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण पत्राचार की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए दायर एक आवेदन से उत्पन्न होते हैं, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था कि एक केंद्रीय मंत्री ने अपने न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए एक वकील, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री आर. रघुपति के माध्यम से संपर्क किया था। सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर जानकारी से इनकार किया था कि

आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी–प्रत्यर्थी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा नियंत्रित और निपटाया नहीं गया था औरउससे संबंधित जानकारी न तो रजिस्ट्री के पास रखी गई थी और न ही उपलब्ध थी। सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा दायर पहली अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 05 सितंबर, 2009 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। आगे की अपील पर, केंद्रीय सूचना आयोग (संक्षेप में सी. आई. सी.) ने 24 नवंबर, 2009 के आदेश के माध्यम से सूचना के प्रकटीकरण का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रकटीकरण का उल्लंघन नहीं होगा।

न्यायाधीशों की संवैधानिक स्थिति। पीड़ित, सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

3. 2010 की सिविल अपील संख्या 10044 23 जनवरी, 2009 को सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरी फाइल की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए दायर एक आवेदन से उत्पन्न होती है।

1 अल्बर्टो अलेम्नो द्वारा लिखे गए एक लेख का शीर्षकः " कितना पारदर्शी है

पर्याप्त पारदर्शी? यूरोपीय न्यायिक चयन में गोपनीयता के खिलाफ जानकारी तक पहुंच को संतुलित करना "माइकल बोबेक (संस्करण) में पुनः प्रस्तुत किया गया। यूरोप के न्यायाधीशों का चयनः यूरोपीय न्यायालयों में नियुक्ति प्रक्रियाओं की एक महत्वपूर्ण समीक्षा (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2015)।

संबंधित के बीच आदान–प्रदान किए गए पूर्ण पत्राचार की प्रतियों सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास उपलब्ध कागजात

की नियुक्ति से संबंधित फाइल टिप्पणियों के साथ संवैधानिक प्राधिकरण न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू, न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली और न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा ने न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक और न्यायमूर्ति वी. के. गुप्ता की वरिष्ठता को हटा दिया, जिस पर कथित रूप से आपत्ति जताई गई थी।

प्रधानमंत्री द्वारा। सी. पी. आई. ओ. ने 25 फरवरी, 2009 के आदेश के माध्यम से इस जानकारी का खंडन करते हुए कहा था कि रजिस्ट्री भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामलों से नहीं निपटती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है और उनसे संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा नहीं निपटाया और न ही संभाला जाता है। यह जानकारी न तो रजिस्ट्री के पास रखी गई थी और न ही उपलब्ध थी। सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा दायर पहली अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 25 मार्च, 2009 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। आगे की अपील पर, सी. आई. सी. ने अपील को स्वीकार कर लिया है और 2009 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 288 में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर, 2009 के फैसले पर भरोसा करते हुए जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद्र

अग्रवाल और एक अन्य। सी. आई. सी. ने एस. पी. गुप्ता बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। भारत संघ और अन्य 2 अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए

निष्कर्ष। पीड़ित, सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि, अन्य बातों के साथ–साथ, रिट याचिका में निर्णय

(दीवानी) 2009 की संख्या 288 को दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 2009 की एल. पी. ए. संख्या 501 में 12 जनवरी, 2010 के फैसले के माध्यम से बरकरार रखा था, जो निर्णय 2010 की दीवानी अपील में इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय है।

4. 2010 की सिविल अपील संख्या 2683 सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा 10 नवंबर, 2007 को दायर एक आवेदन से उत्पन्न होती है।

न्यायाधीशों द्वारा राज्यों में मुख्य न्यायाधीशों को की गई संपत्ति की घोषणा पर जानकारी, जिसे सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 नवंबर, 2007 के आदेश/पत्र के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा से संबंधित जानकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के पास नहीं थी या उसके नियंत्रण में नहीं थी। पहली अपील पर, अपीलीय प्राधिकरण ने प्रेषण का आदेश पारित किया था

2 (1981) मान लीजिए एस. सी. सी. 87 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत प्रक्रिया का पालन करने और सुभाष चंद्र अग्रवाल को ऐसी जानकारी रखने वाले प्राधिकरण के बारे में सूचित करने का निर्देश देना जो माँगा गया था। इसके बाद सी. पी. आई. ओ. ने 7 फरवरी, 2008 के आदेश के माध्यम से कहा था कि आवेदक को उच्च न्यायालयों के सी. पी. आई. ओ. से संपर्क करना चाहिए और उच्चतम न्यायालय के सी. पी. आई. ओ. के समक्ष आवेदन दायर करना चाहिए।

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 (3) की भावना के खिलाफ। इसके बाद सुभाष चंद्र अग्रवाल ने सीधे सी. आई. सी. के समक्ष अपील की थी।

पहली अपील दायर किए बिना, जिसे 6 जनवरी, 2009 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, निर्देश देते हुएः

" ..... ऊपर जो देखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय के सी. पी. आई. ओ. को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा अपने आर. टी. आई. आवेदन में मांगी गई जानकारी प्रदान करे कि क्या संपत्ति आदि की ऐसी घोषणा उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा दायर की गई है या नहीं।

इस निर्णय सूचना की प्राप्ति की तिथि "।5. पीड़ित, सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रिट दायर की थी

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की याचिका (सिविल) संख्या 288, जिसका निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 02 सितंबर, 2009 के फैसले के माध्यम से किया था, और निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया थाः

" 84. [.....]

पुनः बिंदु संख्या। 1 & 2 क्या सी. जे. आई. एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सी. पी. आई. ओ. सी. जे. आई. के कार्यालय से अलग है और यदि ऐसा है, तो क्या

अधिनियम सीजेआई के कार्यालय को शामिल करता है;

जवाबः सीजेआई अधिकार के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है

सूचना अधिनियम और सीजेआई मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी क्षमता में संपत्ति घोषणाओं से संबंधित जानकारी रखते हैं; वह कार्यालय अधिनियम के तहत एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" है और इसके प्रावधानों द्वारा कवर किया जाता है।

पुनः बिंदु संख्या 3: क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा संपत्ति की घोषणा

1997 के प्रस्ताव के अनुसार न्यायाधीश "सूचना" हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत।

जवाबः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा परिसंपत्तियों की घोषणा से संबंधित प्रत्यर्थी के आवेदन का दूसरा भाग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर "सूचना" है। इस बिंदु का उत्तर तदनुसार दिया गया है; [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीजेआई को दी गई घोषणाओं से संबंधित जानकारी और ऐसी घोषणा की सामग्री "सूचना" है और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है।

पुनः बिंदु संख्या 4: यदि ऐसी परिसंपत्ति घोषणाएं "सूचना" हैं तो क्या सीजेआई उन्हें "प्रत्ययी" क्षमता में रखते हैं, और इसलिए क्या उन्हें अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है?

जवाबः सीजेआई द्वारा परिसंपत्ति घोषणाओं को प्रत्ययी क्षमता में रखने के बारे में याचिकाकर्ताओं का तर्क (जो आवेदक द्वारा मांगे गए तरीके से खुलासा करने का निर्देश दिए जाने पर उल्लंघन किया जाएगा) अवास्तविक है। सीजेआई इस तरह की घोषणाएं नहीं करते हैं।

एक प्रत्ययी क्षमता या संबंध में।

पुनः बिंदु संख्या 5: क्या ऐसी जानकारी से मुक्त है

जवाबः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि परिसंपत्ति घोषणाओं की सामग्री, अनुसरण में1997 के प्रस्ताव और 1999 के सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यक्तिगत जानकारी के रूप में माना जा सकता है और इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे प्राप्त किया जा सकता है।

धारा 8 (1) (जे); वे अन्यथा प्रकटीकरण के अधीन नहीं हैं। जहाँ तक इस मामले में आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी है –संबंधित, (अर्थात क्या घोषणाएं अनुसरण में की गई थीं)

1997 के संकल्प के लिए) धारा 8 (1) (जे) के तहत प्रक्रिया लागू नहीं होती है।पुनः बिंदु संख्या (6): क्या परिसंपत्ति घोषणा के विवरण और उनके विवरण के बारे में स्पष्टता की कमी, साथ ही प्रतिभूति की कमी परिसंपत्ति घोषणाओं और उनके प्रकटीकरण को अव्यवहारिक बनाती है।

जवाबः ये दुर्गम बाधाएं नहीं हैं; सीजेआई, यदि वह इसे उचित समझते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से, एक समान मानक विकसित कर सकते हैं, जिसकी प्रकृति तैयार की जा सकती है

जानकारी, प्रासंगिक प्रारूप और यदि आवश्यक हो, तो की जाने वाली घोषणाओं की आवधिकता। रूप विकसित हुए, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में संशोधन भी शामिल था।मानदंड–सरकारी अधिनियम, 1978 में नैतिकता, अमेरिकी न्यायिक सम्मेलन की रिपोर्ट के साथ–साथ न्यायिक प्रकटीकरण उत्तरदायित्व अधिनियम, 2007 के तहत, जो 1978 के सरकारी अधिनियम में नैतिकता में संशोधन करता हैः (1) न्यायाधीशों के परिवार के सदस्यों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करें जिनके रहस्योद्घाटन सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

उन्हें खतरे में डालना; और (2) वित्तीय प्रकटीकरण रिपोर्ट से न्यायाधीशों की कुछ व्यक्तिगत जानकारी को संशोधित करने के लिए न्यायिक सम्मेलन के अधिकार का विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है। ”

6. सी. पी. आई. ओ. द्वारा आगे की अपील पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, 2009 की एल. पी. ए. संख्या 501 को पूर्ण पीठ के पास भेजा गया था, जिसने अपने12 जनवरी, 2010 के निर्णय ने अपील को खारिज कर दिया। यह निर्णय दर्ज करता है कि पक्ष बिंदु संख्या के संबंध में सहमत थे। 1 और 2 सी. पी. आई. ओ. के रूप में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया था और

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए निष्कर्षों को स्वीकार किया और इस प्रकार, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, पूर्ण पीठ ने यह अवलोकन करना उचित महसूस किया था कि वे इसके साथ पूरी तरह से सहमत थे

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया तर्क। आर. टी. आई. अधिनियम में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक प्राधिकरण' व्यापक है और इसमें भारत के संविधान द्वारा या उसके तहत बनाया गया एक प्राधिकरण शामिल है, जो विवरण भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए अच्छा है। जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश को आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत सक्षम अधिकारियों में से एक के रूप में नामित किया गया है, वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश 'न्यायपालिका के प्रमुख' के रूप में अपनी भूमिका निभाने के अलावा संविधान और विभिन्न अन्य अधिनियमों के तहत उन्हें सौंपे गए कई कार्यों को भी करते हैं। इस बात के संकेत के अभाव में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय अपने स्वयं के सी. पी. आई. ओ. के साथ एक अलग प्रतिष्ठान है, यह प्रचार नहीं किया जा सकता है कि

"सर्वोच्च न्यायालय के सी. पी. आई. ओ. का कार्यालय सी. जे. आई. के कार्यालय से अलग है" (यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश)। इसके अलावा, किसी भी पक्ष ने न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणाओं के संबंध में 'स्पष्टता की कमी' या 'सुरक्षा की कमी' के कारण 'निष्क्रियता' के मुद्दे पर कोई प्रस्तुति नहीं दी थी। इसके बाद पूर्ण पीठ ने शेष तीन प्रश्नों को निम्नानुसार फिर से प्रस्तुत कियाः

" (1) क्या प्रत्यर्थी को 1997 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा घोषणा करने के संबंध में जानकारी के संबंध में अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत कोई "सूचना का अधिकार" था।

समाधान?

(2) यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सीजेआई ने अपनी "न्यासी" में "जानकारी" रखी है।

अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर क्षमता?

(3) क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा के बारे में जानकारी [2019] 16 एस. सी. आर. से मुक्त है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 8 (1) (जे) के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण

ऐक्ट? "

उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर उत्तरदाता के पक्ष में दिया गया था।

सुभाष चंद्र अग्रवाल ने पूर्ण पीठ के रूप में कहा है कि प्रतिवादी को 1997 के प्रस्ताव के अनुसार की गई संपत्ति की घोषणा के रूप में जानकारी के संबंध में आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत जानकारी का अधिकार था। मुख्य न्यायाधीश ने नहीं मानान्यासी क्षमता या संबंध में ऐसी घोषणाएं और इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के तहत छूट नहीं थी। तीसरे प्रश्न को संबोधित करते हुए पीठ ने कहा थाः

" 116. वर्तमान मामले में द्वारा मांगे गए विवरण

प्रतिवादी धारा के तहत संरक्षण का औचित्य या वारंट नहीं देता है

8 (1) (जे) क्योंकि आवेदक ने केवल एक ही जानकारी मांगी थी

क्या 1997 के प्रस्ताव का पालन किया गया था। इस तरह की

हानिरहित जानकारी दिए गए संरक्षण की गारंटी नहीं देती है।

धारा 8 (1) (जे) द्वारा। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के इस विचार से सहमत हैं कि 1997 के प्रस्ताव के अनुसार संपत्ति घोषणाओं की सामग्री को व्यक्तिगत जानकारी के रूप में माना जा सकता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे प्राप्त किया जा सकता है। धारा 8 (1) (जे) के तहत; कि वे अन्यथा के अधीन नहीं हैं

प्रकटीकरण। इसलिए, घोषणाओं की सामग्री के संबंध में,

सूचना आवेदकों को जब भी संपर्क करना होगा

अधिनियम के तहत अधिकारी धारा 8 (1) (जे) के तहत उन्हें संतुष्ट करते हैं।

कि इस तरह का खुलासा "व्यापक सार्वजनिक हित" में किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त शीर्षक वाली तीन अपीलों को सुनवाई के लिए टैग किया गया था

और 26 नवंबर, 2010 के आदेश के माध्यम से एक साथ निर्णय लिया गया, जिसका परिचालन भाग निम्नानुसार हैः

" 12. विद्वान महान्यायवादी और विद्वान को सुनकरप्रत्यर्थी के वकील, हमारी राय है कि

की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न

संविधान वर्तमान मामले में शामिल है जो आवश्यक है

संविधान पीठ द्वारा सुना जाए। हाथ में मामला बढ़ता है

संवैधानिक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न

के अधीन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश का पद

संविधान और योजना में न्यायपालिका की स्वतंत्रता

एक ओर संविधान का और दूसरी ओर मौलिक

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

सूचना का अधिकार सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है

और संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति। का अधिकार

नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का बहुत महत्व है और ये दोनों ही

उन्हें संतुलित रखने की आवश्यकता है।

8. इस आदेश ने मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए संविधान की व्याख्या के बारे में कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया था, जो नीचे दिए गए हैं:

" 1. क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा के लिए मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध की आवश्यकता है और इसकी मांग की जाती है? क्या मांगी गई जानकारी के कार्यकरण में हस्तक्षेप के बराबर है

न्यायपालिका?

2. क्या मांगी गई जानकारी को निर्णयों की विश्वसनीयता में किसी भी क्षरण से बचने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है

और सभी संवैधानिक अधिकारियों द्वारा ईमानदार राय की एक स्वतंत्र और स्पष्ट अभिव्यक्ति सुनिश्चित करना, जो प्रभावी परामर्श के लिए और निर्णय लेने के लिए आवश्यक है

सही निर्णय?

3. क्या माँगी गई जानकारी के तहत छूट है

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे)? "

9. हमने श्री के. के. वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल को सुना है

भारत, श्री तुषार मेहता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल और श्री प्रशांत भूषण, सुभाष चंद्र अग्रवाल के विद्वान अधिवक्ता। अपीलार्थियों ने तर्क दिया है कि मांगी गई जानकारी के प्रकटीकरण से स्वतंत्रता में बाधा आएगीन्यायाधीशों की संख्या, क्योंकि यह संविधान के ढांचे के भीतर न्यायपालिका की अनूठी स्थिति को पहचानने में विफल रहता है, जो यह आवश्यक बनाता है कि न्यायाधीशों को 'मुकदमेबाजी सार्वजनिक बहस' के अधीन नहीं किया जाना चाहिए और इस

तरह का बचाव संवैधानिक, जानबूझकर और संस्थान के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक है। सूचना का अधिकार एक निरंकुश संवैधानिक अधिकार नहीं है, हालांकि आर. टी. आई. अधिनियम के ढांचे के भीतर उपलब्ध एक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि अधिकार अन्य शर्तों के साथ, दूसरी अनुसूची और धारा [2019] 16 एस. सी. आर. में सूचीबद्ध बहिष्करण, प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8 आर. टी. आई. अधिनियम के 11 तक। समर्थन में, अपीलकर्ताओं ने री को के एस्टेट एबर्ट एट अल वी पर भरोसा किया है। राज्य आदि। अल, भूदान सिंह और एक अन्य वी। नबी बक्स और एक अन्य, कैलाश राय बनाम। जय राम 3 और डॉलफस मिग एट कम्पैग्नी एस. ए. वी. बैंक ऑफ इंग्लैंड। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 के तहत छूट मिलने पर मांगी गई जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है। परिसंपत्तियों पर जानकारी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट प्राप्त है। इसी तरह, न्यायिक नियुक्तियों के लिए विचार किए जाने वाले संभावित उम्मीदवारों की जानकारी

और/या पदोन्नति उनकी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनेगा और कोई बड़ा सार्वजनिक हित नहीं करेगा। इसके अलावा, परिसंपत्तियों की जानकारी है

और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी विश्वास और विश्वास के आधार पर बनाए जाते हैं जो मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के लिए एक न्यासी के गुणों को निर्दिष्ट करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी अन्य संवैधानिक अधिकारियों के बीच उनके न्यासालय में साझा की जाती है।क्षमता, जो सूचना को आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के तहत छूट देता है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने यू. पी. राज्य बनाम में दिए गए आदेश पर भरोसा किया है। राज नारायण और अन्य और एस. पी. गुप्ता (ऊपर) ने तर्क दिया कि मांगी गई जानकारी का खुलासा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करता है। खुलापन और पारदर्शिता

कार्यप्रणाली में प्रभाव डालने या समझौता करने का कोई भी प्रयास करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बेहतर ढंग से सुरक्षित किया जा सकता है।सार्वजनिक क्षेत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके अलावा, नागरिकों

ऐसे किसी भी प्रयास के विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का वैध और संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार, गोपनीयता नहीं, बल्कि प्रकटीकरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ाता है। कोई वैध

चिंता मौजूद नहीं है जोकाउंसलियों को स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने से रोक सकता है या जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया का खुलासा करके उम्मीदवारों को नकली आरोपों के लिए उजागर कर सकता है। जानकारी की प्रकृति को देखते हुए

मांगी गई जानकारी के प्रकटीकरण से व्यापक सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी

3 33 Cal.2d 502 4 1969 (2) SCC 481 5 1973 (1) SCC 527 6 (1950) 2 सभी ई. आर. 611 7 (1975) 4 एस. सी. सी. 428 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

और इसलिए, इस तरह का ब्याज आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत व्यक्तिगत जानकारी को दी गई छूट के विशेषाधिकार से अधिक है। यदि कोई व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, तो आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 10 के अनुसार रिकॉर्ड को अलग करने के बाद सार्वजनिक हित में काम करने वाली जानकारी का खुलासा करके मामले–दर–मामले के आधार पर उससे निपटा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के बीच या संवैधानिक अधिकारियों के बीच कोई प्रत्ययी संबंध नहीं है जैसा कि धारा के तहत परिकल्पना की गई है।

8 (1) (ङ) आर. टी. आई. अधिनियम जो सूचना को रोकने का आधार हो सकता है। रिलायंस को इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया था

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एक अन्य v. आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य और भारतीय रिजर्व बैंक बनाम।जयंतीलाल एन. मिस्त्री, यह तर्क देने के लिए कि एक लोक सेवक का कर्तव्य किसी अन्य लोक सेवक के लाभ के लिए कार्य करना नहीं है, यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य पदाधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए हैं।

संवैधानिक कर्तव्य और किसी के प्रत्ययी के रूप में कार्य नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि

लोग। तर्क में, भले ही कार्यकर्ताओं के बीच एक प्रत्ययी संबंध मौजूद हो, खुलासा किया जा सकता है यदि यह व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा करता है। इसके अतिरिक्त, स्पष्टता और गोपनीयता आर. टी. आई. अधिनियम के तहत छूट के प्रमुख नहीं हैं और इसलिए, इस मामले में छूट के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

10. स्पष्टता और सुविधा के लिए, हम मुद्दों से बिंदुवार तरीके से निपटेंगे, हालांकि हम उस बिंदु संख्या को ध्यान में रखेंगे। 1 (बिन्दु संख्या के रूप में संदर्भित। 1 और 2 को 2009 की 12 जनवरी, 2010 की एल. पी. ए. संख्या 501 के फैसले में) पूर्ण पीठ के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन जैसा कि कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, इसे नीचे दिया गया है।

प्वाइंट नं. 1 : सर्वोच्च न्यायालय के साथ भी भारत और भारत का मुख्य न्याय दो हैं

अलग–अलग सार्वजनिक प्राधिकरण?

11. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 के खंड (ई) और (एच) में 'सक्षम प्राधिकारी' और 'सार्वजनिक प्राधिकरण' शब्दों को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है।

जिसमें लिखा हैः

" (ङ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है

((i) लोक सभा या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा के मामले में अध्यक्ष

8 (2011) 8 एससीसी 497 9 9 (2016) 3 एससीसी 525 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसी सभा और अध्यक्ष होने की स्थिति में

राज्य परिषद या किसी राज्य की विधान परिषद;

((ii) उच्चतम न्यायालय के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश

न्यायालय;

((iii) उच्च न्यायालय के मामले में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

न्यायालय;

((iv) राष्ट्रपति या राज्यपाल, यथास्थिति,

स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों का मामला संविधान द्वारा या उसके तहत;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक

संविधान;

XX

XX

XX

(ज) "सार्वजनिक प्राधिकरण" से कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था अभिप्रेत है।स्थापित या गठित स्वशासन का

((क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; ((ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

((ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;(घ) उपयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा

सरकार, और किसी भी शामिल

((i) स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

((ii) काफी वित्तपोषित गैर–सरकारी संगठन,

द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार; "

12. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' शब्द

संविधान द्वारा या संविधान के तहत स्थापित कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था शामिल है। थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम में 'सार्वजनिक प्राधिकरण' अभिव्यक्ति की व्याख्या करना। केरल राज्य और अन्य, इस न्यायालय ने कहा थाः

" 30. विधायिका, अपने विवेक में, अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हुए

" धारा 2 (एच) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण, जिसका उद्देश्य केवल शामिल करना है

10 (2013) 16 एस. सी. सी. 82 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

वे श्रेणियाँ, जो विशेष रूप से शामिल हैं, जब तक कि

अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा आवश्यक है। धारा 2 (एच) में "मतलब" और "शामिल" अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है। जब एक शब्द परिभाषित किया जाता है

"मतलब" के लिए कुछ, परिभाषा प्रथम दृष्टया प्रतिबंधात्मक है और जहां शब्द को किसी अन्य चीज़ को "शामिल" करने के लिए परिभाषित किया गया है,

परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक है। लेकिन जब "मतलब" और "शामिल" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो वहां उल्लिखित श्रेणियां खुद को समाप्त कर देंगी। अभिव्यक्तियों के अर्थ

" इसका अर्थ है "और" शामिल "इस न्यायालय द्वारा डी. डी. ए. v में समझाया गया है। भोला नाथ शर्मा (पैरा 25 से 28 में)। जब ऐसी अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो वे इस अर्थ की एक विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं कि अधिनियम के उद्देश्य के लिए, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के साथ हमेशा क्या जोड़ा जाना चाहिए।

31. धारा 2 (एच) उसमें उल्लिखित श्रेणियों को समाप्त करती है। द.

धारा 2 (एच) का पूर्व भाग निम्नलिखित से संबंधित हैः

(1) एक प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था

संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित,

(2) द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित या गठित स्वशासन का प्राधिकरण या निकाय या संस्था

संसद,

(3) द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित या गठित एक प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था

राज्य विधानमंडल, और

(4) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित स्वशासन का एक प्राधिकरण या निकाय या संस्था।

13. संविधान का अनुच्छेद 124, जो

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान, राज्यकि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। यह निर्विवाद है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है, जैसा कि आर. टी. आई. की धारा 2 के खंड (एच) में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम जो भारत के संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित और गठित किया गया है। धारा 2 के खंड (ई) में उपखंड (ii) के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सक्षम प्राधिकारी है। नतीजतन, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 28 के संदर्भ में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है, जिन्हें आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना है।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है,

संविधान के अनुच्छेद 124 को ध्यान में रखते हुए इसमें अनिवार्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का पद शामिल होगा। मुख्य न्यायाधीश या उस मामले के लिए न्यायाधीशों का कार्यालय सर्वोच्च न्यायालय से अलग नहीं है, और एक निकाय, प्राधिकरण और संस्थान के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अभिन्न अंग है। मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय दो अलग और अलग 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं हैं, हालांकि बाद वाला एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है और मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश मिलकर 'सार्वजनिक प्राधिकरण', यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन और गठन करते हैं। धारा 2 (एच) की व्याख्या संविधान के अपमान में नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत ठहराने का अर्थ यह होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत का सर्वोच्च न्यायालय दो अलग–अलग सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, और प्रत्येक के अपने सी. पी. आई. ओ. होंगे और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के सी. पी. आई. ओ. या मुख्य न्यायाधीश को आवेदन करना होगा –

जब 'सूचना' रखी जाती है या विषय वस्तु दूसरे के 'कार्यों' के साथ अधिक निकटता से जुड़ी होती है तो दूसरे को हस्तांतरित किया जाता है। यह विसंगतियों और कठिनाइयों को जन्म देगा क्योंकि संस्था, प्राधिकरण या निकाय एक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संस्थान के प्रमुख हैं और न तो वह और न ही उनका कार्यालय एक अलग सार्वजनिक प्राधिकरण है।

15. यह समान रूप से सच है और उच्च न्यायालयों में लागू होगा

अनुच्छेद 214 के अनुसार देश में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें भारत का राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्त करना उचित समझे।

प्वाइंट नं. 2 : जानकारी और अधिकार

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत जानकारी

16. 'सूचना', 'अभिलेख' और 'सूचना का अधिकार' शब्द हैं।

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ), (आई) और (जे) के तहत परिभाषित किया गया है जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" (च) "सूचना" से किसी भी रूप में कोई भी सामग्री अभिप्रेत है, जिसमें

अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, राय, सलाह, प्रेस

जारी करना, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात,

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री और

किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे प्राप्त किया जा सकता है

उस समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वाराबल;

XX

XX

XX सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

((i) "अभिलेख" में शामिल हैं

(क) कोई भी दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल;

(बी) किसी भी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और एक की प्रतिकृति

दस्तावेज़;

(ग) इस प्रकार की छवि या छवियों का कोई पुनरुत्पादन।

माइक्रोफिल्म (चाहे बड़ा हो या न हो); और

((घ) कंप्यूटर या किसी अन्य द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

उपकरण;

(जे) "सूचना के अधिकार" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है और इसमें शामिल है –

((i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

((ii) टिप्पणियाँ, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ लेना।

दस्तावेज़ या रिकॉर्ड;

((ग) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

((iv) डिस्केट, फ़्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।

इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंटआउट के माध्यम से जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर में या किसी अन्य में संग्रहीत की जाती हैउपकरण; "

17. ' परिभाषा खंड के अनुसार 'सूचना' व्यापक और व्यापक है, क्योंकि इसे प्रवर्धित शब्दों के साथ 'किसी भी रूप में सामग्री' के रूप में परिभाषित किया गया है।

अभिलेख (आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) द्वारा व्यापक शब्दों में फिर से परिभाषित एक शब्द), दस्तावेज, ईमेल, ज्ञापन, सलाह, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री सहित।इलेक्ट्रॉनिक रूप में, आदि। परिभाषा खंड के अंतिम भाग में कहा गया है कि 'सूचना' शब्द में 'किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल होगी जिसे किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है' जिसे 'सूचना' के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है या सार्वजनिक प्राधिकरण के पास नहीं है, लेकिन जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत किसी निजी निकाय से प्राप्त किया जा सकता है। यह शब्द

' खंड में 'निजी निकाय' का उपयोग अंतर करने के लिए किया गया है और इसमें है

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एच) में परिभाषित 'सार्वजनिक प्राधिकरण' शब्द का विरोधाभास। यह इस प्रकार है कि [2019] 16 एस. सी. आर. की प्रकृति में कोई भी आवश्यकता।

किसी भी अन्य कानून द्वारा निर्धारित पूर्व शर्त और प्रतिबंध लागू होते रहेंगे और किसी निजी निकाय द्वारा जानकारी प्राप्त करने और प्रस्तुत करने के लिए कहने से पहले उन्हें पूरा किया जाना चाहिए।

18. खंड (च) से धारा 2 में 'सूचना' की परिभाषा से जो स्पष्ट और अंतर्निहित है, वह 'सूचना के अधिकार' की परिभाषा से पुष्टि प्राप्त करता है कि जानकारी होनी चाहिए

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सुलभ और किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में। व्हार्टन के नियम में परिभाषित 'होल्ड' शब्द

लेक्सिकन, 15 वें संस्करण का अर्थ है स्वामित्व या उपयोग रखना; अपने रूप में रखें, लेकिन वर्तमान कानून के संदर्भ में, हम ब्लैक के कानून में 'होल्ड' शब्द की एक व्यापक परिभाषा को अपनाना पसंद करेंगे।

शब्दकोश, छठा संस्करण, अर्थ के रूप में; रखना, बनाए रखना, अधिकार या अधिकार बनाए रखना। अपने स्वाभाविक अर्थ के अनुसार 'किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में' शब्दों का अर्थ होगा सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का अधिकार और शक्ति। यह संदर्भित करता है

सूचना या किसी भी सामग्री, दस्तावेज आदि के अधिकार पर प्रभुत्व स्थापित करना। 'किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में' शब्दों में एक निजी निकाय से संबंधित जानकारी उनके दायरे और दायरे में शामिल होगी, जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो जानकारी प्राप्त करने के लिए लागू पूर्व–निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।

19. जब जानकारी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सुलभ होती है, अर्थात,

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत सूचना चाहने वाले को सूचना दी जानी चाहिए, भले ही पहले से ही लागू किसी अन्य क़ानून के तहत या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत शर्तें या प्रतिबंध हों, जो जनता द्वारा जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22–1 में अबाधित खंड को ध्यान में रखते हुए, कोई भी निषेध या शर्त जो किसी नागरिक को सूचना तक पहुंच से रोकती है, लागू नहीं होगी। नागरिकों के अधिकार पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि, जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना तक पहुंच प्रतिबंधित है या शर्तों के अधीन सुलभ है, तो निषेध को समाप्त नहीं किया जाता है और पूर्व शर्तों को मिटाया नहीं जाता है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित धारा 2 (च) किसी अन्य अधिनियम में कोई संशोधन या संशोधन नहीं लाती है, जो1 1 आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 में कहा गया हैः 22. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। –इस अधिनियम के प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और उस समय लागू किसी अन्य कानून या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

सूचना तक पहुँचने के लिए पूर्व शर्त लगाता है या रोकता है

निजी निकाय। बल्कि, धारा 2 का खंड (च) उक्त स्थिति को बरकरार रखता है और स्वीकार करता है जब यह अभिव्यक्ति का उपयोग करता है–"जिसे प्राप्त किया जा सकता है", अर्थात सार्वजनिक

प्राधिकरण को एक स्थिति में होना चाहिए और उक्त जानकारी मांगने का हकदार होना चाहिए। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22, एक प्रमुख प्रावधान, व्याख्या के खिलाफ नहीं है क्योंकि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एफ) और अन्य वैधानिक अधिनियमों/कानून के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास या संघर्ष नहीं है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 22 एक ऐसी कुंजी है जो किसी नागरिक के जानकारी तक पहुँचने के अधिकार पर किसी भी पूर्व अधिनियम में प्रतिबंधों/सीमाओं को खोलती है जो एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सुलभ है। यह सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए एक कुंजी नहीं है जिसका उपयोग सार्वजनिक प्राधिकरण के सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर प्रतिबंधों/सीमाओं को पूर्ववत करने और मिटाने के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक निजी निकाय उसी सुरक्षा का हकदार होगा जो इस देश के कानूनों के तहत उनके लिए उपलब्ध है।

20. दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 2009 के एल. पी. ए. संख्या 501 में 12 जनवरी 2010 के अपने फैसले में व्याख्या पर सही कहा था।फिलिप कोपेल के काम 'सूचना अधिकार' (दूसरा संस्करण, थॉमसन, स्वीट एंड मैक्सवेल 2007) 1 2 सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2000 (यूनाइटेड किंगडम) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, जिसमें यह देखा गया हैः

" जब जानकारी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा "आयोजित" की जाती है

सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2000 के प्रयोजनों के लिए,

जानकारी एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा "आयोजित" की जाती है यदि यह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्राधिकरण द्वारा अन्यथा आयोजित की जाती है, या यदि यह प्राधिकरण की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोजित की जाती है। अधिनियम ने तकनीकीताओं को टाल दिया है

प्रकटीकरण के कानून से संबंधित, जिसने पारंपरिक रूप से शक्ति, अभिरक्षा या कब्जे में किसी दस्तावेज़ के बीच अंतर किया है।

एक व्यक्ति से। एस के प्रभाव को एक तरफ रखना। 3 (2) (पैरा देखें। 9–009 नीचे), "आयोजित" शब्द एक सार्वजनिक प्राधिकरण और स्वामित्व या जमानत के समान जानकारी के बीच संबंध का सुझाव देता है।

सामान।

जानकारीः

अर्थात्, अनुरोध या व्यवस्था के बिना, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को भेजा या जमा किया जाता है जो ऐसा नहीं मानता है।

12 इसके अलावा, फिलिप कोपेल, 'सूचना अधिकार' (चौथा संस्करण, हार्ट पब्लिशिंग 2014) पी. 361–62 [2019] 16 एस. सी. आर. देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं इसे प्राप्त करने के लिए तैयार है और जो नहीं

बाद में इसका उपयोग करें;

जो गलती से एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास छोड़ दिया जाता है;

जो केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण के माध्यम से गुजरता है; या

– जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कर्मचारी या अधिकारी का "है" लेकिन जिसे उस कर्मचारी या अधिकारी द्वारा लाया जाता है।

लोक प्राधिकारी के परिसर में अधिकारी,

यह सुझाव दिया जाता है कि इसके लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जिम्मेदारी या प्रभुत्व की अपेक्षित धारणा का अभाव है

ऐसी जानकारी जो यह कहने से पहले आवश्यक है कि सार्वजनिक प्राधिकरण को "होल्ड" कहा जा सकता है

जानकारी दी। ..... ”

इसके बाद, पूर्ण पीठ ने कहा थाः

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई जानकारी अधिनियम के अर्थ के भीतर रखी जाएगी। हालांकि, अगर जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरण को भेजी या जमा की जाती है जो खुद को अलग नहीं रखता हैइसे प्राप्त करने के इच्छुक के रूप में और जो बाद में इसका उपयोग नहीं करता है या जहां इसे गलती से एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास छोड़ दिया जाता है या बस पास होता है

सार्वजनिक प्राधिकरण के समक्ष आवश्यक जानकारी के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जिम्मेदारी या प्रभुत्व की आवश्यक धारणा की कमी के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई जानकारी को जानकारी रखने के लिए कहा जा सकता है।इसलिए, "होल्ड" शब्द विशुद्ध रूप से एक भौतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि सूचना और सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v के बीच उपयुक्त संबंध को संदर्भित करता है।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

प्राधिकरण ताकि यह ठीक से कहा जा सके कि जानकारी

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाता है। 13 21. खानापुरम गंडैया बनाम। प्रशासनिक अधिकारी और

अन्य 1 4, इस न्यायालय ने आर. टी. आई. अधिनियम के खंड 2 (च) की परिभाषा की जांच करने पर निम्नलिखित निर्णय दिया थाः

" 10. [.....] इस परिभाषा से पता चलता है कि धारा के तहत एक आवेदक

6 आर. टी. आई. अधिनियम की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकती है जो पहले से ही उपलब्ध है। कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए अस्तित्व और सुलभ। .....

XX

XX

XX

12. [.....] लोक सूचना अधिकारी के पास नहीं होना चाहिए

कोई भी सामग्री जो उसके सामने नहीं है; या कोई भी जानकारी जो वह कर सकता था

(sic not) ने कानून के तहत प्राप्त किया है। आर. टी. आई. की धारा 6 के तहत अधिनियम, एक आवेदक केवल ऐसी जानकारी प्राप्त करने का हकदार है जो

किसी अन्य कानून के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" द्वारा पहुँचा जा सकता है

वर्तमान में लागू होने के लिए। .....

99

उपरोक्त अवलोकन अनिवार्य पर जोर देता है

उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना की पहुंच की आवश्यकता। आदित्य बंदोपाध्याय (ऊपर) की एक अन्य खंड पीठ ने इस पहलू पर फिर से प्रकाश डाला, जिसमें जानकारी को निम्नलिखित शब्दों में तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया थाः

" 59. आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों और योजनाओं का प्रभाव है –

"सूचना" को तीन श्रेणियों में विभाजित करना। वे इस प्रकार हैंः

(i) ऐसी जानकारी जो पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्य में उत्तरदायित्व,

जिसका प्रकटीकरण भी शामिल करने में मदद कर सकता है या

भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करना [खंड (ख) में उल्लिखित और

(ग) आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1)]।

((ii) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धारण की गई अन्य जानकारी [अर्थात, सभी

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) के खंड (बी) और (सी) के तहत आने वाली जानकारी के अलावा अन्य जानकारी।

13 न्यू कैसल अपोन टाइन वी। सूचना आयुक्त और ब्रिटिश यूनियन फॉर एबॉलिशन ऑफ विविसेक्शन, [2011] यूकेयूटी 185 एएसी

14 (2010) 2 एससीसी 1 [2019] 16 एस. सी. आर.

((iii) ऐसी जानकारी जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में नहीं है और जिसे किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

तत्काल किसी भी कानून के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण

बल देते हैं।

तीसरी श्रेणी के तहत जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है

आर. टी. आई. अधिनियम का दायरा। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 3 में प्रत्येकनागरिक द्वारा या उसके नियंत्रण में "सूचना" का अधिकार

श्रेणी, जनता पर एक विशेष जिम्मेदारी भी हैअधिकारी स्वयं इस तरह के प्रकाशन और प्रसार करेंगे

जानकारी ताकि वे आसानी से और आसानी से सुलभ हों

जनता को बिना किसी सहायता के उन तक पहुँचने की आवश्यकता है

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6। प्रकाशित करने की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।

और अन्य जानकारी का प्रसार करना जो इसके अंतर्गत आती है

दूसरी श्रेणी "।

पहली श्रेणी खंड में निर्दिष्ट जानकारी को संदर्भित करती है।

(ख) धारा 4 की उप–धारा (1) जिसमें उसमें वर्णित विभिन्न विषयों पर सत्रह उपखंड शामिल हैं। यह धारा 4 की उप–धारा (1) के खंड (सी) को भी संदर्भित करता है जिसके द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण से महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतियों को तैयार करते समय या अपने निर्णय का उच्चारण करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है जो जनता को प्रभावित करते हैं। द.इन खंडों के पीछे का तर्क अधिकांश जानकारी का प्रसार करना है जो सार्वजनिक हित में है और खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

सरकार में।22. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 'किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में' और 'इस अधिनियम के तहत सुलभ जानकारी' प्रतिबंधात्मक हैं और सूचना के अधिकार की सीमाओं को दर्शाती हैं, जिसमें कहा गया है कि आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। का अधिकार

जानकारी निरपेक्ष नहीं है और आर. टी. आई. अधिनियम के तहत शर्तों और छूटों के अधीन है।

23. इस पहलू को फिर से उजागर किया गया जब शर्तों

' 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की व्याख्या की गई थी

15 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम देखें। आदित्य बंदोपाध्याय '(2011) 8 एस. सी. सी. 497 ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]अप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ऊपर)

विंग व्याख्याः

उस धारा का एक प्रबल प्रभाव, संघर्ष के मामले में, अधिनियम के अन्य प्रावधान। भले ही, कोई संकेत है

इसके विपरीत, अभी भी सार्वजनिक प्राधिकरण पर कोई दायित्व नहीं हैमें जो उल्लेख किया गया है उसकी जानकारी किसी भी नागरिक को दें।

खंड (ए) से (जे)। सार्वजनिक प्राधिकरण, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है,

किसी निजी व्यक्ति से सभी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन

केवल वे जानकारी जो वह कानूनी रूप से किसी को देने के लिए बाध्य है

कानून द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण, और केवल वही जानकारी जोसार्वजनिक प्राधिकरण के पास कानून के अनुसार पहुंच हो सकती है।

उन सूचनाओं को भी, यदि व्यक्तिगत प्रकृति की हो, बनाया जा सकता है।

केवल धारा 8 (जे) में प्रदान की गई सीमाओं के अधीन उपलब्ध आर. टी. आई. अधिनियम। अकेले रहने का अधिकार, जैसा कि ओल्मस्टेड में प्रस्तावित किया गया है

वी. संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकारों में सबसे व्यापक है और सबसे अधिक

सभ्य व्यक्ति द्वारा मूल्यवान।

XX

XX

XX

67. के अधीन कार्य करने वाली सहकारी समितियों का पंजीयक

सहकारी समिति अधिनियम एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" है

अधिनियम की धारा 2 (एच) का अर्थ। एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में,सहकारी समितियों के पंजीयक को लॉट से सम्मानित किया गया है।

संबंधित अधिनियम के तहत वैधानिक शक्तियों की जिसके तहत वह है

कार्य कर रहा है। दायित्वों का पालन करना भी उसका कर्तव्य है।

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत और इसके तहत एक नागरिक को जानकारी प्रदान करें आर. टी. आई. अधिनियम। वह जानकारी जो उनसे प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है वह है –

आर. टी. आई. अधिनियम विषय की धारा 2 (एफ) में दी गई जानकारी

अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान की गई सीमाओं के लिए। द.

कानून जिस हद तक अनुमति देता है, कुलसचिव भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं।

एक सोसायटी से, जिस पर उसका पर्यवेक्षी या प्रशासनिक कार्य होता है

सहकारी समिति अधिनियम के तहत नियंत्रण। नतीजतन, अलग

धारा 2 (च) के तहत उसके पास उपलब्ध जानकारी से, वह समाज से उन सूचनाओं को भी एकत्र कर सकता है,

कानून द्वारा अनुमत सीमा। पंजीयक भी बाध्य नहीं है

उन सूचनाओं का खुलासा करें यदि वे जानकारी धारा के तहत आती हैं

8 (1) (जे) अधिनियम के। हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं लाया गया है

ज्ञान इंगित करता है कि, सहकारी समिति अधिनियम के तहत,

एक पंजीयक बैंक खातों [2019] 16 एस. सी. आर. के विवरण के लिए कॉल कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक सहकारी बैंक में नागरिकों या सदस्यों द्वारा बनाए रखा जाता है।

केवल वही जानकारी जो सहकारी समितियों का पंजीयक हो।

समाज को वह जानकारी कहा जा सकता है जो "आयोजित" या" सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में "। उन सूचनाओं को भी,

पंजीयक, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, कानूनी रूप से प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है

यदि वे जानकारी उल्लिखित छूट श्रेणी के अंतर्गत आती है

अधिनियम की धारा 8 (जे) में। कंपनी के पंजीयक के अलावा

सक्रिय समितियाँ, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण हो सकते हैं जो

कानून के तहत समाज के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए खाते में,जिसकी स्थिति में समाज को अलग होना होगा

उस जानकारी के साथ। लेकिन मांग वैधानिक होनी चाहिए। समर्थन करते हैं।

68. नतीजतन, यदि कोई जानकारी मांगी गई है

किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंध या जो कारण होगाव्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण, पंजीयक

सहकारी समितियों की, भले ही उसे वह जानकारी मिल गई हो,

इसे किसी आवेदक को देने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि वह संतुष्ट न हो।

कि व्यापक लोक हित इस प्रकार के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है

जानकारी, वह भी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए।

इस प्रकार, 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' अभिव्यक्तियों का दायरा

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत एक नागरिक द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी को उपरोक्त चर्चा के आलोक में समझना होगा।

प्वाइंट नं. 3 : आर. टी. आई. की धारा 8, 9, 10 और 11

एक्ट

24. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना और भारतीय बनाना।

कुशल शासन, सीमित वित्तीय संचालन का इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण सहित विविध हितों को संतुलित करके सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध जानकारी। प्रस्तावनाआर. टी. आई. अधिनियम में विभिन्न संघर्षों को सुसंगत बनाने के उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में उचित रूप से संक्षेपित किया गया हैः

XX

XX

XX 0, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

और जहाँ लोकतंत्र के लिए एक जानकार नागरिक की आवश्यकता होती है और

सूचना की पारदर्शिता जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और

भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों और उनके अधिकारियों को रोकने के लिए भी

शासितों के प्रति जवाबदेह उपकरण;

और जहाँ वास्तविक व्यवहार में जानकारी का प्रकटीकरण है

कुशल सहित अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव की संभावना

सरकार के संचालन, सीमित राजकोषीय का इष्टतम उपयोगसंसाधन और संवेदनशील लोगों की गोपनीयता का संरक्षण

जानकारी;

और जहाँ इन परस्पर विरोधी बातों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है

लोकतांत्रिक की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए हित

आदर्श;

XX "

XX

XX

25. इनके बीच संघर्ष और वैमनस्य को हल करने का प्रयास

ई. टी. एस. तक पहुँच पर अपवाद और शर्तों में स्पष्ट है

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 से 11 में उल्लेख किया गया है। शुरुआत में,

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 को पुनः प्रस्तुत करें, जो निम्नानुसार हैः

" 8. (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

किसी भी नागरिक को देने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी,

(क) ऐसी जानकारी, जिसका प्रकटीकरण पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

विदेशी राज्य के साथ संबंध या एक के उकसाने के लिए नेतृत्वअपराध;

(ख) ऐसी जानकारी जिसे स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है

किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित या

जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना हो सकती है;

(ग) ऐसी जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से

संसद या राज्य के विशेषाधिकार का हनन

विधानमंडल;

(घ) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार सहित जानकारी

किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुँचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि अधिक

लोकहित इस तरह के प्रकटीकरण की गारंटी देता है

जानकारी; [2019] 16 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ई) अपने प्रत्ययी संबंध में किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का समाधान नहीं हो जाता है कि व्यापक सार्वजनिक हित का खुलासा करना आवश्यक है।

ऐसी जानकारी;

(च) विदेश से विश्वास में प्राप्त जानकारी

सरकार;

(छ) ऐसी जानकारी, जिसका खुलासा किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;

(ज) ऐसी जानकारी जो प्रक्रिया को बाधित करेगी

जाँच या आशंका या अभियोजन

अपराधी;

(i) मंत्रिमंडल के कागजात जिसमें विचार–विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद, सचिव और अन्य अधिकारीः

बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उसके कारण और वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिए गए थे, निर्णय लिए जाने के बाद और मामला पूरा होने या समाप्त होने के बाद सार्वजनिक किया जाएगाः

बशर्ते कि वे मामले जो इस धारा में निर्दिष्ट छूट के तहत आते हैं, उनका खुलासा नहीं किया जाएगा;

(जे) ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक जानकारी से कोई संबंध नहीं है।

गतिविधि या हित, या जो व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट नहीं होता है कि व्यापक लोक हित

ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता हैः

बशर्ते कि संसद या राज्य विधानमंडल को ऐसी जानकारी से इनकार नहीं किया जा सकता है जिससे किसी भी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जाएगा।(2) सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 में कुछ भी होने के बावजूद और न ही उप–धारा (1) के अनुसार अनुमत किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हितों को नुकसान से अधिक है।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

(3) उपखंड (ए), (सी) और (आई) के प्रावधानों के अधीन

धारा (1), किसी घटना, घटना या उससे संबंधित कोई जानकारी। बात जो हुई है, हुई है या हुई है बीस

उस तारीख से कई साल पहले जब धारा के तहत कोई अनुरोध किया जाता है

6 इसके तहत अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।

खंडःबशर्ते कि जहां उस तारीख के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है जिससे

बीस वर्षों की उक्त अवधि की गणना की जानी है, निर्णयकेंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा, जो सामान्य नियमों के अधीन होगा।

इस अधिनियम में उपबंधित अपीलें।

धारा 8 की उप–धारा (1) एक गैर–बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है जो निम्नलिखित विभिन्न खंडों को प्रधानता देता है और उन पर कानूनी प्रभाव डालता है।

अधिनियम, अर्थात, जब आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) में सूचीबद्ध अपवाद आकर्षित नहीं होते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है, जो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, यानी 'किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में' जानकारी, सिवाय इसके किजब ऐसी जानकारी को छूट या बहिष्कृत किया जाता है।

26. उप–धारा (1) से धारा 8 के खंडों को इन रूप में विभाजित किया जा सकता हैः

दो श्रेणियाँः खंड (ए), (बी), (सी), (एफ), (जी), (एच) और (आई), और खंड (डी), (ई) और (जे)। बाद के खंडों में कहा गया है कि निषेध निर्दिष्ट किया गया है

यह तब लागू या संचालित नहीं होगा जब खंड (घ) और (ङ) में सक्षम प्राधिकारी और खंड (ञ) में पी. आई. ओ. का समाधान हो जाता है कि व्यापक लोक हित ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है। 16 इसलिए, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के खंड (डी), (ई) और (जे) में योग्य निषेध शामिल हैं और ये सशर्त हैं और पूर्ण छूट नहीं हैं। खंड (ए), (बी), (सी), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में ऐसी कोई शर्त नहीं है। इन खंडों में निषेधात्मक शर्तें व्यापक जनहित नियम की संतुष्टि पर जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति नहीं देती हैं। अतः इन खंडों में पूर्ण बहिष्करण शामिल हैं।

16 वर्तमान निर्णय के उद्देश्य के लिए, हम यह तय करना उचित नहीं समझते हैं कि अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के मामले में 'सक्षम प्राधिकारी' कौन होगा,

यदि धारा 2 के उपखंड (i) से (v) से खंड (e) लागू नहीं होते हैं। इस 'विसंगति' या प्रश्न पर वर्तमान मामले में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में एक सक्षम प्राधिकारी हैं।

27. धारा 8 की उप–धारा (2) में कहा गया है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 या इनमें से किसी में निहित किसी भी बात के बावजूद

उप–धारा (1) के अनुसार अनुमेय छूट, एक सार्वजनिक प्राधिकरण जानकारी तक पहुंच की अनुमति दे सकता है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हितों को नुकसान से अधिक है। खुलासा

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धारा 8 (2) के तहत एक अधिदेश या मजबूरी नहीं है, बल्कि विवेकाधीन प्रकटीकरण के रूप में है। धारा 8 (2) सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी रूप से आयोजित जानकारी का खुलासा करने के लिए स्वीकार करती है और उसे सशक्त बनाती है।उनके द्वारा धारा 8 की उप–धारा (1) के तहत छूट के बावजूद, यदि लोक प्राधिकारी की राय है कि व्यापक लोक हित प्रकटीकरण का समर्थन करता है। इस तरह का खुलासा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद किया जा सकता है। धारा 8 (2) एक निहित या न्यायोचित अधिकार नहीं बनाती है जिसे नागरिक आर. टी. आई. अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले पी. आई. ओ. के समक्ष आवेदन द्वारा लागू कर सकते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत छूट के दायरे में आने वाली जानकारी का खुलासा करना पी. आई. ओ. का कोई कर्तव्य नहीं है। एक बार जब पी. आई. ओ. इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि कोई भी छूट खंड लागू है, तो पी. आई. ओ. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत प्रकटीकरण का निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं कर सकता है क्योंकि यह विवेकाधीन शक्ति विशेष रूप से सार्वजनिक प्राधिकरण के पास निहित है।

28. धारा 9 में प्रावधान है कि धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है यदि पहुंच प्रदान करने के लिए इस तरह के अनुरोध में कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल होगा। राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में रहने वाला।

29. धारा 10 छूट प्राप्त सूचना की पृथकता से संबंधित है और इसकी उप–धारा (1) निम्नानुसार हैः

" 10. गंभीरता। – (1) जहाँ सूचना तक पहुँच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि यह सूचना के संबंध में है जो

प्रकटीकरण से मुक्त है, तो, इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अभिलेख के उस हिस्से तक पहुंच प्रदान की जा सकती है जिसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इस अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है और जिसे छूट प्राप्त जानकारी वाले किसी भी हिस्से से यथोचित रूप से अलग किया जा सकता है।

30. धारा 11, जो तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है, और गोपनीयता के उल्लंघन के आधार पर सशर्त बहिष्कार को शामिल करती है

जनहित परीक्षा को लागू करना, निम्नानुसार हैः

“ 11. (1) जहां कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v का खुलासा करने का इरादा रखता है।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

इस अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध पर कोई भी जानकारी या रिकॉर्ड, या उसका हिस्सा, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसे प्रदान किया गया है और जिसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है,

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी

अनुरोध और इस तथ्य का कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, और तीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें कि क्या जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, और जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष के इस तरह के प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखा जाएगाः

बशर्ते कि कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि सार्वजनिक हित

प्रकटीकरण में किसी भी संभावित नुकसान या चोट के महत्व से अधिक है

ऐसे तीसरे पक्ष के हितों के लिए।

(2) जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा कोई सूचना दी जाती है, उप–धारा (1) के तहत किसी तीसरे पक्ष को किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से के संबंध में, तीसरे पक्ष को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर अवसर दिया जाएगा।

प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करना।

(3) धारा 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्रीयलोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी,

उप–धारा (2) के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर इस बारे में निर्णय कि सूचना या अभिलेख या उसके हिस्से का खुलासा करना है या नहीं और अपने निर्णय की लिखित सूचना देना है।

तीसरे पक्ष के लिए।

(4) उप–धारा (3) के तहत दी गई सूचना में एक बयान शामिल होगा कि जिस तीसरे पक्ष को सूचना दी गई है, वह वरीयता का हकदार है।

फैसले के खिलाफ धारा 19 के तहत अपील।

हम बाद में टी. आई. अधिनियम की धारा 11 की व्याख्या और विस्तार करेंगे।

31. वर्तमान चरण में, हम आदित्य उपाध्याय (उपरोक्त) से उद्धृत करना चाहते हैं, जिसमें यह न्यायालय, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 से 11 के तहत सही गठन और बहिष्करण के बीच संघर्ष का निर्णय करते समय व्याख्या के सामान्य पहलुओं के पहलू पर,

bserved:

" 61. कुछ उच्च न्यायालयों ने माना है कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 धारा 3 के अपवाद के रूप में है जो अधिकार प्रदान करती है।

सूचना का अधिकार रखने वाले नागरिक, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से व्युत्पन्न है; और इसलिए, धारा 8 का कड़ाई से, शाब्दिक और संकीर्ण रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। यह सही तरीका नहीं हो सकता है। यह अधिनियम एक संतुलन लाने का प्रयास करता है

सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी। दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि सूचना का खुलासा, वास्तविक व्यवहार में, अन्य सार्वजनिक हितों के साथ संघर्ष नहीं करता है जिसमें सरकारों का कुशल संचालन, सीमित वित्तीय का इष्टतम उपयोग शामिल है।संसाधन और संवेदनशील लोगों की गोपनीयता का संरक्षण

जानकारी दी। अधिनियम की प्रस्तावना में विशेष रूप से कहा गया है कि अधिनियम का उद्देश्य इन दोनों परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना है। जहां धारा 3 और 4 पहले उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं धारा 8,9,10 और 11 दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए, जब धारा 8 कुछ सूचनाओं को प्रकट करने से छूट देती है, तो इसे सूचना के अधिकार में बाधा नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे पूरा करने और संरक्षण के लिए आवश्यक अन्य सार्वजनिक हितों की रक्षा करने वाले समान रूप से महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए।

लोकतांत्रिक आदर्शों का।

62. यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते समय कि सूचना का अधिकार नहीं है

कई अन्य सार्वजनिक हितों के साथ संघर्ष (जिसमें शामिल हैं)

सरकारों के कुशल संचालन, संरक्षण

संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग, आदि), सभी प्रकार की जानकारी की कल्पना और गणना करना मुश्किल है जिससे छूट की आवश्यकता है।सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण। हालाँकि विधायिका ने ऐसा करने का प्रयास किया है। छूटों की गणना पहले के अधिनियम, यानी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 की धारा 8 में की गई छूटों की गणना की तुलना में अधिक व्यापक है। ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v को लागू करने वाले न्यायालय और सूचना आयोग।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों को एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण अपनाना होगा, जिसमें एक उचित और संतुलित दृष्टिकोण शामिल है जो अधिनियम के दो उद्देश्यों को सुसंगत बनाता है, जबकि धारा 8 की व्याख्या करते हुए और

63. इस समय आर. टी. आई. अधिनियम के बारे में कुछ गलत धारणाओं को दूर करना आवश्यक है। आर. टी. आई. अधिनियम उन सभी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है जो उपलब्ध हैं और मौजूद हैं। यह एक संयुक्त से स्पष्ट है अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) और (जे) के तहत धारा 3 और "सूचना" और "सूचना के अधिकार" की परिभाषाओं को पढ़ना। यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास डेटा के रूप में कोई जानकारी है या

विश्लेषित डेटा, या सार, या सांख्यिकी, एक आवेदक अधिनियम की धारा 8 में छूट के अधीन ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जहां मांगी गई जानकारी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, और जहां ऐसी जानकारी को किसी कानून या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियमों या विनियमों के तहत बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, तो अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरण पर ऐसी गैर–उपलब्ध जानकारी एकत्र करने या एकत्रित करने का दायित्व नहीं डालता है।

और फिर इसे एक आवेदक को प्रस्तुत करें। एक सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं है जिसके लिए ड्राइंग की आवश्यकता होअनुमान और/या धारणाएँ बनाना। यह भी आवश्यक नहीं है

किसी आवेदक को "सलाह" या "राय" प्रदान करना, और न ही किसी आवेदक को कोई "राय" या "सलाह" प्राप्त करने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। की परिभाषा में "राय" या "सलाह" का संदर्भ

" अधिनियम की धारा 2 (च) में "सूचना" केवल सार्वजनिक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध ऐसी सामग्री को संदर्भित करती है। कई लोक प्राधिकरण, एक जनसंपर्क अभ्यास के रूप में, नागरिकों को

सलाह, मार्गदर्शन और राय प्रदान करते हैं। लेकिन यह विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है और इसके तहत किसी भी दायित्व के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।आर. टी. आई. अधिनियम "।

ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 63 को खंड (च) के अंतिम भाग से लेकर धारा 2 तक की हमारी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें शब्द को परिभाषित किया गया है।आरमेशन ', हालांकि, दर्ज किए गए अवलोकनों और निष्कर्षों पर, हम

पूरी तरह से सहमत हैं। वर्तमान निर्णय के लिए, हमें आवश्यक है

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ई) और (जे) की जांच करें।

बिन्दु संख्या 3 (ए): धारा के तहत प्रत्ययी संबंध

8 (1) (ई) आर. टी. आई. अधिनियम [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के खंड (ई) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध कराए गए राष्ट्र का खुलासा तब तक किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि

ग ब्याज ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देता है। द.

पेशे के प्रत्ययी संबंध की जांच की गई और इसमें समझाया गया

ए बंदोपाध्याय (ऊपर), निम्नलिखित शब्दों में:

" 39. "प्रत्ययी" शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो दूसरे के लाभ के लिए कार्य करने का कर्तव्य रखता है, सद्भावना और स्पष्टता दिखाता है, जहां ऐसा अन्य व्यक्ति कर्तव्य के कारण या निर्वहन करने वाले व्यक्ति में विश्वास और विशेष विश्वास रखता है। "प्रत्ययी संबंध" शब्द का उपयोग उस स्थिति या लेन–देन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां एक व्यक्ति (लाभार्थी) दूसरे में पूर्ण विश्वास रखता है।

व्यक्ति (न्यासी) अपने मामलों, व्यवसाय या

लेन–देन। यह शब्द उस व्यक्ति को भी संदर्भित करता है जो किसी चीज़ को दूसरे (लाभार्थी) के लिए विश्वास में रखता है। न्यासी से उम्मीद है किविश्वास में और लाभ और लाभ के लिए कार्य करें

लाभार्थी, और लाभार्थी या लाभार्थी से संबंधित चीजों के साथ व्यवहार करने में सद्भावना और निष्पक्षता का उपयोग करें। यदि लाभार्थी ने न्यास में चीज़ रखने या सौंपे गए चीज़ के संबंध में या उसके संबंध में कुछ कार्यों को निष्पादित करने के लिए न्यासी को कुछ भी सौंपा है, तो न्यासी को विश्वास में कार्य करना होगा और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह चीज़ का खुलासा न करे या

किसी भी तीसरे पक्ष को जानकारी।

लाभार्थी। इनके उदाहरण इस प्रकार हैंः एक भागीदार बनाम दूसरे भागीदार और एक नियोक्ता बनाम कर्मचारी। एक कर्मचारी जो अपने कार्यकाल के दौरान व्यवसाय या व्यापार रहस्य या नियोक्ता से संबंधित गोपनीय जानकारी के कब्जे में आता है।रोजगार, एक प्रत्ययी के रूप में कार्य करने की उम्मीद है और दूसरों को इसका खुलासा नहीं कर सकता है। इसी तरह, यदि नियोक्ता या अधिकारी वरिष्ठ या किसी विभाग के प्रमुख के अनुरोध पर, कोई कर्मचारी अपने व्यक्तिगत विवरण और जानकारी को विश्वास में रखने के लिए प्रस्तुत करता है, तो नियोक्ता, अधिकारी वरिष्ठ या विभागीय प्रमुख से ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को न्यासी के रूप में विश्वास में रखने की उम्मीद की जाती है, जिसका उपयोग या खुलासा केवल तभी किया जाता है जब कर्मचारी का आचरण

या कार्य नियोक्ता के लिए प्रतिकूल पाए जाते हैं।

41. एक दार्शनिक और बहुत व्यापक अर्थ में, परीक्षण निकायों को सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v के संदर्भ में एक प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

जो छात्र किसी परीक्षा में भाग लेते हैं, जैसा कि सरकार अपने नागरिकों को नियंत्रित करते हुए करती है या जैसा कि वर्तमान पीढ़ी भविष्य की पीढ़ी के संदर्भ में करती है।

पर्यावरण। लेकिन शब्दों की जानकारी एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) में उसके न्यासी संबंध का उपयोग उसके सामान्य और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अर्थों में किया गया है, अर्थात, उन व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए जो न्यासी क्षमता में कार्य करते हैं, एक विशिष्ट लाभार्थी या लाभार्थियों के संदर्भ में जिनके न्यासी के कार्यों से संरक्षित या लाभान्वित होने की उम्मीद की जाती है–न्यास के लाभार्थी के संदर्भ में एक न्यासी, एक नाबालिग/शारीरिक रूप से कमजोर/मानसिक रूप से विकलांग के संदर्भ में एक अभिभावक।

नियोक्ता के व्यावसायिक लेन–देन। हम जाँच निकाय और उसके बीच उस तरह का प्रत्ययी संबंध नहीं पाते हैं।परीक्षक, मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के संदर्भ में, जो परीक्षण निकाय की अभिरक्षा में आती हैं।

इस न्यायालय ने कहा कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के तहत छूट उन लाभार्थियों पर लागू नहीं होती है जिनके बारे में न्यासी

जानकारी रखता है। दूसरे शब्दों में, लाभार्थियों से संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध जानकारी को स्वयं लाभार्थियों से रोका या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक न्यासी, इसलिए, कर्तव्य–बद्ध होगा।

लाभार्थी के साथ प्रत्ययी संबंध में उनके बीच सभी लेन–देनों के सभी प्रासंगिक तथ्यों का पूरी तरह से खुलासा करना। उक्त मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या एक परीक्षण निकाय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ने मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं के रूप में जानकारी को न्यासी क्षमता में रखा था। नकारात्मक में उत्तर देते हुए, यह देखा गया कि भले ही परीक्षण करने वाला निकाय किसी परीक्षक के साथ प्रत्ययी संबंध में हो, लेकिन यह कर्तव्य होगा कि वह मूल्यांकन किए गए उत्तर–पुस्तकों का खुलासा परीक्षक को करे और साथ ही, उनका कर्तव्य होगा कि वह उत्तर–पुस्तकों का खुलासा किसी और को, यानी किसी तीसरे पक्ष को न करे।

यह अवलोकन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धारा [2019] 16 एस. सी. आर. को मान्यता देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारित सार्वजनिक हित की आवश्यकता के अलावा तीसरे पक्ष को जानकारी प्रदान करना। इस तरह, आर. टी. आई. अधिनियम सूचना के अधिकार और गोपनीयता और गोपनीयता के अधिकार दोनों का पूरक है। इसके अलावा, यह संरक्षित हितों को संभावित नुकसान और क्षति के साथ जानकारी के प्रकटीकरण में व्यापक सार्वजनिक हित या सार्वजनिक हित की तुलनात्मक परीक्षा के परीक्षण को लागू करके दोनों अधिकारों के बीच संघर्ष को नियंत्रित और नियंत्रित करता है।33. भारतीय रिजर्व बैंक (उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने खंड (ई) से उपखंड (ई) में प्रयुक्त प्रत्ययी संबंध अभिव्यक्ति की व्याख्या की थी।

उन्नत विधि शब्दकोश के तीसरे संस्करण में 'प्रत्ययी संबंध' की परिभाषा का उल्लेख करते हुए आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 की धारा (1),

2005 , जो नीचे लिखा है:

" 57. [.....] विश्वास संबंधी संबंध। — – एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह दूसरे के लाभ के लिए कार्य करे

परिणामस्वरूप प्रथम पर श्रेष्ठता या प्रभाव प्राप्त होता है, (2) जब एक व्यक्ति दूसरे पर नियंत्रण और जिम्मेदारी ग्रहण करता है, (3) जब एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह संबंध के दायरे में आने वाले मामलों पर दूसरे के लिए कार्य करे या सलाह दे, या (4) जबएक विशिष्ट संबंध है जो पारंपरिक रूप से रहा है

प्रत्ययी कर्तव्यों को शामिल करने के रूप में मान्यता प्राप्त, जैसा कि एक वकील और एक

ग्राहक, या एक स्टॉक ब्रोकर और एक ग्राहक "।

इसके बाद, न्यायालय ने शासी सिद्धांतों को सूचीबद्ध करके प्रत्ययी संबंध की रूपरेखा तैयार की थी जिसमें कहा गया थाः

संघर्ष की संभावना '। ((ii) कोई लाभ नियम नहीं–एक न्यासी को अपने पद से लाभ नहीं उठाना चाहिए।

अपने ग्राहक, लाभार्थी की कीमत पर।

((iii) अविभाजित निष्ठा नियम–एक न्यासी अविभाजित होता है।

लाभार्थी के प्रति निष्ठा, खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना जहां एक व्यक्ति के प्रति उसका कर्तव्य उस कर्तव्य के साथ संघर्ष करता है जो वह सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

किसी अन्य ग्राहक के लिए। इस कर्तव्य का एक परिणाम यह है कि एक न्यासी को ग्राहक को सभी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

यह ग्राहक के मामलों के लिए प्रासंगिक है।((iv) गोपनीयता का कर्तव्य–एक न्यासी को केवल विश्वास में प्राप्त जानकारी का उपयोग करना चाहिए और इसका उपयोग अपने लाभ के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए।

एक विश्वास संबंधी संबंध के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक संबंध। चार सिद्धांतों में से प्रत्येक में, विश्वास, निर्भरता, प्रत्ययी की श्रेष्ठ शक्ति या प्रमुख स्थिति और संबंधित निर्भरता पर जोर दिया जाता है। न्यासी पर लाभार्थी जो न्यासी पर सद्भावना से कार्य करने और लाभार्थी के लाभ के लिए और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लगाता है, न कि स्वयं के लिए। धारा 8 (1) (ई) एक कानूनी स्वीकृति है कि

नैतिक या नैतिक संबंध या संबंधों में कर्तव्य जो मानक और विशिष्ट अधिकारों और दायित्वों के साथ संविदात्मक, नियमित या यहां तक कि विशेष संबंधों से परे, अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करते हैं। संविदात्मक या गैर–प्रत्ययी संबंधों के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि पक्ष को दूसरे के हित की रक्षा करनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए और नुकसान या क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन प्रत्ययी संबंध एक सकारात्मक दायित्व डालता है और मांग करता है कि प्रत्ययी को लाभार्थी की रक्षा करनी चाहिए और व्यक्तिगत स्व–हित को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक न्यासी की निष्ठा, कर्तव्य और दायित्व बाजार की नैतिकता की तुलना में अधिक कठोर होते हैं और यह केवल ईमानदारी नहीं है, बल्कि

एक सम्मान का विराम चिह्न जो व्यवहार का सबसे संवेदनशील मानक है जिसे लागू किया जाता है (देखें–कार्डोजो की राय, जे. माइनहार्ड बनाम में।

सैल्मन 1 7}। इस प्रकार, प्रत्ययी संबंधों के मामलों में न्यायिक जांच का स्तर तीव्र है क्योंकि अपेक्षित प्रतिबद्धता और निष्ठा का स्तर गैर–प्रत्ययी संबंधों की तुलना में अधिक है। प्रत्ययी संबंध उस कानून के कारण उत्पन्न हो सकता है जिसमें एक प्रत्ययी को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निस्वार्थ रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है और दूसरा पक्ष, जो कि लाभार्थी है, प्रत्ययी में रखे गए ज्ञान और विश्वास पर निर्भर करता है। एक संविदात्मक, वैधानिक और संभवतः सभी संबंध एक व्यापक क्षेत्र को शामिल करते हैं, लेकिन एक प्रत्ययी संबंध मौजूद हो सकता है, जो एक सीमित क्षेत्र या एक अधिनियम तक सीमित हो सकता है, जैसे किसंबंधों के कई पहलू हो सकते हैं। इस प्रकार, संबंध आंशिक रूप से प्रत्ययी और आंशिक रूप से गैर–प्रत्ययी हो सकते हैं, जिसमें पहला किसी विशेष कार्य या कार्य तक सीमित हो सकता है, जिसे दो पक्षों के बीच बातचीत और संबंध में पूरी तरह से प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। क्या अंतर होगा

17 (1928) 164 एन. ई. 545, 546 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यासी संबंध या एक अधिनियम से गैर–न्यासी संबंध न्यास की आवश्यकता है, न्यासी की ओर से हितग्राही की तुलना में न्यासी की नैतिक, व्यक्तिगत या वैधानिक जिम्मेदारी के कारण किसी विशेष लेनदेन (लेन–देन) के संदर्भ में विश्वास और ईमानदारी के उच्च मानक की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी की निर्भरता होती है। यह प्रत्ययी के बेहतर ज्ञान और प्रशिक्षण या उसके द्वारा धारण किए गए पद के कारण उत्पन्न हो सकता है।

35.आम तौर पर मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के बीच संबंध

न्यायाधीश न्यासी और लाभार्थी नहीं होंगे। हालांकि, यह कुछ स्थितियों और अधिनियमों के लिए एक पूर्ण नियम/संहिता नहीं है।

संबंध बन सकते हैं। किसी विशेष स्थिति में ऐसा संबंध उत्पन्न होता है या नहीं, इस पर ऊपर बताए गए परीक्षणों और मापदंडों पर विचार करना होगा।

बिन्दु संख्या 3 (बी): धारा 8 (1) (जे) के तहत गोपनीयता का अधिकार और धारा 11 के तहत गोपनीयता

आर टी आई अधिनियम

36. यदि किसी का जानने का अधिकार निरपेक्ष है, तो वह दूसरे के गोपनीयता के अधिकार पर आक्रमण कर सकता है और गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है, और इसलिए, पूर्व अधिकार को व्यक्तिगत गोपनीयता, सूचना की गोपनीयता और प्रभावी शासन की आवश्यकता के साथ सुसंगत बनाया जाना चाहिए। आर. टी. आई. अधिनियम धारा (जे) के खंड के तहत प्रतिस्पर्धी अधिकारों की इस परस्पर क्रिया को दर्शाता है।

8 (1) और धारा 11। जबकि धारा 8 (1) का खंड (जे) व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित जानकारी से अलग बताता है या

ब्याज और ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण के साथ–साथ ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को छूट देने का प्रयास करता है, जो यदि प्रकट की जाती है, तो किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनती है, जब तक कि सार्वजनिक हित इसके प्रकटीकरण की गारंटी नहीं देता है, धारा 11 'जानकारी या रिकॉर्ड के प्रकटीकरण को छूट देती है। जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या प्रदान की गई है और जिसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है'। अलग–अलग शब्दों और संकेतों से

गोपनीयता और गोपनीयता सूचना अधिकारों के लिए जो चुनौती पेश करते हैं, आर. टी. आई. अधिनियम गोपनीयता के उल्लंघन और गोपनीयता के आक्रमण के बीच परस्पर जुड़ाव, लेकिन विशिष्टता को भी मान्यता देता है, क्योंकि पहला गोपनीयता के उल्लंघन की तुलना में व्यापक है, जैसा कि नीचे देखा जाएगा।

37. गोपनीयता के उल्लंघन की एक पुरानी अवधारणा है और

मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित एक न्यायसंगत उपाय कि एक पक्ष एक दायित्व से बंधे व्यक्तियों पर न्यायसंगत कर्तव्य लागू करने का हकदार है

गोपनीय संबंध के वास्तविक या रचनात्मक ज्ञान के साथ, उनके द्वारा साझा किए गए संबंध के कारण गोपनीयता।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

एक मौखिक या लिखित समझौता, जबकि क़ानूनों में कुछ मौजूदा और परिभाषित संबंध विवरण, संचार आदान–प्रदान और रिकॉर्ड को गोपनीय रखने के कर्तव्य के साथ लगाए जाते हैं। 'गोपनीयता के उल्लंघन' वाक्यांश में संदर्भित गोपनीयता को शुरू में लोकप्रिय रूप से माना गया था और इसकी व्याख्या पूर्व–मौजूदा गोपनीय संबंध से उत्पन्न गोपनीयता के रूप में की गई थी, क्योंकि कुछ जानकारी को गोपनीय रखने का दायित्व संबंध की प्रकृति के कारण था। द.पूर्व–विद्यमान गोपनीय संबंध के आग्रह ने इस संभावना की कल्पना नहीं की कि जानकारी को गोपनीय रखने का कर्तव्य उत्पन्न हो सकता है, भले ही कोई संबंध, जिसमें ऐसी जानकारी का आदान–प्रदान और धारण किया जाता है, पहले से मौजूद न हो। इससे गोपनीयता के बीच अंतर पैदा हुआ।

गोपनीय संबंध के उल्लंघन और किसी अन्य तरीके से प्राप्त इसी तरह की गोपनीय जानकारी के माध्यम से प्राप्त जानकारी। के साथ

समय के साथ, अदालतों और न्यायविदों, जिन्होंने इस विसंगति को मान्यता दी है, ने एक गोपनीय संबंध के अस्तित्व की आवश्यकता को कम कर दिया है और यह माना है कि गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में सफल होने के लिए तीन तत्व आवश्यक थे, अर्थात्–(ए) जानकारी गोपनीय प्रकृति की होनी चाहिए; (बी) जानकारी को उन परिस्थितियों में प्रदान किया जाना चाहिए जो किसी भी स्थिति को आयात करती हैं।

गोपनीयता का दायित्व; और (सी) कि जानकारी का अनधिकृत उपयोग होना चाहिए (कोको वी देखें। ए. एन. क्लार्क (इंजीनियर) Ltd.[1])। द. " कृत्रिम "20 भेद को अपनाया गया परीक्षण द्वारा दृढ़ता से निरस्त कर दिया गया था।

लॉर्ड गॉफ ऑफ चीवेली इन अटॉर्नी–जनरल वी। गार्जियन न्यूजपेपर लिमिटेड (नंबर 2) 2 1, जिन्होंने कहा था:

" विश्वास का कर्तव्य तब उत्पन्न होता है जब गोपनीय जानकारी किसी व्यक्ति के ज्ञान में आती है. उन परिस्थितियों में जहां उसके पास है

नोटिस, या सहमति व्यक्त की गई है, कि जानकारी गोपनीय है, इस प्रभाव के साथ कि यह सभी परिस्थितियों में होगा कि उसे खुलासा करने से रोका जाना चाहिएदूसरों को जानकारी दें "।

18 प्रिंस अल्बर्ट बनाम देखें। अजीब, (1849) 1 मैक। & जी 25, और एलमर्टन के लॉर्ड ओलिवर, स्पाइकैचर: विश्वास, कॉपीराइट और अवमानना, इज़राइल लॉ रिव्यू (1989) 23 (4), 407 [जैसा कि

फिलिप कोपेल, सूचना अधिकार, कानून और अभ्यास (चौथा संस्करण हार्ट पब्लिशिंग 2014) में भी उद्धृत किया गया है]।

19 [1969] आर. पी. सी. 41 20 कैम्पबेल बनाम मिरर ग्रुप न्यूजपेपर्स लिमिटेड (2004) यूकेएचएल 22 21 (1990) 1 एसी 109 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब भी कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी प्राप्त करता है जिसे वह जानता है या जिसे उसे जानना चाहिए, उसे निष्पक्ष और उचित रूप से गोपनीय माना जाना चाहिए। इसलिए गोपनीय जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। गोपनीयता के रूप में संपत्ति और सार्वजनिक ज्ञान/सार्वजनिक क्षेत्र में

आवश्यक रूप से पहुँच से बाहर होने के कारण, यानी जानकारी आम तौर पर सुलभ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसे गोपनीय नहीं माना जा सकता है। हालांकि, स्व–स्पष्टीकरण या प्रमाणन प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि जानकारी गोपनीय है या नहीं, यह तथ्य के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदन किया जाने वाला परीक्षण एक उचित व्यक्ति का है, यानी जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि एक उचित व्यक्ति इसे गोपनीय माने। सूचना की गोपनीयता का संदर्भ सूचना की गुणवत्ता से भी है, हालांकि यह सूचना गलत या आंशिक रूप से गलत होने पर भी लागू हो सकती है। हालाँकि, जानकारी तुच्छ या बेकार नहीं होनी चाहिए।

संबंध या प्रकृति द्वारा गोपनीय माना जाता है, महत्वपूर्ण 1990 के दशक से न्यायशास्त्र में विकास ने माना है कि

निजता को एक अलग अधिकार और कुछ योग्य के रूप में स्वीकार करना गोपनीयता के उल्लंघन के लिए एक कार्रवाई योग्य दावे के तहत संरक्षित होने के विपरीत अपने दम पर सुरक्षा। निजता की रक्षा करने का दावा, एक में है

अर्थ, व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण का दावा। निजता के अधिकार की प्रगति के साथ, व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने वाले कानून के अंतर्निहित मूल्यों को अलग तरह से देखा जाने लगा क्योंकि अदालतों ने माना कि गोपनीयता के कानून के विपरीत जो सद्भावना के कर्तव्य पर आधारित है, निजता का अधिकार अपने निजी जीवन के बारे में जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का अधिकार और अन्य लोगों के सम्मान और सम्मान का अधिकार प्रदान करके मानव स्वायत्तता और गरिमा की सुरक्षा पर केंद्रित है (देखें–डगलस बनाम में सेडले एलजे। हैलो! लिमिटेड 2)। पी. जे. एस. वी. समाचार

समूह समाचार पत्र Ltd.2[3], यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय ने निजी और पारिवारिक जीवन या गोपनीयता और दावों के आधार पर सम्मान के अधिकार के बीच अंतर किया था।

गोपनीयता पर यह देखते हुए कि कानून गोपनीय मामलों के संबंध में अधिकारों की तुलना में गोपनीयता अधिकारों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। पहले के मामले में, निजी जानकारी के दुरुपयोग का दावा बच सकता है।

22 (2001) क्यूबी 967

23 (2016) यूकेएससी 26 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

भले ही जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में हो क्योंकि इसका बार–बार उपयोग करने से ही उक्त अधिकार का उल्लंघन होता है। निजता के अधिकार को मात्रात्मक और गुणात्मक संरक्षण दोनों का लाभ मिलता है। पहला पहले से किए गए प्रकटीकरण को संदर्भित करता है और जो अभी तक अज्ञात है, जबकि दूसरा सामग्री की गोपनीयता को संदर्भित करता है, जिसका आक्रमण गोपनीयता के अधिकार में एक अवैध घुसपैठ है। गोपनीयता का दावा आम तौर पर तब विफल हो जाता है जब जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में होती है। इसलिए गोपनीयता का कानून न केवल जानकारी से संबंधित है, बल्कि निजी अधिकारों की घुसपैठ और उल्लंघन से भी अधिक संबंधित है। एक उदाहरण का हवाला देते हुए कि कैसे मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन को इस तरह की सामग्री के झूठ को स्थापित करने वाले परीक्षण द्वारा ठीक किया जा सकता है और नुकसान का पुरस्कार दिया जा सकता है, जबकि गोपनीयता के आक्रमण को इसी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है, अदालत ने इस कारण पर प्रकाश डाला था कि जब गोपनीयता के आक्रमण की बात आती है तो किसी आरोप या जानकारी की सच्चाई या झूठ अप्रासंगिक हो सकती है। इसलिए, निजी और पारिवारिक जीवन के आक्रमण से सुरक्षा के दावे केवल गोपनीयता पर निर्भर नहीं करते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) और 11 द्वारा दो अलग–अलग अधिकारों को दिए गए संरक्षण को समझने के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है।

39. जिला पंजीयक और कलेक्टर बनाम। केनरा बैंक 2 4 यह

न्यायालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया था। मिलर 25 के साथ "स्वैच्छिक" विभाजन के सवाल परजानकारी और 'मिलर की आलोचना' शीर्षक के तहत कहा गया थाः

" 48. ..... (ए) मिलर की आलोचना

(i) मिलर में बहुमत ने निर्धारित किया कि एक ग्राहक जिसने अपने मामलों को दूसरे को बता दिया है, उसने अपने गोपनीयता अधिकार खो दिए हैं। प्रो. जनजाति अपने ग्रंथ में बताती है (पी देखें। 1391) कि यह सिद्धांत "खतरनाक प्रवृत्तियों" को प्रकट करता है क्योंकि न्यायालय पुराने सिद्धांत पर वापस चला गया है कि गोपनीयता संपत्ति के संबंध में है जबकि यह निर्धारित किया गया है कि अधिकार संपत्ति के बजाय व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यदि अधिकार को व्यक्ति के साथ संलग्न नहीं किया जाना है, तो "हम अपने खाते की शेष राशि, आय के आंकड़े और व्यक्तिगत टेलीफोन और पता पुस्तिकाओं को जनता की नज़रों से नहीं बचाएंगे, बल्कि इसके बजाय अपने 'माथे या' पर लिखी जानकारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

24 (2005) 1 एससीसी 496

25 425 यूएस 435 (1976)

[2019] 16 एस सी आर।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

हमारे बंपर स्टिकर '। उनका मानना है कि मिलर में अधिकांश लोगों ने "गोपनीयता" को "गोपनीयता" के साथ भ्रमित किया और "यहां तक कि गोपनीयता की उनकी धारणा भी एक रहस्य के लिए अजीब है।"यह तब भी एक रहस्य बना रहता है जब उन लोगों के साथ साझा किया जाता है जिन्हें कोई अपने विश्वास के लिए चुनता है। हमारे चेक हैं

न केवल परक्राम्य साधन बल्कि फिर भी दुनिया यह जानकर हमारे बारे में बहुत कुछ सीख सकती है कि हमने अपना पैसा कैसे और किसके साथ खर्च किया है। जब हम टेलीफोन का उपयोग करते हैं या पत्र पोस्ट करते हैं तो भी यही स्थिति होती है। यह कहना कि बैंक खाता खोलने से बहुत अधिक जोखिम होता है

यह एक गलत निष्कर्ष प्रतीत हुआ। प्रो. जनजाति एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछती है (पृ. 1392):

' फिर भी शायद ही किसी को ऐसे संदर्भ में निगरानी का जोखिम माना जा सकता है जहां, एक व्यावहारिक मामले के रूप में,

किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। केवल सबसे प्रतिबद्ध और शायद सभ्य रूप से प्रतिबद्ध–संन्यासी ही टेलीफोन के बिना, बैंक खाते के बिना, डाक के बिना रह सकते हैं। यह कहना कि जब कोई टिकट चाटता है तो मिठाई के साथ एक कड़वी गोली लेनी चाहिए, वास्तव में समकालीन समाज में रहने के लिए एक उच्च संवैधानिक कीमत चुकाना है।

वह निष्कर्ष निकालता है (पृ. 1400):

' हमारे सूचना–घने तकनीकी युग में, जब हम जी रहे हैं

अनिवार्य रूप से चौदहवें संशोधन के अनुसार न केवल सूचनात्मक पदचिह्न बल्कि स्वयं के कुछ हिस्सों को असंख्य निर्देशिकाओं, फाइलों, अभिलेखों और कंप्यूटरों में छोड़ना आवश्यक है।

व्यक्तियों के पास यह कहने की कुछ शक्ति नहीं थी कि उस जानकारी और उन विश्वासों का उपयोग कब और कैसे और किसके द्वारा किया जाना था, यह उस केंद्रीय भूमिका को बदनाम करने के लिए होगा जो स्वयं की किसी भी विकसित अवधारणा में सूचनात्मक स्वायत्तता को निभानी चाहिए।प्रो. येल कामिसार (प्रो. जनजाति द्वारा फिर से उद्धृत) (पी।

1392) कहते हैंः

' ऐसा लगना शुरू हो गया है जैसे कि हमारे समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति 'जोखिम लेने' से बच सकता है कि विभिन्न मध्यवर्ती संस्थान लोगों को जानकारी प्रकट करेंगे।पुलिस कठोर अनुशासन में संलग्न है, अधिनायकवादी शासनों के तहत जीवन का अनुशासन। '.....

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

इसके बाद, यह देखा गया कि वित्तीय गोपनीयता का अधिकार अधिनियम, 1978 के अधिनियमन के साथ 'मिलर' के कानूनी प्रभाव को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया था।

40. निजता के अधिकार की हालांकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से गारंटी नहीं दी गई है, अब इसे एक बुनियादी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है

के. एस. पुट्टास्वामी में संवैधानिक पीठ के निर्णय के माध्यम से औरएक अन्य वी। भारत संघ और अन्य 2 का मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है।

उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला। फैसला यह मानता है कि हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ कानूनों की सुरक्षा का अधिकार है या हमला करते हैं।

41. के. एस. पुट्टास्वामी (उपरोक्त) में मुख्य निर्णय (जे. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित) में आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है ताकि इस बात पर प्रकाश डाला जा सके कि निजता का अधिकार निम्न में निहित है –

संविधान के भाग III में संवैधानिक स्थिति, इस प्रकार एक कसौटी प्रदान करती है जिस पर कार्यकारी निर्णयों की वैधता का आकलन किया जा सकता है और कानूनों की वैधता को अदालतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक समीक्षा द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह अवलोकन संवैधानिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार की स्थिति और महत्व पर प्रकाश डालता है। विद्वान न्यायाधीशों (आर. एफ. नरीमन और संजय किशन कौल, जे. जे.) के दो सहमत निर्णयों में दर्ज अनुपात। समान हैं। यह देखा गया है कि गोपनीयता में किसी व्यक्ति का अपने भौतिक शरीर का अधिकार शामिल है; सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार जो

डी. ब्रांड व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने के किसी व्यक्ति के अधिकार पर है और यह कि किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी तक पहुंच को सीमित करने/ऐसी जानकारी को अनुचित पहुंच से बचाने का अधिकार है। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञान उस व्यक्ति पर एक और शक्ति देता है, जैसे26 (2017) 10 एससीसी 1 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने और व्यवहार को आकार देने में सक्षम है जो हो सकता है

असहमति की अभिव्यक्ति पर अपमानजनक प्रभाव जो लोकतंत्र की आधारशिला है। उक्त सहमति वाले फैसले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है

कि प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से नुकसान पहुँचाने से बचाने का अधिकार न केवल झूठ के खिलाफ बल्कि कुछ सत्यों के खिलाफ भी उत्साहपूर्वक रक्षा करने की आवश्यकता हैः

" 623. एक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अधिकार है

अनुचित रूप से नुकसान पहुँचाया गया और प्रतिष्ठा की ऐसी सुरक्षा न केवल झूठ के खिलाफ बल्कि कुछ सत्यों के खिलाफ भी मौजूद होनी चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों के बारे में अधिक सटीक निर्णय हो सकता है

अपने जीवन के बारे में निजी विवरण जानने से सुविधा होती है–लोग हमें बुरी तरह से आंकते हैं, वे हमें जल्दबाजी में आंकते हैं, वे संदर्भ से बाहर निकालते हैं, वे पूरी कहानी सुने बिना न्याय करते हैं और वे पाखंड के साथ न्याय करते हैं। निजता लोगों को इनसे खुद को बचाने में मदद करती है।

परेशान करने वाले निर्णय "। 27

42. गोपनीयता, जिसे के. एस. पुट्टास्वामी (ऊपर) में समान रूप से मनाया जाता है, स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक है। इसलिए, व्यक्तियों की आवश्यकता है उनके व्यक्तित्व और परिवार के लिए एक घुसपैठ–मुक्त क्षेत्र को संरक्षित करना। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण के सवाल पर, मुख्य निर्णय में तीन गुना आवश्यकता का उल्लेख किया गया है– (i) वैधता, जो कानून के अस्तित्व (आर. टी. आई.) को स्वीकार करती है।

वर्तमान मामले में अधिनियम); (ii) आवश्यकता, जिसे एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है; और (iii) आनुपातिकता, जो उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है। हम देखेंगे कि तीसरी आवश्यकता वर्तमान मामले में आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) और 11 द्वारा प्राप्त की गई है और आर. टी. आई. अधिनियम को इस आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता है। आर. टी. आई. अधिनियम वैध उद्देश्य को भी परिभाषित करता है, जो कि एक

जानकारी के प्रसार में सार्वजनिक हित जो गोपनीय या निजी हो सकता है (या एक प्रत्ययी संबंध में आयोजित) जब प्रकटीकरण में बड़ा सार्वजनिक हित या सार्वजनिक हित तीसरे पक्ष के हित के लिए सुरक्षा या किसी भी संभावित नुकसान या क्षति से अधिक है।

43. गोपनीयता और गोपनीयता में पहचान और गुमनामी की रक्षा करने के अधिकार सहित कई अधिकार शामिल हैं। अनामिकता वह जगह है जहाँ कोई व्यक्ति पहचान से स्वतंत्रता चाहता है, तब भी जब वह सार्वजनिक स्थान पर हो। के. एस. पुट्टास्वामी (ऊपर) में संदर्भ दिया गया है।

27 डेनियल सोलोवः " 10 गोपनीयता क्यों मायने रखती है "20 जनवरी 2014 को प्रकाशित और यहाँ उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. गोपनीयता सिखाएँ।

कॉम/10–कारण–गोपनीयता–मामले/सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

स्पेंसर वी। आर. 28 जिसने सूचनात्मक गोपनीयता के तीन प्रमुख तत्वों को निर्धारित किया थाः गोपनीयता को गोपनीयता के रूप में, गोपनीयता को नियंत्रण के रूप में और गोपनीयता को गुमनामी के रूप में, पालन करने के लिएः

" 214. [.....] गुमनामी, समग्रता के आधार पर हो सकता है

परिस्थितियों, एक गोपनीयता हित की नींव हो कि

अनुचित खोज के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है और

कब्ज़ा करना।

XX

XX

XX

[.....] इस जानकारी का खुलासा अक्सर होगाअंतरंग या संवेदनशील गतिविधियों वाले उपयोगकर्ता की पहचान

ऑनलाइन किया जाता है, आमतौर पर इस समझ पर कि ये

गतिविधियाँ अनाम होंगी। एक पुलिस अधिकारी का अनुरोध है कि

ढूँढें "।गोपनीयता और गोपनीयता, इसलिए, के बारे में जानकारी शामिल है

एक की पहचान।

44. के. एस. पुट्टास्वामी (ऊपर) में, यह देखा गया है कि कनाडाई

स्पेंसर (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय ने नाम न छापने के पूर्ण अधिकार को मान्यता देना बंद कर दिया था, लेकिन 1982 के कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स के प्रावधानों का उपयोग अधिनियम के दायरे का विस्तार करने के लिए किया था।निजता का अधिकार, पारंपरिक रूप से व्यक्तियों को उनके संपत्ति अधिकारों के आक्रमण से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति की "निजता की उचित अपेक्षा" के लिए। फिर भी न्यायालय ने कहा है कि एक अनुच्छेद 2,9 का उल्लेख करने के बाद राज्य की वैध चिंताओं के साथ गोपनीयता की आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक संतुलन होना चाहिए जिसमें यह कहा गया था किः

निर्दोष लोगों से व्यक्तिगत जानकारी "।45. 'उचित अपेक्षाएँ' शीर्षक वाले एक लेख का उल्लेख करते हुए

जेफरी एम. स्कोपेक द्वारा लिखित अनामता '30 में यह देखा गया है कि एक ओर गुमनामी और दूसरी ओर गोपनीयता के बीच अंतर किया गया है क्योंकि गोपनीयता में जानकारी छिपाना शामिल है जबकि गुमनामी शामिल है।

28 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैन एस. सी. 34: (2014) 2 एस. सी. आर 212: 2014 एससीसी 4329 रिचर्ड ए. पॉसनर, "गोपनीयता, निगरानी और कानून", द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ रिव्यू (2008), वॉल्यूम। 75 , 251 .

30 वर्जीनिया लॉ रिव्यू (2015), वॉल्यूम। 101 , पीपी में। 691–762 .

इसमें एक उदाहरण देकर उसे छिपाना शामिल है जो इसे व्यक्तिगत बनाता है कि एक रोगी के चिकित्सा रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना एक आक्रमण के बराबर होगाजबकि एक राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारी को समझने और उससे निपटने और आबादी पर गंभीर प्रभाव को रोकने के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में वैध रुचि हो सकती है। अगर

व्यक्ति/रोगी की अनामता संरक्षित है, यह वैध रूप से होगा

सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण में राज्य के वैध हित का दावा करना।

46. वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए, हम गुमनामी के अधिकार के विशिष्ट अर्थों से संबंधित नहीं हैं और

इससे जुड़े प्रतिबंध/सीमाएँ। आर. टी. आई. अधिनियम के संदर्भ में, यह कहना पर्याप्त होगा कि पहचान और गुमनामी की रक्षा करने का अधिकार

समान रूप से जनहित परीक्षण के अधीन होगा।47. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) का खंड (जे) विशेष रूप से किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार पर आक्रमण को संदर्भित करता है।

और ऐसी जानकारी को प्रकटीकरण से बाहर करता है जो ऐसे व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनती है, जब तक कि प्रकटीकरण संतुष्ट न हो।

वृहत लोकहित परीक्षा। यह खंड व्यक्तिगत जानकारी के अपने उपचार में भी अंतर करता है, जिसके तहत ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को छूट दी जाती है यदि ऐसी जानकारी का जनता से कोई संबंध नहीं है।

गतिविधि या रुचि। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि उनकेइस छूट को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने 'सूचना' शब्द को सार्वजनिक जानकारी से अलग माना है, जिसका खुलासा होने पर गोपनीयता पर आक्रमण होगा, जिसका अर्थ व्यक्तिगत जानकारी होगा। इस पहलू पर बाद के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

48. ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 8 वें संस्करण के अनुसार, यह शब्द

' व्यक्तिगत 'किसी व्यक्ति को प्रभावित करने या प्रभावित करने के साधन या

व्यक्तिगत संपत्ति '। कोलिन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में 'पर्सनल' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 1. किसी व्यक्ति के जीवन के निजी पहलुओं का या उनसे संबंधित।

2. किसी व्यक्ति के शरीर, उसकी देखभाल या उससे संबंधित

उपस्थिति।

3. किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित या उसके लिए अभिप्रेत और नहीं

एक और।

4. स्वयं एक व्यक्ति द्वारा लिया गया।

5. किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व, अंतरंग मामलों, आदि का उल्लेख, संबंधित, या शामिल करना, विशेष रूप से। आक्रामक तरीके से।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

7. व्यक्तित्व का या उससे उत्पन्न होना।8. व्याकरणिक व्यक्ति का या उससे संबंधित, या उसे निरूपित करना।

9. चल संपत्ति (कानून) का या उससे संबंधित।

10. चल संपत्ति (कानून) की एक वस्तु।

49. पेक वी में। यूनाइटेड किंगडम 3 1, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने माना था कि निजी जीवन एक व्यापक शब्द है जिसके लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैसंपूर्ण परिभाषा लेकिन इसमें अन्य मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करने और विकसित करने का अधिकार शामिल है जैसे कि एक क्षेत्र है

सार्वजनिक संदर्भ में भी दूसरों के साथ किसी व्यक्ति की बातचीत, जो निजी जीवन के दायरे में आ सकती है। किसी व्यक्ति के निजी जीवन के मान्यता प्राप्त पहलुओं में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य, जातीयता, व्यक्तिगत संबंध, यौन आचरण, धार्मिक या दार्शनिक विश्वास और व्यक्तिगत छवि शामिल हैं। इन पहलुओं को संवेदनशील व्यक्तिगत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

यूनाइटेड किंगडम में लागू डेटा संरक्षण अधिनियम, 2018 के अर्थ के भीतर डेटा।

50. ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम बनाम में ग्लीसन सी. जे.

लेना गेम मीट्स पीटीवाई लिमिटेड 3 2 ने सार्वजनिक और निजी जानकारी के बीच निम्नलिखित तरीके से अंतर किया थाः

" एक गतिविधि केवल इसलिए निजी नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती है। किसी अधिनियम को निजी बनाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह निजी उचित संपत्ति पर होता है, इसलिए इसे सार्वजनिक दृष्टि से इस तरह की सुरक्षा मिलती है जैसे कि संपत्ति की विशेषताएँ, संपत्ति के मालिक को वहन करने के लिए जोड़ती हैं। कुछ प्रकार की जानकारी

किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कि स्वास्थ्य, व्यक्तिगत संबंधों या वित्त से संबंधित जानकारी को निजी के रूप में पहचानना आसान हो सकता है, जैसा कि कुछ प्रकार की गतिविधि हो सकती है जो एक उचित व्यक्ति, नैतिकता और व्यवहार के समकालीन मानकों को लागू करते हुए, करेगा।

यह समझें कि इसका मतलब गैर–निरीक्षित होना है। यह आवश्यकता कि सूचना या आचरण का प्रकटीकरण या अवलोकन सामान्य संवेदनाओं वाले एक उचित व्यक्ति के लिए अत्यधिक आक्रामक होगा, कई परिस्थितियों में एक उपयोगी व्यावहारिक परीक्षण है कि क्या है

निजी "।

331 (2003) ई. एम. एल. आर. 1532 (2001) 185 एएलआर 1 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संवेदनाएँ जिन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों की कुछ रिपोर्टिंग की उम्मीद करनी चाहिए। जिस मन की जांच की जानी चाहिए वह सामान्य रूप से पाठक का नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का है जो अपनी जानकारी के प्रचार/प्रसार से प्रभावित होता है। सवाल यह है कि सामान्य संवेदनाओं वाला एक समझदार व्यक्ति क्या महसूस करेगा यदि वह इस तरह के प्रचार के अधीन है। केवल तभी जबप्रचार ऐसा है कि एक उचित व्यक्ति गंभीर रूप से व्यथित महसूस करने में उचित महसूस करेगा कि गोपनीयता के अधिकार में आक्रमण होगा जो कार्रवाई के कारण को जन्म देता है।

52. डगलस (ऊपर) में, यह भी माना गया था कि गोपनीयता के विभिन्न स्तर हैं जो दी गई जानकारी के लिए समान रूप से सही होंगे।

गोपनीयता में, और नुकसान पहुँचाने के लिए जानकारी के प्रकटीकरण की संभावना एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए

निजता के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबंध की सीमा का मूल्यांकन।

53. जबकि खंड (जे) दो प्रकार की जानकारी के प्रकटीकरण को छूट देता है, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 47 में उल्लेख किया गया है, वह है "व्यक्तिगत जानकारी" जिसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है और "जानकारी" जिसे गोपनीयता के अनुचित आक्रमण को रोकने के लिए प्रकटीकरण से छूट दी गई है, इस न्यायालय ने इस बात को रेखांकित नहीं किया है, जैसा कि नीचे देखा जाएगा, ऐसी विशिष्टता और व्यक्तिगत जानकारी को इससे छूट दी गई है। प्रकटीकरण यदि ऐसा प्रकटीकरण गोपनीयता अधिकारों के संतुलन पर आक्रमण करता है,

इस प्रकार पूर्व प्रकार की जानकारी को बाद वाले प्रकार से जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसी जानकारी, जिसका खुलासा होने पर गोपनीयता अधिकारों पर अनुचित आक्रमण हो सकता है, का मतलब व्यक्तिगत जानकारी होगी, जिसका सार्वजनिक जानकारी के साथ सह–संबंध नहीं है।

54. गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम। केंद्रीय जानकारी

आयुक्त और अन्य 3 4, आवेदक ने सभी की प्रतियां मांगी थीं

33 (2004) यूकेएचएल 22

34 (2013) 1 एस. सी. सी. 212 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

एक सरकारी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से ज्ञापन, कारण दर्शाएँ नोटिस और निंदा/सजा दी जाती है और उसके बारे में भी विवरण दिया जाता है।चल/अचल संपत्तियाँ, निवेश का विवरण, ऋण और वित्तीय संस्थानों से उधार, कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से स्वीकार किए गए उपहारों का विवरण।

अपने बेटे की शादी। इस संदर्भ में यह देखा गयाः

" 12. हम सी. आई. सी. और निचली अदालतों से सहमत हैं।

कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए विवरण यानी सभी ज्ञापनों की प्रतियां

तीसरे प्रत्यर्थी को कारण दर्शाएँ नोटिस और आदेश जारी किए गएनिंदा/सजा आदि व्यक्तिगत होने के योग्य हैं।

आर. टी. आई. की धारा 8 (1) के खंड (जे) में परिभाषित जानकारी

एक्ट करें। एक संगठन में एक कर्मचारी/अधिकारी का प्रदर्शन यह मुख्य रूप से कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला है।

और आम तौर पर वे पहलू सेवा नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं

जो "व्यक्तिगत जानकारी" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है,

जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है या

व्यक्तिगत। बेशक, किसी मामले में, अगर केंद्रीय जनता सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या

अपीलीय प्राधिकरण संतुष्ट है कि व्यापक लोक हित

ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है, उचित आदेश देता है

पारित किया जा सकता है लेकिन याचिकाकर्ता उन विवरणों का दावा नहीं कर सकता है

अधिकार की बात।

13. किसी व्यक्ति द्वारा अपने आयकर विवरण में बताए गए विवरण

"व्यक्तिगत जानकारी" हैं जो प्रकटीकरण से मुक्त हैं

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के खंड (जे) के तहत, जब तक कि इसमें शामिल न हो।

एक व्यापक लोक हित और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण

संतुष्ट है कि व्यापक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण को उचित ठहराता है

ऐसी जानकारी "।

(जोर दिया गया)

55. केनरा बैंक बनाम। सी. एस. श्याम और अन्य 3 5, द

आवेदक ने व्यक्तिगत कर्मचारियों के विवरण के साथ लिपिक कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में मापदंडों पर जानकारी मांगी थी, जैसे कि उनके शामिल होने की तारीख, पदोन्नति अर्जित, शाखा में शामिल होने की तारीख,35 (2018) 11 एससीसी 426 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिन अधिकारियों ने स्थानांतरण पत्र आदि पोस्ट किए थे। माँगी गई जानकारी को व्यक्तिगत प्रकृति की घोषित किया गया था, जिसे आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत सशर्त प्रकटीकरण से छूट दी गई थी।

56. सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य, आवेदक (जो इस मामले में प्रतिवादी भी है)वर्तमान अपील) ने उच्चतम न्यायालय के व्यक्तिगत न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं के विवरण से संबंधित जानकारी मांगी थी, जिसमें पिछले तीन वर्षों में भारत और विदेश में निजी उपचार से संबंधित जानकारी भी शामिल थी। इस अदालत ने माना था कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी 'व्यक्तिगत' जानकारी थी और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत संरक्षित थी, प्रकटीकरण के लिए गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण होगा जो प्रतिबंध लागू नहीं होगा जहां व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है।

57. आर. के. जैन बनाम भारत संघ और अन्य 3 7, आवेदक ने वार्षिक गोपनीयता से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने की मांग की थी।

सीमा शुल्क और सेवा कर के सदस्य की रिपोर्ट (एसीआर)

अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) और ए. सी. आर. के आधार पर अधिकारियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई। माँगी गई जानकारी को व्यक्तिगत जानकारी के रूप में माना जाता था, जिसे सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों को छोड़कर, प्रकट नहीं किया जा सकता था। यह देखा गया कि ऐसे मामलों में आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस मामले को व्यापक जनहित के पहलू की जांच करने और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए भेजा गया था, जिसे अनिवार्य माना गया था।

58. आदित्य बंदोपाध्याय का भी उल्लेख किया जा सकता है।

(ऊपर), जैसा कि पैराग्राफ 32 में पहले चर्चा की गई है, जहां इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक न्यासी उस लाभार्थी से जानकारी नहीं रोक सकता है जिसके लाभ में वह ऐसी जानकारी रखता है, वह लाभार्थी का कर्तव्य है कि वह किसी और को इसका खुलासा न करे। न्यायालय की यह व्याख्या आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के खंड (जे) के तहत निजता के अधिकारों के साथ जानने के अधिकार को समान रूप से जोड़ती है।

59. हमारी राय में, उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि नाम, पता, भौतिक सहित व्यक्तिगत रिकॉर्ड,

मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति, प्राप्त अंक, ग्रेड और उत्तर पुस्तिका, सभी को व्यक्तिगत जानकारी के रूप में माना जाता है। इसी तरह, पेशेवर

36 (2018) 11 एस. सी. सी. 634

37 (2013) 14 एस. सी. सी. 794 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

योग्यता, प्रदर्शन, मूल्यांकन रिपोर्ट, एसीआर, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि सहित रिकॉर्ड सभी व्यक्तिगत जानकारी हैं। चिकित्सकीयअभिलेख, उपचार, दवा का चयन, दौरा किए गए अस्पतालों और डॉक्टरों की सूची, दर्ज किए गए निष्कर्ष, परिवार के सदस्यों सहित,

परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ, आयकर विवरण, निवेश, ऋण और उधार आदि से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है। ऐसी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीयता के अनुचित आक्रमण से सुरक्षा का हकदार है और जब व्यापक सार्वजनिक हित की शर्त पूरी हो जाती है तो सशर्त पहुंच उपलब्ध होती है। यह सूची सूचक है और संपूर्ण नहीं है।

60. अरविंद केजरीवाल बनाम। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

और अन्य 3 8, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 की निम्नलिखित तरीके से जांच और व्याख्या की थी:

" 12. धारा 11 (1), (2), (3) और (4) प्रक्रियात्मक प्रावधान हैं जिनका पी. आई. ओ./अपीलार्थी प्राधिकारी द्वारा अनुपालन किया जाना है।

जब उन्हें उक्त परीक्षण को लागू करने और यह निष्कर्ष देने की आवश्यकता होती है कि क्या जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं। अगर कहा गया पहलू ध्यान में रखा जाता है, हमें लगता है कि कोई कठिनाई नहीं होगी

धारा 11 (1) और तथाकथित कठिनाइयों की व्याख्या करने में याअपीलार्थी द्वारा बताई गई निष्पक्षता वाष्पित हो जाएगी और

एक कानून में नियोजित भाषा से जो आम तौर पर है निर्धारक कारक। अनुमान यह है कि विधायिका ने

उसने बताया कि वह क्या कहना चाहता था और उसने कोई गलती नहीं की है। (प्रकाश नाथ खन्ना बनाम सी. आई. टी., (2004) 9 एस. सी. सी. 686; और कई देखें।

बी. प्रेमानंद और ओआरएस में उद्धृत उच्चतम न्यायालय के निर्णय।

क्या उक्त जानकारी को गोपनीय माना जाता है या हो सकता है तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है। यदि उत्तर सकारात्मक या "शायद हाँ" के संभावित क्षेत्र में है, तो निर्धारित करने के लिए धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

क्या व्यापक लोकहित के लिए इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता है। जब जानकारी को स्वयं या प्रत्यक्ष रूप से गोपनीय नहीं माना जा सकता है,

38 आकाशवाणी 2012 दिल्ली 29 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तब धारा 11 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना है। किसी तीसरे पक्ष से संबंधित या प्रस्तुत की गई सभी जानकारी को विभिन्न कारणों से गोपनीय रखने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है या प्रचलन में है, तीसरे पक्ष का अधिकार प्रभावित नहीं है या कानून द्वारा खुलासा करने की आवश्यकता है आदि। उपरोक्त व्याख्या अपीलार्थी द्वारा देखी गई कठिनाइयों जैसे कि परीक्षा में प्राप्त अंकों, बी. पी. एल. परिवारों की सूची आदि का ध्यान रखती है। ऐसे मामलों में, आम तौर पर गोपनीयता का अनुरोध या

गोपनीयता उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि उक्त सूची या तो बनाई गई है

सार्वजनिक, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है या पहले से ही विभिन्न तीसरे पक्षों को प्रसारित किया जा चुका है। दूसरी ओर, यदि "या" शब्द को "और" के रूप में पढ़ा जाता है, तो यह किसी तीसरे पक्ष की गोपनीयता/गोपनीयता के अधिकार पर आक्रमण सहित कठिनाइयों और समस्याओं का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास तीसरे व्यक्ति से संबंधित अपने रिकॉर्ड, चिकित्सा रिपोर्ट या पर्चे हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं। अगर

अपीलार्थी द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी जानकारी को धारा 11 (1) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सूचना चाहने वाले को प्रकट किया जा सकता है क्योंकि जानकारी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत या प्रदान नहीं की गई थी।

इस तरह के उदाहरणों को कई गुना किया जा सकता है। इसके अलावा, इंगित की गई कठिनाइयाँ और विसंगतियाँ तब भी उत्पन्न हो सकती हैं जब "या" शब्द को "के रूप में पढ़ा जाता है" और "उन मामलों में जहां जानकारी तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए, बी. पी. एल. परिवार के रूप में नामांकित होने के लिए,हो सकता है कि यह जानकारी तीसरे पक्ष द्वारा दी गई हो जो बी. पी. एल. परिवारों की सूची में है। इसलिए, उचित और उचित

धारा 11 (1) की व्याख्या करने का तरीका परंतुक द्वारा निर्धारित परीक्षण को ध्यान में रखना है। इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या

जानकारी को गोपनीय प्रकृति की माना जा सकता है, यदि यह किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस तरीके से पढ़ें, जब जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित हो और इसे प्रथम दृष्टया माना और माना जा सकता है

गोपनीय, धारा 11 (1) के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसी तरह, मामले में जानकारी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई है और उक्त तीसरे पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया माना गया है

गोपनीय, फिर से धारा 11 (1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।XX

XX

XX सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

16. इस प्रकार, धारा 11 (1) दो परिस्थितियों को अभिनिर्धारित करती है जब प्रक्रिया का पालन किया जाना है। सबसे पहले जब जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित हो और इसे प्रथम दृष्टया गोपनीय माना जा सकता होक्योंकि यह तीसरे पक्ष की निजता के अधिकार को प्रभावित करता है। दूसरी स्थिति तब होती है जब किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को जानकारी प्रदान की जाती है और दी जाती है और प्रथम दृष्टया जानकारी प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष ने उक्त जानकारी को गोपनीय माना है। धारा 11 (1) में दी गई प्रक्रिया

यह दोनों मामलों में लागू होता है।

61. हम स्पष्ट करेंगे कि धारा 11 केवल प्रक्रियात्मक नहीं है

लेकिन यह भी एक ठोस प्रावधान है जो तब लागू होता है जब पी. आई. ओ. ऐसी जानकारी का खुलासा करने का इरादा रखता है जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या जिसे किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किया गया है और जिसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है। इसकी आवश्यकता हैपी. आई. ओ. तीसरे पक्ष को नोटिस जारी करेगा जो लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है, जिसे निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 11 (1) का प्रावधान कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों को छोड़कर सभी मामलों में लागू होता है। उल्लेखनीय है कि व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि सहित जानकारी खंड द्वारा नियंत्रित होती है।

(घ) आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) और धारा 9 तक। अन्य सभी मामलों में जहां जानकारी संबंधित है या द्वारा प्रदान की गई है

तीसरे पक्ष को और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माने जाने पर, परंतुक के संदर्भ में प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है जहां प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित तीसरे पक्ष के हित को किसी भी संभावित नुकसान या क्षति के महत्व से अधिक है। गोपनीयता को कानून में संरक्षित और संरक्षित किया जाता है क्योंकि सार्वजनिक हित में इस तरह के संरक्षण की आवश्यकता होती है। यह प्रतिशोध के डर के बिना स्वतंत्र संचार में मदद करता है और बढ़ावा देता है। हालांकि,

गोपनीयता की रक्षा में सार्वजनिक हित तीन प्रसिद्ध अपवादों के अधीन है। पहला अपवाद अन्याय के प्रकटीकरण में एक सार्वजनिक हित है क्योंकि गलत काम से जुड़ी गोपनीयता का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। दूसरा, जब जनता को गुमराह किया गया हो तो कोई जनहित नहीं हो सकता। तीसरा, गोपनीयता का सिद्धांत तब लागू नहीं होता है जब खुलासा सार्वजनिक चिंता के मामलों से संबंधित होता है, जो अभिव्यक्ति जनता की जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए समाचार मूल्य या समाचार से बहुत अलग होती है। सार्वजनिक सरोकार उन मामलों से संबंधित है जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग हैं और इसके बारे में सच्चाई और निष्पक्ष टिप्पणी के लिए सभी का अधिकार है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं जहाँ गोपनीयता बनाए रखने में सार्वजनिक हित प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित से अधिक हो सकता है और इस प्रकार, सामान्य कानून में, इसे अदालतों द्वारा गोपनीय जानकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये पहलू होंगेआर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1) के प्रावधान के तहत प्रासंगिक।

62. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1) का प्रावधान एक वैधानिक प्रावधान है।

तीन अपवादों और उससे अधिक की मान्यता जब इसमें जनहित परीक्षा शामिल होती है। इसमें कहा गया है कि जानकारी, जिसे अन्यथा गोपनीय माना जाता है, का खुलासा किया जा सकता है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे तीसरे पक्ष के हित को संभावित नुकसान और क्षति से अधिक है। 'तृतीय पक्ष' शब्द को धारा 2 के खंड (एन) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति और इसमें एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है। इस प्रकार, धारा 11 के तहत 'सूचना' का दायरा धारा 8 (1) के खंड (जे) की तुलना में बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी शामिल हो सकती है जो व्यक्तिगत होने के साथ–साथ सरकार और उसके कामकाज से संबंधित जानकारी भी हो सकती है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसे

प्रदान किया जाता है और जिसे गोपनीय माना जाता है। तीसरे पक्ष में जनता सहित कोई भी व्यक्ति, प्राकृतिक या न्यायिक इकाई शामिल हो सकती है।

प्राधिकरण।

63. व्यक्तिगत जानकारी के मामले में गोपनीयता और गोपनीयता के अधिकार के साथ इसके सह–संबंध और जनहित परीक्षण के आधार पर उसी के प्रकटीकरण पर ऊपर चर्चा की गई है। अब हम सरकार से संबंधित जानकारी की गोपनीयता और उसके आंतरिक कामकाज से संबंधित जानकारी और ऐसी जानकारी का खुलासा करने में जनहित परीक्षण को लागू करने में दृष्टिकोण में अंतर को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अन्य गोपनीय/व्यक्तिगत के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के विपरीत है।

जानकारी दी। सरकारी जानकारी के संबंध में इस तरह के न्यायिक भेद का कारण अटॉर्नी जनरल (यूके) v में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। हेइनमैन पब्लिशर्स पीटीवाई Ltd.39 जिसमें उच्च न्यायालयऑस्ट्रेलिया ने देखा थाः

" [.....] आधुनिक राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंध

यह निजी नागरिकों के बीच मौजूद नियमों से इतना अलग है कि संविदात्मक, संपत्ति, वाणिज्यिक और निजी विश्वास को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियम पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं।

जहाँ वादी सरकार या उसकी अभिकरणों में से एक है। निजी नागरिकों को अपने हितों की रक्षा करने या उन्हें आगे बढ़ाने का अधिकार है।

[जबकि] सरकारें जनहित में कार्य करती हैं, या सभी घटनाओं में संवैधानिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। जन हित को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों, उनके विभागों और एजेंसियों द्वारा जानकारी रखी जाती है, प्राप्त की जाती है और प्रदान की जाती है। इसलिए, सार्वजनिक और निजी हित वह मानदंड होना चाहिए जिसके द्वारा इक्विटी यह निर्धारित करती है कि क्या यह उन सूचनाओं की रक्षा करेगी जिनके बारे में सरकार या सरकारी निकाय दावा करते हैं कि वे गोपनीय हैं।

39 (1987) 10 एनएसडब्ल्यूएलआर 86, 191 पर।

ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने इससे पहले राष्ट्रमंडल बनाम. फेयरफैक्स एंड संस Ltd.40 ने देखाः

" सवाल यह है कि जब कार्यकारी सरकार इक्विटी द्वारा दिए गए संरक्षण की मांग करती है, तो यह हैः इसे किस नुकसान की आवश्यकता है

निजी हित के मानकों के अनुसार नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि इक्विटी सरकार के हाथों में जानकारी की रक्षा नहीं करेगी, लेकिन यह कहना है कि जब इक्विटी सरकारी जानकारी की रक्षा करती है तो यह मामले को अलग–अलग चश्मे से देखेगी। यह नागरिक के लिए पर्याप्त नुकसान हो सकता है कि उसके मामलों से संबंधित जानकारी का खुलासा उसके कार्यों को सार्वजनिक चर्चा और आलोचना के लिए उजागर करेगा। लेकिन यह शायद ही प्रासंगिक हो सकता है।

सरकार से संबंधित जब उस जानकारी का एकमात्र दोष हैयह जनता को सरकारी कार्रवाई पर चर्चा करने, समीक्षा करने और आलोचना करने में सक्षम बनाता है।

तदनुसार, अदालत जनहित के संदर्भ में गोपनीयता के लिए सरकार के दावे का निर्धारण करेगी। जब तक कि

प्रकटीकरण से जनहित को नुकसान पहुँचने की संभावना है, इसकी रक्षा नहीं की जाएगी।

अदालत उन सूचनाओं के प्रकाशन को नहीं रोकेगी जो केवल सरकार के पिछले कार्यों पर प्रकाश डालती हैं, भले ही वह सार्वजनिक संपत्ति न हो, जब तक कि वह अन्य मामलों में समुदाय को पूर्वाग्रहित नहीं करती है। तब प्रकटीकरण स्वयं ही समुदाय को सूचित रखने में सार्वजनिक हित की सेवा करेगा। सार्वजनिक मामलों की चर्चा को बढ़ावा देना। हालाँकि, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों के साथ संबंधों या सामान्य व्यवसाय के कारण खुलासा सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा

30) 147 सी. एल. आर. 39 51 पर।

सरकार का पूर्वाग्रह होगा, प्रकटीकरण पर अंकुश लगाया जाएगा।

ऐसे मामले होंगे जिनमें परस्पर विरोधी विचारों को अच्छी तरह से संतुलित किया जाएगा, जहां यह तय करना मुश्किल होगा कि जनता की रुचि जानने और अपनी राय व्यक्त करने में है या नहीं।

गोपनीयता की रक्षा करने की आवश्यकता से अधिक है "।

उपरोक्त सिद्धांतों को यूनाइटेड किंगडम की अदालतों द्वारा भी दोहराया गया है और उन पर भरोसा किया गया है [कोको (सुप्रा), अटॉर्नी देखें।

जनरल वी. जोनाथन केप Ltd.4[1]। गार्जियन न्यूजपेपर्स (ऊपर) में,

किन्केल के लॉर्ड कीथ ने कहा थाः

" क्राउन की स्थिति, निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती हैहालाँकि, देश की सरकार को विशेष माना जा सकता है। कुछ मामलों में गोपनीय जानकारी का खुलासा

क्राउन के किसी सेवक को सौंपे जाने के परिणामस्वरूप जनता को वित्तीय नुकसान हो सकता है। अन्य उदाहरणों में इस तरह के प्रकटीकरण उचित सरकारी उद्देश्यों की कुशल प्राप्ति में बाधा डालकर सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और रक्षा या खुफिया रहस्यों का खुलासा निश्चित रूप से उस श्रेणी में आता है। हालाँकि, क्राउन, समग्र रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण से आहत होने में सक्षम कोई निजी जीवन या व्यक्तिगत भावनाएँ नहीं है। जहाँ तक क्राउन इस तरह के प्रकटीकरण को रोकने या गोपनीयता के आधार पर इसके लिए निवारण की मांग करने के लिए कार्य करता है, यह आवश्यक रूप से, मेरी राय में, यह दिखाने की स्थिति में होना चाहिए कि प्रकटीकरण से सार्वजनिक हित को नुकसान होने या नुकसान होने की संभावना है। यह दिखाने के लिए क्राउन को कितनी दूर जाना है, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। स्वयं एक क्राउन सेवक, या उसके एजेंटों के रूप में कार्य करने वाले अन्य लोगों के साथ एक प्रश्न में, जनरल

गोपनीयता के संरक्षण में सार्वजनिक हित, और अन्य क्राउन सेवकों को इसे संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना, पर्याप्त हो सकता है। ”

64. आर. के. जैन बनाम भारत संघ 1 2, इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 की जांच करते हुए पहले की व्याख्या की थी

एस. पी. गुप्ता (उपरोक्त) (प्रथम न्यायाधीश का मामला) में इस न्यायालय की संविधान पीठ के न्यायाधीश फजल अली द्वारा लिखित निर्णय जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और कानून के बीच पत्राचार के प्रकटीकरण के खिलाफ विशेषाधिकार का सवाल है।

संघ के मंत्री निम्नलिखित शब्दों में उठे थेः

41 [1976] क्यूबी 752

42 (1993) 4 एस. सी. सी. 119 ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

" 41. [.....] लोकतंत्र में नागरिकों को पता होना चाहिए कि उनकी सरकार क्या है।

कर रहा है। कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं। जवाबदेही के बिना जीवित रह सकते हैं

और जवाबदेही का मूल अभिधारणा यह है कि लोगों को

सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी रखें। यह केवल तभी है जब

जनता जानती है कि सरकार कैसे। काम कर रहा है और वे कर सकते हैं

उन्हें दिए गए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरा करें और

लोकतंत्र वास्तव में एक प्रभावी सहभागी लोकतंत्र है। वहाँ हो सकता है

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक जांच के संपर्क में आना सबसे निश्चित है

एक स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन चलाने का साधन। के द्वारा

सरकार के कामकाज के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण।नियम होना चाहिए और गोपनीयता को केवल असाधारण रूप से उचित ठहराया जा सकता है

जहाँ सार्वजनिक जानकारी की सख्त आवश्यकता मानी गई थी। द.

न्यायालय का दृष्टिकोण गोपनीयता के क्षेत्र को कम करने के लिए होना चाहिए

जनता की आवश्यकता के साथ लगातार जितना संभव हो सके

ब्याज को हर समय ध्यान में रखते हुए कि प्रकटीकरण भी काम करता है

जनहित का एक महत्वपूर्ण पहलू "।

65. आर. के. जैन (1993) (ऊपर) में भी इसका उल्लेख किया गया था –

संविधान की धारा 74 (2) और 75 (3) का पालन करने के लिएः

" 21 ..... अनुच्छेद 74 (2) इस न्यायालय को जांच करने से रोकता है

राष्ट्रपति को दी गई सलाह और दस्तावेजों की प्रकृति

इसलिए, प्रकटीकरण से प्रतिरक्षित हैं। यह खुलासा होगा

स्पष्ट और स्पष्ट चर्चा को रोकने के लिए सार्वजनिक चोट का कारण बनता है और

उच्च स्तर पर नौकरशाहों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति और

मंत्री/मंत्रिमंडल उप–समिति को गंभीर चोट पहुँचाना

जनसेवा। इसलिए, मंत्रिमंडल के कागजात, चर्चा के कार्यवृत्त

विभागों के प्रमुखों द्वारा; संबंधित उच्च स्तरीय दस्तावेज

सरकारी मशीन और सभी कागजों की आंतरिक कार्यप्रणालीसरकारी नीतियों से संबंधित एक वर्ग से संबंधित है

प्रकटीकरण से संरक्षित किया जाना चाहिए। XX

XX

XX

30. संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के तहत सामूहिक जिम्मेदारीशपथ में उल्लिखित गोपनीयता बनाए रखना

संविधान की अनुसूची III में निर्दिष्ट पद और गोपनीयता

किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी भी मामले को प्रकट करें जो लाया जाएगा उसके विचाराधीन या उसे ज्ञात हो जाएगा

[2019] 16 एस. सी. आर. के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक को छोड़कर मंत्री के रूप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंत्री के रूप में उनका कर्तव्य "। इसका आधार और मूल अभिधारणा

इसका महत्व अतुलनीय है। लेकिन आवश्यकता और प्रभाव

गोपनीयता का पोषण केवल राजनीतिक रूप से नहीं किया जाना चाहिएअनुच्छेद 75 (3) द्वारा परिकल्पित सामूहिक उत्तरदायित्व की अनिवार्यताएँ

लेकिन इसकी व्यावहारिकता से भी। XX

XX

XX

34. समान रूप से प्रत्येक सदस्य को इस बात पर जोर देने का अधिकार है कि उसका जो कुछ भी हो

स्वयं का योगदान निर्णय लेने में था, चाहे

सीक्रेट। किसी व्यक्ति के योगदान द्वारा गोपनीयता बनाए रखनामंत्रिमंडल में चर्चा या मतदान करना सबसे अधिक अनुकूल होने की गारंटी देता है।

और औपचारिक रूप से विचार व्यक्त करने के लिए अनुकूल वातावरण।

यह माना गया था कि मंत्री और सरकारी कर्मचारी थे

में गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक

द्वारा सौंपे गए कार्यालय के कर्तव्यों का पालन

संविधान और कानून। के महत्व को स्पष्ट करते हुए

गोपनीयता, यह देखा गयाः

स्पष्ट और खुले के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए परिदृश्य जुड़वां हैंलोक सेवा की दक्षता या प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बहस

जनहित को बढ़ाने के लिए सामूहिक निर्णय। बाधा डालने के लिए और

बिना किसी बाध्यकारी या कम से कम मजबूत कारणों के उन्हें बाधित करें,यह लोक प्रशासन की प्रभावशीलता के लिए हानिकारक होगा। यह.

लोकतांत्रिक के फलों को बिना सोचे समझे अस्वीकार करने के समान होगा

उदाहरण के लिए बजट एक असाधारण घटना हो सकती है।66. इसके बाद सदन के फैसले का संदर्भ दिया गया

बर्मा ऑयल लिमिटेड में लॉर्ड्स बनाम। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड अदर जिसमें लॉर्ड्स ने इस धारणा को खारिज कर दिया था

कि "किसी भी सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ लोक सेवक को उनके लेखन की स्पष्टता में इस संभावना पर विचार करके बिल्कुल भी बाधित किया जाएगा कि उन्हें एक मुकदमे में विचित्र के रूप में पेश करना पड़ सकता है" यह ठहराने के लिए कि यह तर्क पहुंच से इनकार करने के लिए पूरी तरह से असंगत आधार होगा।

43 [1980] ए. सी. 1090 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

संबंधित दस्तावेज़। बर्मा ऑयल लिमिटेड (ऊपर) में, यह माना गया था कि स्पष्ट सिद्धांत उस पहलू से अलग श्रेणी में खड़ा हैलोक हित, जिसके लिए, उचित परिस्थितियों में, यह आवश्यक हो सकता है कि 'सूचना के स्रोत और प्रकृति को गोपनीय रूप से प्रस्तुत किया जाए'

प्रकटीकरण से रोक दिया जाना चाहिए। कई अन्य मामले भी थे

समान अनुपात को व्यक्त करने के लिए संदर्भित [देखें–बटर गैस एंड ऑयल कंपनी। हथौड़ा; एयर कनाडा बनाम। व्यापार राज्य सचिव; और

सिविल सेवा संघ परिषद v. सिविल सेवा मंत्री]।

67. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, आर. के. जैन (1993) (उपर्युक्त) मामले में पीठ ने कहा थाः

" 48. लोकतंत्र में कुछ हद तक गोपनीयता के बिना उच्च सरकारी स्तर पर कार्य करना स्वाभाविक रूप से कठिन है। न तो कोई मंत्री और न ही कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेगा

जिम्मेदारियाँ यदि प्रत्येक दस्तावेज़ संवेदनशील बनाने के लिए तैयार है

नीतिगत निर्णय लेना या उस स्तर पर समन्वय अधिकारियों की चरित्र सूची का मूल्यांकन करना यदि उन्हें सार्वजनिक किया जाना था।

आम तौर पर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन उच्च स्तर का होता है।

जिम्मेदारी। उच्च समन्वय स्तर पर यह एक नाजुक होता है जो तब और जटिल हो जाता है जब इसे सामग्री के साथ समर्थित नहीं किया जाता है। संवेदनशील क्षेत्रों में शायद ही कभी सामग्री उपलब्ध होगी। उनके आसपास एक अधिकारी द्वारा एकत्र की गई प्रतिष्ठा आधार बनाएगी। यदि रिपोर्ट ज्ञात की जाती है, या यदि खुलासा किया जाता है नियमित रूप से, जनहित को गंभीर रूप से नुकसान होगा। दूसरी ओर, गोपनीयता सुधार के लिए ईमानदार मूल्यांकन को बढ़ावा देगी।

अधिकारियों में दक्षता और सत्यनिष्ठा।

49. सरकार का व्यवसाय। , जब नौकरशाहों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी लेन–देन किया जाता है, तो सरकार के आंतरिक कामकाज में समानता रखना मुश्किल होगा। मशीनरी को अनावश्यक रूप से जनता के सामने रखा जाता है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर यह अभिव्यक्ति में बाधा डालेगा। स्पष्ट और स्पष्ट विचार या राय। इसलिए, यह हो सकता है कि उस स्तर पर विचार–विमर्श और असाधारण मामलों में उस वर्ग या श्रेणी या दस्तावेजों को विशेष रूप से नीतिगत मामलों पर सुरक्षा मिलती है। इसलिए,

अदालत कुछ दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए कार्यकारी जनहित प्रतिरक्षा का जवाब देने के लिए तैयार होगी जहां राष्ट्रीय सुरक्षा या उच्च नीति, उच्च संवेदनशीलता शामिल है।

45 1983 2 एसी 394 (एच. एल.)46 1985 एसी 374 (एच. एल.)

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XX

XX

XX

54. [.....] राष्ट्रपति निक्सन के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह अदालत का कर्तव्य है कि वह व्याख्या करे और

व्यक्त शक्तियों के तहत उत्पन्न होने वाले दावों का वर्णन करना, संविधान की गणना की गई शक्तियों से प्राप्त होने वाली कथित शक्तियों के संबंध में दावों की व्याख्या करना, यह तय करने में कि क्या मामला संविधान द्वारा किसी भी उपाय से सरकार की किसी अन्य शाखा को किया गया है, या क्या उस शाखा की कार्रवाई से अधिक है

संविधान के अंतिम दुभाषिया के रूप में न्यायालय का. "68. उसी समय, यह आयोजित किया गया थाः

" 55. [.....] अनुच्छेद 74 (2) अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। केवल मंत्री द्वारा दी गई वास्तविक सलाह या

राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और यह प्रश्न कि क्या कोई है और यदि है, तो मंत्री द्वारा क्या सलाह दी गई थी या

राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की अदालत द्वारा जांच नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, न्यायिक समीक्षा का प्रतिबंध सलाह के तथ्य, इसकी सीमा, दायरे और दायरे तक ही सीमित है, लेकिन रिकॉर्ड यानी उस सामग्री तक नहीं, जिस पर सलाह आधारित है। एस. पी. गुप्ता के मामले में इस अदालत ने कहा कि केवल वास्तविक सलाह दी गई है।राष्ट्रपति को जाँच से छूट दी गई है और छूट अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों तक नहीं फैली है जो राष्ट्रपति को दी गई सलाह का हिस्सा हैं।

56. अतीत की तुलना में अधिक खुली सरकार की ओर स्पष्ट रूप से आधुनिक रुझान हैं। अपनी न्यायिक समीक्षा में न्यायालय अभिलेख का निरीक्षण करने और प्रतिस्पर्धी जनहित और न्याय के प्रशासन के बीच संतुलन अधिनियम का मूल्यांकन करने के लिए कैमरा प्रक्रिया अपनाएगा। यह समान रूप से सर्वोपरि है।

यह विचार करते हुए कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक रूप से भी मान्यता दी जानी चाहिए कि किया गया है। आधुनिक के तहत

जिम्मेदार सरकार, संसद की शर्तें नहीं होनी चाहिए

मंत्रिपरिषद या मंत्री द्वारा शक्ति की अधिकता पर रोक के रूप में हमेशा भरोसा किया जाए। यद्यपि न्यायालय नीतिगत मामलों पर कार्यपालिका के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, लेकिन यह देखना उसकी निस्संदेह शक्ति और कर्तव्य है कि कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग केवल उस उद्देश्य के लिए करती है जिसके लिए उसे प्रदान किया जाता है। सलाह या राय की गोपनीयता किसी भी तरह से निर्णायक नहीं है।

कैंडोर, सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

हालांकि स्पष्टता और गोपनीयता सामान्य वंश के अभिन्न पहलू हैं, अर्थात कुशल सरकारी कार्यप्रणाली, अपने आप में निर्णायक है लेकिन संतुलनकारी कार्य को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए। निश्चित मामलों से पता चलता है कि शक्ति का प्रयोग अक्सर उससे अधिक या किसी अन्य उद्देश्य आदि के लिए किया जाता था। कभी–कभी लोक सेवा के कारण इस मुद्दे के लिए निर्णायक होंगे, लेकिन उन्हें अदालत को उन चोटों के खिलाफ वजन करने से कभी नहीं रोकना चाहिए जो दस्तावेज़ का खुलासा नहीं होने पर न्याय के प्रशासन में झेलनी पड़ेंगी, और संभावित चोट न्याय के कारण का भी मूल्यांकन और तौल किया जाना चार्हिए। इसका भार उस काय वाही की प्रकृति के अनुसार अलग–अलग होगा जिसमें प्रकटीकरण की मांग की गई है, जिस स्तर पर मामले पर विचार किया गया था; विचार का विषय; दस्तावेजों की प्रासंगिकता और उस संभावना की डिग्री कि दस्तावेज़ मुकदमे में महत्वपूर्ण होगा। संतुलन बनाने में, अदालत हमेशा, यदि वह इसे आवश्यक समझती है, तो स्वयं निरीक्षण कर सकती है

दस्तावेज़। इसलिए यह इस न्यायालय की संवैधानिक, वैध और विधिसम्मत शक्ति और कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि संवैधानिक, वैधानिक या कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार किया जाए।

संविधान और कानून। यह मांग कर सकता है, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल सीमित मामलों में, फिर भी सरकार के आंतरिक कामकाज

सार्वजनिक दृष्टि के संपर्क में आ सकता है। महान्यायवादी और महान्यायवादी की दलीलें कि आंतरिक कार्यप्रणाली

सरकार को जनता की नज़रों से अवगत कराया जाएगा, और यह कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे गलत जानकारी वाली आलोचना के लिए पर्याप्त सामग्री के बिना एक अवसर के रूप में मानता है, अब प्रासंगिक नहीं है। व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कार्य की प्रकृति में सुधार के लिए गणना की गई आलोचना

नागरिक का स्वागत है। "69. उपरोक्त परिच्छेद इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हैं –

सरकार और उसके कामकाज में गोपनीयता। हालाँकि, यह कहना नहीं है कि गोपनीयता की याचिका एक पूर्ण बाधा है, क्योंकि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1) के प्रावधान के संदर्भ में, पी. आई. ओ. को संतुलन अभ्यास करना होगा और इसके लाभों और लाभों का आकलन करना होगा।प्रकट की जा रही जानकारी पर तीसरे पक्ष को संभावित नुकसान या चोट के साथ जानकारी का खुलासा करना। हेइनमैन पब्लिशर्स पीटीवाई लिमिटेड (ऊपर) और जॉन फेयरफैक्स एंड संस लिमिटेड (ऊपर) में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के फैसलों के संदर्भ में हम पहले ही "आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) और धारा 11" शीर्षक के तहत सरकारी अभिलेखों तक पहुंच के अधिकार पर सामान्य दृष्टिकोण का उल्लेख कर चुके हैं।

70. अधिकांश न्यायविद यह स्वीकार करेंगे कि सरकार के सभी पहलुओं में पूर्ण पारदर्शिता न तो संभव है और न ही वांछनीय है, 47 क्योंकि सरकारी जानकारी के पूर्ण प्रकटीकरण पर कई सीमाएं हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनयिक संबंधों, आंतरिक सुरक्षा या संवेदनशील राजनयिक पत्राचार से संबंधित मामलों में। सरकार के निर्णय निर्माताओं को स्वीकार करने और उन पर भरोसा करने की भी आवश्यकता है, जो उन्हें भी अर्जित करना पड़ता है, जब वे अनुरोध करते हैं कि उनकी बैठकों में गोपनीयता और विचारों के आदान–प्रदान की आवश्यकता है ताकि संवेदनशील, परेशान करने वाले और घातक मुद्दों पर विचारों का मुक्त प्रवाह हो सके।

अलग–अलग विचार। हालाँकि, यह कहना नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर भी गोपनीयता बनाए रखने में कोई खतरा नहीं है।राजनयिक संबंध, आंतरिक सुरक्षा या संवेदनशील राजनयिक

पत्राचार। ईमानदारी और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने में गोपनीयता का कुछ प्रभाव और महत्व हो सकता है, हालांकि यह दूसरे तरीके से भी काम कर सकता है और इसलिए, क्या खुलासा किया जाना

चाहिए, यह सार्वजनिक हित से संबंधित प्रामाणिक जांच पर निर्भर करेगा, यानी कि क्या पहुंच का अधिकार और जानने का अधिकार गोपनीयता की रक्षा करने में संभावित सार्वजनिक हित से अधिक है या तीसरे पक्ष को नुकसान और क्षति से अधिक है जब जानकारी ऐसे तीसरे पक्ष या अन्य पक्षों से संबंधित है।

जानकारी प्रकृति में गोपनीय होती है।

प्वाइंट नं. 4 : सार्वजनिक शब्द का अर्थ

दिलचस्प '

71. भारत संघ में v. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर, मतदाताओं के अतीत को जानने के अधिकार को मान्यता देते हुए

उम्मीदवारों और सूचना का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) से उत्पन्न होता है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय द्वारा एक सूचित नागरिक वर्ग बनाने में सार्वजनिक हित को कम करने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं, यह कहते हुए किः

" 46. [.....] लोकतंत्र में सूचना प्राप्त करने के अधिकार को पूरी तरह से मान्यता दी गई है और यह अवधारणा से बहने वाला स्वाभाविक अधिकार है

(2019) . आम तौर पर माइकल शुडसन, जानने के अधिकार का उदय देखें। राजनीति और पारदर्शिता की संस्कृति, 1945–1975 (कैम्ब्रिज (एमए): हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2015)।

48 (2002) 5 एस. सी. सी. 295 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

लोकतंत्र। इस स्तर पर हम अनुच्छेद 19 (1) का उल्लेख करेंगे और

(2) नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय वाचा जो इस प्रकार हैः

(1) हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार होगा।

हस्तक्षेप।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा; इस अधिकार में मौखिक रूप से, लिखित रूप में या मुद्रित रूप से, कला के रूप में, या अपनी पसंद के किसी भी अन्य माध्यम के माध्यम से, सभी प्रकार की जानकारी और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल होगी।

6. इस न्यायालय के बहुत सारे निर्णयों का संचयी अध्ययन

यह स्पष्ट है कि यदि विधायिका और कार्यपालिका के लिए क्षेत्र को सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक छोड़ दिया जाता है, तो इस न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत पर्याप्त अधिकार क्षेत्र होगा।

संविधान का अनुच्छेद 141 और 142 आवश्यक जारी करने के लिए

लोक हित को कम करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश।

स्पष्ट रूप से, एक जागरूक निर्वाचक मंडल, निष्पक्ष चुनाव और एक द्वंद्वात्मक लोकतंत्र के निर्माण में व्यापक सार्वजनिक हित अधिक था।

इस न्यायालय को व्यक्तिगत संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के आपराधिक मामले में पिछली संलिप्तता सहित पूर्ववृत्त से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के बावजूद निर्देश जारी करने के लिए मजबूर किया।72. जनहित, जिसकी कभी–कभी स्वाभाविक रूप से अनाकार और एक सटीक परिभाषा में असमर्थ के रूप में आलोचना की जाती है, एक समय पर परखा गया और अधिकारों का ऐतिहासिक संघर्ष परीक्षण है जिसे अक्सर सूचना के अधिकार कानून में पहुँच के अधिकार और पहुँच से इनकार करने के परस्पर विरोधी अधिकार के संरक्षण को संतुलित करने के लिए लागू किया जाता है। मोस्ले वी। न्यूज ग्रुप पेपर्स Ltd.49 में यह देखा गया हैः

" 130 ..... यह केवल व्यक्तिगत गोपनीयता बनाम का मामला नहीं है

जनहित। आधुनिक धारणा यह है कि एक सार्वजनिक है

व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करने में रुचि। यह एक सवाल है कि

परस्पर विरोधी जनहित संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए और

तेजी से अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त के अनुसार उनका मूल्यांकन करना

मानदंड "।

आर. टी. आई. अधिनियम कोई अपवाद नहीं है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) व्यापक लोक हित की संतुष्टि की आवश्यकता निर्धारित करती है।

49 2008 ईडब्ल्यूएचसी 1777 (क्यूबी)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जानकारी तक पहुँच के लिए जब जानकारी व्यक्तिगत से संबंधित हो

जानकारी जिसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बन सकती है। धारा 11 (1) के प्रावधान में कहा गया है कि कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि सार्वजनिक हित मेंप्रकटीकरण महत्व में किसी भी संभावित नुकसान या तीसरे पक्ष के हित को नुकसान से अधिक है। तीसरे पक्ष के हित के लिए 'संभावित नुकसान या क्षति' शब्दों से पहले तुलना के उद्देश्य से 'महत्व' शब्द होता है। परंतुक के संदर्भ में 'संभव'

इसका मतलब कुछ दूरस्थ, दूरगामी या काल्पनिक नहीं है, बल्कि तीसरे को नुकसान और चोट लगने की गणना योग्य, पूर्वानुमेय और पर्याप्त संभावना है।

पार्टी।

73. प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक हितों की तुलना या संतुलन अभ्यास दोनों वर्गों में किया जाना चाहिए, हालांकि धारा 8 (1) (जे) के तहत तुलना छूट के पीछे सार्वजनिक हित के बीच है, जो व्यक्तिगत जानकारी या व्यक्ति की गोपनीयता पर आक्रमण है और

सूचना तक पहुँच के पीछे सार्वजनिक हित है, जबकि धारा 11 (1) के परंतुक द्वारा निर्धारित परीक्षण कुछ हद तक व्यापक और व्यापक है क्योंकि इसमें किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण या तीसरे द्वारा प्रदान की गई और गोपनीय मानी गई जानकारी के बीच तुलना की आवश्यकता होती है।

प्रकटीकरण पर तीसरे पक्ष को संभावित नुकसान या चोट, जिसमें प्रकटीकरण पर तीसरे पक्ष को सभी प्रकार की संभावित नुकसान और चोट शामिल होगी। 74. बिहार लोक सेवा आयोग बनाम में यह न्यायालय। सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी और अन्य 50 ने माना है कि वाक्यांश 'सार्वजनिक' है।

आर. टी. आई. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पूरा अर्थ देने के लिए धारा 8 (1) (जे) में ब्याज को इसके सही अर्थ में समझना होगा। हालाँकि, आर. टी. आई. अधिनियम विशेष रूप से उन कारकों की पहचान नहीं करता है जिन्हें यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक हित कहाँ निहित है। इसलिए, आर. टी. आई. अधिनियम के संदर्भ में 'जनहित' अभिव्यक्ति के अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। इस न्यायालय ने 'लोक हित' का अर्थ सार्वजनिक कल्याण माना जो प्रकटीकरण की गारंटी देता है औरसंरक्षण लागू होता है, जिसमें समग्र रूप से जनता की हिस्सेदारी होती है, और कहाः

" 23. अधिकारियों द्वारा संतुष्टि को निष्पक्ष रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए और इस तरह के प्रकटीकरण के परिणाम होने चाहिए

50 (2012) 13 एस. सी. सी. 61 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों के संबंध में तौला गया। निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए दर्ज की गई वस्तुनिष्ठ संतुष्टि पर आधारित होना चाहिए कि व्यापक सार्वजनिक हित गोपनीयता या प्रावधान में बताए गए अन्य कारकों के अनुचित आक्रमण से अधिक है। कुछ मामलों, विशेष रूप से नियुक्ति के संबंध में, बहुत गोपनीयता के साथ निपटाए जाने की आवश्यकता होती है। जानकारी दूसरों द्वारा प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप प्राधिकरण के ज्ञान में आ सकती है। जो उस जानकारी को विश्वास में और पूर्ण विश्वास, सत्यनिष्ठा और निष्ठा के साथ देते हैं। ऐसी जानकारी की गोपनीयता होगी –

बनाए रखा, इस प्रकार, इसे प्रत्ययी क्षमता के दायरे में लाना। इसी तरह, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां प्रकटीकरण नहीं है

किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंध या यह व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण भी बन सकता है। ये सब संरक्षणों को उनका उचित कार्यान्वयन दिया जाना चाहिए क्योंकि वे वैधानिक छूटों से उत्पन्न होते हैं। यह निजी हित और सार्वजनिक हित के बीच एक सरल निर्णय नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहां किसी व्यक्ति को निजता के अधिकार के संबंध में संवैधानिक संरक्षण उपलब्ध है। इस प्रकार, गोपनीयता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन कारक को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित का अर्थ लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो व्यापक सार्वजनिक हित में पूरा किया जाएगा, विशेष रूप से जब ये दोनों अधिकार भारत के संविधान के तहत संवैधानिक मूल्यों से उभरते हैं। ”

75. सूचना तक पहुँच में लोक हित कुछ ऐसा है जो जानने के लिए लोक कल्याण के हित में है। लोक कल्याण व्यापक रूप से जनता के हित से अलग है। कुछ ऐसा जो जनता के हित में हो "और" कुछ ऐसा जो सार्वजनिक हित में हो "दो अलग–अलग और अलग–अलग मापदंड हैं। उदाहरण के लिए, जनता को निजी मामलों में रुचि हो सकती है जिनके बारे में जनता को कोई चिंता नहीं हो सकती है और उन्हें जानने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, निजी मामलों में जनता की ऐसी रुचि गोपनीयता की सुरक्षा को अस्वीकार और सीधे पार कर जाएगी। विशिष्ट के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य

धारा 8 (1) के खंड (जे) के तहत छूट व्यक्तिगत जानकारी तक अनुचित पहुंच से खुद को बचाने और पहलुओं की रक्षा करने के लिए है।

जैसे निजता के अधिकार से जुड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान आदि। इसी तरह, निजी व्यक्तियों और यहां तक कि सरकार के मामले में गोपनीयता बनाए रखने में एक सार्वजनिक हित है, एक पहलू जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

76. आर. टी. आई. अधिनियम के संदर्भ में जनहित परीक्षण का अर्थ होगा अधिकार के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करना।

जानकारी, गोपनीयता का अधिकार और आक्रमण के परिणाम, और गोपनीयता का उल्लंघन और संभावित नुकसान और चोट जो किसी विशेष जानकारी और व्यक्ति के संदर्भ में तीसरे पक्ष को होगी। एक लेख 'सूचना और जनता की स्वतंत्रता' मेंब्याजः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ लॉ जर्नल में प्रकाशित 'राष्ट्रमंडल अनुभव' में जिन कारकों की पहचान प्रकटीकरण के पक्ष में, प्रकटीकरण के खिलाफ और अंत में सार्वजनिक हित के विचार के लिए अप्रासंगिक के रूप में की गई है, उन्हें निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

" आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि संतोषजनक अर्थ में जनहित जनता के हित का पर्याय नहीं है।

किसी विषय के बारे में जनता की जिज्ञासा। उदाहरण के लिए, यू. के. सूचना न्यायाधिकरण ने उन मामलों के बीच अंतर किया है जो जनता के हित में थे और जो केवल जनता के लिए दिलचस्प थे (यानी जिनके बारे में जनता जानना चाहती है, और जो समाचार पत्र बेचते हैं, लेकिन हैं)।

प्रकटीकरण के पक्ष में पहचाने जाने वाले कारकों में सार्वजनिक हित शामिल हैंः सार्वजनिक महत्व के मामले पर बहस में योगदान; अधिकारियों की जवाबदेही; में खुलापनसार्वजनिक निधियों का व्यय, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अपने नियामक कार्यों का प्रदर्शन, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा शिकायतों से निपटना; गलत काम, अक्षमता या अन्याय का खुलासा; व्यक्तियों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन करने में सक्षम होना; निर्णय लेने की जांच में वृद्धि; और सुरक्षा

सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे के खिलाफ।

जिन कारकों को प्रकटीकरण के खिलाफ वजन करने के लिए पाया गया है उनमें शामिल हैंः सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान की संभावना; निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की अखंडता या व्यवहार्यता को नुकसान की संभावनाः सार्वजनिक निकायों में सार्वजनिक हित अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में

सक्षम होना; व्यक्तियों की गोपनीयता के संरक्षण में सार्वजनिक हित और विश्वास के संरक्षण में सार्वजनिक हित।

जनहित पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक कारकों की भी पहचान की गई है। इनमें शामिल हैंः कि जानकारी हो सकती है

51 28 अगस्त, 2017 को ऑनलाइन प्रकाशित सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

गलत समझा गया; कि अनुरोध की गई जानकारी प्रकृति में अत्यधिक तकनीकी है; और उस प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप शर्मिंदगी होगी

सरकार या अधिकारियों के लिए।

77. कैम्पबेल (ऊपर) में, प्रेस शिकायत आयोग आचार संहिता का संदर्भ दिया गया था ताकि इस पर आगे स्पष्ट किया जा सके

जनहित का परीक्षण जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति के निजता के अधिकारों के प्रतिच्छेदन पर खड़ा है कि

" 1. लोक हित में शामिल हैंः

((i) अपराध या गंभीर दुराचार का पता लगाना या उसे उजागर करना।

((ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना।

(iii) किसी व्यक्ति या संगठन के किसी बयान या कार्रवाई से जनता को गुमराह होने से रोकना।

78. जनहित का कोई संबंध नहीं है और यह प्रकटीकरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या से जुड़ा नहीं है।प्रकटीकरण चाहने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या की तुलना में यह छोटा और महत्वहीन हो सकता है। इसके अनुसार अलग–अलग होगा

माँगी गई जानकारी और मामले की सभी परिस्थितियाँ

छूटों को बनाए रखने में सार्वजनिक हित और जानकारी का खुलासा करने वालों को सही संतुलन का न्याय करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जनहित अपरिवर्तनीय नहीं है और यहां तक कि समय–अंतराल भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

अंतर। छूट के पीछे सार्वजनिक हित को नुकसान के प्रकार और संभावना और प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित मायने रखता है। नाजुकशेष राशि के लिए प्रत्येक छूट के पीछे सार्वजनिक हित की पहचान की आवश्यकता होती है और फिर उस विशेष मामले में प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित के खिलाफ किसी विशेष मामले में जानकारी से इनकार करने के लिए छूट (ओं) को स्वीकार करने या बनाए रखने में सार्वजनिक हित को समग्र रूप से तौलना आवश्यक है। इसके अलावा, धारा 11 (1) के तहत, तीसरे पक्ष को संभावित 'नुकसान और चोट' का संदर्भ दिया जाता है, जिसे इस बात में भी शामिल करना होगा कि कब

तीसरे पक्ष से संबंधित गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण का निर्धारण करना।

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 जिसमें सूचना चाहने वाले को जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है। साफ तौर पर, ' सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए 'उद्देश्य' और 'उद्देश्य' अप्रासंगिक है, और बाहरी होना [2019] 16 एस. सी. आर. को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जानकारी दी। हालाँकि, यह कहना नहीं है कि जनहित परीक्षण द्वारा शासित योग्य छूटों के मामले में जनहित परीक्षण को लागू करते समय 'उद्देश्य' और 'उद्देश्य' प्रासंगिक कारक नहीं हो सकते हैं। यह इस संदर्भ में है कि आदित्य बंदोपाध्याय (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि लाभार्थी को उससे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, अन्य मामलों में, सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के पक्ष में हो सकता है जब मांगी गई जानकारी विशेष हित की हो सकती है या

आवेदक के लिए विशेष महत्व। यह समान रूप से एक नकारात्मक कारक हो सकता है जब 'उद्देश्य' और 'उद्देश्य' परेशान करने वाला हो या यह कानून के स्पष्ट दुरुपयोग का मामला हो। 80. आर. टी. आई. अधिनियम में, किसी भी सकारात्मक संकेत के अभाव में पी. आई. ओ. को उन विचारों को ध्यान में रखना होगा जिन्हें बनाते समय ध्यान में रखना होगा।

एक निर्णय में, विधायिका ने प्रतिस्पर्धी हितों को तौलने के लिए पी. आई. ओ. में एक सामान्य विवेकाधिकार निहित करने का इरादा किया था, जो केवल संरक्षण के उद्देश्य, दायरे और उद्देश्य और सूचना तक पहुँच के अधिकार और धारा 11 (1) में सीमित होना है, तीसरे पक्ष को 'संभावित' नुकसान और चोट। यह पी. आई. ओ. और अपीलीय मंचों की ओर से एक विवेकाधीन मूल्य निर्णय का आयात करता है क्योंकि यह अनिवार्य करता है कि कोई भी निष्कर्ष निष्पक्ष और प्रत्येक अधिकार की रक्षा करके

होना चाहिए जिसे सार्वजनिक हित में बनाए रखने की आवश्यकता है। एक फोर्टिओरी दृष्टिकोण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक दूसरे को पछाड़ दे।

प्वाइंट नं. 5 : न्यायिक स्वतंत्रता

82. न्यायाधीशों की नियुक्तियों/चयन पर जानकारी तक तीसरे पक्ष या सार्वजनिक पहुंच से इनकार करने के लिए आम तौर पर चार प्रमुख तर्कों का उपयोग किया जाता है, अर्थात्, (i) गोपनीयता संबंधी चिंताएं; (ii) डेटा संरक्षण; (ii) चयन प्रक्रिया में विचार किए जाने वालों की प्रतिष्ठा, विशेष रूप से वे जो जिनकी उम्मीदवारी/पात्रता को अस्वीकार कर दिया गया है; और (iv) भविष्य के उम्मीदवारों पर जोखिम और सार्वजनिक स्तर को देखते हुए संभावित डरावना प्रभाव

जांच शामिल है। 52 ये तर्क काफी बहस का विषय बन गए हैं, यदि न्यायविदों और न्यायविदों के हाथों स्पष्ट आलोचना नहीं की गई है।

52 देखिएः कितना पारदर्शी पर्याप्त है? : यूरोपीय न्यायिक चयन में गोपनीयता के खिलाफ जानकारी तक पहुंच को संतुलित करना अल्बर्टो अलेम्नो द्वारा माइकल बोबेक (संस्करण) में, यूरोप के न्यायाधीशों का चयन, 2015 संस्करण।

लेखक। 53 फिर भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्यायिक सेवा आयोग द्वारा की गई 'साक्षात्कार' प्रक्रिया के बारे में निराशा व्यक्त की है

(जे. एस. सी.) दक्षिण अफ्रीका में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों की सिफारिश करने में, अनिश्चितता और इसके ठंडे प्रभाव की ओर इशारा करते हुएसंभावित उम्मीदवार और परिणामस्वरूप सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार अक्सर आवेदन नहीं करते हैं। 54 हाल ही में, हेलेन सुज़मैन फाउंडेशन बनाम में दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय का बहुमत निर्णय। न्यायिक सेवा

आयोग 55 ने न्यायालय, दक्षिण अफ्रीका, 56 के समान नियमों के नियम 53 (1) (बी) पर भरोसा करते हुए जे. एस. सी. को अपने विचार-विमर्श का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसमें स्पष्टता और मजबूती के विपरीत तर्क को 'डरपोक बेहोश' के रूप में खारिज कर दिया गया था। स्पष्टता के साथ बहस करते हुए, अदालत ने प्रेक्षित, अनुचितता की अभिव्यक्ति के बराबर नहीं है। यह देखा गया कि उम्मीदवारों की सार्वजनिक साक्षात्कारों में कड़ी जांच की गई थी, और इसलिए विचार-विमर्श का खुलासा एक बाधा के रूप में कार्य नहीं करेगा

55 मामला 289/16 24 अप्रैल 2018 को तय किया गया56 न्यायालय के समान नियमों, दक्षिण अफ्रीका के नियम 53 (1) (बी) में कहा गया हैः

" (1) सिवाय इसके कि जहां कोई कानून अन्यथा प्रावधान करता है, किसी निम्न न्यायालय और न्यायिक, अर्ध–न्यायिक या प्रशासनिक कार्यों का प्रदर्शन करने वाले किसी भी न्यायाधिकरण, बोर्ड या अधिकारी के निर्णय या कार्यवाही की समीक्षा के तहत लाने के लिए सभी कार्यवाहियां मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी या अदालत, न्यायाधिकरण या बोर्ड के अध्यक्ष या अधिकारी, जैसा भी मामला हो, और प्रभावित अन्य सभी पक्षों को ऐसे निर्णय या कार्यवाही की समीक्षा करने की मांग करने वाले पक्ष द्वारा निर्देशित और वितरित प्रस्ताव की सूचना के माध्यम से होंगी।

(ख) मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, पंजीयक को मुकदमा दर्ज करने का रिकॉर्ड भेजने के लिए बुलाना।"[2019] 16 एस. सी. आर. ने कहा कि कार्यवाहियों को ऐसे कारणों के साथ सुधारने या अलग करने की मांग की गई है जो कानून द्वारा आवश्यक हैं या देने या बनाने की इच्छा रखते हैं, और आवेदक को सूचित करने के लिए कि उसने ऐसा किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम 53 के तहत पहुँच पर पी. ए. आई. ए. प्रतिबंध। पी. ए. आई. ए. कोई भी अनुदान देता है व्यक्ति या व्यस्त व्यक्ति को बिना व्याख्या किए किसी भी जानकारी तक पहुँचने का अधिकार

चाहे उसे जानकारी की आवश्यकता क्यों हो। इसे संतुलित करना था, लोगों को निजी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ, जहां इस तरह की जानकारी की सुविधा के लिए आवश्यकता होती है

राज्य के अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग और उनके कार्यों का निष्पादन। नियम 53 के तहत अदालती मामलों में, गोपनीयता की चिंताओं को जानकारी प्राप्त करने के अधिकार पर कड़ी और प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करके दूर किया जा सकता है, जिसमें तीसरे पक्ष को विवरण के प्रकटीकरण को रोकने के लिए गोपनीयता उपक्रम प्रस्तुत करना शामिल है। 83. यूनाइटेड किंगडम का डेटा संरक्षण अधिनियम, 2018 मूल्यांकन के उद्देश्य से संसाधित सभी व्यक्तिगत डेटा को वर्ग छूट प्रदान करता है।

न्यायिक पद के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता, जिसमें कुछ अधिकार शामिल हैं

यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के तहत गारंटीकृत डेटा विषय के अधिकार को डेटा संरक्षण Act.57 द्वारा प्रभावी किया जा रहा है इसी तरह, यूरोपीय संघ के संदर्भ में, अनुच्छेद 255 पैनल '58 और' सलाहकार पैनल '5 9 59 की राय,

यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर सलाह देने का कार्य सौंपा गया

मानवाधिकार न्यायालय जनता के लिए दुर्गम हैं और उनकी राय का प्रसार सीमित है, क्योंकि वे विशेष रूप से सदस्य राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों को भेजे जाते हैं।

यूरोपीय संघ 60 और परिषद के मामले में व्यक्तिगत सरकारें

59 यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर विशेषज्ञों के एक सलाहकार पैनल की स्थापना के प्रस्ताव के तहत स्थापित, सीएम/रेस (2010) 26 को 10 नवंबर 2010 को मंत्रियों की समिति द्वारा अपनाया गया।60 सीजेईयू यूरोपीय संघ की न्यायिक शाखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 28 सदस्य राज्यों में न्याय का प्रशासन करती है।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

यूरोप 6 1, क्रमशः। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ की परिषद, 62 ने 'अनुच्छेद 255' पैनल के परामर्श से अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। पैनल द्वारा जारी राय तक सार्वजनिक पहुंच के लिए, विनियमन संख्या 1049/200164 में प्रदान किए गए लागू अपवादों के आलोक में। इस तरह

परिषद ने देखा है कि राय में मुख्य रूप से व्यक्तिगत डेटा शामिल है

उम्मीदवार, अर्थात। उम्मीदवारों के पेशेवर अनुभव और योग्यताओं और पैनल के मूल्यांकन से संबंधित तथ्यात्मक तत्व उम्मीदवार की क्षमताएँ और इसलिए, प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुँच।

व्यक्ति की गोपनीयता और अखंडता की रक्षा के लिए इनकार किया जाता है। 65

हालाँकि, इन विचारों का एक हिस्सा जिसमें व्यक्तिगत डेटा नहीं है और जो अपनाई गई प्रक्रिया और लागू मानदंडों का विवरण प्रदान करता है।

ऐसी जानकारी तक आंशिक पहुँच की रूपरेखा। उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए प्रतिकूल राय को प्रकटीकरण से छूट दी जाएगी क्योंकि वे कानूनी व्यवसायियों के रूप में उम्मीदवारों के व्यावसायिक हितों में बाधा डाल सकते हैं, जबकि सकारात्मक राय हैप्रकटीकरण से छूट दी गई है क्योंकि इस तरह की राय से सफल उम्मीदवारों के सबसे कम और सबसे कम पसंदीदा गुणों की तुलना और सार्वजनिक जांच हो सकती है, जो संभावित रूप से न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है। 67 अंत में, परिषद ने कहा है कि राय के प्रकटीकरण को छूट दी जाएगी यदि इस तरह का प्रकटीकरण "कानून को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है।

संस्थान की निर्णय लेने की प्रक्रिया, जब तक कि प्रकटीकरण में कोई सार्वजनिक हित न हो। 68

61 47 सदस्य यूरोपीय राज्यों से मिलकर, यूरोप की परिषद ने मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन को अपनाया, जिसने ईसीटीएचआर की स्थापना की।

62 यूरोपीय संघ के सात घटक निकायों में से एक जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के मंत्री शामिल हैं।

63 परिषद द्वारा 12 जुलाई 2016 को विनियमन (ईसी) संख्या 1049/2001 के अनुच्छेद 7 (2) के अनुसार पुष्टिकरण आवेदन 13/सी/01/16 के लिए अपनाया गया जवाब, संधि के अनुच्छेद 255 द्वारा प्रदान किए गए पैनल द्वारा जारी सभी विचारों तक सार्वजनिक पहुंच के लिए।

65 अनुच्छेद 4 (1) (बी), विनियमन संख्या 1049/200166 अनुच्छेद 4 (2) का पहला इंडेंट, विनियमन संख्या 1049/2001 67 अनुच्छेद 4 (2) का दूसरा इंडेंट, विनियमन संख्या 1049/2001 68 अनुच्छेद 4 (3), विनियमन संख्या 1049/2001 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

84. भारतीय संदर्भ में अधिक प्रत्यक्ष और प्रासंगिक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं में इस न्यायालय का निर्णय होगा।

एसोसिएशन वी। भारत संघ, जहाँ पाँच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संवैधानिक वैधता पर विचार किया था। एक सहमति वाले फैसले में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में पारदर्शिता के पहलू और विश्वास में अपनी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने वाले न्यायाधीशों की गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर विचार किया गया था।

विद्वान महान्यायवादी का निवेदन था किएन. जे. ए. सी. का कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी होगा। उचित ठहराना।

पारदर्शिता की आवश्यकता यह प्रस्तुत की गई थी कि अब तक कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

यह इस मायने में बेहद गुप्त है कि कॉलेजियम या न्याय विभाग के बाहर कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशों से अवगत नहीं है

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। रेनू वी का संदर्भ दिया गया था। जिला और सत्र न्यायाधीश, (2014) 14 एस. सी. सी. 50 ने तर्क दिया कि सभी न्यायिक संस्थानों में नियुक्ति के मामले में "प्रकाशस्तंभ में पूर्ण अंधेरा दूर किया जाना चाहिए"।

950. पारदर्शिता के मुद्दे के अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में नागरिक समाज को यह जानने का अधिकार है कि नियुक्ति के लिए किस पर विचार किया जा रहा है।

इस संबंध में, यह इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों में आयोजित किया गया था(बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1985) 1 एस. सी. सी. 641

लोगों को जानने का अधिकार है। रिलायंस को अटॉर्नी जनरल बनाम पर रखा गया था। टाइम्स न्यूजपेपर्स लिमिटेड 1974 एसी 273: (1973) 3 डब्ल्यूएलआर 298: (1973) 3 सभी ई. आर. 54 (एच. एल.) जहां जानने के अधिकार को स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई थी।

अभिव्यक्ति और चर्चा की स्वतंत्रता।

951. यू. पी. राज्य बनाम राज नारायण (1975) 4 एस. सी. सी. 428 द राइट

से व्युत्पन्न होने के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिएअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा।

952. अंत में, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम। इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बॉम्बे (पी) लिमिटेड, (1988) 4 एस. सी. सी. 592 यह आयोजित किया गया था

कि जानने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है जो एक स्वतंत्र नागरिक का है

69 (2016) 5 एस. सी. सी. 1 ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

देश इस में जीने के अधिकार के व्यापक क्षितिज की आकांक्षा रखता है

हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारी भूमि में आयु।

953. पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन है

बहुत नाजुक और यदि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक की जाती है, तो इसका उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने किसी व्यक्ति की गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एन. जे. ए. सी. की कार्यवाही पूरी तरह से पारदर्शी होगी और किसी को भी एन. जे. ए. सी. के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुंच हो सकती है। यह एक अपेक्षाकृत व्यापक हैसामान्यीकरण जो स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की गोपनीयता को ध्यान में नहीं रखता है जिसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है,

विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या पहली बार में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा यह एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है और यह गोपनीयता के अंतर्निहित मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है जिसका सभी लोग आनंद लेते हैं। दो निहित मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन 99 वां संविधान

सोचिए, उस संतुलन को हासिल करने की तो बात ही छोड़िए। 954. यह तर्क देना संभव है कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की गई जानकारी को गोपनीयता का अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन साथ ही, चूंकि जानकारी विश्वास में प्रदान की जाती है, इसलिए यह तर्क देना संभव है कि

इसका खुलासा तीसरे पक्ष के असंबद्ध व्यक्तियों को नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है, तो क्या अनुशंसित व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई प्रतिकूल जानकारी का खुलासा न करने का अधिकार है? ये ऐसे कठिन प्रश्न हैं जिन पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है और केवल जानने के अधिकार के आधार परकिसी व्यक्ति को धोबी घाट में सफ़ेद नहीं किया जा सकता है।

85.इससे पहले, नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दूसरे मामले में, अर्थात् सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन अन्य बनाम. भारत संघ ने एस. पी. ए. (उपर्युक्त) (प्रथम न्यायाधीश का मामला) में बहुमत की राय को खारिज कर दिया था और प्रधानता प्रदान की थी।

93) 4 एससीसी 441 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम की भूमिका। न्यायपालिका की ओर से बोलते हुए, जे. एस. वर्मा, जे. ने स्थानांतरण की न्यायसंगतता के संबंध में कहा था,

कानूनी स्थिति को निम्नानुसार परिभाषित किया:

" 480. नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता और स्थानान्तरण में इसकी निर्धारक प्रकृति प्रक्रिया में न्यायिक तत्व का परिचय देती है, और स्वयं उन निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता के अभाव के लिए एक पर्याप्त औचित्य है, जो आमतौर पर संभावित कार्यकारी अधिकता या मनमानेपन के खिलाफ जांच के रूप में आवश्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के गठन में न्यायाधीशों की

बहुलता, जैसा कि संकेत दिया गया है, किसी भी व्यक्ति की मनमानेपन या पूर्वाग्रह की संभावना के खिलाफ एक और अंतर्निहित जांच है, यहां तक कि अवचेतन रूप से भी। नियुक्तियों के मामले में न्यायिक तत्व प्रमुख और निर्णायक होना

स्थानान्तरण, जैसा कि संकेत दिया गया है, अन्य कार्यकारी कार्यों की तरह आगे की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। विवेकाधिकार के क्षेत्र को न्यूनतम तक कम करना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के गठन में न्यायाधीशों की बहुलता का तत्व, लिखित रूप में प्रभावी परामर्श और क्षेत्र को विनियमित करने के लिए प्रचलित मानदंडविवेकाधिकार मनमानेपन के खिलाफ पर्याप्त जांच है।

481. मानदंडों के रूप में इन दिशानिर्देशों को स्थानांतरित न्यायाधीश को कोई न्यायोचित अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। स्थानांतरण की संवैधानिक आवश्यकता के अलावा केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर किया जा रहा है, स्थानांतरण का मुद्दा किसी अन्य आधार पर न्यायसंगत नहीं है, जिसमें स्थानांतरण के कारण या उनकी पर्याप्तता शामिल है। इंगित तरीके से गठित भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय किसी भी मनमानेपन या पूर्वाग्रह के साथ–साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के किसी भी क्षरण के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण है।482. यह बहिष्कृत करने के जनहित के अनुरूप भी है।

इन नियुक्तियों और स्थानांतरणों को मुकदमेबाजी की बहस से, निर्णयों की विश्वसनीयता में किसी भी क्षरण से बचने के लिए, और एक

सभी द्वारा ईमानदार राय की स्वतंत्र और स्पष्ट अभिव्यक्ति

संवैधानिक पदाधिकारी, जो प्रभावी होने के लिए आवश्यक हैं

परामर्श और सही निर्णय लेने के लिए। एस. पी. गुप्ता में सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम का विस्तार करने वाली सावधानी के बावजूद, जनहित याचिका की आड़ में न्यायपालिका के कामकाज में अजनबियों और व्यस्त निकायों द्वारा अनावश्यक घुसपैठ की बढ़ती प्रवृत्ति।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

लोकस स्टैंडी की अवधारणा को हाल ही में कृष्ण स्वामी बनाम में एक संविधान पीठ द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत संघ (1992) 4 एस. सी. सी. 605। इसलिए, भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना आवश्यक है। नामित संवैधानिक अधिकारियों के साथ परामर्श की कमी या नियुक्ति के मामलों में पात्रता की किसी भी शर्त की कमी या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के बिना किए जा रहे स्थानांतरण के आधार को

छोड़कर, ये मामले पक्षपात सहित किसी अन्य आधार पर न्यायोचित नहीं हैं, जो किसी भी मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुलता के तत्व से बाहर हैं।

86. यह कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारी बुनियादी संरचना का हिस्सा है, अब अच्छी तरह से स्थापित है। एस. पी. गुप्ता (ऊपर) (प्रथम न्यायाधीश का मामला) ने कहा था कि यह स्वतंत्रता कई स्वतंत्रताओं में से एक है।

अन्य सिद्धांत जो संविधान के पूरे ताने–बाने से गुजरते हैं और संविधान के तहत कानून के शासन का एक हिस्सा हैं। न्यायपालिका को अन्य दो अंगों को कानून की सीमा के भीतर रखने और कानून के शासन को सार्थक और प्रभावी बनाने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत व्यापक अवधारणा है जो कई अन्य दबावों से अपनी व्यापक स्वतंत्रता लेती है।

और पूर्वाग्रह। इसमें कई आयाम शामिल हैं जिनमें अन्य शक्ति केंद्रों से निडरता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उस वर्ग द्वारा अर्जित और पोषित पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता शामिल है जिससे न्यायाधीश संबंधित हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की इस व्यापक अवधारणा का उल्लेख सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम में मिलता है। न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्जी और अन्य 7 1, बंबई उच्च न्यायालय बनाम। शशीकांत एस. पाटिल 2 और जसबिर सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1 3 73,

87.न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पहलू पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (2016) (ऊपर) में यह देखा गया है:

" 713. स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएँ क्या हैं? यह है।

चित्रण के अलावा उन्हें परिभाषित करना असंभव है। इस स्तर पर पूर्व न्यायाधीश सर निनियन स्टीफन के शब्दों को याद करना उचित है।

ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने स्मरणीय रूप से कहा:

71 (1995) 5 एस. सी. सी. 45772 72 (1997) 6 एस. सी. सी. 339

73 (2006) 8 एस. सी. सी. 294 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" [एक] स्वतंत्र न्यायपालिका, हालांकि एक दुर्जेय रक्षक

व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक ही समय में एक बहुत ही कमजोर संस्था है, वास्तव में एक नाजुक गढ़ "।

यह इस नाजुक गढ़ को बनाए रखने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता और यदि यह नाजुक गढ़ एक चुनौती के अधीन है, तो संवैधानिक संरक्षण आवश्यक है।

714. न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपने दो हिस्सों में आती है

व्यापक अवधारणाएँः (1) एक व्यक्तिगत न्यायाधीश की स्वतंत्रता, कि

निर्णयात्मक स्वतंत्रता है; और (2) न्यायपालिका की स्वतंत्रता

एक संस्थान या राज्य के एक अंग के रूप में, अर्थात कार्यात्मक

स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता पर एक व्याख्यान में, लॉर्ड फिलिप्सउन्होंने कहाः

" निष्पक्ष होने के लिए एक न्यायाधीश को स्वतंत्र होना चाहिए; व्यक्तिगत रूप से

स्वतंत्र, जो व्यक्तिगत दबावों से मुक्त है और संस्थागत रूप से

स्वतंत्र, जो राज्य के दबाव से मुक्त है।

XX

XX

XX

726. आम तौर पर, इसलिए, की स्वतंत्रता

न्यायपालिका न्यायाधीश की निर्णय लेने की क्षमता में प्रकट होती है।

किसी भी बाहरी (या आंतरिक) दबाव या किसी के डर से स्वतंत्रबाहरी (या आंतरिक) दबाव और वह है "निर्णयात्मक"

स्वतंत्रता "। यह संस्थान की क्षमता में भी प्रकट होता है।

"कार्यात्मक स्वतंत्रता" होना। एक व्यापक और

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की समग्र परिभाषा मायावी है।

लेकिन इसे समझना आसान है।

उपरोक्त उद्धृत अंशों से यह स्पष्ट है कि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता निर्णयात्मक और कार्यात्मक दोनों को संदर्भित करती है।

स्वतंत्रता। 'न्यायिक स्वतंत्रताः' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट का संदर्भ है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में नियुक्तियों का कानून और अभ्यास "जिसमें कहा गया था कि न्यायाधीश लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं (भारत और यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में प्रासंगिक) और इसलिए, राजनीतिक या अन्य हस्तक्षेप से उनकी स्वतंत्रता से उनका अधिकार और वैधता प्राप्त होती है।

74 योगदानकर्ताः प्रोफेसर डॉ. जुट्टा लिम्बाच, प्रोफेसर डॉ. पेड्रो विलालोन, रोजर एरेरा, हर्न हिल क्यूसी के आर. टी. ऑन लॉर्ड लेस्टर, प्रोफेसर डॉ. तमारा मोर्सचाकोवा, आर. टी. ऑन लॉर्ड जस्टिस सेडली, प्रोफेसर डॉ. आंद्रेज जोल।

< एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. अंतर्विरोध। ओ. आर. जी./दस्तावेज़/142/सूचकांक।

एच. टी. एम. एल.> सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [संजीव खन्ना, जे.]

88. हमने पारदर्शिता, जवाबदेही के मुद्दे की विवादास्पद प्रकृति को उजागर करने के लिए निर्णयों और दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है और

विभिन्न तर्कों और दोनों पक्षों के प्रतिवाद के साथ न्यायिक स्वतंत्रता, जिनमें से प्रत्येक योग्यता का आदेश देता है और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि न्यायिक स्वतंत्रता के प्रश्न को संतुलन अभ्यास में शामिल किया जाए। इस बात पर संदेह और बहस नहीं की जा सकती कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सार्वजनिक चिंता का विषय है और सीधे तौर पर लोक कल्याण से संबंधित है और जनहित परीक्षण को तौलने और लागू करने में ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक होगी। इस प्रकार, जब जनहित सूचना के प्रकटीकरण की मांग करता है, तो विवेकाधिकार के प्रयोग के प्रश्न का निर्णय लेते समय न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा। हालाँकि, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल सूचना तक पहुँच से इनकार करके प्राप्त की जा सकती है। किसी मामले में स्वतंत्रता जानकारी प्रस्तुत करके खुलेपन और पारदर्शिता की मांग कर सकती है। न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का संदर्भ जवाबदेही को कम करने और टालने के लिए नहीं है, जो एक ऐसा पहलू है जिसे हम समझते हैं और मानते हैं कि सूचना के प्रकटीकरण के पक्ष में सार्वजनिक हित की जांच करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही साथ-साथ चलते हैं क्योंकि जवाबदेही सुनिश्चित करती है, और यह न्यायिक स्वतंत्रता का एक पहलू है। इसके अलावा, आनुपातिकता परीक्षण को लागू करते समय, इसका प्रकार और प्रकृतिजानकारी एक प्रासंगिक कारक है। टिप्पणियों और सांकेतिक कारणों के साथ

न्यायाधीशों की नियुक्ति/पदोन्नति और स्थानांतरण के संबंध में कॉलेजियम द्वारा पारित अंतिम राय या प्रस्तावों और कॉलेजियम द्वारा दिए गए इनपुट/डेटा या विवरण के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

जाँच की थी। उम्मीदवार के इनपुट विवरण, डेटा और विवरणों को प्रकट करने में सार्वजनिक हित की कठोरता आउटपुट के विवरण को प्रकट करने और प्रस्तुत करने से अलग होगी, यानी निर्णय। पूर्व में, लोक हित परीक्षण को प्रत्ययी संबंध (यदि यह उत्पन्न होता है) को ध्यान में रखते हुए लागू करना होगा, और गोपनीयता के अधिकार पर आक्रमण और गोपनीयता के कर्तव्य का उल्लंघन भी करना होगा।

उम्मीदवार या सूचना प्रदाता, इस तरह के विवरण और विवरण प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप। यह स्थिति प्रकटीकरण के पक्ष में और सूचना को रोकने के पक्ष में विभिन्न कारकों के बीच एक सैद्धांतिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और खुलेपन के साथ–साथ विचार–विमर्श की गोपनीयता सबसे नाजुक और जटिल क्षेत्रों में से एक है। स्पष्ट रूप से, स्थिति प्रगतिशील होने के साथ–साथ विकसित भी हो रही है क्योंकि चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और खुला बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विशेष रूप से, [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नामों के प्रकटीकरण और जिन लोगों को मंजूरी नहीं दी गई थी, उनके कारणों पर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद परिवर्तन हुआ है। यह पद अतीत के अनुभवों और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए रास्ते बनाता रहेगा।

संविधान पीठ को भेजे गए प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया जाता है, यह देखते हुए कि इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से देना संभव नहीं है, और प्रत्येक मामले में, जन हित परीक्षण को तराजू को तौलने के लिए लागू किया जाएगा और संतुलन पर यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए या छूट दी जानी चाहिए। इसलिए, एक सार्वभौमिक सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर संभव नहीं है। हालाँकि, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जनहित का विषय है।

निष्कर्ष

89. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम 2010 की सिविल अपील को खारिज करते हैं और 2009 की एल. पी. ए. संख्या 501 में दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जनवरी, 2010 के फैसले को बरकरार रखते हैं, जिसमें सी. आई. सी. द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने

अपनी संपत्ति घोषित की। इस तरह का खुलासा किसी भी तरह से बाधक नहीं होगा।

न्यायाधीशों की व्यक्तिगत जानकारी और निजता के अधिकार पर। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के खंड (ई) के संदर्भ में प्रत्ययी संबंध नियम लागू नहीं होता है। यह न्यायाधीशों की गोपनीयता के अधिकार और व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता की रक्षा करने के उनके अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जो वह मामला होगा जहां घोषणा में व्यक्तिगत संपत्ति के विवरण और सामग्री की मांग की जाती है और जिस स्थिति में आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) और धारा 11 (1) के प्रावधान के अनुसार जनहित परीक्षण लागू होगा।

90. जहाँ तक सिविल अपील सं। 10045 2010 और 2010 के 10044 का संबंध है, उन्हें प्रेषित करने के आदेश के साथ आंशिक रूप से अनुमति दी जानी है

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद मामले की फिर से जांच करेगा क्योंकि जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है। अंतिम आदेश पारित होने से पहले, संबंधित तीसरे पक्ष को नोटिस जारी करना और सुनना आवश्यक है क्योंकि वे हमारे सामने पक्षकार नहीं हैं। प्रेषण पर प्रकटीकरण के प्रश्न का निर्णय करते समय, सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका पालन करेगा

तीसरे पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निर्णय में की गई टिप्पणियाँ। हम इससे बच गए हैं तीसरे पक्ष की अनुपस्थिति में विशिष्ट निष्कर्ष निकालना, जिनके पास धारा 11 (1) के तहत अधिकार हैं और उनके विचार और राय अज्ञात हैं।

संदर्भ और अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे. सूचकांक

एक परिचय

B संविधान पीठ का संदर्भ

सी वकील की प्रस्तुतियाँ

डी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

ई. एस. पी. गुप्ता, स्पष्टता और वर्ग प्रतिरक्षा

एफ न्यायिक स्वतंत्रता

एफ. 1 न्यायिक जवाबदेही

जी प्रत्ययी संबंध

एच निजता का अधिकार और जानने का अधिकार

। निष्कर्ष

जे दिशाएँ

एक परिचय

पृष्ठभूमि.

1. तीन दीवानी अपीलों का यह समूह सवाल उठाता है –

2. अपील 2 ("नियुक्ति मामला") में से पहले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी 3 केंद्रीय सूचना आयोग के 24 नवंबर 2009 के एक आदेश को चुनौती देता है। आदेश सी. पी. आई. ओ. को मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश देता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 20055 के तहत आवेदन में प्रतिवादी द्वारा। प्रतिवादी ने 23 जनवरी 2009 को एक आवेदन में संविधान के बीच आदान–प्रदान किए गए पत्राचार की प्रतियां मांगी थीं। न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू, न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली और न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की नियुक्ति से संबंधित फाइल टिप्पणियों के साथ अधिकारी

2 2010 की सिविल अपील सं. 100443 " सीपीआईओ "

4 " सी. आई. सी "

5 " आर. टी. आई. अधिनियम "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक और न्यायमूर्ति वी. के. गुप्ता की वरिष्ठता को हटा दिया गया)। अपीलार्थी ने आवेदन में मांगी गई जानकारी इस आधार पर देने से इनकार कर दिया कि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामलों से नहीं निपटती है।

और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एफ) और (जे) के दायरे में नहीं आती है। प्रतिवादी ने सी. आई. सी. के समक्ष दूसरी अपील को प्राथमिकता दी। 24 नवंबर 2009 को, सी. आई. सी. ने अपीलार्थी को प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सी. आई. सी. के प्रकटीकरण के आदेश के फैसले को चुनौती देते हुए इस अदालत का रुख किया है।

3. तीन अपीलों में से दूसरी अपील 3 ("संपत्ति मामला") में, अपीलार्थी ने एक पूर्ण पीठ के 12 जनवरी, 2010 के फैसले को चुनौती दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश 9 दिनांक 2 सितंबर 2009 और सी. आई. सी. दिनांक 6 जनवरी 2009 के आदेशों को बरकरार रखते हुए सूचना के प्रकटीकरण का निर्देश दिया। 10 नवंबर 2007 को, प्रत्यर्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 7 मई 1997 के प्रस्ताव की एक प्रति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रत्येक वर्तमान न्यायाधीश और सभी भावी न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने के बाद, उचित समय के भीतर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अचल संपत्ति या उनके नाम या उनके जीवनसाथी के नाम या उन पर निर्भर किसी भी व्यक्ति के रूप में संपत्ति की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। प्रत्यर्थी ने भी अनुरोध किया6 धारा 2 (च)–"सूचना" का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है।

1 7 धारा 2 (जे)–"सूचना का अधिकार" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है और इसमें शामिल हैं –

(i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण; (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणियाँ, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ लेना; (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना; (iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य रूप में जानकारी प्राप्त करना।

इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंटआउट के माध्यम से जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में संग्रहीत की जाती है।

8 2010 की सिविल अपील संख्या 2683 9 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल और अन्र, रिट याचिका (सी) 288/2009

10 अपील सं. सी. आई. सी./डब्ल्यू. बी./ए./2008/00426 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" राज्य में संबंधित मुख्य न्यायाधीशों को संपत्ति आदि की ऐसी किसी भी घोषणा के बारे में जानकारी। जबकि अपीलार्थी ने 7 मई 1997 के प्रस्ताव की एक प्रति प्रदान की, सी. पी. आई. ओ. ने (30 नवंबर 2007 के एक आदेश द्वारा) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा से संबंधित जानकारी प्रदान करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने इसे धारण नहीं किया था। अपीलार्थी ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा से संबंधित जानकारी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के पास थी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने धारा 6 (3) 1 के तहत आर. टी. आई. आवेदन को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए मामले को अपीलार्थी को वापस भेज दिया। अपीलार्थी ने आर. टी. आई. आवेदन को उच्च न्यायालयों के सी. पी. आई. ओ. को इस आधार पर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया कि जब प्रतिवादी ने आर. टी. आई. आवेदन दायर किया, तो उसे पता था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा के संबंध में जानकारी उच्च न्यायालयों के पास उपलब्ध थी जो अलग-अलग सार्वजनिक प्राधिकरणों का गठन करते थे। 6 जनवरी 2009 को, सी. आई. सी. ने दूसरी अपील में कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित जानकारी इसकी रजिस्ट्री के साथ उपलब्ध है और अपीलार्थी ने

बशर्ते कि इस उप-धारा के अनुसार आवेदन का हस्तांतरण जितनी जल्दी हो सके किया जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के बाद नहीं किया जाएगा।12 1 2 धारा 8-सूचना के प्रकटीकरण से छूट। (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी नागरिक को देने का कोई दायित्व नहीं होगा,

(ई) अपने प्रत्ययी संबंध में किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देता है;

(जे) ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनती है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट नहीं होता है कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए अपीलार्थी। अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। 2 सितंबर 2009 को, उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को दी गई संपत्ति की घोषणा और इसकी सामग्री

आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन "सूचना" का गठन किया गया। एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया किः (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक

स्वतंत्र पद; (ii) न्यायिक कार्यों में कोई पदानुक्रम मौजूद नहीं है; (iii) भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास ऐसी "जानकारी" न्यासी क्षमता में नहीं है; और (iv) प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी को धारा 8 (1) (ई) के तहत छूट नहीं दी गई थी। एक लेटर्स पेटेंट अपील में, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। अपीलार्थी ने पूर्ण पीठ के फैसले को चुनौती दी है।

4. तीसरी दीवानी अपील ("अनुचित प्रभाव मामले") में, अपीलार्थी ने 24 नवंबर के सी. आई. सी. के आदेश को चुनौती दी है।

20091 4, जिसके द्वारा अपीलार्थी को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था

प्रतिवादी द्वारा अपने आर. टी. आई. आवेदन में माँगा गया। 6 जुलाई, 2009 को, प्रतिवादी ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर एक आर. टी. आई. आवेदन दायर किया, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री द्वारा न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने के लिए एक वकील के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर. रघुपति से कथित रूप से संपर्क करने के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूरे पत्राचार की मांग की गई थी। आवेदन में केंद्रीय मंत्री और वकील के नाम और न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने के लिए उनके खिलाफ उठाए गए कदमों का खुलासा करने की मांग की गई थी। 4 अगस्त 2009 को, अपीलार्थी ने इस आधार पर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने अपील को खारिज कर दिया। सी. आई. सी. के समक्ष दूसरी अपील के कारण 24 नवंबर 2009 को निर्देश दिया गया कि 7 और 8 प्रश्नों में मांगी गई जानकारी को छोड़कर मांगी गई जानकारी प्रदान की जाए। अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

सी. आई. सी. के फैसले को चुनौती।

B संविधान पीठ का संदर्भ

5. 26 नवंबर 2010 को, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने रजिस्ट्री को अपीलों के वर्तमान समूह को न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

13 लेखन याचिका (सी) 288/200914 अपील संख्या सी. आई. सी. डब्ल्यू. बी./ए./2009/000859 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम।

सुभाष चंद्र

अग्रवाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उचित संख्या वाली पीठ के गठन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश

और कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया:

" 1. क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा के लिए मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध की आवश्यकता है और इसकी मांग की जाती है? क्या मांगी गई जानकारी के कार्यकरण में हस्तक्षेप के बराबर है

न्यायपालिका?

2. क्या मांगी गई जानकारी को निर्णयों की विश्वसनीयता में किसी भी क्षरण से बचने और सभी संवैधानिक कार्यकर्ताओं द्वारा ईमानदार राय की स्वतंत्र और स्पष्ट अभिव्यक्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, जो प्रभावी परामर्श के लिए और निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।

सही निर्णय?

3. क्या मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट प्राप्त है?

6. 17 अगस्त 2016 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इन दीवानी मामलों को संदर्भित किया।

न्यायनिर्णयन के लिए संविधान पीठ से अपील करना।

सी वकील की प्रस्तुतियाँ

(i) वर्तमान मामला एस. पी. गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति मामले में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में नहीं आता है, जो विशिष्टता पर आधारित है।तथ्य। एस. पी. गुप्ता में निर्णय जानने के अधिकार पर प्रतिबंधों और संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत मौजूदा प्रतिबंधों के बीच संबंध पर विचार नहीं करता है। एक बार जब अनुच्छेद 19 (1) (ए) आकर्षित हो जाता है, तो अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंध लागू हो जाते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम 2005 में लागू हुआ और सूचना के अधिकार पर

अधिकारों और प्रतिबंधों को सूचीबद्ध करता है। आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों को इस तरह से समझा जाना चाहिए जो इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सहित संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाए।

फॉर्म और जो पहले से मौजूद है और जनता के लिए सुलभ है कानून के तहत प्राधिकरण। न्यायाधीश स्वेच्छा से संपत्ति का खुलासा करने का निर्णय ले सकते हैं।

15 1981 एस. सी. सी. 87 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और प्रासंगिक जानकारी को सार्वजनिक क्षेत्र में रखें। कोई तीसरा पक्ष किसी न्यायाधीश की संपत्ति के प्रकटीकरण पर जानकारी नहीं ले सकता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद नहीं है। (iii) एस. पी. गुप्ता मामले में इस अदालत का निर्णय एक तथ्यात्मक रूप से अलग स्थिति पर आधारित है जहां गैर–कानूनी मामलों के संबंध में पत्राचार का खुलासा किया जाता है।

एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति का आदेश इस आधार पर दिया गया था कि न्यायाधीश न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष था। इसके अलावा,

निर्णय ने तीसरे पक्ष को जानकारी के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध स्थापित किया;

(v) कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा सहमति की प्रक्रिया के लिए चरित्र, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा की आवश्यकता होती है। सबसे उपयुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए भावी नियुक्त न्यायाधीशों की क्षमता। न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामलों में स्पष्टता बनाए रखना और तीसरे पक्ष द्वारा अनावश्यक मुकदमेबाजी बहस से बचना जनहित में है। इस तरह का खुलासा

सत्ता केंद्रों, आर्थिक या राजनीतिक, से निडरता और उस वर्ग द्वारा अर्जित और पोषित पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता सहित अन्य दबाव और पूर्वाग्रहों से जिससे न्यायाधीश संबंधित हैं (सी रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्जी 1);(vi) न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में मांगी गई जानकारी और चरित्र, आचरण से संबंधित पत्राचार और फाइल टिप्पणियाँ,

एक न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा और क्षमता में कुछ "व्यक्तिगत जानकारी" शामिल है और इसलिए इसे आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट दी गई है।(vii) संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के तहत निर्णय का आधार बनने वाले पत्राचार और फाइल टिप्पणियों में जानकारी शामिल है।

16 (1995) 5 एस. सी. सी. 457 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एक प्रत्ययी क्षमता में तीसरे पक्ष से प्राप्त। जानकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीसरे पक्ष द्वारा प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप आयोजित की जाती है जो विश्वास, पूर्ण सद्भावना, सत्यनिष्ठा और निष्ठा में जानकारी देते हैं। इसलिए, ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण धारा 8 (1) (ई) के तहत छूट प्राप्त है।

(viii) किसी न्यायाधीश के आचरण, चरित्र, सत्यनिष्ठा और क्षमता से संबंधित पत्राचार के प्रकटीकरण से उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है, उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है और उनके कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया में की गई टिप्पणियों के लिए एक न्यायाधीश के लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों के साथ दीवानी/आपराधिक कार्यवाही से संरक्षित हैं।न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम 1985 की धारा 3 (1) के तहत। सूचना के प्रकटीकरण को विनियमित करते समय, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गोपनीयता के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत तीसरे पक्ष के सूचना के अधिकार को संतुलित करना आवश्यक है। संघर्ष को हल करने के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करना होगा

दोनों अधिकारों और न्यायाधीश की प्रतिष्ठा और गोपनीयता के अधिकार के बीच तीसरे पक्ष की सूचना के अधिकार पर हावी होना चाहिए; और(ix) लोक सेवकों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण के संबंध में कानून और नियम ऐसी जानकारी देने के लिए प्रावधान नहीं करते हैं।

सार्वजनिक डोमेन में या तीसरे पक्ष को ऐसी जानकारी तक पहुंच प्रदान करना। न्यायपालिका स्वैच्छिक व्यवस्था प्रदान करके स्व–विनियमन की मांग कर रही है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण और ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण करना सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर है। कोई तीसरा पक्ष ऐसी जानकारी नहीं ले सकता जो सार्वजनिक क्षेत्र में न हो।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

(i) एस. पी. गुप्ता मामले में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां वर्तमान पीठ के लिए बाध्यकारी हैं। हालांकि निश्चित

अधिवक्ता–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1 7, नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में पत्राचार के प्रकटीकरण के संबंध में इस न्यायालय का निर्णय अप्रभावित रहता है। अगर एस. पी. गुप्ता को होना है खारिज कर दिया, यह केवल सात से अधिक न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा किया जा सकता है;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ii) इस न्यायालय ने अनुच्छेद 19 (1) (ए) की व्याख्या करते हुए सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में भी शामिल किया है।आर. टी. आई. अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने से पहले। वर्तमान मामलों में मांगी गई जानकारी का प्रकटीकरण अनुच्छेद 19 (1) (ए) में गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसमें एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित शामिल है।

((iii) नागरिकों तक सूचना का मुक्त प्रवाह विशेष रूप से आवश्यक है।

ऐसे मामलों में जो सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रशासन का हिस्सा हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संपत्ति, आपराधिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार शामिल है। गोपनीयता के आवरण के साथ सार्वजनिक कार्यों को कवर करना जनता के हित में नहीं है और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पीड़न और दुर्व्यवहार और अविश्वास का कारण बन सकता है। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की कमी से संस्थान की विश्वसनीयता में वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर मांगी गई जानकारी के प्रकटीकरण से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और न्यायपालिका पर अनुचित प्रभाव को रोका जा सकेगा।

((iv) वर्ग विशेषाधिकार या वर्ग प्रतिरक्षा का दावा

भारत के मुख्य न्यायाधीश और कानून के बीच पत्राचार

एस. पी. गुप्ता में मंत्री को खारिज कर दिया गया। आर. टी. आई. अधिनियम के अधिनियमन के बाद, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा रखी गई जानकारी को प्रकटीकरण से बाहर नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह धारा 8 में निर्धारित छूट के तहत नहीं आती है या आर. टी. आई. की धारा 24 1 8 के तहत बाहर रखी गई संस्था से संबंधित नहीं है।धारा 24–कुछ संगठनों पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम (1) इस अधिनियम में निहित कुछ भी दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई कोई जानकारीः बशर्ते कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को इस उप–धारा के तहत बाहर नहीं किया जाएगाः बशर्ते कि मांगी गई जानकारी के मामले में

मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में, जानकारी केवल मानवाधिकार आयोग की मंजूरी के बाद प्रदान की जाएगी।

केंद्रीय सूचना आयोग, और धारा 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसी जानकारी अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

(2) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य खुफिया या सुरक्षा संगठन को उसमें शामिल करके या उसमें पहले से निर्दिष्ट किसी संगठन को हटा कर अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, ऐसे संगठन को अनुसूची में शामिल माना जाएगा या, जैसा भी मामला हो, अनुसूची से हटा दिया जाएगा।

(3) उप–धारा (2) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(v) एस. पी. गुप्ता में, यह तर्क कि नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक अधिकारियों के बीच पत्राचार का खुलासान्यायाधीशों की प्रक्रिया स्वतंत्र और स्पष्ट अभिव्यक्ति को बाधित करेगी

राय को अस्वीकार कर दिया गया। सूचना का अधिकार विधेयक के मसौदे के दौरान, इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि प्रकटीकरण वाणिज्य दूतों को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से खुद को व्यक्त करने से रोकेगा और लोगों की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाएगा। स्पष्टता का तक आर. टी. आई. अधिनियम के तहत किसी भी छूट के तहत नहीं आता है और इसलिए, जानकारी के इस प्रकटीकरण को आर. टी. आई. अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है।

न्यायाधीशों की, जो सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, व्यक्तिगत जानकारी है जिसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मांगी गई जानकारी को धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट नहीं है।(vii) उन लोगों के बीच कोई प्रत्ययी संबंध मौजूद नहीं है जो यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी के साथ निहित हैं कि क्या एक नियुक्त व्यक्ति है

एक न्यायाधीश और स्वयं नियुक्त व्यक्ति के रूप में पदोन्नति के लिए उपयुक्त। लोक सेवक का कर्तव्य जनता के हित में कार्य करना है न कि किसी अन्य लोक सेवक के हित में। कॉलेजियम के सदस्यों के लिए परामर्श और जानकारी उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया

प्रमाण–पत्रों और नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता के संबंध में जनहित का विषय है। इसके अलावा, जब न्यायाधीश अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य करते हैं

1997 के प्रस्ताव का अनुपालन और उनकी संपत्तियों का खुलासा, यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए एक प्रत्ययी क्षमता में कार्य करता है

(4) इस अधिनियम में निहित कुछ भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा, जैसे किसरकार, समय–समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती हैः बशर्ते कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को इस उप–धारा के तहत बाहर नहीं किया जाएगाः

बशर्ते कि मांगी गई जानकारी के मामले में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में, जानकारी केवल राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी और धारा 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसी जानकारी अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। (5) उप–धारा (4) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीशों को। भारत के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम के अन्य सदस्य कानून द्वारा उनमें निहित आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं औरमाँगी गई जानकारी को धारा 8 (1) (ई) के तहत छूट नहीं है। भले ही जानकारी का कुछ हिस्सा व्यक्तिगत हो, उस हिस्से को धारा 10 के तहत मामले–दर–मामले के आधार पर उचित जांच के बाद अलग किया जा सकता है; और

(viii) यह तर्क कि सूचना के प्रकटीकरण के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगीगलत धारणा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता।

विधायिका और कार्यपालिका से और जनता से नहीं। यह प्रतिवादी का एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि वह जानकारी प्राप्त करे और उन व्यक्तियों की पहचान करे जिन्होंने समझौता करने का प्रयास किया है।

न्यायपालिका की कार्यप्रणाली। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए नागरिकों के लिए ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक है।

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ हमारे विचार के लिए आती हैं।

डी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

10. वर्तमान विवाद के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि –

आर. टी. आई. अधिनियम के वैधानिक ढांचे में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करें। धारा 2 और 3 में लिखा हैः

" 2. परिभाषाएँ। – – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, –

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है

((i) लोक सभा या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा के मामले में अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद की राज्य परिषद के मामले में अध्यक्ष;

((ii) उच्चतम न्यायालय के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश

न्यायालय;

((iii) एक मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय;

((iv) राष्ट्रपति या राज्यपाल, यथास्थिति,

स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों का मामला

संविधान द्वारा या उसके अधीन; ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र गढ़वाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक

संविधान;

अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात,किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी भी समय लागू कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

.....

(ज) "सार्वजनिक प्राधिकरण" से कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था अभिप्रेत है।स्थापित या गठित स्वशासन का,

((क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

((ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;(घ) उपयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा

सरकार, और किसी भी शामिल

((i) स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

((ii) गैर–सरकारी संगठन जो पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं,

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त द्वारा प्रदान की गई खोजों द्वारा

सरकार;

(जे) "सूचना के अधिकार" का अर्थ है अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी भी जनता के पास या उसके नियंत्रण में है।

प्राधिकरण और इसमें अधिकार शामिल हैं –

((i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

((ii) टिप्पणियाँ, उद्धरण या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ लेना।

या अभिलेख;

((ग) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर में या किसी अन्य उपकरण में संग्रहीत की जाती है; [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. सूचना का अधिकार। – इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन,

सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

11. "सार्वजनिक प्राधिकरण" और "सूचना" दोनों शब्दों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। धारा 2 (जे) "सूचना के अधिकार" को परिभाषित करती है।

यह निर्धारित करता है कि आर. टी. आई. अधिनियम के तहत उपलब्ध जानकारी द्वारा आयोजित की जाती है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये अभिलेख आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं, उसमें निर्धारित गतिविधियों का अभिलेख। धारा 6 एक व्यक्ति को संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ("सीपीआईओ") या राज्य लोक सूचना अधिकारी ("एसपीआईओ") या उनके संबंधित के पास अनुरोध दायर करने का अधिकार देती है। सहायक अधिकारी (सामूहिक रूप से इसके बाद "सूचना अधिकारी")। धारा 7 सूचना अधिकारी को धारा 8 और 9 में निर्धारित कारणों से या तो मांगी गई जानकारी प्रदान करने या आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार देती है।

12. आर. टी. आई. अधिनियम के तहत आने वाले किसी प्राधिकरण के लिए, यह अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" होना चाहिए। सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था या स्वयं के रूप में परिभाषित किया गया है।

सरकार जो किसी भी गणना के दायरे में आती है उस उप–धारा में प्रावधान। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के आधार पर की गई है। इसी तरह, संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। धारा 2 (एच) (ए) के संदर्भ में, एक निकाय या एक संस्था जो संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित की गई है,

सार्वजनिक प्राधिकरण। लेकिन संविधान द्वारा स्थापित होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (एच) में "सार्वजनिक प्राधिकरण" के दायरे में आते हैं।

13. धारा 2 (ई) (ii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश है।न्यायालय और धारा 2 (ई) (iii) में निर्धारित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी

उच्च न्यायालय का मामला उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। उल्लेखनीय रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

न्यायाधीशों। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अलग नहीं है। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के आधार पर किया जाता है और इसमें न्यायाधीश होते हैं, जिनके

प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश आर. टी. आई. अधिनियम के भीतर दो अलग–अलग 'सार्वजनिक प्राधिकरण' हैं।

14. धारा 2 (च) के तहत सूचना शब्द को मोटे तौर पर "किसी भी रूप में किसी भी सामग्री" को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। 'सम्मिलित' शब्दउपखंड के दायरे में आने वाली सामग्रियों की एक गैर–विस्तृत सूची प्रदान करने के लिए संसद के इरादे को दर्शाता है। उपखंड में किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है "जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय लागू कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है"। इस वाक्यांश का तात्पर्य यह है कि किसी तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी केवल तभी शामिल की जाती है जब ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए लागू किसी भी कानून की आवश्यक पूर्व शर्तों को पूरा किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले अधिकार और मांगी गई जानकारी अधिनियम के तहत परिभाषित 'सूचना' और 'सूचना के अधिकार' के दायरे में आनी चाहिए। माँगी गई जानकारी अस्तित्व में होनी चाहिए और सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके अधीन होनी चाहिए।

15. धारा 8 (1) एक असंबद्ध वाक्यांश से शुरू होती है।

" इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद "। इस वाक्यांश का तात्पर्य यह है कि धारा 8 का खंड (1) आर. टी. आई. अधिनियम के तहत खुलासा करने के सामान्य दायित्व के लिए एक अपवाद बनाता है। कहाँ हैं हालात

धारा 8 के खंड (1) के किसी भी उपखंड में निर्धारित किया गया है कि सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं हैआवेदक। निर्णय के दौरान अपवाद के दायरे और वर्तमान विवाद पर इसकी प्रयोज्यता पर चर्चा की जाएगी।

16. धारा 22 1 9 19 में एक गैर–बाधा खंड है और यह निर्धारित करता है

कि आर. टी. आई. अधिनियम का कानूनों पर एक प्रमुख प्रभाव है। इस प्रावधान का उद्देश्य अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों को प्राथमिकता देना है और

यह सुनिश्चित करना कि जहां जानकारी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या उसके नियंत्रण में है, ऐसी जानकारी उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी निषेध के बावजूद आवेदक को दी जानी चाहिए। यह कहना उचित है कि धारा 22 कानूनी प्रतिबंधों को समाप्त नहीं करती है।19 22. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। इस अधिनियम के प्रावधान सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और उस समय लागू किसी अन्य कानून या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

जो धारा 2 (च) में "जिसे किसी भी समय लागू कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है" वाक्यांश के उपयोग से स्पष्ट की गई किसी भी जानकारी तक पहुंच के लिए किसी सार्वजनिक प्राधिकरण पर लागू होती है।

ई. एस. पी. गुप्ता, स्पष्टता और वर्ग प्रतिरक्षा

17. वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक, यह सवाल है कि क्या एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 2 में इस न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है।उठाए गए मुद्दों पर पूर्ववर्ती। प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले निर्धारण के बिंदुओं का उत्तर एस. पी. गुप्ता की सात न्यायाधीशों की पीठ ने दिया है, जहां इस अदालत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री के बीच पत्राचार का खुलासा करने का आदेश दिया है, जो दो साल के पूर्ण कार्यकाल के लिए एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति न करने से संबंधित है। वकील ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने माना कि जनहित में

प्रकटीकरण प्रकटीकरण से होने वाले संभावित नुकसान से अधिक था और यह कि एक स्वतंत्र और खुले लोकतांत्रिक समाज ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित पत्राचार का प्रकटीकरण अनिवार्य कर दिया था।

विशिष्ट स्थिति। उस मामले में न्यायालय अपने समक्ष मामले का न्यायनिर्णयन करने के उद्देश्य से नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित पत्राचार के प्रकटीकरण से संबंधित था। इसके अलावाजिस न्यायाधीश की नियुक्ति का मुद्दा था, वह मामले में एक पक्ष था। अदालत ने सभी परिस्थितियों में पत्राचार का खुलासा करके सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित नुकसान का समाधान नहीं किया। महान्यायवादी ने तर्क दिया कि निर्णय ने एक पारित अवलोकन में जानने के अधिकार का मूल्यांकन किया और प्रतिवादी के प्रस्तुत करने के विपरीत, इसने व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध स्थापित किया।

19. एस. पी. गुप्ता के मामले में यह न्यायालय दो मुद्दों से संबंधित थाः ((i) अतिरिक्त न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति और उनकी पुनर्नियुक्ति

उनके कार्यकाल की समाप्ति; और (ii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण। कार्यवाही में शामिल मुद्दों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री के बीच विस्तार देने के निर्णय के संबंध में आदान–प्रदान किए गए पत्राचार के प्रकटीकरण से संबंधित था।

20 (1982) 2 एस. सी. आर. 365 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

न्यायमूर्ति ओ एन वोहरा और न्यायमूर्ति एस एन कुमार का दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में कार्यकाल तीन महीने की अवधि के लिए। यह तर्क दिया गया कि न्यायमूर्ति ओ एन वोहरा को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए था और न्यायमूर्ति एस एन कुमार को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए था।

अपने प्रारंभिक कार्यकाल की समाप्ति पर दो साल के पूर्ण कार्यकाल के लिए एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में फिर से नियुक्त। इस दौरान

कार्यवाही, उनकी शर्तें समाप्त हो गईं और केंद्र सरकार द्वारा उनकी शर्तों को नवीनीकृत नहीं करने के निर्णय के बारे में सूचित किया गया। यह तर्क देने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था कि पुनर्नियुक्ति को रोकना दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक था। दोनों पूर्व न्यायाधीशों को शामिल किया गया था

उत्तरदाताओं। जबकि न्यायमूर्ति ओ एन वोहरा कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए, न्यायमूर्ति एस एन कुमार वकील के माध्यम से पेश हुए और तर्क दिया कि उन्हें दो साल के पूर्ण कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त नहीं करने के केंद्र सरकार के फैसले को दूषित कर दिया गया था क्योंकि यह पूर्ण और पूर्ण कार्यकाल के बिना किया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ प्रभावी परामर्श। 20. सरकार ने पत्राचार के प्रकटीकरण का विरोध किया और आग्रह किया कि चूंकि यह भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का एक हिस्सा है, इसलिए अदालत को इससे बाहर रखा गया था।

संविधान के अनुच्छेद 74 (2) 2 1 के आधार पर प्रकटीकरण का आदेश। यह भी तर्क दिया गया कि 'राज्य के मामलों' से संबंधित पत्राचार और इसके प्रकटीकरण को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1232 2 के आधार पर वर्जित किया गया था।

21. 16 अक्टूबर 1981 के एक अंतरिम आदेश ने आदेश दिया कि

न्यायालय को पत्राचार का प्रकटीकरण। 30 दिसंबर 1981 के अपने अंतिम फैसले में, अदालत ने बहुमत से केंद्र सरकार के तर्क को खारिज कर दिया और न्यायमूर्ति एस. एन. कुमार को एक और पूर्ण कार्यकाल के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जारी नहीं रखने के फैसले के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री के बीच आदान–प्रदान किए गए पत्राचार के प्रकटीकरण को बरकरार रखा।

22. भारत संघ के विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने एस. पी. गुप्ता के मामले में निर्णय में अंतर करने की कोशिश की।

21 " यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई थी और यदि दी गई थी, किसी भी अदालत में इसकी जांच नहीं की जाएगी।22 " 123. राज्य के मामलों के बारे में साक्ष्य। किसी को भी राज्य के किसी भी मामले से संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड से प्राप्त कोई भी साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुमति के, जो ऐसी अनुमति देगा या रोकेगा जो वह उचित समझे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि प्रकटीकरण का आदेश भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 16223 के विशिष्ट संदर्भ में और न्यायिक अधिनियम के संबंध में किया गया था।

जिस कार्यवाही में न्यायमूर्ति एस. एन. कुमार पक्षकार थे। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि निर्णय का खुलासा करने का कर्तव्य स्थापित नहीं होता है

सभी परिस्थितियों में पत्राचार। न्यायमूर्ति एस. एन. कुमार ने न्यायालय की कार्यवाही और सूचना में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

उनकी गैर–नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही के दौरान इस तर्क पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था कि केंद्र सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच कोई प्रभावी परामर्श नहीं था। उस मामले में हितों का संतुलन प्रकटीकरण से होने वाले सार्वजनिक नुकसान और सार्वजनिक हित के बीच था न्याय का प्रशासन (न्यायालय के समक्ष वादी के लिए पूर्ण न्याय प्राप्त करके) जो, यह आग्रह किया जाता है, उससे भौतिक रूप से अलग है

वर्तमान मामला।23. एस. पी. गुप्ता के मामले में, इस न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश द्वारा केवल न्यायमूर्ति एस. एन. कुमार के कार्यकाल के नवीनीकरण न होने के संबंध में फाइल टिप्पणियों का खुलासा करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ओ एन वोहरा ने अदालत में पेश होने या कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला किया था। चूंकि न्यायालय के समक्ष उत्तरार्द्ध द्वारा कोई राहत नहीं मांगी गई थी, इसलिए न्यायालय ने माना कि

उनसे संबंधित पत्राचार विवाद के लिए प्रासंगिक नहीं था। नतीजतन, भारत संघ को इसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (जैसा कि वे उस समय थे) ने निम्नलिखित शब्दों में कार्यवाही में न्यायमूर्ति एस. एन. कुमार की तुलनात्मक रूप से विशिष्ट भूमिका का उल्लेख किया:

" 58. यह हमें एस. एन. कुमार के मामले की ओर ले जाता है जो पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है, क्योंकि एस. एन. कुमार रिट याचिका में पेश हुए हैं, रिट याचिका का समर्थन करते हुए एक हलफनामा दायर किया है और केंद्र सरकार के फैसले को कड़वाहट और जोरदार तरीके से चुनौती दी है कि उन्हें आगे के कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जारी नहीं रखा जाएगा। चूंकि एस. एन. कुमार ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अपने बने रहने के संबंध में न्यायालय से राहत का दावा किया है, इसलिए एक ओर याचिकाकर्ताओं और एस. एन. कुमार और दूसरी ओर भारत सरकार के बीच एक मुद्दा स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आवश्यक है –

23 " 162. दस्तावेजों का उत्पादन। दस्तावेज़ पेश करने के लिए बुलाए गए गवाह, यदि वह उसके कब्जे या शक्ति में है, तो उसे अदालत में लाएगा, भले ही उसे पेश करने या उसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति हो। ऐसी किसी भी आपत्ति की वैधता पर अदालत द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अदालत, यदि वह उचित समझती है, तो दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सकती है, जब तक कि वह राज्य के मामलों को संदर्भित नहीं करती है, या इसकी स्वीकार्यता पर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए अन्य सबूत नहीं लेती है। सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

यह तय करने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाएगा कि क्या रिट याचिका में दावा की गई राहत एस. एन. कुमार को दी जा सकती है।

24. अपने अंतिम निर्णय में, न्यायालय ने पहले इस तर्क को खारिज कर दिया कि पत्राचार को दी गई सलाह का हिस्सा थामंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति। न्यायालय ने नोट किया कि जबकि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह है

अनुच्छेद 74 (2) के तहत संरक्षित जानकारी, मुख्य प्रश्न यह था कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री के बीच पत्राचार मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह का हिस्सा था ताकि अनुच्छेद 74 (2) के आधार पर इसके प्रकटीकरण को रोका जा सके। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई कोई भी सलाह दोनों मुख्य न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर आधारित होगी और उनके विचार दी गई सलाह का हिस्सा नहीं होंगे। इस दृष्टिकोण से, जिस सामग्री के आधार पर मंत्रिपरिषद ने एक विचार बनाया और बाद में उसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया, वह अनुच्छेद 74 (2) के तहत संरक्षित सलाह नहीं होगी। न्यायमूर्ति भगवती ने कहाः

" 61 ..... उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है। दोनों मुख्य न्यायाधीशों से "पूर्ण और समान तथ्यों" पर परामर्श

किया जाता है और उनके विचार प्राप्त किए जाते हैं और उन विचारों पर विचार करने के बाद ही मंत्रिपरिषद अपने निर्णय पर पहुंचती है और राष्ट्रपति को अपनी सलाह देती है। गठन से पहले दोनों मुख्य न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचार

सलाह और केवल इसलिए कि उन्हें उस सलाह में संदर्भित किया जाता है जो अंततः मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाती है, वे आवश्यक रूप से सलाह का हिस्सा नहीं बनते हैं। खंड (2) या अनुच्छेद 74 के तहत जो प्रकटीकरण से संरक्षित है, वह केवल मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह है। लेकिन वह सामग्री जिस पर मंत्रिपरिषद का तर्क आधारित है और सलाह

दिए जाने को सलाह का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है।

25. इसके बाद अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत प्रकटीकरण के खिलाफ दावा किया। यह माना जाता है कि कहाँ

धारा 123 के तहत इस आधार पर प्रकटीकरण से सुरक्षा मांगी जाती है कि पत्राचार राज्य के मामलों से संबंधित है, अदालत को धारा 162 के आधार पर एक संतुलनकारी कार्य करने के लिए कहा जाता है।

प्रशासनिक या [2019] 16 एस. सी. आर. पर सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाने के बीच।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यकारी पक्ष जो न्यायिक पक्ष पर सार्वजनिक हित के नुकसान के खिलाफ दस्तावेज़ के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप होगा जो दस्तावेज़ के गैर–प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप होगा, हालांकि कार्यवाही के लिए प्रासंगिक है। इसने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय जनहित के प्रतिस्पर्धी पहलुओं को संतुलित करता है और निर्णय लेता है कि उसके समक्ष विशेष मामले में कौन सा प्रबल होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, प्रकटीकरण न करने का दावा टिकाऊ होगा, जहां दस्तावेज़ का प्रकटीकरण प्रकटीकरण न करने से न्याय प्रशासन को होने वाले नुकसान की तुलना में अधिक हद तक सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा। धारा 123 के संदर्भ में दावे का विश्लेषण करते हुए न्यायमूर्ति भगवती ने कहाः

" 73. हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई आपत्ति हो

दस्तावेज़ राज्य के मामलों से संबंधित है और क्या इसका प्रकटीकरणअदालत के समक्ष विशेष मामले में, जनता के लिए हानिकारक होगा

ब्याज। अदालत ने इन दोनों पर अपने फैसले पर पहुंचने मेंप्रश्नों को जनता के दो प्रतिस्पर्धी पहलुओं को संतुलित करना होता है

ब्याज, क्योंकि दस्तावेज़ संबंधित है

राज्य के मामले, इसके प्रकटीकरण से कुछ नुकसान होगा

राज्य का हित या राज्य का उचित कार्यकरण

लोक सेवा और दूसरी ओर यदि इसका खुलासा नहीं किया जाता है,गैर–प्रकटीकरण प्रशासन को विफल कर देगा

अदालत से एक सामग्री को पीछे रखते हुए न्याय

न्याय की अदालत द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक हित से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैइसके कार्य को प्रासंगिक साक्ष्य तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

26. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाही की प्रकृति जिसमें

प्रकटीकरण की मांग की जाती है, दस्तावेज़ की प्रासंगिकता और मुकदमेबाजी में दस्तावेज़ के महत्व की डिग्री संतुलन प्रक्रिया में प्रासंगिक कारक हैं। यदि केवल पत्राचार न्यायालय के समक्ष विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा,

इन दस्तावेजों को बाहर करना अनुचित होगा जो इस आरोप को स्थापित करने के लिए एकमात्र सबूत हैं, यदि बिल्कुल भी हो, तो यह कहते हुए कि इन दस्तावेजों के प्रकटीकरण से कुशल कार्यप्रणाली में बाधा आएगी।

न्यायिक संस्था '। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 82. ..... इन दस्तावेजों के अलावा, कोई नहीं होगा

दस्तावेज़ संक्षेप में बाहर फेंकने के समान होंगेअतिरिक्त को बंद करने के खिलाफ चुनौती

न्यायाधीश। जनता को होने वाला नुकसान

चोट जो संभवतः उनके प्रकटीकरण के कारण हो सकती है,क्योंकि गैर–प्रकटीकरण लगभग अनिवार्य रूप से परिणाम देगा

रिट याचिका को खारिज करने और इसके परिणामस्वरूप अस्वीकार करने में

न्याय का भले ही याचिकाकर्ता का दावा हो सकता है सत्य और न्यायपूर्ण "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रकटीकरण के कारण होने वाली संभावित क्षति है

न्याय में जनहित से अधिक क्योंकि विवाद का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों का खुलासा न करने से अनिवार्य रूप से रिट याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। उपरोक्त दो प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक हितों के संतुलन पर, न्यायालय ने न्यायमूर्ति एस. एन. कुमार की पुनर्नियुक्ति से संबंधित पत्राचार के प्रकटीकरण की आवश्यकता वाले अंतरिम आदेश को बरकरार रखा।

27. एस. पी. गुप्ता मामले में अदालत को दावों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 162 के आधार पर न्यायिक कार्यवाही में दस्तावेजों के प्रकटीकरण का विरोध करना। संतुलन का अभ्यास राज्य के मामलों से संबंधित दस्तावेजों के प्रकटीकरण और न्याय के प्रशासन में सार्वजनिक हित के परिणामस्वरूप सार्वजनिक नुकसान के बीच था। न्याय के प्रशासन में जनहित उस न्यायालय के समक्ष स्थापित मामले के निपटारे से संबंधित था जिसमें न्यायाधीश एक पक्ष था। एस. पी. गुप्ता के निर्णय में एक सामान्य प्रस्ताव नहीं दिया गया था कि [2019] 16 एस. सी. आर. के बीच पत्राचार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में संवैधानिक अधिकारियों कोसभी परिस्थितियों में जनता के किसी सदस्य के सामने खुलासा किया जाए। यह विचार कि प्रकटीकरण का आदेश न्यायिक कार्यवाही के विशिष्ट संदर्भ में दिया गया था, न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया (जैसा कि वे तब थे) की अलग राय में भी पुष्टि की गई थीः

" 1194. अधिकारी के सवाल से निपटना आवश्यक हो सकता है।

ऐसे मामले में अधिक विस्तार से गोपनीयता जहां की संवैधानिकता

अदालत ने आधिकारिक दस्तावेजों की खोज का आदेश दिया न्यायिक कार्यवाही, विचार के लिए उत्पन्न होती है। हम हैं।

न्यायालय की शक्ति के साथ इस मामले में संबंधित

न्यायिक में आधिकारिक दस्तावेजों के प्रकटीकरण का निर्देश देना।

कार्यवाही।

1203 ..... हमने महसूस किया कि प्रत्यक्ष प्रकटीकरण नहीं करने का निर्णय

इस तरह के प्रकटीकरण को निर्देशित करने का निर्णय और यह कि सार्वजनिक हितन्याय के प्रशासन में शामिल होना चाहिए

विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा का जनहितमामले में "।

(जोर दिया गया)

28. हालाँकि, एस. पी. गुप्ता का निर्णय समर्थन में एक मिसाल नहीं है।

हालाँकि, सभी परिस्थितियों में सामान्य प्रकटीकरण के प्रस्ताव का यह वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक है क्योंकि इसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि – (i) प्रकटीकरण और स्पष्टता असंगत हैं; और (ii) ऐसा पत्राचार वर्ग प्रतिरक्षा का हकदार है।

कैंडोर

29. न्यायालय ने इस तर्क को संबोधित किया कि कारण

दस्तावेजों के एक निश्चित वर्ग की रक्षा करना यह है कि वे सरकार के उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने से संबंधित हैं और केवल सार्वजनिक दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्रता ही सरकारी अधिकारियों के बीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्पष्टता को सक्षम बनाएगी। इस दृष्टिकोण से, सार्वजनिक जांच से निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिभागियों की स्वतंत्र और स्पष्ट तरीके से अपनी राय व्यक्त करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि स्पष्टता और स्पष्टता प्रकटीकरण के खिलाफ पूर्ण प्रतिरक्षा के अनुदान को उचित ठहराती है। न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (जैसा कि वे उस समय थे) ने स्पष्टता पर आधारित तर्क को निम्नलिखित शब्दों में संबोधित किया:

ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद्र गढ़वाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 71 ..... न्यायाधीशों के साथ स्पष्ट तर्क भी प्रबल नहीं हुआ है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों और न्यायविदों के साथ भी स्पष्ट तर्क प्रबल नहीं हुआ है और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि राउल बर्जर ने वाटरगेट टेप के प्रकटीकरण की मांग के खिलाफ राष्ट्रपति निक्सन द्वारा दावा की गई प्रतिरक्षा के बारे में बोलते हुए, अपनी पुस्तक एक्जीक्यूटिव प्रिविलेज में क्या कहा है: पृष्ठ 264 पर एक संवैधानिक मिथक:

" कैंडिड इंटरचेंज "संदिग्ध गोपनीयता का एक और बहाना है। यह श्री निक्सन के पूर्ण प्रतिरक्षा के दावे की व्याख्या नहीं करेगा

उनके व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के सदस्य केवल सदस्यता के आधार पर बिना अधिक के; यह ढाई मिलियन संघीय कर्मचारियों के लिए कांग्रेस की जांच से प्रतिरक्षा के क्लेनडियेंस्ट के दावे को उचित नहीं ठहराएगा। यह केवल सत्ता के लालची विस्तार का एक और प्रमाण है, जिसकी लागत स्पष्ट रूप से इसके लाभों से अधिक है। एक पंक्ति में नवीनतम शाखा के रूप में

अवैध उत्तराधिकार, यह कार्यकारी विशेषाधिकार के दावे द्वारा पैदा की गई अधिकता को दर्शाता है।हम इन विद्वान न्यायाधीशों से सहमत हैं कि स्पष्टता और स्पष्टता की आवश्यकता इस वर्ग के दस्तावेजों के प्रकटीकरण के खिलाफ पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करने को उचित नहीं ठहरा सकती है, लेकिन जैसा कि गिब्स, एसीजे ने सेंकी बनाम में बताया है। वास्तव में, यह मानना पूरी तरह से अवास्तविक नहीं होगा कि "कुछ मामलों में कम से कम मंत्रियों और क्राउन के सेवकों के बीच संचार अधिक स्पष्ट और स्पष्ट हो सकता है यदि संबंधित लोग मानते हैं कि वे इससे सुरक्षित हैं।

प्रकटीकरण "क्योंकि सभी क्राउन सेवक नहीं हो सकते हैं

"सख्त सामान" से बने होने की उम्मीद है। इसलिए स्पष्टता और स्पष्टता की आवश्यकता निश्चित रूप से होनी चाहिए

ध्यान में रखे जाने वाले कारक के रूप में माना जाता है

81. यह निस्संदेह सच है कि नियुक्ति या गैर–नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण [2019] 16 एस. सी. आर. को प्रभावित करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मामले हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक संस्थान की गुणवत्ता और दक्षता और यह है

इसलिए बिल्कुल आवश्यक है कि विभिन्न संवैधानिकइन मामलों से संबंधित अधिकारियों को सक्षम होना चाहिए

इनके संबंध में स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करें।

मामला। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च स्तरीय संवैधानिकउच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसे पदाधिकारी और

भारत के मुख्य न्यायाधीश को इससे रोका नहीं जाएगा

अपनी अभिव्यक्ति के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए

साहसपूर्वक और निडरता से विचार करें, भले ही उन्हें बताया गया हो कि

उनके विचारों वाला पत्राचार बाद में हो सकता है

खुलासा किया जा सकता है। हम पहले ही तर्क से निपट चुके हैं

स्पष्टता और स्पष्टता की आवश्यकता के आधार पर और हमें चाहिए

उच्च के धारकों के मामले में इसके आवेदन में इसे अस्वीकार कर दें।

और भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह नोट किया जाए और इसकाहमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश

कठोर सामग्री से बने होते हैं; उन्हें विरासत में एक लंबा औरस्वतंत्रता और निष्पक्षता की प्राचीन परंपरा '।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि स्पष्टता एक कारक हो सकती है

यह निर्धारित करने के लिए कि संचार के किस समूह को सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा का उपाय इस बात पर निर्भर करता है कि क्या, सभी प्रतिस्पर्धी के संतुलन पर

हित, सार्वजनिक हित प्रकटीकरण या गोपनीयता का पक्ष लेते हैं। जबकि न्यायालय ने नोट किया कि कुछ परिस्थितियों में प्रकटीकरण को रोकने के लिए स्पष्टता एक प्रासंगिक कारक हो सकता है, यह स्पष्ट रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों जैसे संवैधानिक अधिकारियों के लिए एक प्रासंगिक कारक के रूप में इसके महत्व को खारिज करता है। संवैधानिक पदाधिकारी संविधान में निहित सिद्धांतों के अनुसार निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपने पद की शपथ लेने के लिए बाध्य हैं। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सार्वजनिक नज़र या

बाद में खुलासा किसी व्यक्ति को अपने पद से जुड़ी गरिमा और नैतिकता के अनुसार प्रभावी तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोक देगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित संवैधानिक

अधिकारियों के बीच पत्राचार के खुलासे को रोकने के लिए स्पष्टता और स्पष्टता कारण नहीं हो सकती है।

वर्ग प्रतिरक्षा

30. दूसरा तर्क एस. पी. गुप्ता में खारिज कर दिया गया और इसके लिए प्रासंगिक है

वर्तमान मामला यह तर्क है कि "सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम के बीच पत्राचार।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति या गैर–नियुक्ति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संबंध में और इस संबंध में इन संवैधानिक अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियाँ दस्तावेजों के एक संरक्षित वर्ग से संबंधित हैं। यह तर्क दिया गया कि इन दस्तावेजों का खुलासा राष्ट्रीय हित और न्यायपालिका की गरिमा के लिए प्रतिकूल होगा। इस दृष्टिकोण से, न्यायालय को किसी विशेष मामले में पत्राचार के प्रकटीकरण के प्रभावों का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह के सभी पत्राचार एक विशेष वर्ग से संबंधित हैं जो प्रकटीकरण से मुक्त है। इस दृष्टिकोण से, दस्तावेजों की विशिष्ट सामग्री के कारण प्रकटीकरण वर्जित नहीं है, बल्कि इसके कारणदस्तावेजों के एक निश्चित वर्ग की सदस्यता जिसके लिए गैर–प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

31. न्यायमूर्ति भगवती, जिनसे पाँच अन्य न्यायाधीश सहमत थे, ने फैसला सुनाया

कि वर्ग प्रतिरक्षा का दावा एक 'असाधारण दावा' है जिसे 'अत्यधिक असाधारण उपाय' के रूप में दिया जाता है क्योंकि इस तरह के व्यापक दावे एक खुली सरकार की अवधारणा के विरोधाभासी और विनाशकारी हैं। उन्होंने पूर्ण प्रतिरक्षा के खिलाफ आगाह किया और इस पर जोर दियानिम्नलिखित शर्तों में एक खुली और पारदर्शी सरकार के लिए प्रतिबद्धताः

" 80 ..... यह केवल सबसे गंभीर मजबूरी के तहत है

जनहित की आवश्यकता जिसे न्यायालय बढ़ा सकता है

किसी भी अन्य वर्ग या दस्तावेजों के वर्गों के लिए प्रतिरक्षा

और एक खुले के लिए हमारी प्रतिबद्धता के संदर्भ में

नागरिक के सहवर्ती अधिकार के साथ सरकार

जानते हैं कि सरकार, अदालत में क्या हो रहा है

संरक्षित वर्ग को क्षीण करने की दिशा में विपरीत कदमया दस्तावेजों के वर्ग, क्योंकि बड़े पैमाने पर गोपनीयता है

एक सत्तावादी सरकार का बैज "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने वर्ग प्रदान करने के लिए एक उच्च मानक अपनाया

प्रतिरक्षा जो "केवल जनहित की आवश्यकता की गंभीर मजबूरी के तहत" दी जाएगी। इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि संवैधानिक के बीच पत्राचारपदाधिकारी सार्वजनिक प्रकटीकरण से छूट प्राप्त दस्तावेजों के एक वर्ग का गठन करते हैंः

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 81. ..... यह स्पष्ट होगा कि दस्तावेजों का वर्ग जिसमें शामिल हैं – कानून मंत्री के बीच आदान–प्रदान किया गया पत्राचार या

केंद्र सरकार के अन्य उच्च स्तरीय पदाधिकारी, प्रमुख

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य सरकार और मुख्य न्यायाधीश

नियुक्ति या गैर–नियुक्ति के संबंध में भारत के न्यायाधीशउच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या का स्थानांतरण

एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और इन संवैधानिक द्वारा बनाए गए नोट

उस ओर से कार्य करने वालों को संरक्षित नहीं माना जा सकता है।प्रकटीकरण के खिलाफ प्रतिरक्षा का हकदार वर्ग। गोपनीयता है

अधिक के बिना स्तर संचार के लिए एक दावा बनाए नहीं रख सकते हैंप्रकटीकरण के खिलाफ प्रतिरक्षा "।

इस प्रकार, संवैधानिक के बीच पत्राचार का खुलासा

अधिकारियों को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त संरक्षित श्रेणी में नहीं आने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था। प्रकटीकरण को केवल तभी प्रतिबंधित किया जाता है जब यह सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो। न्यायमूर्ति भगवती ने स्पष्ट किया कि किसी भी दस्तावेज का खुलासा न करने के दावे का आकलन करते समय न्यायालय के समक्ष मुख्य विचार जनहित का हैः

" 80 ..... दस्तावेज़ के संबंध में प्रतिरक्षा के लिए प्रत्येक दावा,

जो भी आधार हो जिस पर प्रतिरक्षा का दावा किया जाता हैऔर दस्तावेज़ की प्रकृति जो भी हो, उसे कायम रहना चाहिए।

एक और केवल एक परीक्षण के संदर्भ में न्यायालय की जांच,अर्थात्, सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण की क्या आवश्यकता है या

गैर–प्रकटीकरण. इस अभ्यास में किया जाना है

एक खुली सरकार के लोकतांत्रिक आदर्श का संदर्भ।

(जोर दिया गया)

32. किसी भी दस्तावेज़ के लिए प्रकटीकरण से प्रतिरक्षा का दावा है

लोक हित के नियंत्रण कारक के अधीन–एक खुली और पारदर्शी सरकार के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा सूचित एक दृढ़ संकल्पः

" 67 ..... एक खुली सरकार की अवधारणा प्रत्यक्ष है

जानने के अधिकार से उत्पन्न जो प्रतीत होता है

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटी। अतः, का प्रकटीकरणसरकार के कामकाज के संबंध में जानकारी होनी चाहिए

नियम और गोपनीयता एक अपवाद केवल तभी उचित ठहराया जाता है जब

जनहित की सबसे सख्त आवश्यकता इस प्रकार की मांग करती है। द.

न्यायालय का दृष्टिकोण गोपनीयता के क्षेत्र को कम करने के लिए होना चाहिए सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जनता की आवश्यकता के अनुरूप यथासंभव

ब्याज, हर समय ध्यान में रखते हुए कि प्रकटीकरण भी काम करता है जनहित का एक महत्वपूर्ण पहलू "।

(जोर दिया गया)

न्यायमूर्ति भगवती ने सामाजिक–राजनीतिक पृष्ठभूमि पर विस्तार किया कि

सरकार, यह है कि सरकार के बारे में जानकारी लोगों के लिए सुलभ है। उन्होंने कहा कि सहभागी लोकतंत्र सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी की उपलब्धता पर आधारित है। "लोकतांत्रिक राज्य के स्तंभ" के रूप में जानने का अधिकार लोकतंत्र के लिए सकारात्मक सामग्री का संकेत देता है और यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र स्थिर न रहे बल्कि एक "निरंतर प्रक्रिया" बन जाए। इस प्रकार, पारदर्शिता पर एक सीमागोपनीयता के दावे से अधिक द्वारा समर्थित होना चाहिए–यह प्रदर्शित करना चाहिए कि प्रकटीकरण से उत्पन्न सार्वजनिक नुकसान पारदर्शिता में सार्वजनिक हित से अधिक है। न्यायमूर्ति भगवती ने जोर दिया

निम्नलिखित शर्तों में न्यायिक तंत्र में पारदर्शिता।

" 85 ..... हम एक खुली सरकार और खुलेपन में विश्वास करते हैं।

सरकार का मतलब केवल खुलेपन से नहीं है

राज्य की कार्यकारी शाखा का कार्यकरण। वैसा ही।

न्यायिक नियुक्तियों और स्थानान्तरण सहित उपकरण।आज न्यायिक नियुक्तियों और स्थानान्तरण की प्रक्रिया है

रहस्य में डूबा हुआ। जनता नहीं जानती कि न्यायाधीश कैसे होते हैं। चयनित और नियुक्त या स्थानांतरित और क्या कोई और यदि ऐसा है

क्या, सिद्धांत और मानदंड इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसका अभ्यासनियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति एक पवित्र अनुष्ठान बनी हुई है

अर्थात्, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्रीराज्य के, केंद्र सरकार के कानून मंत्री और

नियुक्ति या गैर–नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और विधि मंत्री की नियुक्तिके मामले में केंद्र सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण

न्यायालय के न्यायाधीश। इस प्रक्रिया के रहस्य को गुप्त रखा जाता है और

केवल कुछ व्यक्तियों के बीच गोपनीय, दो से अधिक नहीं [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या चार, जैसा भी मामला हो, और इसलिए संभावना नहीं हो सकती है

इस बात से इंकार किया जा सकता है कि ये कितने भी उच्च स्थान पर हों

व्यक्तियों, प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कई अवसरों पर हो सकता है

व्यक्तिगत और यहाँ तक कि व्यापार बंद। हम कोई कारण नहीं देखते हैं किन्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की यह प्रक्रिया होनी चाहिए

इतना पवित्र माना जाए कि कोई भी सक्षम न हो

इसमें घुसने के लिए और इसके खिलाफ संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए

सभी घटनाओं और सभी परिस्थितियों में प्रकटीकरण।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अपरिहार्य प्रकृति पर अपनी टिप्पणियों को आगे बढ़ाया

न्यायपालिका के लिए खुलेपन और पारदर्शिता के लिए और यह अभिनिर्धारित किया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि नियुक्तियों से संबंधित जानकारी को "सभी घटनाओं और सभी परिस्थितियों में" प्रकटीकरण से संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ जो एक ओर प्रकटीकरण को उचित ठहराती हैं और दूसरी ओर गैर–प्रकटीकरण विभिन्न कारकों को ध्यान में रखती हैं जिन्हें निर्णय के दौरान स्वीकार किया जाएगा। इस मोड़ पर, इस न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान देना पर्याप्त है कि इसमें पारदर्शितासरकार की कार्यप्रणाली एक सफाई के उद्देश्य को पूरा करती है:

उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग या दुरुपयोग को प्रोत्साहित करना।अधिकार, क्योंकि यह सब गोपनीयता के घूंघट में डूबा होगा

बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही के। लेकिन अगर एक खुला है

जनता के लिए उपलब्ध सूचना के साधनों के साथ सरकार,

सरकार के कामकाज का अधिक प्रदर्शन होगा

और यह लोगों को बेहतर और अधिक कुशल बनाने में मदद करेगा।प्रशासन। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जनता के संपर्क में आना

टकटकी और जांच एक स्वच्छ लक्ष्य प्राप्त करने के सबसे निश्चित साधनों में से एक है।

सरकार स्वच्छ सरकार और एक शक्तिशाली सुरक्षा है।राजनीतिक और प्रशासनिक विचलन और अक्षमता के खिलाफ।

33. एस. पी. गुप्ता मामले में न्यायमूर्ति भगवती द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण,

जिनसे हम सहमत हैं, वे नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में प्रकटीकरण के प्रश्नों का उत्तर देते समय अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर न्यायालय के लिए एक उज्ज्वल मानक प्रदान करते हैं।

प्रमुख सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

विचार हमेशा जनहित का रहेगा। कोई भी संतुलन हमारे संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के संदर्भ में किया जाना चाहिए। जनता की विशिष्ट सामग्री

निर्णय के दौरान संतुलन प्रक्रिया में रुचि और इसकी भूमिका का पता लगाया जाएगा। प्रत्यर्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एस. पी. गुप्ता में इस न्यायालय का निर्णय प्रकटीकरण और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच के व्यापार से संबंधित नहीं था। इस मुद्दे की ओर रुख करना आवश्यक है।

एफ न्यायिक स्वतंत्रता

संवैधानिक कार्यकर्त्ताओं के बीच फाइल टिप्पणियाँ जो संबंधित हैं नियुक्ति प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी, जो

यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यह आगे तर्क दिया गया कि खुलासे से संस्थान को नुकसान होगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आग्रह किए गए विवाद का आकलन करने में इस अवधारणा की रूपरेखा का संक्षिप्त विश्लेषण करना आवश्यक है।

35.शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि शब्द

' न्यायपालिका की स्वतंत्रता नई नहीं है, इसका अर्थ अभी भी अस्पष्ट है। 24 न्यायिक स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं पर बहस हो सकती हैः उदाहरण के लिए, किससे और क्या करना स्वतंत्रता है। मोटे तौर पर, न्यायिक स्वतंत्रता में न्यायाधीशों की प्रतिशोध के डर के बिना मामलों पर निर्णय लेने और निर्णय लेने की क्षमता शामिल है।

न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की कानून को स्वतंत्र रूप से लागू करने की क्षमता

कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

अपने मौलिक कार्य "एक राष्ट्र की आधारशिला" में, ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैंः

" [संविधान] सभा ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की कि अदालतें स्वतंत्र हों, जिसमें बहस के अधिक घंटे लगें।

लगभग किसी भी अन्य पहलू की तुलना में इस विषय पर। 9925

हालाँकि, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी, न कि इसका पूर्ण इन्सुलेशन जो सदस्यों का प्रचलित दृष्टिकोण प्रतीत होता है।

24 एम. पी. जैन, सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द ज्यूडिशियरी–द इंडियन एक्सपीरियंस, इंडियन इंटरनेशनल एंड कम्पेरेटिव लॉ रिव्यू, पी. 246 25 ग्रैनविल ऑस्टिन, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन (1999), पी।

164 [2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान सभा की। 26 उनका मानना था कि अंतर–संस्थागत संतुलन के संरक्षण के लिए यह आवश्यक था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रारंभिक बिंदु संविधान के प्रावधानों के माध्यम से संवैधानिक डिजाइन है।

36. अनुच्छेद 124 (2) न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 124 (4) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, सिवाय इसके कि वे साबित हुए हों। दुर्व्यवहार या अक्षमता। अनुच्छेद 125 के खंड (2) का परंतुक

यह गारंटी देता है कि न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, भत्ते और अनुपस्थिति की छुट्टी या पेंशन के संबंध में अधिकार उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए भिन्न नहीं होंगे। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है।

सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 229 के खंड (1) और (2) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऐसे अन्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपते हैं। न्यायालय, जैसा कि वे निर्देश दे सकते हैं, अधिकारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों की नियुक्ति और प्रिस्क्रिप्शन के मामलों के संबंध में

और उच्च न्यायालय के सेवक।

37. अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 217 कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 221 के खंड (2) के परंतुक में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भत्तों के साथ-साथ अनुपस्थिति की छुट्टी या पेंशन के संबंध में अधिकार उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 227 (2) में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 (1) के तहत अपनी अधीक्षण की शक्ति के आधार पर ऐसा कर सकता हैः (i) कुछ लोगों से वापसी के लिए कॉल करें।

न्यायालय और न्यायाधिकरण, (ii) सामान्य नियम बनाते हैं और जारी करते हैं और ऐसे न्यायालयों की प्रथाओं और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित करते हैं; और (iii) प्रपत्र निर्धारित करते हैं जिनमें ऐसे किसी भी न्यायालय के अधिकारियों द्वारा पुस्तकें, प्रविष्टियां और खाते रखे जाएंगे।

38. ये प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दर्शाते हैं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसे स्वतंत्रता की गारंटी

26 अर्घ्य सेनगुप्ता, भारतीय उच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही (2019), पी।

17 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

विधायिका और कार्यपालिका की इच्छा से स्वतंत्र कार्य करना। सुप्रिया राउथ इन प्रावधानों पर निम्नलिखित शब्दों में चर्चा करती हैंः

" [टी] वह संविधान में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है

लोकतांत्रिक में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना

गणराज्य। यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है और

संसद और राज्य विधानसभाओं को अपने न्यायिक कर्तव्यों को आगे बढ़ाने में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के आचरण पर सवाल उठाने से रोकता है। यह एक कठिन और विस्तृत व्यवस्था भी प्रदान करता है।

न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया। "27 न्यायिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय थे

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 2 8 में इस न्यायालय द्वारा नोटिस किया गया। मुख्य न्यायाधीश ए. एम. अहमदी ने इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" 78 ..... जबकि संविधान उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, इसमें न्यायाधीशों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति की आयु के साथ–साथ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन के लिए तंत्र से संबंधित विस्तृत प्रावधान भी शामिल हैं। इस तरह के विस्तृत प्रावधानों को शामिल करने का कारण यह विश्वास प्रतीत होता है कि,

इस तरह के प्रावधानों से लैस, उच्च न्यायालय होंगे

उनके निर्णय लेने में हस्तक्षेप करने के किसी भी कार्यकारी या विधायी प्रयास से अछूता।

न्यायमूर्ति रूमा पाल ने निम्नलिखित शब्दों में स्थिति पर चर्चा कीः

" कार्यपालिका और विधायी नियंत्रण से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को देय वेतन और पेंशन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में राज्यों की संचित निधि और उच्चतम न्यायालय के मामले में भारत की संचित निधि पर ली जाती है।

न्यायालय के न्यायाधीश और पूर्व के मामले में विधान सभा के मत के अधीन नहीं हैं या बाद में संसद के अधीन नहीं हैं।

मामला। वेतन को दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है

संविधान को संविधान के संशोधन के बिना बदला नहीं जा सकता है। 29.

27 सुप्रिया रौथ, जवाबदेही के बिना स्वतंत्रताः भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ सूचना के अधिकार के लिए एक मामला, 13 वाशिंगटन विश्वविद्यालय वैश्विक अध्ययन कानून समीक्षा 321 (2014)

28 (1997) 3 एस. सी. सी. 261 29 "एक स्वतंत्र न्यायपालिका"–5 वें वी. एम. तारकुंडे स्मारक व्याख्यान, 10 नवंबर, 2011 में सुश्री न्यायमूर्ति रूमा पाल द्वारा दिया गया भाषण।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. उपरोक्त प्रावधान के इरादे का संकेत हैं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए संविधान के संस्थापक। इसने पूर्व–संवैधानिक औपनिवेशिक ढांचे के तहत 'आनंद सिद्धांत' से एक मजबूत प्रस्थान को भी चिह्नित किया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने क्राउन की खुशी के दौरान पद संभाला। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के माध्यम से, क्राउन की इच्छा पर कार्यकाल को सीमित अपवादों के अधीन एक निश्चित कार्यकाल के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण (गैर–न्यायिक क्षमता में बोलते हुए) निम्नलिखित शब्दों में इस परंपरा के महत्व को स्पष्ट करते हैं:

" इस प्रकार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है।

साबित दुर्व्यवहार को छोड़कर कार्यालय से हटाने योग्य या

उनके कार्यकाल के दौरान अक्षमता। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के कार्यकाल को नियंत्रित करने के रूप में आनंद सिद्धांत का उल्लंघन, संस्थापक पिताओं के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अलग करने के इरादे से स्पष्ट है।

कार्यपालिका की खुशी से। कई लेख

संविधान में अंतर्निहित यह सुनिश्चित करता है कि एक न्यायाधीश पूरी तरह से

स्वतंत्र और न केवल नागरिकों और नागरिकों के बीच बल्कि नागरिकों और राज्य के बीच भी न्याय प्रदान करने में सक्षम, राज्य की राजनीति में किसी के भी हस्तक्षेप, बाधा या हस्तक्षेप के बिना। कार्यपालिका की खुशी से इस तरह का संरक्षण या प्रतिरक्षा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि संविधान ने नागरिकों और व्यक्तियों को कई मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 और 32 के तहत इन कृत्यों के खिलाफ न्याय प्रदान करने का अधिकार भी दिया है। राज्य "। 30

यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक स्वतंत्रता न्यायिक कार्यकाल पर सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। न्यायिक स्वतंत्रता का भवन विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाव के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर बनाया गया है। क्लॉस्टर्ड हॉल की गोपनीयता से न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि बढ़ती पारदर्शिता से न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा होगा।

40. पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है

इस न्यायालय के निर्णयों में जोर दिया गया। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं में

30 न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा, न्यायिक स्वतंत्रता, द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन (2016) पी. 350 .

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 31 ('एन. जे. ए. सी.'), इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने वाले 99 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यह चार से एक बहुमत से संविधान के अधिकार से बाहर है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने अपनी अलग सहमति वाली राय और न्याय में

चेलमेश्वर ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में न्यायपालिका में नियुक्तियां करने के तरीके में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी की ओर इशारा किया। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने टिप्पणी कीः

" 990. सब कुछ ठीक था और सब कुछ ठीक नहीं है। इस हद तक, मैं सहमत हूँ

जे. चेलमेश्वर ने कहा कि वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता का अभाव है। विश्वास की कमी हैकॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित किया, कभी–कभी

नागरिक समाज द्वारा देखा गया। अक्सर, बहुत गंभीर आरोप और कई बार निराधार भी, उठाए गए हैं कि इसका दृष्टिकोण अत्यधिक व्यक्तिपरक रहा है। योग्य व्यक्तियों को पूरी तरह से व्यक्तिपरक कारणों से नजरअंदाज कर दिया गया है, सामाजिक और अन्य राष्ट्रीय वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है, कुछ नियुक्तियों में जानबूझकर देरी की गई थी ताकि या तो निहित विकल्पों को लाभ हो या

कम संरक्षण प्राप्त लोगों को इस तरह के लाभों से इनकार करते हुए, संरक्षण प्राप्त या पसंदीदा व्यक्तियों का चयन नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए किया गया था।

दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप, यदि अपरिवर्तित, खराब नियुक्तियां नहीं होती हैं, तो कॉलेजियम का तानाशाही रवैया न्यायाधीशों की आत्म सम्मान और गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, यदि नहीं, तो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, जिसे अक्सर न्यायालय के रूप में शैलीबद्ध किया जाता है।

कॉलेजियम का, लुकिंग फॉरवर्ड सिंड्रोम जो प्रभावित करता है

काफी समय से हवा में आरोप। ये आरोप निश्चित रूप से एक गहरे आत्मनिरीक्षण की मांग करते हैं कि क्या संस्थागत ट्रस्टीशिप ने संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को बनाए रखा है। मेरे लिए, यह अभी तक एक ठीक होने वाली स्थिति है। "

नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता या इसकी कमी, न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा और न्यायमूर्ति रूमा पाल जैसे अन्य प्रख्यात सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर भी प्रकाश डाला गया है। न्यायमूर्ति लोकुर की अलग सहमति में उद्धृत एक लेख मेंएन. जे. ए. सी. के फैसले में न्यायमूर्ति वर्मा ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बोलते हुए कहाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 546 ..... आपको जो भी प्रणाली पसंद हो, उसका मूल्य और प्रभावकारिता उस पर काम करने वाले लोगों के मूल्य पर निर्भर करेगी! इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की कार्यप्रणाली की निगरानी की जानी चाहिए।

पारदर्शिता और जवाबदेही "।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में, न्यायमूर्ति रूमा पाल, 32 द्वारा दिए गए एक भाषण का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने इस प्रकार कहाः

[टी] वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है, इस देश में सबसे अच्छे रखे गए रहस्यों में से एक है। बहुत ही।

प्रक्रिया की गोपनीयता सूचना के अपर्याप्त निवेश की ओर ले जाती है।संभावित उम्मीदवार की क्षमताओं और उपयुक्तता के बारे में

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। एक आकस्मिक टिप्पणी, एक अफवाह या यहाँ तक कि तीसरी जानकारी भी एक न्यायाधीश को बदनाम करने के लिए पर्याप्त हो सकती है।

संभावनाएँ। इसके विपरीत व्यक्तिगत या अनकही दोस्ती

वादियों और न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता। इसके अलावा,प्रणाली के भीतर बढ़ती चाटुकारिता और 'लॉबिंग' से भी संस्थागत स्वतंत्रता से समझौता किया गया है।

41. कॉलेजियम प्रणाली की भारी आलोचना हुई है।

पारदर्शिता की कमी। एस. पी. गुप्ता के मामले में, इस न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रकटीकरण से न्यायाधीशों की ओर से ईमानदारी से विचार और विचार–विमर्श और विवेक का उचित उपयोग होगा। 3 एन. जे. ए. सी. में भी किसी भी अलग राय में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता से इनकार नहीं किया गया है। 99 वें संविधान संशोधन को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालक का निर्णय निश्चित होता है। न्यायिक नियुक्तियाँ करने के संदर्भ में न्यायपालिका की स्वायत्तता को कमजोर करना असंवैधानिक माना गया। हालांकि, अस्पष्टता को कम करने और न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की व्यवस्था शुरू करने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया गया है और वास्तव में इसे विशेष रूप से स्वीकार किया गया है

32 " एक स्वतंत्र न्यायपालिका "–5 वें वी. एम. तारकुंडे स्मारक व्याख्यान, 10 नवंबर, 2011 में सुश्री न्यायमूर्ति रूमा पाल द्वारा दिया गया भाषण।33 एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 पूरक एस. सी. सी. 87,85 (प्रति भगवती जे.)

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र

अग्रवाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

42. विद्वानों ने आगाह किया है कि न्यायिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी को उन बड़े लक्ष्यों और उद्देश्यों को नहीं भूलना चाहिए जो न्यायिक हैं।

स्वतंत्रता का उद्देश्य सेवा करना है। चार्ल्स गार्डनर गेह मानते हैं कि इस तरह के लक्ष्यों में कानून के शासन को बनाए रखना, सरकारी शक्तियों के पृथक्करण को संरक्षित करना और कई अन्य लोगों के बीच उचित प्रक्रिया को बढ़ावा देना शामिल है। इसलिए, उनका मानना है कि यदि न्यायाधीश अपने निर्णय लेने में इस तरह के उद्देश्यों की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो न्यायिक स्वतंत्रता का कोई उद्देश्य नहीं है। वह इस प्रकार टिप्पणी करता हैः

" अधिकांश विचारशील विद्वान मानते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता एक साधन मूल्य है–अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन। एक साधन के रूप में, न्यायिक स्वतंत्रता की सीमाएँ होती हैं, जो उसके उद्देश्यों से परिभाषित होती हैं। [इसलिए,] ऐसे न्यायाधीश जो इतने स्वतंत्र हैं कि वे प्रतिशोध के डर के बिना कानून की पूरी तरह से अवहेलना कर सकते हैं।

इसी तरह कानूनी मूल्यों के शासन को कमजोर करता है कि न्यायिकस्वतंत्रता को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। न्यायिक जवाबदेही शून्य है।

न्यायिक स्वतंत्रता के लिए।

9934

बर्ट न्यूबोर्न ने सुप्रीम कोर्ट पर अपने तीखे लेख में

भारत का कहना हैः " हम संवैधानिक न्यायालयों की परवाह उनकी संरचनाओं के सौंदर्य मूल्य के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि जहां कुछ पूर्व शर्तों को इकट्ठा किया जाता है, संवैधानिक न्यायालय खुले, लोकतांत्रिक शासन के मूल्यों को संरक्षित करने में सक्षम होते हैं। 9 35

43. लोर्न सोसिन का तर्क है कि न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक धारणा सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। के संदर्भ में

न्यायिक नियुक्तियाँ, उनका मानना है कि नियुक्तियाँ न्यायिक 'योग्यता' की उचित, न्यायसंगत, ठोस समझ पर हो सकती हैं।

हालाँकि, इसे वास्तव में स्वतंत्र होने के लिए, उन्हें अपने भीतर मानदंड की पारदर्शिता और प्रक्रिया के खुलेपन को शामिल करना चाहिए। वह नोट करता है किः

" मेरा सुझाव है कि लोकतंत्र में जो सबसे अधिक मायने रखता है, वह योग्यता के लिए सटीक मानदंड नहीं है, बल्कि मानदंड की पारदर्शिता और एक व्यक्ति को दूसरे पर चुनने के कारणों की प्रामाणिकता है। दूसरे शब्दों में, योग्यता प्रक्रिया के बारे में उतनी ही है जितनी

पदार्थ "। 36

34 चार्ल्स गार्डनर गेह, 'राजनीतिक बयानबाजी के क्षेत्र से न्यायिक जवाबदेही को बचाना', 56 केस वेस्टर्न रिजर्व लॉ रिव्यू 911 (2006)

35 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कांस्टीट्यूशनल लॉ, खंड 1, अंक 3, जुलाई 2003, पृष्ठ 476–51036 लॉर्न सोसिन, 'न्यायिक नियुक्ति, लोकतांत्रिक आकांक्षाएं, और जवाबदेही की संस्कृति', 58 यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक लॉ जर्नल 11 (2008)

इसके बाद वह बताते हैं कि कैसे मानदंडों की पारदर्शिता और

प्रक्रिया न्यायिक नियुक्ति के 'मेधावी' होने का एक तार्किक विस्तार है, और ऐसा करने से प्रक्रिया की 'मनमानी' दूर हो जाएगी, जिससे कानून के शासन को बनाए रखा जा सकेगाः

" हम अक्सर कानून के शासन के साथ अपनी चिंता को एक के रूप में प्रस्तुत करते हैं

"मनमाने" निर्णयों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया। मनमाने फैसले हैं

हालाँकि, बिना किसी कारण के निर्णय नहीं लिए गए। बल्कि वे हैं,

न्यायिक चयन के कुछ कारणों को इस रूप में देखा जाना चाहिएदूसरों की तुलना में अधिक वैध। हालाँकि, यह तेजी से

स्वयं औचित्य की मांग जो हमें परिभाषित करने के लिए आ रही हैलोकतांत्रिक आकांक्षाएँ। यह मांग, मेरे विचार में, न केवल

योग्यता की आवश्यकता के लिए एक तार्किक विस्तार के रूप में उत्पन्न होता है, लेकिन है

न्यायिक स्वतंत्रता की एक आवश्यक शर्त के रूप में भी उचित ठहराया गया।

(जोर दिया गया)

44. वह दोष जिसकी पहचान कथित ढांचे के साथ की गई थी

नियुक्त व्यक्तियों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी थी। 37 यह आर. टी. आई. अधिनियम के दायरे में आने वाले एन. जे. ए. सी. के विचार–विमर्श के संदर्भ में था। न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर ने अपनी अलग सहमति वाली राय में कहा कि जानने का अधिकार व्यक्तियों की निजता के अधिकार द्वारा सीमित थाः 38

" 555. पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन है

बहुत नाजुक और यदि किसी विशेष के बारे में कुछ संवेदनशील जानकारी है

व्यक्ति को सार्वजनिक किया जाता है, इसका उस पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा। 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम

और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है

एक व्यक्ति से। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे प्रस्तुत किया गया था

विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि एनजेएसी की कार्यवाही

पूरी तरह से पारदर्शी हो और किसी की भी पहुंच हो सकती है

जानकारी जो एन. जे. ए. सी. के पास उपलब्ध है। यह एक अपेक्षाकृत व्यापक हैसामान्यीकरण जो स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं रखता है

नियुक्ति के लिए अनुशंसित व्यक्ति की गोपनीयता, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या पहली बार में

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। जानने का अधिकार नहीं है

37 एनजेएसी। , 953

38 आईडी सीपीआईओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

मौलिक अधिकार लेकिन सबसे अच्छा यह एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है और यह गोपनीयता के अंतर्निहित मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है जिसका सभी लोग आनंद लेते हैं। दो निहित मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करते हैं।विचार करें, उस संतुलन को प्राप्त करने की तो बात ही छोड़िए।

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा परिकल्पित विशिष्ट ढांचे की इन विफलताओं में से किसी को भी न्यायिक नियुक्तियों या इसकी संवैधानिकता के संदर्भ में प्रकटीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व से इनकार के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है। वे केवल जानने के अधिकार और गोपनीयता के अधिकार के बीच संतुलन की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं, जिसके विशिष्ट रूपों का जल्द ही पता लगाया जाएगा।

45. न्यायिक स्वतंत्रता का उपयोग उपशब्द के रूप में नहीं किया जा सकता है

पारदर्शिता के साथ आने वाली जवाबदेही और आलोचना से बचनाः

" [न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने

न्यायपालिका को किसी भी लोकतांत्रिक से पूरी तरह से अलग कर दिया

विचार–विमर्श, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता का त्याग होता है

न्यायाधीशों के कार्य में। जवाबदेही और पारदर्शिता केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है।

संविधान के आधार, लेकिन स्वयं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक हैं, क्योंकि यदि न्यायपालिका में जनता का विश्वास और विश्वास बनाए नहीं रखा जा सकता है, तो न्यायपालिकाअपनी स्वतंत्रता खोने के लिए नियत "। 39.

न्यायपालिका भारतीय राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है और लोकतंत्र आधारित राज्य के उचित कामकाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

कानून के शासन पर। न्यायपालिका की अखंडता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता न्याय तक निष्पक्ष और प्रभावी पहुंच और अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूर्व शर्तें हैं। न्यायपालिका को देश में अखंडता के बुनियादी ढांचे के गढ़ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

जवाबदेही सुधार लाने में विफलता अदालतों की निष्पक्षता में विश्वास को कम करेगी, जिससे मुख्य न्यायिक कार्यों को नुकसान होगा। इसके अलावा, यह न्यायपालिका को सौंपे गए व्यापक जवाबदेही कार्य को भी नुकसान पहुंचाता है

नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने सहित लोकतांत्रिक प्रणालियों में और

39 सुप्रिया रौथ, जवाबदेही के बिना स्वतंत्रताः भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ सूचना के अधिकार के लिए एक मामला, 13 वाशिंगटन विश्वविद्यालय वैश्विक अध्ययन कानून समीक्षा 321 (2014)

अन्य शाखाओं के प्रतिनिधियों को मंजूरी देना जब वे कानून के उल्लंघन में कार्य करते हैं। पारदर्शिता और सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण रूप से कानून के शासन से जुड़े हुए हैं।

एफ. 1 न्यायिक जवाबदेही

46. न्यायिक जवाबदेही के सवाल आपस में जुड़े तीन मुद्दों को उठाते हैं

सवाल –

((i) उत्तरदायित्व का स्रोत क्या है? ;

((ii) किसके प्रति जवाबदेही है? ; और

((ग) उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है?

न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही को अक्सर परस्पर विरोधी मूल्यों के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि न्यायिक स्वतंत्रता, जो

यह आदेश देता है कि न्यायनिर्णयन विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त हो, जिम्मेदारी के प्रश्नों से समझौता किया जाता है जो न्यायिक जवाबदेही में शामिल होते हैं। इस दृष्टिकोण से, जवाबदेही न्यायाधीशों की बाहरी दबाव से मुक्त निर्णय लेने की क्षमता से समझौता करती है और अवांछनीय है। इस अभिधारणा के बारे में एक भ्रांति है कि स्वतंत्रता और जवाबदेही परस्पर विरोधी मूल्य हैं।

47. न्यायिक स्वतंत्रता को उन स्थितियों के अस्तित्व से परिभाषित किया जाता है जो एक न्यायाधीश को बिना झुकने के निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं। दबाव और प्रभाव जो न्याय के मार्ग से हट जाते हैं। को।

स्वतंत्र होने के नाते एक न्यायाधीश के पास भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के बिना निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। संविधान शासन के लिए प्रावधानों को निर्धारित करके न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए स्थितियां बनाता है।नियुक्तियाँ, कार्यकाल और सेवा की शर्तें। ये ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक शर्तों को अनिवार्य संस्थागत आवश्यकताओं के रूप में शामिल किया जाता है। ये हमारी संवैधानिक रचना के आंतरिक तत्व हैं। लेकिन संवैधानिक डिजाइन को इसके कार्यकर्ताओं के वास्तविक काम के माध्यम से महसूस किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता की सुविधा प्रदान करने वाले तंत्र इसलिए यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं कि संवैधानिक डिजाइन न्यायपालिका की प्राप्ति में परिवर्तित हो जाए

स्वतंत्रता। सुविधाजनक तंत्र में वे शामिल हैं जो पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता गलत कामों को रोकने के लिए ढाल नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए एक साधन है। संवैधानिक मूल्य जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका को सौंपे जाते हैं

हासिल करें। इसलिए न्यायिक स्वतंत्रता मनमाने व्यवहार के लिए एक कार्टे ब्लैंच नहीं है। जहाँ संविधान के प्रावधान एक मानक सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय के लिए न्यायिक स्वतंत्रता, संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता को एक में नियोजित किया जाना चाहिए

जिस तरह से यह उस उद्देश्य को आगे बढ़ाता है जिसके लिए इसे सुरक्षित किया गया था। गारंटीकृत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़ी जिम्मेदारी के बीच संतुलन की खोज मेंजवाबदेही अभिसरण।

48. जवाबदेही, जिसे संक्षिप्त रूप से परिभाषित किया गया है, "एक अभिनेता और एक मंच के बीच का संबंध है, जिसमें अभिनेता को समझाने का दायित्व होता है। और उसके आचरण को सही ठहराने के लिए, मंच प्रश्न पूछ सकता है और पारित कर सकता है

निर्णय, और अभिनेता को परिणाम का सामना करना पड़ सकता है "40। हालाँकि, जवाबदेही की संकीर्ण अवधारणा सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों से रहित एक सीधे–सादे दृष्टिकोण से ग्रस्त है। प्रोफेसर स्टीफन बरबैंक

निर्धारित करता हैः

" ..... उत्तरदायित्व की अवधारणा, जिसे समावेशी रूप से परिभाषित किया गया है, में मूल्यों का एक व्यापक समूह शामिल है जिसे सार्वजनिक संगठनों को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए।

लोकतांत्रिक शासनों के मौलिक मूल्यों के आधार पर अपनाना। उत्तरदायित्व की कल्पना इस तरह से की जाती है कि उन मूल्यों के प्रति सम्मान स्थापित करने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके, चाहे वह दक्षता हो या स्वतंत्रता, उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावकारिता, या नागरिकों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता। 41

संविधान द्वारा परिकल्पित, अनिवार्य रूप से एक मानव संस्था है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की परिकल्पना इसके इन्सुलेशन के लिए नहीं की गई थीउन नियंत्रण और संतुलन से जो संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में निहित हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एक संवैधानिक है

स्वतंत्रता की गारंटी। हालाँकि, जवाबदेही की धारणाएँ चिंतित करती हैं –

जिस तरह और उद्देश्य के लिए गारंटीकृत स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। जहाँ न्यायिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता पर केंद्रित है, न्यायिक जवाबदेही उस स्वतंत्रता का उपयोग करने के तरीके से संबंधित है।

न्यायनिर्णायक।

40 एम. बोवेन्स, जवाबदेही का विश्लेषण और आकलनः ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यूरोपियन लॉ जर्नल (2007), पी। 450 .

41 कोंटिनी, एफ और मोहर, आर, न्यायिक प्रणालियों में स्वतंत्रता और जवाबदेही का मिलान, यूट्रेक्ट लॉ रिव्यू (2007), पी।

49. भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 (6) और अनुच्छेद 219

यह विहित करें कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे क्रमशः उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, पद में प्रवेश करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उसमें हस्ताक्षर करेगा। कार्यालय के लिए शपथ में लिखा हैः

" I, (नाम), का मुख्य न्यायाधीश (या न्यायाधीश) नियुक्त किया गया है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता है (या

पुष्टि करें) कि मैं संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखूंगा

भारत की कानून द्वारा स्थापित, कि मैं संप्रभुता को बनाए रखूंगा

और भारत की अखंडता, कि मैं विधिवत और ईमानदारी से और

मेरी क्षमता, ज्ञान और निर्णय के अनुसार कर्तव्यों का पालन करें।

बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के और

कि मैं संविधान और कानूनों को बनाए रखूंगा। "

(जोर दिया गया)

संविधान के आगमन से पहले, शपथ या प्रतिज्ञान

संघीय न्यायालय में नियुक्त व्यक्ति के लिए भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची IV में निर्धारित किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्द " भय या पक्षपात के बिना, वर्तमान संविधान में प्रपत्र VIII में निहित स्नेह या दुर्भावना को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची IV में निर्धारित 42 शपथ में स्थान नहीं मिला। वर्तमान संविधान में जोड़े गए ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। संविधान के निर्माता न्यायिक कार्यालय की नैतिकता के अनुसार न्यायिक शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता के प्रति सचेत थे। एक्सप्रेस समावेशन

इन शब्दों से संकेत मिलता है कि न्यायिक कार्यालय में प्रवेश करने वाले व्यक्ति न्यायिक कार्य के प्रभावी निर्वहन में निहित सिद्धांतों से खुद को बांधते हैं, जो कानून के शासन और न्यायिक कार्य के मूल्यों के अनुरूप हैं।

संविधान।

50. पद की शपथ यह अभिनिर्धारित करती है कि न्यायाधीश निर्वहन करेगा।

भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के बिना कार्यालय के कर्तव्य। कोई भी कार्रवाई जो शपथ में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन को कम करती है, न्यायिक शक्ति प्रदान करने के अंतर्निहित मौलिक सिद्धांत को नकारती है। इस पर टिप्पणी करते हुए

42 " मैं, ए. बी., न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश [या न्यायाधीश] नियुक्त होने के बाद सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ [या पुष्टि करता हूँ] कि सी. डी., उनके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के प्रति मेरे विश्वास और निष्ठा को बचाते हुए, मैं भारत के महामहिम राजा, सम्राट, उनके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के प्रति अपनी न्यायिक क्षमता में वफादार रहूंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा, और मैं अपनी क्षमता, ज्ञान और निर्णय के अनुसार अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा। सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

भारत संघ बनाम संकल्पचंद हिमतलाल 4 3, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (जैसा कि वे उस समय थे) में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए अपने आवेदन में इस शब्द को शामिल करने का महत्व अभिनिर्धारित किया गयाः

" ये शब्द, बेशक, प्रकृति में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा निष्पादित किया जाने वाला न्यायिक कार्यक्योंकि, उनके बिना भी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा

न्यायिक कार्य की प्रकृति, कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है

बिना किसी डर या पक्षपात के उनके कार्यालय का, लेकिन वे उजागर करने का काम करते हैं

न्यायिक कार्य की दो बुनियादी विशेषताएँ, अर्थात् –

स्वतंत्रता और निष्पक्षता "।

(जोर दिया गया)

संवैधानिक अधिकारियों के रूप में न्यायनिर्णयन का कार्य सौंपा गया है, न्यायाधीश

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का कार्य निर्वहन करने के लिए बाध्य हैंकानून और संविधान में निहित सिद्धांतों के अनुसार निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से कर्तव्य। लेकिन यह वास्तव में केवल एक सिद्धांत का पुनर्कथन है जो सभी न्यायिक कार्यालय से जुड़ा हुआ है। द.

शपथ में सन्निहित सिद्धांत उस व्यक्ति पर एक गैर–अपमानजनक दायित्व प्रदान करते हैं जो इसके जनादेश का पालन करने की पुष्टि करता है।

51. 21 नवंबर 1993 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश

न्यायिक जीवन में परिलक्षित होने वाले मूल्यों पर एक बयान का मसौदा तैयार करने और प्रसारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। दिसंबर 1999 में, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन ने संकल्प लिया और इसे अपनाया

गिने गए विवरण संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि एक न्यायाधीश से क्या अपेक्षित है, इसका उदाहरण हैं। बैंगलोर न्यायिक आचरण के सिद्धांत 2002 जो थे 2002 में पीस पैलेस, द हेग में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों की गोलमेज बैठक में अपनाए गए छह मुख्य मूल्यों को न्यायिक प्रणाली के अंतर्निहित तत्व के रूप में परिभाषित किया गयाः स्वतंत्रता, निष्पक्षता, अखंडता,

औचित्य, समानता और योग्यता, और परिश्रम।

52. न्यायिक जवाबदेही भी इस सिद्धांत से उपजी है कि

संवैधानिक लोकतंत्र में सत्ता सौंपना और उसका प्रयोग करना निर्बाध नहीं है। संविधान न्यायाधीशों को यह शक्ति प्रदान करता है कि –

43 (1977) 4 एससीसी 193 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय प्रदान करना, जो संविधान की प्रस्तावना में एक मूलभूत मूल्य है। न्यायिक शक्ति, सार्वजनिक हित में आवश्यक रूप से प्रदान की गई न्याय के प्रशासन में तत्व का उपयोग बाहरी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के निजी हितों का न्यायाधीश के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से कोई संबंध नहीं है। प्रोफेसर टी. आर. एस. एलन निर्धारित करते हैंः

" सार्वजनिक हित के एक प्रशंसनीय खाते के अनुरूप, उचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक अधिकारियों और एजेंसियों को शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं; लेकिन ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग

बाहरी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, न ही केवल निजी हितों की पूर्ति के लिए, और न ही उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

इस तरह से जो स्वतंत्रता के आदर्श को कमजोर करता हैस्वतंत्रता। किसी को भी निरंकुश आधिकारिक विवेक की दया पर नहीं रहना चाहिए और इस तरह के विवेक पर कानूनी बाधाओं को लागू करना कानून के अनुसार सरकार के विचार का एक आवश्यक हिस्सा है। 44

अम्बेडकर, के. टी. शाह, एच. वी. कामत, एस. नागप्पा, हुसैन इमाम, पंडित लक्ष्मी कांत मैत्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, बी. पोकर साहिब बहादुर, जेड. एच. लारी, ए. के. घोष और आर. के. सिधवा सभी ने संविधान द्वारा परिकल्पित स्वाभाविक रूप से मानवीय संस्थानों में मानवीय त्रुटि की संभावना पर जोर दिया। इस विचार को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति दी जब उन्होंने हमें याद दिलाया किः संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से खराब साबित होगा क्योंकि जिन लोगों को इसे बनाने के लिए बुलाया जाता है, वे बहुत खराब होते हैं। ”

44 टीआरएस एलन, समकालीन संविधान में जवाबदेही में कानून के प्रति जवाबदेही (निकोलस बैमफोर्थ और पीटर लेलैंड संस्करण) (2013), ऑक्सफोर्ड छात्रवृत्ति ऑनलाइन, पी।

84 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

54. एक ऐसे व्यक्ति के कार्यों की बराबरी करना जिसका कोई संबंध नहीं है

संस्थान के साथ एक न्यायाधीश के रूप में आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ खतरनाक संकेत हो सकते हैं। संस्था की ढाल उन कार्यों को जांच से बचाने का हकदार नहीं हो सकती है। संस्थान को किसी न्यायाधीश को उन कार्यों से बचाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिनका आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन पर कोई असर नहीं पड़ता है। यही कारण है कि न्यायिक जवाबदेही न्याय वितरण प्रणाली का एक अंतर्निहित घटक है। जवाबदेही से अदालतों के दिन–प्रतिदिन के कामकाज को सक्रिय करने की उम्मीद है। न्यायाधीशों को विवाद के दोनों पक्षों को अपना मामला पेश करने का अवसर देने के बाद तर्कपूर्ण आदेश जारी करने की आवश्यकता होती है। न्यायिक नैतिकता के लिए आवश्यक है कि एक न्यायाधीश को उस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना चाहिए जहां हितों का संभावित टकराव हो। ये चित्रण मानदंड लोकतांत्रिक आदर्श को आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी कानून के शासन से ऊपर नहीं है।

55. ऊपर बताए गए दृष्टिकोण में, न्यायिक जवाबदेही का पता चलता है

स्वयं पद की शपथ और न्यायिक शक्ति की प्रकृति दोनों से

स्वयं। हालाँकि, व्यापक अर्थों में, व्यक्तिगत मामलों में न्याय की आवश्यकताओं के अनुरूप न्याय वितरण प्रणाली के सुचारू और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित है। सार्वजनिक विश्वास पर निर्भर संस्था की वैधता इस आश्वासन का एक कार्य है कि न्यायपालिका और जो लोग इसे काम करते हैं वे पूर्वाग्रह और पक्षपात से मुक्त हैं। मार्क तुशनेट निम्नलिखित शब्दों में न्यायिक जवाबदेही के विचार की पड़ताल करते हैंः

एक मानव कलाकृति, इसलिए 'कानून के प्रति' जवाबदेही शामिल होनी चाहिए किसी के प्रति उत्तरदायित्व। मोटे तौर पर, 'राजनीतिक जवाबदेही'

समकालीन सत्ताधारियों के प्रति जवाबदेही को संदर्भित करता हैआज के लोगों के प्रतिनिधि, जबकि 'के लिए जवाबदेही

'कानून' लोगों और उनके प्रति जवाबदेही को संदर्भित करता है।

अधिक दूर के अतीत में प्रतिनिधि। के प्रति उत्तरदायित्व

कानून लोगों के प्रति अप्रत्यक्ष जवाबदेही का एक रूप है

अतीत में, अपने कानून के अधिनियमों के माध्यम से अपना मार्ग लेते हुए। 45

(जोर दिया गया)

इस दृष्टिकोण से, जवाबदेही निर्वाचित पदों तक ही सीमित नहीं है। द.

संवैधानिक सिद्धांत पर स्थापित कानूनी प्रणाली का निर्माण

45 मार्क तुशनेट, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में न्यायिक जवाबदेही,समकालीन संविधान में जवाबदेही (निकोलस बैमफोर्थ और पीटर लेलैंड संस्करण) (2013), ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप ऑनलाइन एट टशनेट, पी।

अपने औपनिवेशिक अतीत से एक विराम। एक स्वतंत्र न्यायपालिका संरक्षक है।

और संविधान के पाठ और भाव का अंतिम मध्यस्थ। यह सुनिश्चित करने के लिए, संविधान में नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 (4) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश

से हटाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 21847 अनुच्छेद 124 (4) और अनुच्छेद 124 (5) में मूल प्रावधानों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू करता है। न्यायाधीश (पूछताछ) अधिनियम 1986 को अनुच्छेद 124 (5) को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

संसद न्यायाधीशों के अभिभाषण की प्रस्तुति और जांच को विनियमित करेगी। न्यायाधीश को हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव की सूचना लोकसभा में प्राप्त होने पर दी जाती है।

कम से कम सौ सदस्यों के हस्ताक्षर या कम से कम पचास सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त करने पर राज्य सभा में। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति

अक्षमता के कथित दुर्व्यवहार की जांच के लिए अधिनियम में निर्धारित एक समिति का गठन किया गया है। यदि समिति की रिपोर्ट में पाया जाता है कि कोई न्यायाधीश दुर्व्यवहार का दोषी है या किसी असमर्थता से पीड़ित है, तो संसद का प्रत्येक सदन संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार प्रस्ताव पर मतदान करता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिसमें सदन के कम से कम दो–तिहाई सदस्य उपस्थित हों और मतदान करें। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के लिए संसद द्वारा अपनाई गई कड़ी प्रक्रिया न्यायाधीशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और न्यायाधीशों की उनके कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच एक संतुलन बनाती है।

56. न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ न्यायाधीशों को कानून के शासन से अलग रखना नहीं है। के लिए प्रतिबद्ध एक संवैधानिक लोकतंत्र में

कानून के शासन और इसके नागरिकों की समानता के लिए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि न्यायाधीश कानून से ऊपर हैं। एक जिम्मेदार न्यायपालिका की धारणा उस आदर्श को आगे बढ़ाती है जिसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की परिकल्पना की गई थी। यह.46 124 (4) – उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रपति को उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा पारित किया गया हो।

47 218 – अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) के प्रावधान उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होंगे क्योंकि वे उच्चतम न्यायालय के संदर्भों के लिए उच्च न्यायालय के संदर्भों के प्रतिस्थापन के साथ उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र

अग्रवाल [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

न्यायिक द्वारा गारंटीकृत निर्णय लेने के अधिकार का प्रयोग है

न्यायपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से स्वतंत्रता, न्यायिक कार्यालय के लोकाचार के अनुसार जो न्यायपालिका के संस्थापक दृष्टिकोण को पूरा करती है। प्रोफेसर स्टीफन बरबैंक ने न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही को "एक ही सिक्के के अलग–अलग पहलू" के रूप में वर्णित किया है। 48 प्रोफेसर चार्ल्स गार्डनर ने कहा हैः

" न्यायिक जवाबदेही न्यायिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है।

यद्यपि कुछ लोग न्यायिक जवाबदेही को ऐसा कहते हैं जैसे कि यह अपने आप में एक अंत था, स्वतंत्रता की तरह जवाबदेही को एक सहायक मूल्य के रूप में बेहतर तरीके से वर्णित किया जाता है जो तीन को बढ़ावा देता है।

असतत छोरः कानून का शासन, अदालतों में जनता का विश्वास,

और संस्थागत जिम्मेदारी "।

9949

इसलिए, स्वतंत्रता और जवाबदेही पारस्परिक रूप से मजबूत अवधारणाएं हैं। जवाबदेही का विशिष्ट रूप जो इस न्यायालय ने किया है

संबोधित करने के लिए बुलाया गया नियुक्ति प्रक्रिया और न्यायाधीशों के स्वामित्व वाली संपत्तियों के प्रकटीकरण के संबंध में है। जवाबदेही के इस रूप में शामिल हैंपारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता और न्यायाधीशों के गोपनीयता हितों के बीच प्रतिस्पर्धी हित। निर्णय के दौरान इस तरह के निर्धारण में शामिल प्रतिस्पर्धी हितों की प्रकृति और संतुलन का पता लगाया जाएगा।

57. विधायिका के प्रति जवाबदेह सरकार के कैबिनेट रूप में कार्यपालिका। सरकार के मंत्री निर्वाचित सदस्य होते हैं –विधायिका। सामूहिक रूप से, सरकार के प्रति उत्तरदायी है

उस न्यास के निर्वहन में उत्तरदायी होने से उनकी स्वतंत्रता कम नहीं होती है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता उन्हें कार्यपालिका और विधायिका के दबावों और समाज में संगठित हितों से बचाने के लिए बनाई गई है जो न्यायाधीशों को निष्पक्ष न्यायनिर्णायकों के रूप में न्यास का निर्वहन करने से रोक सकते हैं। जांच और पारदर्शिता,48 स्टीफन बरबैंक, द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस, कैलिफोर्निया लॉ रिव्यू (1999)।

49 चार्ल्स गार्डनर, राजनीतिक बयानबाजी के क्षेत्र से न्यायिक जवाबदेही को बचाना (2006), पी।

916 [2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ठीक से समझे जाने को स्वतंत्रता के विरोधाभास में नहीं रखा जाता है। वे ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं जहाँ न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

हानिकारक प्रभाव। जाँच और पारदर्शिता कर्तव्यनिष्ठों के सहयोगी हैं क्योंकि वे उन प्रभावों से बचाव के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं जो न्यायिक विवेक को नष्ट करने का खतरा पैदा करते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता का उपयोग जवाबदेही से इनकार करने के लिए एक याचिका के रूप में करना गलत है। स्वतंत्रता जवाबदेही से सुरक्षित होती है। पारदर्शिता और जांच–पड़ताल जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन हैं।

जी प्रत्ययी संबंध

58. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के आधार पर न्यायाधीशों की संपत्ति के बारे में जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश पर एक प्रत्ययी कर्तव्य डालती है –

परिसंपत्ति घोषणाओं को विश्वास में रखें। यह प्रतिवादी द्वारा तर्क दिया जाता है

कि न्यायाधीश, अपनी संपत्ति घोषित करते समय, 1997 के प्रस्ताव के अनुसार अपनी आधिकारिक क्षमता में ऐसा करते हैं न कि निजी व्यक्तियों के रूप में। यह आग्रह किया जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों की संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया उनकी आधिकारिक क्षमता में है और इसलिए, उनके बीच कोई प्रत्ययी संबंध मौजूद नहीं है।59. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणाओं के संबंध में जानकारी है

एक प्रत्ययी क्षमता में न्यायालय, संबंधों की प्रकृति और पक्षों के बीच शक्ति गतिशीलता का आकलन करना आवश्यक है। एस. ई. सी. बनाम चेनरी कॉर्प 5 0 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने इस सवाल का निर्धारण करते हुए कहा कि क्या पुनर्गठन की प्रक्रिया में एक होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन करने वाले अधिकारी और निदेशक न्यास के पदों पर काबिज हैं।

कर्तव्य से उसके विचलन के परिणाम? 5160. ब्लैक लॉ डिक्शनरी 52, "प्रत्ययी संबंध" को परिभाषित करता है।

इस प्रकारः

" एक ऐसा संबंध जिसमें एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह दूसरे के लाभ के लिए कार्य करे।

50 एस. ई. सी वी. चेनरी कार्पोरेशन। , 318 यू. एस. 80,85–86 (1942) 52 ब्लैक लॉ डिक्शनरी, दसवां संस्करण, पी।

744 ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद्र गढ़वाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

संबंध। न्यासी–लाभार्थी, अभिभावक–वार्ड, प्रधान–एजेंट और वकील–ग्राहक जैसे न्यासी संबंधों के लिए असामान्य रूप से उच्च स्तर की देखभाल की आवश्यकता होती है। न्यासी संबंध आमतौर पर चार स्थितियों में से एक में उत्पन्न होते हैंः (1) जब एक व्यक्ति विश्वास रखता हैदूसरे की वफादार अखंडता, जो परिणामस्वरूप पहले पर श्रेष्ठता या प्रभाव प्राप्त करती है, (2) जब एक व्यक्ति दूसरे पर नियंत्रण और जिम्मेदारी ग्रहण करता है, (3) जब एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे के लिए कार्य करना या सलाह देना होता है।

संबंध के दायरे में आने वाले मामलों पर, या (4) जब कोई विशिष्ट संबंध है जिसे पारंपरिक रूप से प्रत्ययी कर्तव्यों को शामिल करने के रूप में मान्यता दी गई है, जैसे कि एक वकील के साथ और एक ग्राहक या एक स्टॉक ब्रोकर और एक ग्राहक।

(जोर दिया गया)

शब्द और वाक्यांश 53 में "प्रत्ययी" शब्द को परिभाषित किया गया हैः

" आम तौर पर, 'प्रत्ययी' शब्द किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो दूसरे के प्रति विशिष्ट विश्वास की स्थिति रखता है। यह. सत्यनिष्ठा और निष्ठा को संदर्भित करता है। यह लेन–देन के आधार के रूप में कानूनी दायित्व के बजाय निष्पक्ष लेन–देन और सद्भावना पर विचार करता है। इस शब्द में वे अनौपचारिक संबंध शामिल हैं जो तब मौजूद होते हैं जब एक पक्ष दूसरे पर भरोसा करता है और निर्भर करता है, साथ ही तकनीकी प्रत्ययी संबंध भी शामिल होते हैं।

(जोर दिया गया)

कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम 3 4 में "प्रत्ययी" को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" शब्द की एक सामान्य परिभाषा जो सभी मामलों को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है, अच्छी तरह से नहीं दी जा सकती है। यह शब्द सिविल या रोमन कानून से लिया गया है। यह विश्वास या विश्वास के विचार को दर्शाता है, कानूनी दायित्व के बजाय अच्छे विश्वास पर विचार करता है, लेन–देन के आधार के रूप में, विश्वास किए गए पक्ष की ईमानदारी, निष्ठा को संदर्भित करता है, न कि उसकी साख या क्षमता को, और सभी व्यक्तियों पर लागू होने के लिए आयोजित किया गया है जो एक पद पर काबिज हैं।

दूसरों के प्रति विशिष्ट विश्वास, और उन्हें शामिल करनाअनौपचारिक संबंध जो तब मौजूद होते हैं जब एक पक्ष दूसरे पर भरोसा करता है और निर्भर करता है, साथ ही तकनीकी प्रत्ययी संबंध।

डी. एस. और वाक्यांश, खंड 16–ए, सेंट पॉलः वेस्ट पब। कं, 1940 पुस ज्यूरिस सेकंडमः सभी रिपोर्ट किए गए मामलों के अनुसार संपूर्ण अमेरिकी कानून का एक पूर्ण पुनर्कथन, खंड 36–ए, पी।

38 [2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक संज्ञा के रूप में 'प्रत्ययी' शब्द का अर्थ है वह जो एक चीज़ रखता है।एक अन्य के लिए विश्वास में, एक ट्रस्टी, एक व्यक्ति जो चरित्र धारण करता है

एक न्यासी, या न्यासी के समान चरित्र, के साथ

इसमें शामिल विश्वास और विश्वास का सम्मान और

ईमानदार सद्भावना और स्पष्टता जिसकी उसे आवश्यकता है; एक व्यक्ति

ऐसे उपक्रम से जुड़े मामलों में दूसरे का लाभ।इसके अलावा अधिक विशेष रूप से, एक क़ानून में, एक अभिभावक, ट्रस्टी, निष्पादक,

प्रशासक, प्राप्तकर्ता, संरक्षक या किसी भी कार्य में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति

विशेष संबंध में, इस शब्द को किसके लिए रखा गया हैनोट में शामिल करने और शामिल न करने के बारे में बताया गया है।

61. सी. बी. एस. ई. बनाम आदित्य बंदोपाध्याय 5 मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने

न्यायालय ने प्रत्ययी संबंधों की प्रकृति पर चर्चा करते हुए भरोसा किया

कई निर्णय लिए और "प्रत्ययी" शब्दों की व्याख्या की और

सेरी संबंध "इस प्रकारः

" 39. "प्रत्ययी" शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका कर्तव्य है

दूसरे के लाभ के लिए कार्य करें, अच्छे विश्वास और स्पष्टता दिखाएं,

कर्तव्य का पालन या निर्वहन करने वाले व्यक्ति में। "न्यासी" शब्द"संबंध" का उपयोग किसी स्थिति या लेनदेन का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

जहाँ एक व्यक्ति (लाभार्थी) पूर्ण स्थान रखता है।

उसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति (न्यासी) में विश्वास

मामले, व्यवसाय या लेन–देन। यह शब्द भी संदर्भित करता है कि

वह व्यक्ति जो किसी चीज़ को दूसरे (लाभार्थी) के लिए विश्वास में रखता है। द.

न्यासी से विश्वास में और लाभ के लिए कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और

लाभार्थी का लाभ, और उसमें सद्भावना और निष्पक्षता का उपयोग करें लाभार्थी या उससे संबंधित चीजों से निपटना

न्यासी, चीज़ को विश्वास में रखना या कुछ कार्यों को निष्पादित करनासौंपे गए कार्य के संबंध में या उसके संदर्भ में, न्यासी

विश्वास में कार्य करना पड़ता है और उम्मीद की जाती है कि वह बात का खुलासा नहीं करेगा

या किसी तीसरे पक्ष को जानकारी।

(जोर दिया गया)

62. आर. बी. आई. बनाम जयंतीलाल एन. मिस्त्री मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

टी ने सी. बी. एस. ई बनाम आदित्य में की गई टिप्पणियों को दोहराया

1) 8 एससीसी 497

6) 3 एस. सी. सी. 525 ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र गढ़वाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]लोपाध्याय और उनका मानना था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ खुद को एक न्यासी के रूप में नहीं रखा है।

निरीक्षण, बैंकों के विवरण और संबंधित जानकारी

ई व्यवसाय। यह माना गया कि आर. बी. आई. द्वारा एकत्र की गई जानकारी

कानून के तहत बराबरी और विश्वास या विश्वास के बहाने के तहत नहीं

असाधारण मामले और केवल कुछ टुकड़ों के संबंध मेंजानकारी, जिसके लिए प्रकटीकरण अनुचित या अवांछनीय है।

प्रत्ययी संबंध, प्रकटीकरण को रोकने का कोई कारण नहीं है उसी से। हालाँकि, जहाँ जानकारी की आवश्यकता होती है

किसी प्राधिकारी को कानून का अधिदेश प्रदान किया जाना, यह नहीं हो सकता है

कहा जा सकता है कि ऐसी जानकारी एक में प्रदान की जा रही है विश्वास संबंधी संबंध। जैसे कि तत्काल मामले में, वित्तीय

संस्थानों का दायित्व है कि वे सभी जानकारी प्रदान करें

आर. बी. आई. और ऐसी जानकारी जो किसी दायित्व/शुल्क के तहत साझा की जा सकती है। साझा किए जाने के दायरे में आने के लिए माना जाता है

विश्वास संबंधी संबंध "।

(जोर दिया गया)

63. हॉजकिन्सन बनाम के मामले में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय

एन. एस. 57 ने 'प्रत्ययी' शब्द की चर्चा इस प्रकार कीः

दूसरे का लाभ और वह दायित्व उसके साथ एकविवेकाधीन शक्ति। कई संकेत सहायक हैं

प्रत्ययी संबंधों के अस्तित्व को मान्यता देनाः (1) दायरा कुछ विवेकाधिकार या शक्ति के प्रयोग के लिए; (2) वह शक्ति या

विवेकाधिकार का प्रयोग एकतरफा रूप से किया जा सकता है ताकि

लाभार्थी के कानूनी या व्यावहारिक हित; और, (3) एक विशिष्ट हित

उस विवेक या शक्ति के प्रयोग के लिए भेद्यता।

न्यासी शब्द का उपयोग दो तरीकों से ठीक से किया जाता है। सबसे पहले

खंडन योग्य अनुमान के अंतर्निहित उद्देश्य से उत्पन्न होता है संबंध कि एक पक्ष का कर्तव्य है कि वह सर्वोत्तम हित में कार्य करे

94] 3 एससीआर।

377 [2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरी पार्टी से। दूसरा, प्रत्ययी का थोड़ा अलग उपयोग मौजूद है जहां प्रत्ययी दायित्व, हालांकि किसी दिए गए कार्य के लिए जन्मजात नहीं हैं।

संबंध, वास्तव में विशिष्ट से उत्पन्न होता है

उस विशेष संबंध की परिस्थितियाँ। ऐसे मामले में पूछने के लिए सवाल यह है कि क्या, आसपास के सभी को देखते हुए

परिस्थितियों में, एक पक्ष उचित रूप से उम्मीद कर सकता था कि दूसरा पक्ष मुद्दे पर विषय वस्तु के संबंध में पूर्व के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा। विवेक, प्रभाव, असुरक्षा और विश्वास इस निर्धारण को करने में विचार किए जाने वाले प्रमाणिक कारकों के अपूर्ण उदाहरण हैं। प्रत्ययी संबंधों की स्थापित श्रेणियों के बाहर, जो आवश्यक है वह एक पारस्परिक समझ का प्रमाण है कि एक पक्ष ने अपना स्वार्थ छोड़ दिया है और पूरी तरह से इस पर कार्य करने के लिए सहमत हो गया है।

दूसरे पक्ष की ओर से। सलाहकार संदर्भ के संबंध में, एक पक्ष द्वारा जानकारी प्रदान करने और दूसरे के लिए आदेशों को निष्पादित करने के लिए एक साधारण उपक्रम से अधिक कुछ होना चाहिए।

एक संबंध जिसे प्रत्ययी के रूप में लागू किया जाना है।

64. डॉ. पॉल फिन ने "प्रत्ययी दायित्व" 58 पर अपने व्यापक कार्य में एक प्रत्ययी को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है जो किसी विशेष मामले में "अपने हित में" या "अपने लाभार्थियों के लाभ के लिए" कार्य करने का दायित्व रखता है। एक व्यक्ति को एक न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें पहले दूसरे के हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी तरह से खुद को बांधना होगा। 59 जहां इस तरह का पद एक पक्ष द्वारा ग्रहण किया गया है, तो उस पक्ष की स्थिति संभावित रूप से एक न्यासी की है। ऑस्ट्रेलियाई सेक एंड इनव कम 'न बनाम के मामले में ऑस्ट्रेलिया का संघीय न्यायालय

सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड 61 ने कहा हैः

" यह सवाल कि क्या एक प्रत्ययी संबंध मौजूद है, और किसी भी कर्तव्य का दायरा, तथ्यात्मक परिस्थितियों और पक्षों के बीच संविदात्मक शर्तों की जांच पर निर्भर करेगा।

स्थापित श्रेणियों के अलावा, शायद सबसे अधिक जो कहा जा सकता है वह यह है कि एक प्रत्ययी संबंध मौजूद है जहां एक व्यक्ति

दूसरे के हित में कार्य करने का बीड़ा उठाया है और नहीं

58 पी. डी. फिन "प्रत्ययी दायित्व", कार्सवेल 1977 में पी. 15 59 पी. डी. फिन "प्रत्ययी दायित्व", कार्सवेल 1977 में पी. 9 60 पी. डी. फिन "प्रत्ययी दायित्व", कार्सवेल 1977 में पी. 9 61 ऑस्ट्रेलियाई सेक। & इनव। कम्यून बनाम सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई। लिमिटेड, [2007] एफ. सी. ए. 963 (पी. डी. फिन का हवाला देते हुए, द फिड्यूशियरी प्रिंसिपल, इन इक्विटी, फिड्यूशियरीज एंड ट्रस्ट्स (टी. यूडेन एड। , 1989))

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अपने स्वयं के हितों में लेकिन सभी तथ्यों और

संबंध, सार में, प्रत्ययी है। आलोचनात्मकअंत में मामला वह भूमिका है जो कथित न्यासी की है,

या रिश्ते में होना चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए।

उस पक्ष को दूसरे के मामलों में फंसाएँ या उसके साथ संरेखित करें

उस दूसरे के हितों की सुरक्षा या उन्नति जो

न्यासी अपेक्षा के लिए आधार मौजूद है।

(जोर दिया गया)

65. एक न्यासी को विवेक की एक डिग्री सौंपी जानी चाहिए।

(शक्ति) और लाभार्थी के पूर्व अनुमोदन का सहारा लिए बिना कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 62 प्रत्ययी द्वारा जितना अधिक स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग किया जाएगा, प्रत्ययी कर्तव्य का दायरा उतना ही अधिक होगा। 63 जिस व्यक्ति को इस तरह से शक्ति सौंपी गई है, उसे यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि कैसेउस शक्ति का प्रयोग करें। 64 विश्वासियों की पहचान प्रभुत्व, शक्ति से की जाती है।

और मजबूत पक्ष की ओर से नियंत्रण और इसलिए, एक प्रत्ययी संबंध का तात्पर्य एक पक्ष की दूसरे पर श्रेष्ठता की शर्त से है। 65 यह आवश्यक नहीं है कि संबंध को कानून के अनुसार परिभाषित किया जाना चाहिए, यह विभिन्न परिस्थितियों में मौजूद हो सकता है, और ऐसे मामलों में मौजूद है जहां किसी ऐसे

व्यक्ति में विशेष विश्वास रखा गया है जो सद्भावना से और विश्वास रखने वाले के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के लिए बाध्य है। ऐसा आम तौर पर अन्य बातों के साथ होता है,

वकील–मुवक्किल, अभिकर्ता–प्राचार्य, डॉक्टर–रोगी, माता–पिता–बच्चा, न्यासी लाभार्थी 66, कानूनी अभिभावक–वार्ड 67, व्यक्तिगत प्रतिनिधि, अदालत

नियुक्त प्राप्तकर्ता और कंपनी के निदेशकों और उसके शेयरधारकों के बीच। नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम नीडल इंडस्ट्रीज न्यूए (इंडिया) होल्डिंग लिमिटेड 68 और डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट (पी) लेफ्टिनेंट बनाम पी. के. प्रताप "मामले में इस अदालत ने कहा कि कंपनी के निदेशकों का अपने शेयरधारकों के प्रति प्रत्ययी कर्तव्य है। पी. वी. शंकर कुरुप बनाम

62 तामार फ्रेंकल, "प्रत्ययी कानून" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 201163 स्कॉट, ऑस्टिन डब्ल्यू. "द फिड्यूशियरी प्रिंसिपल"। कैलिफोर्निया लॉ रिव्यू 37, नं। 4 (1949) : 539–55 .

64 तामार फ्रेंकल, "फिड्यूशियरी लॉ" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011 65 केन कोघिल, चार्ल्स सैम्पफोर्ड और टिम स्मिथ "फिड्यूशियरी ड्यूटी एंड द एटमॉस्फेरिक ट्रस्ट", एशगेट (2012)66 धारा 88, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 67 धारा 20, संरक्षक और वार्ड अधिनियम 1890 68 (1981) 3 एस. सी. सी. 333

69 (2005) 1 एससीसी 212 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लीलावती नाम्बियर 70, इस न्यायालय ने कहा कि एक एजेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रिंसिपल के साथ एक प्रत्ययी संबंध के लिए कहा जा सकता है।

66. प्रत्ययी संबंध के अन्य संरचनात्मक गुण हैं:

निर्भरता और भेद्यता, जहां लाभार्थी शक्ति का प्रयोग करने और व्यावहारिक हितों को प्रभावित करने के लिए न्यासी पर निर्भर है। 71 एक बार एक प्रत्ययी संबंध स्थापित हो जाने के बाद, प्रत्ययी कर्तव्यों में निष्ठा का कर्तव्य और लोगों के हितों की देखभाल का कर्तव्य शामिल है।

लाभार्थी। 72

67. उपरोक्त चर्चा से यह देखा जा सकता है कि न्यासी वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष मामले में दूसरे के लिए और उसकी ओर से कार्य करता है।

विश्वास और आत्मविश्वास के संबंध को जन्म देना। एक प्रत्ययी संबंध का अर्थ है एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर श्रेष्ठता की शर्त, जहां एक व्यक्ति में दूसरे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए विशेष विश्वास व्यक्त किया गया है।

68. हमारे सामने विवाद यह है कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने आधिकारिक कार्य का प्रयोग करते हुए और संपत्ति की घोषणा करते हुएन्यायाधीशों की जानकारी प्रत्ययी क्षमता में कार्य करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की और कहाः

" सीजेआई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रति प्रत्ययी नहीं हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश स्वतंत्र पद धारण करते हैं, और उनके न्यायिक कार्यों में कोई पदानुक्रम नहीं है, जो उन्हें सीजेआई से अलग स्तर पर रखता है। घोषणाएं सीजेआई को निजी संबंध या ट्रस्ट के रूप में नहीं दी जाती हैं, बल्कि उच्च स्तर बनाए रखने के लिए संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में दी जाती हैं।

न्यायिक जीवन के मानक और सत्यनिष्ठा व्यापक लोक हित में हैं। इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सीजेआई के साथ साझा की गई संपत्ति की जानकारी

न्यायालय, उसके द्वारा प्रत्ययी के रूप में आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें यदि प्रकट करने का निर्देश दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप इस तरह के कर्तव्य का उल्लंघन होगा।

प्राधिकरण लेकिन ऐसी सभी जानकारी जो अन्यथा प्राप्त की जाती है या70 (1994) 6 एससीसी 68

71 गोल्ड, एंड्रयू एस। ; मिलर, पॉल बी "। न्यासी कानून की दार्शनिक नींव "ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2016।72 तामार फ्रेंकल, "प्रत्ययी कानून" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्यों का प्रयोग करते समय सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उपयोग या सचेत रूप से बनाए रखा जाता है। 7 मई 1997 को अपनाए गए न्यायाधीश की संपत्ति की घोषणा पर 1997 के प्रस्ताव में कहा गया हैः

पद ग्रहण करने के उचित समय के भीतर और बैठक के मामले में अपने जीवनसाथी या उस पर निर्भर किसी भी व्यक्ति का)इस संकल्प को स्वीकार करने के उचित समय के भीतर न्यायाधीश

और उसके बाद जब भी ठोस प्रकृति का कोई अधिग्रहण किया जाता है, तो उचित समय के भीतर इसका खुलासा किया जाएगा। इस प्रकार की गई घोषणा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश को इसी तरह की घोषणा करनी चाहिए

अभिलेख का उद्देश्य। न्यायाधीशों द्वारा की गई घोषणा या

मुख्य न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, गोपनीय रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट। उनके बीच कोई विश्वास संबंधी संबंध नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को रक्षा करने की शक्ति नहीं सौंपी गई है और व्यक्तिगत न्यायाधीशों के हितों को आगे बढ़ाते हैं जो अपनी संपत्ति का खुलासा करते हैं। उच्चतम न्यायालय के सभी तत्कालीन न्यायाधीशों द्वारा पारित 7 मई 1997 के प्रस्ताव के आदेश के अनुसार जानकारी की आवश्यकता होती है और यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी जानकारी किसी भी मामले में प्रदान की जा रही है।

व्यक्तिगत क्षमता। भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल आधिकारिक कार्यों के अनुसार जानकारी रखते हैं और किसी भी प्रत्ययी क्षमता में नहीं। मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशभारत का न्याय एक संवैधानिक पद पर है। न्यायाधीशों के बीच कोई निर्धारित पदानुक्रम नहीं है और उन्हें समान न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं।

और प्रतिरक्षण। जो न्यायाधीश अपनी संपत्ति का खुलासा करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहा जा सकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति संवेदनशील और उन पर निर्भर होना। इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा की गई संपत्ति की जानकारी उनके द्वारा एक प्रत्ययी क्षमता में रखी गई है, जिसका खुलासा होने पर, प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन होगा। इसलिए, यह तर्क कि मांगी गई जानकारी प्रत्ययी क्षमता में रखी गई है, लागू नहीं होता है और इसका उपयोग जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

70. जबकि हमने अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार नहीं किया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के बीच प्रत्ययी संबंध के अस्तित्व के संबंध में, आवेदन को इंगित करना प्रासंगिक हैसार्वजनिक संस्थानों के लिए प्रत्ययी सिद्धांत जहां न्यायाधीश प्रत्ययी मानकों

द्वारा निर्देशित, सार्वजनिक विश्वास में नागरिकों के हितों को रखते हैं। नागरिक के प्रति एक न्यायाधीश के सार्वजनिक प्रत्ययी दायित्व में निष्ठा का कर्तव्य, देखभाल का कर्तव्य और स्पष्ट, प्रकटीकरण और लेखांकन के कर्तव्यों का समूह शामिल है। 74 एक न्यायाधीश के प्रति वफादारी का कर्तव्य उनके सामने वादियों के प्रति निष्पक्ष रहकर नागरिकों के प्रति वफादार रहना है। 75 न्यायाधीशों की देखभाल के कर्तव्य में न्यायाधीशों से उचित परिश्रम के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और तर्क आधारित निर्णय लेने में संलग्न होने की अपेक्षा करना शामिल है। 76 स्पष्टता, प्रकटीकरण और लेखांकन के कर्तव्य न्यायिक पारदर्शिता और न्यायिक ईमानदारी के आधार पर आधारित हैं।

एच निजता का अधिकार और जानने का अधिकार

71. इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिए जाने वाले तीसरे रेफरल प्रश्न का उत्तर हैः क्या मांगी गई जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम 77 की धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट प्राप्त है। इस प्रश्न के लिए इस न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है

क्या और किन परिस्थितियों में आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी का खुलासा आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए। यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि आर. टी. आई. की वैधानिक योजना की व्याख्या करते हुए

अधिनियम, जानने का संवैधानिक अधिकार और नागरिकों की निजता का संवैधानिक अधिकार भी शामिल हैं। सवाल के जवाब में, यह आवश्यक है

आर. टी. आई. अधिनियम की योजना, धारा 8 के तहत छूट की भूमिका, धारा 8 (1) (जे) के तहत वैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों और संविधान के भाग 3 के तहत संवैधानिक अधिकारों के बीच अंतरफलक का विश्लेषण करना। 73 रॉबर्ट जी. नेटेलसन, "विशेष ब्याज खर्च की न्यायिक समीक्षाः सामान्य कल्याण खंड और संस्थापकों का प्रत्ययी कानून, 11 पाठ। रेव. एल. और पी. ओ. एल. 239, 245

74 लीब, एथन जे., डेविड एल. पोनेट और माइकल सेरोटा। न्याय करने का एक प्रत्ययी सिद्धांत "। कैलिफोर्निया लॉ रिव्यू 101, नं। 3 (2013) : 699–753 .

75 मैथ्यू कोनागलेन, पब्लिक–प्राइवेट इंटरसेक्शनः प्रत्ययी संघर्ष सिद्धांत और पूर्वाग्रह की तुलना, 2008 पी. यू. बी. एल. 58 (2008)

76 लीब, एथन जे., डेविड एल. पोनेट और माइकल सेरोटा। न्याय करने का एक प्रत्ययी सिद्धांत "। कैलिफोर्निया लॉ रिव्यू 101, नं। 3 (2013) : 699–753 . एलोन हरेल एंड त्स्वी काहाना, द ईज़ी कोर केस फॉर ज्यूडिशियल रिव्यू, 2 जे. लेगल एनालिसिस 227 भी देखें।

249 एन. 23 (2010) .

77 " आर. टी. आई. अधिनियम "सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

72. प्रभावी शासन की सुविधा के लिए, सरकार

या 'सार्वजनिक प्राधिकरण' को विभिन्न प्रकार के समन्वय के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। गतिविधियाँ और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए विवश किया जाए कि यह उन लोगों की स्वतंत्रता पर हावी न हो जिनकी वह सेवा करता है। प्रणाली की व्याख्या करते हुए

अमेरिकी संविधान में नियंत्रण और संतुलन के बारे में, जेम्स मैडिसन ने उल्लेख किया:

अगर स्वर्गदूतों को मनुष्यों पर शासन करना था, न तो बाहरी और न हीसरकार पर आंतरिक नियंत्रण आवश्यक होगा। में।

पुरुषों, बड़ी कठिनाई इसमें निहित है: आपको पहले सक्षम करना होगाशासित को नियंत्रित करने के लिए सरकार; और अगले स्थान पर बाध्य

खुद को नियंत्रित करने के लिए। लोगों पर निर्भरता, इसमें कोई संदेह नहीं है,

सरकार पर प्राथमिक नियंत्रण; लेकिन अनुभव है

मानव जाति को सहायक सावधानियों की आवश्यकता सिखाई। 9978

(जोर दिया गया)

हमारा संविधान इन कार्यों को स्थापित और कार्यान्वित करता है –

सरकार। राज्य के सार्वजनिक कार्यों को संचालित करने और नागरिकों के सार्वजनिक जीवन के शासन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाना आवश्यक है। हालाँकि, हमारे संविधान के निर्माताओं ने माना कि सशक्तिकरण के इस अधिनियम में कुछ संबंधित जोखिम भी हैं, कि लोगों की कोई भी सरकार अचूक नहीं है और इसके अलावा

लोकतांत्रिक नियंत्रण, सरकारी शक्ति पर कुछ अतिरिक्त नियंत्रण और संतुलन आवश्यक हैं। संविधान का भाग ।।। संवैधानिक योजना के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारासरकारी शक्ति सीमित है, और सरकार नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करने के लिए बाध्य है।

धारा 8 और 11 की योजना

73. आर. टी. आई. अधिनियम को सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए लागू किया गया था।

व्यक्तिगत नागरिकों और राज्य तंत्र के बीच सूचना की विषमता को कम करने के लिए 'सार्वजनिक प्राधिकरणों' द्वारा रखी गई जानकारी का प्रकटीकरण। आर. टी. आई. अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों के निर्णयों में पारदर्शिता, किसी भी कदाचार या अवैधता के लिए सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही की सुविधा प्रदान करता है और व्यक्तियों को जनता के मामलों को प्रकाश में लाने का अधिकार देता है। 78 जेम्स मैडिसन, फेडरलिस्ट नंबर 51 (1788)

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ब्याज। आर. टी. आई. अधिनियम ने नागरिकों को एक शक्तिशाली साधन प्रदान किया हैः वकालत और पत्रकारिता में लगे व्यक्तियों के लिए। यह नागरिक–कार्यकर्ता, सीटी बजाने वाले, लेकिन सबसे बढ़कर राज्य के मामलों में सामान्य रुचि रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए मुखर होने की संस्कृति की सुविधा प्रदान करता है। आर. टी. आई. अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया हैः

" अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अधिनियम

नागरिकों के लिए जानकारी तक सुरक्षित पहुंच के लिए

सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में, बढ़ावा देने के लिए

प्रत्येक व्यक्ति के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही

सार्वजनिक प्राधिकरण, एक केंद्रीय सूचना का गठन

आयोग और राज्य सूचना आयोग और मामलों के लिए

इसके साथ जुड़ा हुआ या प्रासंगिक है।

... .

और जहाँ लोकतंत्र के लिए एक जानकार नागरिक की आवश्यकता होती है औरसूचना की पारदर्शिता जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और

भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों और उनकी संस्थाओं को रोकने के लिए भीशासितों के प्रति जवाबदेह उपकरण; "

(जोर दिया गया)

जैसा कि फैसले में पहले देखा गया था, आर. टी. आई. के प्रावधान

अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आयोजित जानकारी तक पहुंच को संचालित करने के लिए समर्पित हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की योजना और इसकी प्रयोज्यता

न्यायपालिका की पहले ही विस्तार से जांच की जा चुकी है। तीसरे निर्देशात्मक प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह न्यायालय स्वयं को प्रकटीकरण के सामान्य दायित्व से बनाई गई वैधानिक छूटों तक सीमित कर सकता है। आर. टी. आई. अधिनियम को लागू करते समय, संसद इस बात से अवगत थी कि सूचना का अप्रतिबंधित प्रकटीकरण वित्तीय रूप से अक्षम हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक दुनिया को नुकसान हो सकता है और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। उपरोक्त उद्धरणों के अलावा, आर. टी. आई. अधिनियम की प्रस्तावना में यह भी कहा गया हैः

" और जहां वास्तविक रूप में जानकारी का खुलासा होता है

अभ्यास अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव की संभावना है

सीमित राजकोषीय संसाधनों का संरक्षण और गोपनीयतासंवेदनशील जानकारी; "

(जोर दिया गया)

74. अप्रतिबंधित से होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए

सूचना का प्रकटीकरण, विधायिका में भारत का कुछ योग्य और अग्रिम न्यायालय शामिल था।

आर. टी. आई. अधिनियम के 4 और 7 के तहत खुलासा करने के सामान्य दायित्व को छूट। धारा 8 (1) कुछ वर्गों को निर्धारित करती है, जिनके प्रकटीकरण के बारे में विधायिका को पहले से ही पता हो सकता है किराष्ट्र या अन्य नागरिकों के अधिकारों और हितों के लिए हथियार।

यह नीचे लिखा हैः

सूचना के प्रकटीकरण से छूट –

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी नागरिक को देने का कोई दायित्व नहीं होगा –

(क) ऐसी जानकारी, जिसका प्रकटीकरण पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य के सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों को प्रभावित करता है या किसी राज्य को उकसाता है।अपराध;

(ख) ऐसी जानकारी जिसे स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है

किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित या

जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना हो सकती है;

(ग) ऐसी जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से

संसद या राज्य के विशेषाधिकार का हनन

विधानमंडल;

(घ) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार सहित जानकारी

गुप्त या बौद्धिक संपदा, जिसका खुलासा किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि अधिक

लोक हित इस तरह के प्रकटीकरण की गारंटी देता है

जानकारी;

(ई) किसी व्यक्ति को उसके न्यासालय में उपलब्ध जानकारी

संबंध, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट नहीं होता है कि व्यापक सार्वजनिक हित के प्रकटीकरण की आवश्यकता है

ऐसी जानकारी;

(च) विदेश से विश्वास में प्राप्त जानकारी

सरकार;

(छ) ऐसी जानकारी जिसका खुलासा किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है या विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान कर सकता है।

कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए; 16 एस. सी. आर.

(ज) ऐसी जानकारी जो जाँच या आशंका या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करे।

अपराधी;

(1) विचार–विमर्श के अभिलेखों सहित मंत्रिमंडल के कागजात

मंत्रिपरिषद, सचिव और अन्य अधिकारीः

बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, कारण

और वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिए गए थे, निर्णय लिए जाने के बाद सार्वजनिक की जाएगी, और मामला पूरा हो गया है, या समाप्त हो गया हैः

बशर्ते कि वे मामले जो इसके अंतर्गत आते हैं

इस धारा में निर्दिष्ट छूटों का खुलासा नहीं किया जाएगा।

(जे) ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक जानकारी से कोई संबंध नहीं है।

गतिविधि या हित, या जो व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट नहीं होता है कि व्यापक लोक हित

ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता हैः

बशर्ते कि ऐसी जानकारी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है

संसद या राज्य विधानमंडल से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा।

(2) सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में कुछ भी होने के बावजूद और न ही उप–धारा (1) के अनुसार अनुमत किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण जानकारी तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित नुकसान से अधिक है। संरक्षित हितों के लिए "।

कुछ चिन्हित तथ्यों के आधार पर सूचना प्रतिबंधित की जा सकती है।हानि पहुँचाते हुए, आर. टी. आई. अधिनियम इस धारणा को नकारता है कि जानकारी को गोपनीयता के आधार पर रोका जा सकता है। खंड (1) के अधीन हानि

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत अनुरोध किए गए दस्तावेज़ के गैर–प्रकटीकरण को सही ठहराने के लिए धारा 8 की पहचान की जानी चाहिए और उसका उपयोग किया जाना चाहिए।

75. यह भी ध्यान रखना उचित है कि धारा 8 के खंड (ए), (बी), (सी), (एफ), (जी) और (एच) से खंड (1) के लिए एक पूर्ण छूट प्रदान करता है

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकटीकरण का दायित्व। हालांकि, धारा 8 के खंड (1) के खंड (डी), (ई), (आई) और (जे) प्रकटीकरण से एक योग्य छूट प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, धारा 8 की उप–धारा (1) के खंड (ए) में एक बिना शर्त छूट प्रदान की गई है जहां यह निर्धारित किया गया है कि

माँगी गई जानकारी का प्रकटीकरण "प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा

भारत की संप्रभुता और अखंडता "। दूसरी ओर, जबकि धारा 8 (1) का खंड (डी) इसी तरह प्रदान करता है कि जानकारी से मुक्त है

प्रकटीकरण जहां इस तरह का प्रकटीकरण "किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा" छूट को इस वाक्यांश द्वारा और अधिक योग्य माना जाता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित की आवश्यकता है।

प्रकटीकरण "। इस प्रकार, खंड (घ) के तहत छूट निरपेक्ष नहीं है, लेकिन योग्य है और जहां "व्यापक सार्वजनिक हित" मौजूद है, वहां इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहाँ सूचना अधिकारी यह निर्धारित करता है कि "

लोक हित 'प्रकटीकरण का आश्वासन देता है, खंड (घ) में छूट का आह्वान नहीं किया जा सकता है और जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।

76. धारा 8 (1) का खंड (जे) प्रकटीकरण से एक योग्य छूट प्रदान करता है जहां मांगी गई जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" से संबंधित है।

जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है याब्याज "या जानकारी के प्रकटीकरण से" गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण "होगा। हालाँकि, छूट को ओवरराइड किया जा सकता है जहाँ सूचना अधिकारी "संतुष्ट है कि व्यापक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण को उचित ठहराता है"। खंड (जे) गोपनीयता के आधार पर जानकारी के प्रकटीकरण से पूर्ण छूट नहीं है, लेकिन यह कहता है कि उन मामलों में प्रकटीकरण से छूट दी गई है जहां "व्यक्तिगत जानकारी" मांगी गई है और कोई "बड़ा सार्वजनिक हित" मौजूद नहीं है। जहाँ सूचना अधिकारी संतुष्ट है कि "व्यापक लोक हित" का अस्तित्व "व्यक्तिगत जानकारी" के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है, वहाँ जानकारी का खुलासा किया जाना

चाहिए। न्यायपालिका के सदस्यों के संबंध में "व्यक्तिगत जानकारी" और "व्यापक सार्वजनिक हित" वाक्यांशों की सटीक रूपरेखा, और जिस तरह से वे एक–दूसरे से संबंधित हैं, वह तीसरे रेफरल प्रश्न का विषय है और इस निर्णय के दौरान इसका विश्लेषण किया जाएगा।

77. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (एन) और 11 निम्नानुसार हैः

“ 2 (एन) "तीसरे पक्ष" का अर्थ है नागरिक बनाने वाले व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति।

जानकारी के लिए अनुरोध और इसमें एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11. तीसरे पक्ष की जानकारी। (1) जहाँ एक केंद्रीय जनता

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, के रूप में

मामला किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड का खुलासा करने का इरादा हो सकता है, या

इस अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध पर इसका हिस्सा, जो संबंधित है

किसी तीसरे पक्ष को या उसके द्वारा आपूर्ति की गई है और

उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है, केंद्रीयलोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी

अधिकारी, जैसा भी मामला हो, पांच दिनों के भीतर

अनुरोध की प्राप्ति, ऐसे तीसरे पक्ष को एक लिखित सूचना दें

जानकारी या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, औरतीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें,

इस संबंध में कि क्या जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, और

एक लेते समय तीसरे पक्ष के प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखा जाएगासूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णयः

बशर्ते कि व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर

कानून द्वारा संरक्षित, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि जनता

ऐसे तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान या नुकसान।(2) जहाँ केंद्रीय सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा कोई सूचना दी जाती है।

अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो,किसी भी सूचना के संबंध में उप–धारा (1) के तहत किसी तीसरे पक्ष को

या रिकॉर्ड या उसका हिस्सा, तीसरा पक्ष, दस दिनों के भीतर

इस तरह के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, अवसर दिया जाए

प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करना।

(जोर दिया गया)

"तीसरे पक्ष" की परिभाषा में एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है। तीसरा

पार्टी की जानकारी वह जानकारी है जो किसी अन्य व्यक्ति (सार्वजनिक प्राधिकरण सहित) से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदान की गई है।

सूचना आवेदक और ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है। जहां 'तीसरे पक्ष की जानकारी' का खुलासा करने की मांग की जाती है, और इस तरह की जानकारी को प्रथम दृष्टया तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है, तो आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रक्रिया है –

अनिवार्य है। सूचना अधिकारी, 'तीसरे पक्ष की जानकारी' के लिए अनुरोध प्राप्त करने के पांच दिनों के भीतर संबंधित तीसरे पक्ष को सूचित करेगा जिससे जानकारी संबंधित है या जिसने इसे प्रदान किया था। नोटिस तीसरे पक्ष को सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v के रूप में कारण (लिखित या मौखिक रूप से) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

तीसरे पक्ष द्वारा उजागर किए गए प्रकटीकरण में संभावित नुकसान।78. धारा 8 और 11 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। उस मामले के अलावा जहां सूचना आवेदक जानकारी का खुलासा करना चाहता है

जो सूचना आवेदक से संबंधित है, मांगी गई जानकारी जो धारा 8 (1) के खंड (जे) के अर्थ के भीतर "व्यक्तिगत जानकारी" की श्रेणी में आती है, वह भी धारा 11 के दायरे में "तीसरे पक्ष की जानकारी" है। इसलिए हर मामले में जहां

अनुरोध की गई जानकारी धारा 8 की उप धारा 1 के खंड (जे) के संचालन के भीतर "व्यक्तिगत जानकारी" है, धारा 11 के तहत नोटिस और आपत्तियों की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। दोनों प्रावधान नियंत्रण और संतुलन की एक ठोस प्रणाली बनाते हैं जो सूचना आवेदक के जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को तीसरे पक्ष के अधिकार के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं ताकि व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को रोका जा सके।

बाद वाले को प्रस्तावित प्रकटीकरण का विरोध करने की अनुमति देकर जानकारी।

79. अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्रीय सार्वजनिक सूचना

79 अधिकारी ने यह तर्क दिया कि धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष को सूचित करने और आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया केवल उन स्थितियों पर लागू होती है जहां मांगी गई जानकारी सीधे तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई थी, न कि उन स्थितियों पर जहां जानकारी 'तीसरे पक्ष से संबंधित थी लेकिन उसके द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, (जैसा कि हमारे विद्वान भाई उस समय कर रहे थे) ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ की ओर से कहाः

" 13 ..... दूसरी ओर, यदि 'या' शब्द को 'और' के रूप में पढ़ा जाता है, तो यह कठिनाइयों और समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें आक्रमण भी शामिल है।तीसरे पक्ष की गोपनीयता/गोपनीयता का अधिकार। उदाहरण के लिए, ए

सार्वजनिक प्राधिकरण के पास अपने अभिलेख, चिकित्सा विवरण हो सकते हैं।

79 आकाशवाणी 2012 डेल 29 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या तीसरे व्यक्ति से संबंधित प्रिस्क्रिप्शन लेकिन जिनके पास है तीसरे व्यक्ति द्वारा आपूर्ति नहीं की गई। अगर व्याख्या

जानकारी तीसरे द्वारा प्रस्तुत या प्रदान नहीं की गई थीव्यक्ति। ..... जब जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित हो और हो सकती है

प्रक्रिया को प्रथम दृष्टया गोपनीय माना और माना जाता हैधारा 11 (1) का पालन किया जाना चाहिए। इसी तरह, मामले में

जानकारी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई है और

प्रथम दृष्टया उक्त तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है, फिर से

धारा 11 (1) के तहत प्रक्रिया का पालन करना होगा।

.....15. धारा 11 यह भी सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

उनका पालन किया जाता है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय हो किसी तीसरे पक्ष या किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया है

सूचना चाहने वाला बिना किसी सूचना के या तीसरे को सुने बिना

पार्टी का दृष्टिकोण। किसी तीसरे पक्ष के पास कारण हो सकते हैं,

सूचना चाहने वाले को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंउन्होंने जानकारी के लिए आवेदन किया है। तथ्य हो सकते हैं,

पी. आई. ओ. या अपीलार्थी को अज्ञात कारण या कारण प्राधिकरण जो न्यायसंगत हो सकता है और जिसे अस्वीकार करने की आवश्यकता हो सकती है

जानकारी दी। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय स्वाभाविक है।

न्याय। नोटिस जारी करना और एक अवसर देना

तीसरा पक्ष एक हितकारी उद्देश्य को पूरा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि

एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय है। वास्तव में एक को नोटिस जारी करनातीसरा पक्ष मुकदमों और जटिलताओं को कम कर सकता है जो

अगर तीसरी बात सुने बिना जानकारी दी जाती है तो यह उत्पन्न हो सकता है।

संबंधित पक्ष। धारा 11 काफी सख्त समय निर्धारित करती है।

अनुसूची यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही में देरी न हो।

(जोर दिया गया)

धारा 11 के तहत प्रक्रिया का न केवल अनुपालन किया जाना चाहिए

जहाँ सार्वजनिक प्राधिकरण को जानकारी प्रदान की गई है तृतीय पक्ष, लेकिन समान रूप से जब जानकारी जो द्वारा आयोजित की जाती है

ग प्राधिकारी किसी तीसरे पक्ष से "संबंधित" है।

धारा 11 केवल भारत का सी. पी. आई. ओ., सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

प्रक्रियात्मक प्रावधान, लेकिन सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आयोजित उनकी व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण के खिलाफ तीसरे पक्ष को उनकी जानकारी या सहमति के बिना एक ठोस सुरक्षा। केवल यह तथ्य कि सार्वजनिक प्राधिकरण किसी तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी रखता है, इसे आर. टी. आई. अधिनियम के तहत स्वतंत्र रूप से खुलासा करने योग्य नहीं बनाता है। किसी तीसरे पक्ष के पास जानकारी के प्रकटीकरण पर आपत्ति करने का अच्छा कारण हो सकता है, जिसमें यह आधार भी शामिल है कि प्रकटीकरण गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आपत्तियों को आमंत्रित करने की आवश्यकता को शामिल करके और उसी पक्ष को तीसरे पक्ष की जानकारी के प्रस्तावित प्रकटीकरण पर सुनवाई प्रदान करके जो प्रकटीकरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, धारा 11 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रतीक है।

80. वर्तमान मामले में, मांगी गई जानकारी न्यायपालिका के सदस्यों की संपत्ति की घोषणा और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पदोन्नति के संबंध में आधिकारिक फाइल टिप्पणियों और पत्राचार से संबंधित है। न्यायाधीशों की संपत्ति के संबंध में मांगी गई जानकारी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है, बल्कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की जाती है। न्यायाधीशों की पदोन्नति के संबंध में फाइल टिप्पणियों में न केवल सर्वोच्च न्यायालय के संचालन के बारे में जानकारी होती है, बल्कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से भी संबंधित है। इस प्रकार, मांगी गई जानकारी "संबंधित" और "किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई है और उसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है।" धारा 11 के तहत प्रक्रिया है –

प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में लागू होती है और इसका पालन किया जाना चाहिए।

संवैधानिक अधिकार शामिल किए गए 81. आर. टी. आई. अधिनियम, हालांकि एक वैधानिक अधिनियम है, इसमें शामिल है –

भारत के संविधान के भाग III में निहित अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो

सभी नागरिकों को न केवल बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, बल्कि बोलने की स्वतंत्रता के प्रसार का भी अधिकार देता है। हमारे संविधान के तहत अभिव्यक्ति के प्रसार के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को लंबे समय से मान्यता दी गई है। 80 एक अंतर्निहित

स्वतंत्र रूप से भाषण का प्रसार करने के अधिकार का घटक दर्शकों का स्वतंत्र रूप से भाषण प्राप्त करने का अधिकार है। प्रसारित सूचना प्राप्त करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में भी मान्यता दी गई है। 3 1 सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से ही प्रसारित की जा रही जानकारी प्राप्त करने के अधिकार के अलावा, अनुच्छेद 19 (1) (ए) में सूचना का एक सकारात्मक अधिकार शामिल है। [2019] 16 एस. सी. आर. की नकारात्मक सामग्री के विपरीत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जो राज्य को पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी तक नागरिक की पहुंच को प्रतिबंधित करने से रोकता है, सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के एक पहलू के रूप में, राज्य पर एक सकारात्मक कर्तव्य डालता है कि वह कुछ जानकारी उपलब्ध कराए जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है।

82. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण 82 में, मुख्य न्यायाधीश ए.

एन रे ने इस न्यायालय की एक संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

प्रत्येक सार्वजनिक लेन–देन का विवरण जानने के लिएइसका असर। जानने का अधिकार, जो इससे प्राप्त होता है

कारक जो किसी को सावधान करना चाहिए, जब गोपनीयता हैलेन–देन के लिए दावा किया जाता है, जो किसी भी तरह से नहीं हो सकता है

सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रभाव। [न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी देखें।

वी. संयुक्त राज्य अमेरिका, 29 एल एड 822: 403 यूएस 713] घूंघट से ढकने के लिए

गोपनीयता, सामान्य नियमित व्यवसाय, के हित में नहीं है

जनता को। इस तरह की गोपनीयता शायद ही कभी वैध रूप से वांछित हो सकती है। यह.

आम तौर पर दलों और राजनीति के उद्देश्य के लिए वांछित है या

व्यक्तिगत स्वार्थ या नौकरशाही दिनचर्या "।

(जोर दिया गया)

इन टिप्पणियों को सात न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय का। न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (जैसा कि वे उस समय थे) ने कहाः

" 64. अब संविधान से यह स्पष्ट है कि हमारे पास

सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप अपनाया। जहाँ एक समाज हैलोकतंत्र को अपने विश्वास के रूप में स्वीकार करने के लिए चुना गया, यह प्राथमिक है

कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि उनकी सरकार क्या कर रही है।

नागरिकों को यह तय करने का अधिकार है कि किसके द्वारा और किसके द्वारा

नियम वे शासित होंगे और वे कॉल करने के हकदार हैं

80 एक्सप्रेस अखबार बनाम भारत संघ 1959 एससीआर 12 81 बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ (1972) 2 एससीसी 788 82 (1975) 4 एससीसी 428

83 (1981) मान लीजिए एस. सी. सी. 87 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उन लोगों पर जो उनकी ओर से शासन करते हैं उनके लिए जवाबदेह होने के लिएआचरण करें। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इसके बिना नहीं रह सकती।

उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व का मूल अभिधारणा है –

कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए

सरकार की कार्यप्रणाली। यह तभी है जब लोग जानते हैं कि कैसे

अपने स्वयं के राज्यपाल बनने के लिए उन्हें खुद को शक्ति से लैस करना होगाज्ञान देता है। लोकलुभावनक बिना एकटा लोकप्रिय सरकार

जानकारी या इसे प्राप्त करने का साधन, केवल एक प्रस्तावना हैकिसी बल या त्रासदी या शायद दोनों के लिए। नागरिकों का अधिकार

प्रशासन के बारे में तथ्यों, सही तथ्यों को जानेंइस प्रकार देश एक लोकतांत्रिक राज्य के स्तंभों में से एक है।

(जोर दिया गया)

उपर्युक्त उद्धरण सटीक और संक्षिप्त रूप से

कानून की स्थिति का सारांश देता है और इस न्यायालय द्वारा लगातार इसका पालन किया गया है। 84 अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दायित्व डालता है। यह राज्य को सूचना प्राप्त करने के नागरिकों के अधिकार और इसके स्वतंत्र रूप से प्रसार में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यह नागरिकों को सार्वजनिक कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य पर एक दायित्व भी लगाता है।सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे और एक जागरूक मतदाता बनाए।

83. संसद ने राज्य के नियमों के अनुसरण में आर. टी. आई. अधिनियम लागू किया।

नागरिकों को जानकारी प्रदान करने का सकारात्मक दायित्व

सरकार की कार्यप्रणाली। यह नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार को लागू करने के लिए एक क़ानून है, अन्यथा केवल सरकार द्वारा आयोजित,

प्रावधान, लेकिन साथ ही संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत 'जानने का अधिकार' भी शामिल है। 'जानने का अधिकार' निरपेक्ष नहीं है। आर. टी. आई. अधिनियम में अधिकार पर कुछ प्रतिबंधों की परिकल्पना की गई है –धारा के खंड (1) में उल्लिखित छूटों के रूप में 'ज्ञात'

84 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (2003) 4 एस. सी. सी. 399; थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2013) 16 एस. सी. सी. 82 और भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री (2016) 3 एस. सी. सी. 525।

आर. टी. आई. अधिनियम के भीतर निहित इस न्यायालय के समक्ष चुनौती में नहीं है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि सूचना के प्रकटीकरण पर किसी भी प्रतिबंध को अनिवार्य रूप से मौजूदा कानून

के अनुरूप होना चाहिए।अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में 'जानने के अधिकार' का संरक्षण। थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के फैसले में

बनाम केरल राज्य 85 न्यायमूर्ति राधाकृष्णन ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" 56. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक ऐसा अधिनियम है जो

सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अधिकारीप्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्य में। की प्रस्तावना

अधिनियम में यह भी कहा गया है कि लोकतंत्र के लिए एक जानकार नागरिक की आवश्यकता होती है

और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकारों और उनकेशासितों के प्रति उत्तरदायी उपकरण। नागरिकों के पास है,

हालाँकि, केवल उन्हीं लोगों की जानकारी तक सुरक्षित पहुँच का अधिकारऐसे मामले जो "सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में हैं",

इसका उद्देश्य "सरकार और उसके साधनों" को पकड़ना है।

शासितों के प्रति उत्तरदायी। नतीजतन, हालांकि अधिकारजानकारी प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी दी गई है

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) की सीमाएँ निर्धारित की जा रही हैं

अनुच्छेद 19 (2) के अर्थ के भीतर प्रतिबंधभारत का संविधान "।

(जोर दिया गया)

अदालत ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि आर. टी. आई. अधिनियम लागू किया गया था

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौजूद जानने के अधिकार की सकारात्मक सामग्री को पूरा करने के लिए। इसके अलावा, के तहत जानकारी के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध

आर. टी. आई. अधिनियम अनुच्छेद 19 (1) (ए) के एक पहलू के रूप में 'जानने के अधिकार' पर प्रतिबंध लगाता है।

85 (2013) 16 एस. सी. सी. 82 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

84. धारा 8 की उप–धारा (1) के खंड (जे) में "व्यक्तिगत जानकारी" और "लोगों की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण" वाक्यांशों का उपयोग किया गया है।व्यक्तिगत "। व्यक्तिगत खुलासा करने में होने वाले नुकसान की व्याख्या करने में

जानकारी के लिए, इस न्यायालय को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि व्यक्ति की गोपनीयता संवैधानिक संरक्षण का विषय है। के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 86 में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि संविधान के भाग III के भीतर स्थित निजता का संवैधानिक अधिकार मौजूद है। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, बहुलता के लिए बोलते हुए

चार न्यायाधीशों ने कहाः

" 250. ..... उपरोक्त चित्रण के अनुसार गोपनीयता के नौ प्राथमिक प्रकार हैंः

(i) शारीरिक गोपनीयता जो भौतिक शरीर की गोपनीयता को दर्शाती है। इसमें दूसरों को अपने शरीर का उल्लंघन करने या शारीरिक आंदोलन की स्वतंत्रता को रोकने में सक्षम होने की नकारात्मक स्वतंत्रता निहित है। ((ii) स्थानिक गोपनीयता जो एक निजी स्थान की गोपनीयता में परिलक्षित होती है जिसके माध्यम से दूसरों की पहुंच को स्थान तक सीमित किया जा सकता है; अंतरंग संबंध और पारिवारिक जीवन इसका एक उपयुक्त उदाहरण हैं।

स्थानिक गोपनीयता;

भाग III में। 323. निजता के मूल में व्यक्तिगत अंतरंगता का संरक्षण, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह शामिल हैं।

86 (2017) 10 एससीसी 1 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रजनन, घर और यौन अभिविन्यास। निजता का अर्थ अकेले रहने का अधिकार भी है। निजता की सुरक्षा

यह रेखांकित करता है कि गोपनीयता केवल इसलिए नहीं खोती है या आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है। निजता व्यक्ति से जुड़ी होती है क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा का

एक अनिवार्य पहलू है।325. अन्य अधिकारों की तरह जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक स्वतंत्रताओं का हिस्सा हैं, गोपनीयता एक पूर्ण अधिकार नहीं है। एक कानून जो गोपनीयता का अतिक्रमण करता है, उसे अनुमेय सीमा का सामना करना होगा।

मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निजता पर आक्रमण को एक ऐसे कानून के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए जो एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता है जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो। कानून को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के संदर्भ में भी वैध होना चाहिए। जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण को तीन गुना आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

(i) वैधता, जो कानून के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करती है; (ii) आवश्यकता, जिसे एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है; और (iii) आनुपातिकता जो उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है।326. निजता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विषय होते हैं। नकारात्मक सामग्री राज्य को किसी नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में घुसपैठ करने से रोकती है। इसकी सकारात्मक सामग्री राज्य पर व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का दायित्व लगाती है।

327. खरक सिंह द्वारा निजता के अधिकार को बरकरार रखने के बाद इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को उपरोक्त सिद्धांतों के अधीन पढ़ा जाएगा।

(जोर दिया गया)

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने अपनी अलग सहमति वाली राय में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 521. भारतीय संदर्भ में, निजता के मौलिक अधिकार में कम से कम निम्नलिखित तीन पहलू शामिल होंगे:

गोपनीयता जिसमें व्यक्ति शामिल होता है अर्थात जब किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर से संबंधित अधिकारों की स्थिति द्वारा कुछ आक्रमण होता है,

जैसे कि स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार;• सूचनात्मक गोपनीयता जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित नहीं है

शरीर लेकिन एक व्यक्ति के मन से संबंधित है, और इसलिए

यह मानता है कि किसी व्यक्ति का उस सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण हो सकता है जो उसके लिए व्यक्तिगत है।इस तरह की जानकारी का अनधिकृत उपयोग, इसलिए हो सकता है

इस अधिकार का उल्लंघन; और

पसंद की गोपनीयता, जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करती है

बुनियादी व्यक्तिगत विकल्पों पर।

536. इस संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि

भारत का संविधान। एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, आकाशवाणी 1954 एससी 300: 1954 क्रि एलजे 865: 1954

एस. सी. आर. 1077] और खरक सिंह [खरक सिंह] में बहुमत

वी. उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1295: (1963) 2 क्रि एल. जे. 329: (1964)

1 एस. सी. आर. 332], इस हद तक कि वे इसके विपरीत संकेत देते हैं, खड़े हैं

खारिज कर दिया। निजता को मान्यता देने वाले इस न्यायालय के बाद के निर्णयमौलिक अधिकार के रूप में इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(जोर दिया गया)

85. निजता का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो

संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और संविधान के भाग III में सन्निहित स्वतंत्रता और गरिमा के पहलुओं से। राज्य द्वारा निजता के अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध कानून द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, राज्य के वैध उद्देश्य का पीछा करना चाहिए और आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करना चाहिए। आनुपातिकता की आवश्यकता तब पूरी होती है जब अधिकार के संक्षिप्त होने की प्रकृति और विस्तार

राज्य द्वारा अपनाए जा रहे वैध उद्देश्य के अनुपात में। निजता के संवैधानिक संरक्षण में न केवल व्यक्तिगत [2019] 16 एस. सी. आर. शामिल हैं।

अंतरंगता लेकिन निर्णयात्मक और सूचनात्मक स्वायत्तता तक भी फैली हुई है।

इसके प्रावधानों के तहत प्रकट की गई जानकारी के अंत–उपयोग पर कोई प्रतिबंध शामिल है। सूचना के अधिकार आवेदन के अनुसार राज्य के सूचना अधिकारी द्वारा प्रकट की गई जानकारीबाद में व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा। धारा 8 की उप–धारा (1) के खंड (जे) में प्रावधान है कि कुछ स्थितियों में, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी भी आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकट की जा सकती है। जहाँ आर. टी. आई. अधिनियम "व्यक्तिगत जानकारी" के प्रकटीकरण पर विचार करता है, वहाँ व्यक्ति की निजता का अधिकार लगा हुआ है। यह अधिनियम मानता है कि आर. टी. आई. अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का पूर्ण या अनुचित प्रकटीकरण आर. टी. आई. अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के तहत "निजता के अधिकार पर अनुचित आक्रमण" का गठन करेगा और व्यक्ति के निजता के संवैधानिक अधिकार को भी कम करेगा। हालाँकि, आर. टी. आई. अधिनियम में आर. टी. आई. अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी के बिना मिलावट के प्रकटीकरण से बचाव के लिए विभिन्न नियंत्रण और संतुलन हैं।

87. निजता के अधिकार को कम करने के उपाय के रूप में आर. टी. आई. अधिनियम की संवैधानिक वैधता इस न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं है। लेकिन यह

यह कहना ठीक नहीं है कि आर. टी. आई. अधिनियम वैधता की कसौटी (एक विधान होने के आधार पर) को संतुष्ट करता है और सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक वैध राज्य उद्देश्य का भी अनुसरण करता है और एक जानकार संगठन है। मतदाता। गोपनीयता के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित को संतुलित करने के लिए सूचना अधिकारी की अपेक्षा करके, खंड (जे) यह सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिकता का एक विधायी रूप से अनिवार्य उपाय बनाता है कि व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार को नुकसान पारदर्शिता और जवाबदेही हासिल करने के उद्देश्य से असमान नहीं है।

हितों का संतुलन

88. आर. टी. आई. अधिनियम एक विधायी अधिनियम है जिसमें व्यक्तियों के निजता के अधिकार के बीच हितों का एक सूक्ष्म संतुलन शामिल है।

जिसकी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है और पारदर्शिता, जवाबदेही और एक सूचित मतदाता सुनिश्चित करने में व्यापक सार्वजनिक हित। दोनों

इन हितों के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं क्योंकि वे भाग III के तहत संवैधानिक अधिकारों को संलग्न करते हैं। आर. टी. आई. अधिनियम की व्यापक योजना, और सी. पी. आई. ओ. में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

विशेष धारा 3,4 और 7 संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के एक पहलू के रूप में सूचना के अधिकार की सकारात्मक सामग्री को पूरा करने के लिए एक अधिदेश का गठन करती है। धारा 8 की उप–धारा (1) के खंड (जे) द्वारा संरक्षित गोपनीयता हित सूचनात्मक गोपनीयता के सिद्धांत को संवैधानिक गोपनीयता के एक पहलू के रूप में संलग्न करता है जैसा कि के. एस. पुट्टास्वामी में इस न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। न तो अनुच्छेद 19 (1) (ए) के एक पहलू के रूप में 'सूचना का अधिकार' और न ही सूचना के अधिकार के एक पहलू के रूप में सूचना की गोपनीयता का अधिकार।

गोपनीयता निरपेक्ष है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकारों को अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। का अधिकारगोपनीयता और इसके कई पहलुओं को अनुमत रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है जहां संक्षिप्तता कानून द्वारा प्रदान की जाती है, एक वैध राज्य उद्देश्य का पालन करती है और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करती है।

89. धारा 8 की उप–धारा (1) के खंड (जे) के लिए आवश्यक है –

सूचना अधिकारी पहले यह निर्धारित करेगा कि मांगी गई जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" के अर्थ में आती है या नहीं। कहाँ कामाँगी गई जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" के दायरे में आती है और जानकारी का "किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है"

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है। हालांकि, जहां

माँगी गई जानकारी के प्रकटीकरण में 'जनहित' मौजूद है, सूचना अधिकारी द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण अलग है। सूचना अधिकारी को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या "व्यापक लोक हित" न्यायसंगत हैजानकारी का प्रकटीकरण इस तथ्य के बावजूद कि जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" है। ऐसा करने में, सूचना अधिकारी को उस व्यक्ति के गोपनीयता हित को संतुलित करना चाहिए जिसकी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा जनता के जानकारी के अधिकार के साथ किया जाएगा।

सूचना "और" जनहित "को संविधान द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकटीकरण और गैर–प्रकटीकरण के रूप में 'जानने के अधिकार' और गोपनीयता के अधिकार पर लागू मानक इन संवैधानिक अधिकारों को सीधे निहित करते हैं। के ढांचे के भीतर एक संतुलन बनाने में

आर. टी. आई. अधिनियम, सूचना अधिकारी को इन अधिकारों की मूल सामग्री और हमारी संवैधानिक योजना के भीतर उन्हें किस हद तक प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। आनुपातिकता के मानक को लागू करना भी महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी अधिकार को वैध हित को पूरा करने के लिए आवश्यक से अधिक सीमा तक प्रतिबंधित नहीं किया गया

है।विचाराधीन ब्याज का विरोध करना। अब "व्यक्तिगत जानकारी" और "सार्वजनिक हित" की सामग्री की जांच करना आवश्यक है।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्तिगत जानकारी को परिभाषित करना

90. ऐसी जानकारी के दायरे को समझना जो संरक्षित है

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से, इसकी पहचान करना प्रासंगिक है

जानकारी की प्रकृति जिसे "व्यक्तिगत जानकारी" माना जा सकता है। आर. टी. आई. अधिनियम "व्यक्तिगत" शब्द की परिभाषा नहीं देता है।जानकारी "। हालाँकि, "व्यक्तिगत जानकारी" को अन्य वैधानिक ढांचे के तहत परिभाषित किया गया है। ये परिभाषाएँ स्पष्ट रूप से आर. टी. आई. अधिनियम की व्याख्या को बाध्य नहीं करती हैं, लेकिन इसमें मार्गदर्शन के उपयोगी स्रोत हैं।

अभिव्यक्ति के आयाम को समझना। हमें निश्चित रूप से उन्हें एक चेतावनी के साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि उपयोग का संदर्भ समान नहीं है।

सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 2 (i) (उचित)

सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा

या सूचना) नियम, 2011 "व्यक्तिगत जानकारी" शब्द को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः

" व्यक्तिगत जानकारी का अर्थ है ऐसी कोई भी जानकारी जो किसीप्राकृतिक व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयोजन में

अन्य जानकारी उपलब्ध होने या उपलब्ध होने की संभावना के साथ

99

निगमित निकाय, ऐसे व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम है।

इस प्रकार, कोई भी जानकारी जो प्राकृतिक पहचान करने में सक्षम है

व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

91. यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण के अनुच्छेद 4 (1)

विनियमन (जी. डी. पी. आर.) व्यक्तिगत डेटा को समान शब्दों में परिभाषित करता हैः

" 'व्यक्तिगत डेटा' का अर्थ है किसी चिन्हित व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी।

या पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति ('डेटा विषय'); एक पहचान योग्य

प्राकृतिक व्यक्ति वह है जिसकी पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है,

विशेष रूप से एक पहचानकर्ता के संदर्भ में जैसे कि एक नाम,

पहचान संख्या, स्थान डेटा, एक ऑनलाइन पहचानकर्ता या एकया शारीरिक, शारीरिक, आनुवंशिक के लिए विशिष्ट अधिक कारक,

उस प्राकृतिक की मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सामाजिक पहचान

व्यक्ति "।

यूरोपीय संघ में डेटा संरक्षण व्यवस्था

नाम और उपनाम, घर का पता, स्थान डेटा, अस्पताल या डॉक्टर द्वारा रखे गए डेटा और व्यक्तिगत डेटा के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान पत्र संख्या जैसी जानकारी। 87 अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों ने

87 व्यक्तिगत डेटा क्या है? , यूरोपीय संघ की आधिकारिक वेबसाइटः //ई. सी. यूरोप। ईयू/सूचना/कानून/कानून-विषय/डेटा-संरक्षण/सुधार/क्या-व्यक्तिगत-डेटा _ एन सीपीआईओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

"व्यक्तिगत डेटा" शब्द की व्याख्या मोटे तौर पर किसी व्यक्ति के पेशेवर जीवन से संबंधित जानकारी को शामिल करने के लिए की गई है।

Worten v Autoridade पैरा में Condióes de Trabalho88 के रूप में

यूरोपीय न्यायालय ने माना कि एक कर्मचारी का कार्य समय व्यक्तिगत डेटा का गठन करता हैः

" 19. इस संबंध में, यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि, जैसा कि सभी द्वारा बनाए रखा गया है

लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने वाले इच्छुक पक्षों में से,

मुख्य कार्यवाहियों में, जो संबंधित हैं, प्रत्येक के संबंध मेंकर्मचारी, दैनिक कार्य अवधि और विश्राम अवधि, का गठन करते हैं

निर्देश 95/के अनुच्छेद 2 (ए) के अर्थ के भीतर व्यक्तिगत डेटा 46 , क्योंकि वे एक पहचान से संबंधित जानकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं

या पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति "

(जोर दिया गया)

रेचनुंगशोफ बनाम ओस्टेरिचिसर रुंडफंक में, 89

यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना कि ऑस्ट्रियाई कोर्ट ऑफ ऑडिट द्वारा विनियमन के अधीन एक संगठन से कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पेशेवर आय का विवरण "व्यक्तिगत डेटा" के बराबर है। यह आयोजित किया गया थाः

" यह ध्यान दिया जाना चाहिए, शुरू करने के लिए, कि में जारी डेटा

मुख्य कार्यवाहियाँ, जो दोनों कुछ लोगों द्वारा भुगतान किए गए धन से संबंधित हैं

निकाय और प्राप्तकर्ता, व्यक्तिगत डेटा का गठन करते हैं

निर्देश 95/46 के अनुच्छेद 2 (a) का अर्थ, सूचना होना

किसी चिन्हित या पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित। उनकेसंबंधित निकाय द्वारा अभिलेखन और उपयोग, और उनका

लेख के अर्थ के भीतर व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण 2 (ख) निर्देश का।

(जोर दिया गया)

92. व्यक्तिगत सूचना संरक्षण अधिनियम, 2013

88 सी. 342/12 दिनांक 30 मई 201389 संयुक्त मामले (सी–465/00), (सी–138/01) और (सी–139/01) दिनांक 20 मई 2003 [2019] 16 एस. सी. आर.

" "व्यक्तिगत जानकारी" का अर्थ है एक से संबंधित जानकारी

पहचान योग्य, जीवित, प्राकृतिक व्यक्ति, और जहां यह लागू होता है, एक पहचान योग्य, मौजूदा न्यायिक व्यक्ति, जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है –

(क) जाति, लिंग, लिंग, गर्भावस्था से संबंधित जानकारी,

वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीय, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, यौन अभिविन्यास, आयु, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण, अक्षमता, धर्म, विवेक, विश्वास, संस्कृति, भाषा और व्यक्ति का जन्म;

(ख) व्यक्ति की शिक्षा या चिकित्सा, वित्तीय, आपराधिक या रोजगार इतिहास से संबंधित जानकारी;

(ग) व्यक्ति को कोई पहचान संख्या, प्रतीक, ई–मेल पता, भौतिक पता, टेलीफोन नंबर, स्थान की जानकारी, ऑनलाइन पहचानकर्ता या अन्य विशेष कार्य;

((घ) व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी; (ई) व्यक्तिगत राय, विचार या वरीयताएँ

व्यक्ति;

(च) उस व्यक्ति द्वारा भेजा गया पत्राचार जो निहित रूप से या स्पष्ट रूप से एक निजी या गोपनीय प्रकृति का है या आगे का पत्राचार जो पत्र की सामग्री को प्रकट करेगा।

मूल पत्राचार;

(छ) के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के विचार या राय

व्यक्ति; और

(ज) व्यक्ति का नाम यदि यह व्यक्ति से संबंधित अन्य व्यक्तिगत जानकारी के साथ दिखाई देता है या यदि नाम के प्रकटीकरण से ही व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रकट होगी।

व्यक्ति "।

व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से सुरक्षा दी गई है

दक्षिण अफ्रीका में निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त। नेशनल मीडिया लिमिटेड बनाम जूस्टे में, प्रतिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि

अपीलार्थी द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन का अंतरंग विवरण प्रकाशित किया गया था।उसकी सहमति के बिना प्रकाशक। प्रकाशित जानकारी में उसके बच्चे के साथ–साथ बच्चे के पिता के साथ उसके संबंधों का विवरण शामिल था। जस्टिस हार्म्स ने निम्नलिखित में निजता के अधिकार को स्पष्ट किया:

शर्तें:9 0 1996 (3) एसए 262 (एससीए)

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" निजता के अधिकार में क्षमता शामिल है –

निजी तथ्यों के भाग्य का निर्धारण करें। व्यक्ति ने

संबंधित को प्रकटीकरण का दायरा निर्धारित करने का अधिकार है जैसे किमित्र मंडल, एक पेशेवर सलाहकार या जनता। वह हो सकता है

प्रकटीकरण का उद्देश्य और विधि निर्धारित करें। इसी प्रकार मैं भी हूँ।

इस दृष्टिकोण से कि एक व्यक्ति यह तय करने का हकदार है कि कब और उसके तहतकिन शर्तों पर निजी तथ्यों को सार्वजनिक किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

एन. एम. बनाम स्मिथ "1 में, तीन महिलाओं के नाम जो एच. आई. वी. थीं।

सकारात्मक का खुलासा एक जीवनी में किया गया था। महिलाओं द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि बिना किसी पूर्व सहमति के उनके नामों का खुलासा किया गया था और इस खुलासा से गोपनीयता, गरिमा और मनोवैज्ञानिक अखंडता के उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। पुट्टास्वामी में चार न्यायाधीशों की राय ने गोपनीयता की दो अवधारणाओं का उल्लेख किया जो दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय के फैसले से उभरीं, जिसने चिकित्सा जानकारी में गोपनीयता के मूल्य को मान्यता दी:

" स्मिथ मामले में फैसले के अनुसार, दो हैं

इसका क्या अर्थ है, इसकी संवैधानिक अवधारणा से एक प्रवाहित होता है।एक मनुष्य होने के लिए "और दूसरा" संवैधानिक "से

राज्य की अवधारणा ": " निजता के [पहले] पहलू का एक अंतर्निहित हिस्सा अधिकार है

चुनें कि हमारी कौन सी व्यक्तिगत जानकारी जारी की जाती है

सार्वजनिक स्थान। वह जानकारी जितनी अधिक अंतरंग होगी, उतनी ही अधिक यह गोपनीयता, गरिमा और स्वायत्तता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।

कि एक व्यक्ति प्राथमिक निर्णय लेता है कि क्या

जानकारी जारी करें। यह निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

दूसरों द्वारा। निजता के अधिकार का यह पहलू होना चाहिए

हम सभी का सम्मान करते हैं, न कि केवल राज्य का।

..... दूसरा, हम गोपनीयता को एक आवश्यक भाग के रूप में महत्व देते हैं।

राज्य। सत्तावादी समाजों में, राज्य आम तौर पर ऐसा नहीं करता हैइस तरह की सुरक्षा प्रदान करें। लोग और घर अक्सर नियमित रूप से

खोज की गई और एक निजी स्थान की संभावना जिससे

राज्य को बाहर रखा जा सकता है जिसे अक्सर अस्वीकार कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह है किस्वतंत्रता और मानव गरिमा से इनकार। लोकतांत्रिक समाजों में, यह

यह अस्वीकार्य है "।

निजता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अधिकार के बीच अंतर्संबंध पर

गरिमा, न्यायालय ने कहा किः

" निजता का अधिकार सुरक्षा के महत्व को पहचानता हैजनता से हमारे व्यक्तिगत दैनिक जीवन का क्षेत्र। ऐसा करते हुए, यह

निजता, स्वतंत्रता के बीच अंतर्संबंध को उजागर करता है

और प्रमुख संवैधानिक अधिकारों के रूप में गरिमा जो निर्माण करते हैं

हम समझते हैं कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है।

इसलिए ये सभी अधिकार परस्पर निर्भर और परस्पर हैं।

मनुष्य होने की संवैधानिक अवधारणा का दावा करता है औरमनुष्यों के यह चुनने की संभावना को बढ़ावा देना चाहता है कि कैसे

अपने जीवन को व्यापक ढांचे के भीतर जीते हैं समुदाय "।

(जोर दिया गया)

93. ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बनाम लेना गेम

मीट 9 2, ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की गतिविधियों को दर्शाने वाली फिल्म के प्रसारण को रोकने के लिए एक अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन के संबंध में एक अपील पर सुनवाई की। प्रतिवादी खेल के मांस का एक प्रोसेसर और आपूर्तिकर्ता था और उसके लिए पोसम मांस बेचता था।

निर्यात करें। अज्ञात व्यक्तियों ने प्रतिवादी के परिसर में प्रवेश किया था और छिपे हुए कैमरे लगाए थे। पॉसम–किलिंग ऑपरेशन को प्रतिवादी की जानकारी या सहमति के बिना फिल्माया गया था। यह दावा किया गया था कि फिल्म को गुप्त रूप से और गैरकानूनी रूप से बनाया गया था और अपीलार्थी को इस इरादे से प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी फिल्म का प्रसारण करेगा। प्रतिवादी निगम के निजता के दावे को निर्धारित करने में, मुख्य न्यायाधीश ग्लीसन ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 42. कोई उज्ज्वल रेखा नहीं है जिसे किसके बीच खींचा जा सके

निजी है और क्या नहीं है। "सार्वजनिक" शब्द का प्रयोग अक्सर एक

इसके विपरीत की सुविधाजनक विधि, लेकिन इसमें एक बड़ा क्षेत्र है

जो आवश्यक रूप से सार्वजनिक है और जो आवश्यक है, उसके बीच

निजी। कोई गतिविधि केवल इसलिए निजी नहीं होती है क्योंकि वह नहीं की जाती है।

सार्वजनिक रूप से। किसी अधिनियम को निजी बनाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकियह निजी संपत्ति पर होता है, इसमें सुरक्षा का ऐसा उपाय है

संपत्ति की विशेषताओं के रूप में सार्वजनिक दृष्टि से,

92 [2001] एच. सी. ए. 63 ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद्र गढ़वाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

गतिविधि की प्रकृति, स्थान और स्वभाव

संपत्ति का मालिक वहन करने के लिए गठबंधन करता है। कुछ प्रकार के

किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी, जैसे संबंधित जानकारी

स्वास्थ्य, व्यक्तिगत संबंध या वित्त के लिए आसान हो सकता है। निजी के रूप में पहचान करना; जैसा कि कुछ प्रकार की गतिविधि हो सकती है, जो

समकालीन मानकों को लागू करने वाला एक उचित व्यक्ति

नैतिकता और व्यवहार, के लिए अभिप्रेत समझा जाएगा

बेखबर रहें। आवश्यकता है कि प्रकटीकरण यासूचना या आचरण का अवलोकन अत्यधिक होगा

सामान्य संवेदनाओं वाले एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के लिए अपमानजनक

कई परिस्थितियों में क्या है इसका एक उपयोगी व्यावहारिक परीक्षण है

निजी "।

(जोर दिया गया)

94. कैम्पबेल बनाम एम. जी. एन. लिमिटेड में, दावेदार एक था

मॉडल जिसने एक प्रकाशन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी जिसे कहा जाता है

अपनी दवा से उबरने के उसके प्रयासों का विवरण प्रकाशित करने के लिए 'मिरर'

नार्कोटिक्स की बैठकों में भाग लेने की उनकी तस्वीरों के साथयमौस '। अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष थी। उनकी राय में,

नेस हेल ने नोट कियाः

" 145. यह हमेशा स्वीकार किया गया है कि एक के बारे में जानकारी

व्यक्ति का स्वास्थ्य और बीमार के लिए उपचार–स्वास्थ्य निजी और निजी दोनों है।

गोपनीय। यह न केवल गोपनीयता से उत्पन्न होता हैडॉक्टर–रोगी संबंध लेकिन जानकारी की प्रकृति से

स्वयं "।

147. इसलिए, मैं इस तथ्य से शुरू करता हूं–वास्तव में, यह एक सामान्य आधार है।

– कि मिस कैम्पबेल के बारे में सारी जानकारी

एनए में लत और उपस्थिति जो में प्रकट किया गया था

डेली मिरर का लेख निजी और गोपनीय दोनों था, क्योंकि यह मिस के एक महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है

कैम्पबेल का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और उपचार

वह इसके लिए प्राप्त कर रही थी। से भी प्राप्त किया गया थाआत्मविश्वास के उल्लंघन में एक अंदरूनी सूत्र। यह सरल तथ्य है

उस पर ठीक से दी गई रियायत से अस्पष्ट हो गया था इस ओर से कि समाचार पत्र की स्वतंत्रता का विरोध

03] 1 सभी ई. आर. 224 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभिव्यक्ति ने कुछ के प्रकाशन को उचित ठहराने का काम किया

यह जानकारी। लेकिन शुरुआती बिंदु यह होना चाहिए कि यह सब था

निजी और इसके प्रकाशन के लिए विशिष्ट औचित्य की आवश्यकता थी।

(जोर दिया गया)

95. भारत में न्यायालयों ने सूचना के दायरे की व्याख्या की है।

तीसरे प्रत्यर्थी को उसके नियोक्ता द्वारा दी गई दंड के साथ–साथ चल और अचल संपत्तियों, निवेशों, ऋण देने औरबैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना। याचिकाकर्ता ने तीसरे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए उपहारों का विवरण भी मांगा। माँगी गई जानकारी का एक बड़ा हिस्सा तीसरे प्रतिवादी के आयकर रिटर्न में पाया गया था। अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने मांगी गई जानकारी को "व्यक्तिगत जानकारी" के रूप में वर्गीकृत किया और कहाः

" 12. ..... एक में एक कर्मचारी/अधिकारी का प्रदर्शन

संगठन मुख्य रूप से कर्मचारी और कर्मचारी के बीच का मामला है।

नियम जो "व्यक्तिगत जानकारी" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं,जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है या

जनहित। दूसरी ओर, जिसका प्रकटीकरण होगा

उस व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण करना। में सेबेशक, किसी मामले में, यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण

संतुष्ट है कि व्यापक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण को उचित ठहराता हैऐसी जानकारी के लिए, उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं लेकिन

याचिकाकर्ता उन विवरणों का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है।

13. किसी व्यक्ति द्वारा अपने आयकर विवरण में बताए गए विवरण

"व्यक्तिगत जानकारी" हैं जो प्रकटीकरण से मुक्त हैं

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) के खंड (जे) के तहत, जब तक कि इसमें शामिल न हो।

एक व्यापक लोक हित और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

संतुष्ट है कि व्यापक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण को उचित ठहराता हैऐसी जानकारी "।

94 (2013) 1 एस. सी. सी. 212 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इस प्रकार, उन मामलों में भी जहां जानकारी को "व्यक्तिगत जानकारी" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, सी. पी. आई. ओ. को यह निर्धारित करने के लिए मामले–दर–मामले के आधार पर जांच करने की आवश्यकता होती है कि क्या जानकारी का खुलासा किया गया है।

न्यायसंगत है।

96. आर. के. जैन बनाम भारत संघ में, अपीलार्थी का आवेदन

मुख्य सूचना आयुक्त से सी. ई. एस. टी. ए. टी. के एक सदस्य से संबंधित नोट–शीट और फाइलों की प्रतियां मांगने को अस्वीकार कर दिया गया। इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ ने गिरीश देशपांडे की सुनवाई पर भरोसा किया और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल प्रविष्टियों से संबंधित दस्तावेजों और की गई "अनुवर्ती कार्रवाई" सहित सी. ई. एस. टी. ए. टी. के सदस्य की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों से संबंधित दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। केनरा बैंक बनाम सी. एस. श्याम% में, प्रत्यर्थी को अपीलार्थी बैंक द्वारा लिपिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया

गया था और उसने बैंक द्वारा नियोजित अन्य लिपिक कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित जानकारी मांगी थी। माँगी गई इस जानकारी में व्यक्तिगत विवरण जैसे शामिल होने की तारीख, कर्मचारी का पदनाम, अर्जित पदोन्नति का विवरण, शाखा में शामिल होने की तारीख शामिल थी। इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति ए. एम. सप्रे ने गिरीश देशपांडे की याचिका पर विचार किया और कहा कि

" 14. हमारी सुविचारित राय में, कानून का उपरोक्त सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर सभी बल पर लागू होता है। यह इन कारणों से है कि, सबसे पहले, बैंक में काम करने वाले व्यक्तिगत कर्मचारियों में से प्रतिवादी 1 द्वारा मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की थी; दूसरा, इसे धारा के तहत खुलासा करने से छूट दी गई थी।

8 (1) (जे) अधिनियम और अंत में, न तो प्रतिवादी 1 ने किसी भी सार्वजनिक हित का खुलासा किया, न ही व्यक्तिगत कर्मचारी की ऐसी जानकारी प्राप्त करने में शामिल बड़े सार्वजनिक हित का खुलासा किया और न ही कोई निष्कर्ष निकाला गया।

केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अभिलिखित [सी. एस. श्याम बनाम. केनरा बैंक, 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन सी. आई. सी. 626] और उच्च न्यायालय [केनरा बैंक बनाम। सी. आई. सी., 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 659] इस तरह की आपूर्ति में किसी भी बड़े सार्वजनिक हित की भागीदारी के रूप में

उत्तरदाता को जानकारी 1 "।97. सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम पंजीयक, सुप्रीम

95 (2013) 14 एस. सी. सी. 79496 (2018) 11 एस. सी. सी. 426

97 (2018) 11 एससीसी 634 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत या विदेश में निजी उपचार पर खर्च से संबंधित जानकारी सहित पिछले तीन वर्षों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा लिया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण गोपनीयता पर आक्रमण के बराबर हैः

" 11. अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी में विवरण शामिल हैं।

व्यक्तिगत न्यायाधीशों द्वारा उपयोग की जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का। द.

समान रूप से व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण, हमारा विचार है कि

इस तरह की जानकारी प्रदान करना निस्संदेह गोपनीयता पर आक्रमण के बराबर होगा। हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं का विवरण प्राप्त करने में कोई बड़ा सार्वजनिक हित शामिल नहीं है।

व्यक्तिगत न्यायाधीश। यह भी उल्लेखनीय है कि कुल

विचाराधीन अवधि के लिए न्यायाधीशों के चिकित्सा उपचार के लिए किया गया व्यय पहले से ही सी. पी. आई. ओ. द्वारा उनके दिनांकित पत्र 30–8–2011 द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि

उक्त व्यय अत्यधिक या अत्यधिक है। ऐसा होने के कारण, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि सार्वजनिक हित की आवश्यकता कैसे है

व्यक्तिगत न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं के विवरण का प्रकटीकरण। इतनी बड़ी जनता के अभाव मेंब्याज, अपीलीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 19 (8) (ए) (iv) के तहत कोई भी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस पर

इस आधार पर भी कि सी. आई. सी. द्वारा दिनांकित 1–2–2012 द्वारा पारित आदेश अस्थिर है और इसे ठीक ही द्वारा अलग कर दिया गया है

विद्वान एकल न्यायाधीश "।

इस प्रकार, चर्चा से यह पता चलता है कि कुछ श्रेणी की जानकारी जैसे चिकित्सा जानकारी, व्यक्तिगत संबंधों का विवरण, कर्मचारी रिकॉर्ड और व्यावसायिक आय को व्यक्तिगत जानकारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या ऐसी जानकारी होनी चाहिएप्रकटीकरण के पक्ष में प्रदर्शित जनहित के आधार पर, प्रकटीकरण का निर्धारण सी. पी. आई. ओ. द्वारा मामले–दर–मामले के आधार पर किया जाना है।

जनहित

98. सूचना का अधिकार और निर्वाचित अधिकारियों के मामले में पारदर्शिता की आवश्यकता लोकतांत्रिक आवश्यकता पर आधारित है

जनता द्वारा बेहतर निर्णय लेना। पारदर्शिता और अधिकार

निर्वाचित सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v के संचालन के संबंध में नागरिकों की निगरानी करने और अधिक सूचित निर्णय लेने की क्षमता में सूचना सीधे योगदान करती है।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अधिकारीगण। जहाँ एक निर्वाचित प्रतिनिधि का कदाचार उजागर होता है

जनता के लिए, नागरिक अगले चुनाव में उस व्यक्ति को वोट न देने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह, सूचना के अधिकार के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया बेहतर प्रशासन की सुविधा प्रदान करती है और शक्तिशाली प्रदान करती है

अच्छे सार्वजनिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन। न्यायाधीशों के मामले में, नागरिकों के पास प्रत्यक्ष एजेंसी संबंध नहीं होता है। इसलिए, एक न्यायाधीश के संबंध में जानकारी का खुलासा करने में 'जनहित' को बेहतर सार्वजनिक निर्णय लेने के माध्यम से लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आधारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे कहीं और स्थित किया जाना चाहिए।

99. सामान्य कानून वाले देशों में, सार्वजनिक हित को हमेशा राज्य के हित से स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए समझा गया है। लोकहित समान रूप से राज्य के खिलाफ काम करता है जैसा कि यह गैर–राज्य अभिनेताओं के खिलाफ करता है। आर. टी. आई. अधिनियम के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सूचना का अधिकार विशेष रूप से राज्य द्वारा पहले रखी गई जानकारी का प्रकटीकरण करना चाहता है। इसलिए लोक हित एक स्वतंत्र दृष्टिकोण के रूप में काम करता है जो इस बात से स्वतंत्र है कि क्या हितराज्य का प्रकटीकरण या गैर–प्रकटीकरण का पक्ष लेता है। इसके मूल में, 'जनहित' के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा लोकतांत्रिक निर्णय की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है

100. सिकरी में। , सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार भारत बनाम क्रिकेट एसोसिएशन। बंगाल 9 8 के न्यायाधीश पी. बी. सावंत इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा गयाः

" 43. अब हम अनुच्छेद 19 (2) द्वारा प्रतिबंधित अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्त करने और उसे प्रसारित करने का अधिकार शामिल है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, आत्म–अभिव्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण है।मुक्त विवेक और आत्म–पूर्ति का साधन। यह लोगों को सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर बहस में योगदान करने में सक्षम बनाता है। यह किसी भी चीज़ का सबसे सच्चा मॉडल खोजने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह केवल इसके माध्यम से है कि विचारों की व्यापक संभव सीमा प्रसारित हो सकती है। यह राजनीतिक विमर्श का एकमात्र साधन है जो लोकतंत्र के लिए इतना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी प्रकार के कलात्मक और विद्वतापूर्ण प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में इसकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, संचार के अधिकार में किसी भी माध्यम के माध्यम से संवाद करने का अधिकार शामिल है जो उपलब्ध है चाहे वह प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक या ऑडियो–विजुअल जैसे विज्ञापन, फिल्म, लेख, भाषण आदि। यही कारण है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता में प्रसार का अधिकार और इस तरह के प्रसार की मात्रा निर्धारित करना भी शामिल है। यह आज़ादी

इसमें देश की इतनी बड़ी आबादी में हस्तक्षेप किए बिना अपनी राय व्यक्त करने या प्रसारित करने की स्वतंत्रता शामिल है, जैसे –

विदेशों में भी, जहाँ तक पहुंचना संभव हो।

सूचना का अधिकार न केवल लोकतांत्रिक निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार पर आधारित है, बल्कि इसकी जड़ें अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार, जिसमें आत्म–पूर्ति भी शामिल हैव्यक्तिगत, विचारों के बाजार में प्रतिस्पर्धी विचारों का परिचय और व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा। 'सार्वजनिक हित' शब्द को ऐसी जानकारी तक सीमित करना जो व्यक्तियों को बनाने की अनुमति देती है

सार्वजनिक अधिकारियों के संबंध में बेहतर सार्वजनिक विकल्प उन शक्तिशाली लाभों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा आयोजित जानकारी के प्रसार से संवाद के विकास, निजी निर्णय लेने और व्यक्ति के पोषण पर हो सकते हैं।

101. हम पहले ही देख चुके हैं कि नागरिकों के प्रति न्यायपालिका की जवाबदेही न्यायाधीश के कार्यालय में निहित है। द.

हमारे देश में न्याय का प्रशासन एक विशाल, महत्वपूर्ण और महंगा प्रयास है जो दैनिक आधार पर लाखों नागरिकों को प्रभावित करता है। द. यह तर्क कि केवल इसलिए कि एक न्यायाधीश को पद से नहीं चुना जा सकता है, न्यायाधीशों का आचरण और उनका सामान्य प्रशासन बड़े सार्वजनिक हित का मामला नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। का खुलासा

न्यायाधीशों के आचरण और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन में व्यापक सामाजिक लक्ष्य

न्याय की प्राप्ति होती है। सूचना का प्रकटीकरण उन क्षेत्रों को उजागर कर सकता है जहां निरीक्षण और जवाबदेही के मजबूत तंत्र की आवश्यकता होती है। अंत में, न्यायपालिका के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण भी अदालत की गतिविधियों की रिपोर्टिंग, आलोचना और चर्चा में लगे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आत्म–पूर्ति की सुविधा प्रदान करता है। 'सार्वजनिक प्रहरी' के रूप में अपनी भूमिका का प्रयोग करने में प्रेस की स्वतंत्रता को भी सूचना के प्रकटीकरण से सुविधा मिलती है।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

102. 'जनहित' में प्रकटीकरण के पक्ष में वजन करने वाले कारक प्रत्येक विशिष्ट मामले के लिए विशिष्ट हैं। लेकिन वर्षों से

कई प्राधिकरणों ने लोक हित की अवधारणा को आकार दिया है और संकेतात्मक कारक प्रदान किए हैं जो सूचना के प्रकटीकरण के पक्ष में हैं। "सूचना की स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित" शीर्षक वाले एक लेख में: राष्ट्रमंडल अनुभव "9 9 में लेखकों ने कई कारकों को निर्धारित किया है जो किसी भी मामले में मौजूद पाए जाने पर प्रकटीकरण के पक्ष में वजन करेंगे। लेखकों का कहना है:

" आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि जनहित किसी मामले के बारे में जनता की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के अर्थ में जनता के हित का पर्याय नहीं है। उदाहरण के लिए, यू. के. सूचना न्यायाधिकरण ने उन मामलों के बीच अंतर किया है जो जनता के हित में थे और जो केवल जनता के लिए दिलचस्प थे (यानी जिनके बारे में जनता जानना चाहती है, और जो समाचार पत्र बेचते हैं, लेकिन हैं।

प्रासंगिक नहीं है) '

प्रकटीकरण के पक्ष में पहचाने जाने वाले कारकों में सार्वजनिक हित शामिल हैं: सार्वजनिक महत्व के मामले पर बहस में योगदान देना; अधिकारियों की जवाबदेही; सार्वजनिक धन के खर्च में खुलापन, अपने नियामक कार्यों के सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदर्शन, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा शिकायतों से निपटना; गलत काम, अक्षमता या अन्याय का खुलासा; व्यक्तियों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन करने में सक्षम होना; निर्णय लेने की जांच में वृद्धि; और सुरक्षा

सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे के खिलाफ "।

पहचाने गए कारक केवल लोकतांत्रिक रूप से चुने गए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की तुलना में लक्ष्यों के एक व्यापक सरगम को पूरा करते हैं। द.

सार्वजनिक महत्व के मामलों पर बहस करने के लिए सूचना के प्रकटीकरण द्वारा किया गया योगदान अपने आप में प्रकटीकरण के पक्ष में एक कारक है। जहां दस्तावेजों का प्रकटीकरण सार्वजनिक प्राधिकरणों के पर्याप्त प्रदर्शन और सार्वजनिक हस्तियों द्वारा किसी भी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई या गलत

काम पर प्रकाश डालता है, जो जवाबदेही के व्यापक लक्ष्य को सुविधाजनक बनाता है, वहां प्रकटीकरण के पक्ष में एक सार्वजनिक हित मौजूद है।

103. कैम्पबेल बनाम एम. जी. एन. लिमिटेड 1 00 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार के साथ संतुलित करने का आह्वान किया गया था।

9 9 मोइरा पैटरसन और मेव मैकडोनाघ, सूचना की स्वतंत्रता और सार्वजनिक हितः राष्ट्रमंडल अनुभव, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय राष्ट्रमंडल कानून पत्रिका, 17: 2 , 189–210 पीपी। 201 .

100 [2004] यूकेएचएल 22 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोपनीयता। दावेदार एक मॉडल था जिसकी एक नशीली दवाओं के पुनर्वास बैठक से बाहर निकलते हुए तस्वीर खींची गई थी। तस्वीरें प्रकाशित की गईं, और दावेदार ने गोपनीयता के उल्लंघन के लिए मुआवजे का दावा किया। जबकि दावेदार ने स्वीकार किया कि इसमें एक सार्वजनिक हित मौजूद थाजानकारी प्रकाशित करने के लिए प्रतिवादी के अधिकार का मूल्यांकन करने में, दवा पुनर्वास चिकित्सा में भाग लेने की उनकी तस्वीरें बैरोनेस हेल

उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

" 148. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रकृति क्या थी जो

दूसरी तरफ दावा किया जा रहा था? इसमें कोई शक नहीं कि

विभिन्न प्रकार के भाषण, जैसे कि विभिन्न प्रकार के होते हैं

निजी जानकारी, जिनमें से कुछ अधिक योग्य हैं

एक लोकतांत्रिक समाज में दूसरों की तुलना में संरक्षण। सूची में सबसे ऊपरराजनीतिक भाषण है। सूचना का मुक्त आदान–प्रदान और

संगठन से संबंधित मामलों पर विचार

देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन महत्वपूर्ण है।

किसी भी लोकतंत्र में। इसके बिना, इसे शायद ही कहा जा सकता है

बिल्कुल भी लोकतंत्र। इसमें जनता के बारे में जानकारी का खुलासा करना शामिल है।

निजी हो लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए प्रासंगिक हो।बौद्धिक और शैक्षिक भाषण और अभिव्यक्ति हैं

लोकतंत्र में भी महत्वपूर्ण है, कम से कम इसलिए नहीं कि वेएक खेलने के लिए व्यक्तियों की क्षमता के विकास को सक्षम करें

समाज में और हमारे लोकतांत्रिक जीवन में पूर्ण भाग। कलात्मक

भाषण और अभिव्यक्ति समान कारणों से महत्वपूर्ण है,व्यक्तिगत मौलिकता और रचनात्मकता दोनों को बढ़ावा देना और

हम स्वतंत्र सोच और गतिशील समाज को बहुत महत्व देते हैं। नहीं।

संदेह है कि अन्य प्रकार के भाषण और अभिव्यक्ति हैं जिनके लिएइसी तरह के दावे किए जा सकते हैं। ”

(जोर दिया गया)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में, 'जनहित'

सूचना के अधिकार के तत्व के कई न्यायशास्त्रीय आधार हैं।

प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी तक फैला हुआ है जो राजनीतिक बहस और "आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन" के संगठन को सूचित करती है। जानकारी में सार्वजनिक रुचि भी मौजूद है जो "बौद्धिक या शैक्षिक" है और व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ाती है। अंत में, जनहित में ऐसी जानकारी भी शामिल होगी जो कलात्मक प्रासंगिकता की हो या व्यक्ति को पोषित और पोषित करती हो।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

104. बैरोनेस हेल की राय इस बात के निर्धारण में हितों की प्राथमिकता का संकेत देती है कि क्या भाषण 'सार्वजनिक हित' में है और सुरक्षा के योग्य है। हालाँकि, इस न्यायालय को इस तरह के दृष्टिकोण के खिलाफ सावधानी बरतनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला की रक्षा करती है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो 'आहत, स्तब्ध और परेशान' करते हैं। यह तय करने में कि क्या जानकारी का खुलासा जनहित में किया जाना चाहिए, यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह समाज के निर्णय में बैठे और यह निर्धारित करे कि क्या समाज बेहतर होगा या 'बदतर' यदिजानकारी दी जाती है। न्यायमूर्ति तुगंदत के सटीक शब्दों में: " ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत विचार व्यक्त करना न्यायाधीश के लिए नहीं है, फिर भी उनके जो भी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं उन्हें लागू करना कम है। 101 यह अच्छी

तरह से स्थापित है कि 'जनहित' वह नहीं है जो जनता को दिलचस्प लग सकता है। हालांकि, जहां जानकारी का खुलासा करने की मांग की गई है, वह ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न क्षेत्रों के भीतर आती है, जिसमें सार्वजनिक बहस, बौद्धिक या शैक्षिक जानकारी या कलात्मक को बढ़ावा देना शामिल है।

जानकारी, जानकारी में प्रकटीकरण के पक्ष में एक 'सार्वजनिक हित' का अर्थ है।

105. ऑस्ट्रेलियाई सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 1982 की धारा 11 बी उन सूचक कारकों की एक सूची प्रदान करती है जिनका उपयोग अदालतों द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि किसी दस्तावेज़ का खुलासा "सार्वजनिक हित" में किया जाना चाहिए या नहीं। धारा 11 बी निम्नानुसार हैः

पहुँच के पक्ष में कारक(3) लोक हित में दस्तावेज़ तक पहुँच के पक्ष में कारकों में शामिल हैं कि क्या दस्तावेज़ तक पहुँच से इनमें से कोई काम होगा।

निम्नलिखितः

(क) इस अधिनियम के उद्देश्यों (सभी मामलों सहित) को बढ़ावा देना।

धारा 3 और 3 ए में निर्धारित);

(ख) सार्वजनिक महत्व के मामले पर सार्वजनिक बहस को सूचित करना; ((ग) सार्वजनिक व्यय की प्रभावी निगरानी को बढ़ावा देना।

101 टेरी (पहले 'एल. एन. एस.') बनाम अज्ञात व्यक्ति [2010] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 119

(घ) एक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दें।

जानकारी "।

ऑस्ट्रेलियाई क़ानून में कहा गया है कि "सार्वजनिक हित" होना चाहिए

उन कारकों और परिस्थितियों के रूप में व्याख्या की जाती है जो कानून के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं। इन उद्देश्यों के अलावा, सार्वजनिक हित के पक्ष में महत्वपूर्ण कारक सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देना और

सार्वजनिक व्यय से संबंधित मामले।

106. यह समझ कि, 'सार्वजनिक' वाक्यांश की व्याख्या करने में

ब्याज अदालतों को उन कानूनों के उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हमारे देश में भी अपनाया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग में

बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी 1 02, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

" 22. "जनहित" अभिव्यक्ति को समझना होगा।

अपने सही अर्थ में ताकि पूर्ण अर्थ दिया जा सके

अधिनियम के सुसंगत प्रावधान। अभिव्यक्ति "सार्वजनिक"

ब्याज को इसके सभी अपवादों के साथ इसके सख्त अर्थों में देखा जाना चाहिए।ताकि वैधानिक छूट से इनकार करने को उचित ठहराया जा सके

सटीक परिभाषा। इसका कोई कठोर अर्थ नहीं है,लोचदार और क़ानून से अपना रंग लेता है जिसमें यह

और इसकी आवश्यकताएँ (बिहार राज्य बनाम। कामेश्वर सिंह [ए. आई. आर. 1952]एससी 252])। इसका अर्थ यह भी है कि जनता का सामान्य कल्याण

मान्यता और संरक्षण की गारंटी देता है; कुछ ऐसा जिसमें जनता

समग्र रूप से एक हिस्सेदारी है [ब्लैक लॉ डिक्शनरी (8 वां संस्करण)] "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने कहा कि 'जनहित' वाक्यांश को उस अधिनियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें वाक्यांश का उपयोग किया गया है। वर्तमान मामले में, 'जनहित' वाक्यांश के उपयोग को आर. टी. आई. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के आलोक में समझा जाना चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग में न्यायालय ने कहा किधारा 8 के खंड (1) के तहत प्रकटीकरण से कुछ छूटों से "जनहित" वाक्यांश का संकीर्ण अध्ययन होगा। यह बात नहीं है

102 (2012) 13 एस. सी. सी. 61 सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सही दृष्टिकोण। जैसा कि इस फैसले में पहले उल्लेख किया गया है, आर. टी. आई. अधिनियम का व्यापक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सूचना के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी के प्रकटीकरण को लागू करना है। केवल इसलिए कि आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों में जानकारी के प्रकटीकरण पर कुछ प्रतिबंध हैं, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि आर. टी. आई. अधिनियम के तहत "जनहित" वाक्यांश को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। बल्कि, धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) की योजना के तहत, "सार्वजनिक हित" सूचना के प्रकटीकरण के पक्ष में कारकों का माप है, जो बाद में

107. धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) में सूचना अधिकारी से गोपनीयता के खिलाफ प्रकटीकरण में "सार्वजनिक हित" पर विचार करने की आवश्यकता है।हानि पहुँचाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न दस्तावेजों का खुलासा प्रकटीकरण के पक्ष में अद्वितीय "जनहित" कारकों को जन्म देगा। हालांकि, कुछ व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित किया जा सकता है कि "जनहित" वाक्यांश को कैसे समझा जाए। जहाँ कारक इस व्याख्या "सार्वजनिक हित" के भीतर आते हैं, वे ऐसे कारक हैं जो प्रकटीकरण के पक्ष में वजन करते हैं। सिद्धांत इस प्रकार हैं:

(i) लोक हित उन सूचनाओं तक सीमित नहीं है जो सीधे तौर पर निर्वाचित लोगों की लोकतांत्रिक जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं।

अधिकारी;

((ii) जानकारी के प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित मौजूद है जहां मांगी गई जानकारी राजनीतिक बहस को सूचित करती है, शैक्षिक या बौद्धिक है या काम करती है।

कलात्मक उद्देश्य;

((iii) जहाँ माँगी गई जानकारी राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देगी, वहाँ एक

प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित;

(iv) न्यायाधीशों और सूचना अधिकारियों को इस बारे में कोई मूल्य निर्णय नहीं देना चाहिए कि क्या विचाराधीन भाषण सामाजिक भलाई या इसके लिए हित की उनकी अपनी अवधारणा को आगे बढ़ाता है।

जनहित की कसौटी को पूरा करने के लिए; [2019] 16 एस. सी. आर.

(v) एक सूचक सूची के रूप में, संबंधित जानकारी

अधिकारियों की जवाबदेही, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन, शिकायतों से निपटना, एक लोक अधिकारी द्वारा किसी भी गलत काम का अस्तित्व, लोक प्रशासन में अक्षमता और लोक प्रशासन में अन्याय, इन सभी का लोक हित मूल्य है, उनकी सापेक्ष शक्ति को मामले दर मामले के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

(vi) जहां सूचना का प्रकटीकरण आर. टी. आई. अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को बढ़ावा देगा, वहां एक "सार्वजनिक सूचना" मौजूद है।

ऐसी जानकारी का खुलासा करने में रुचि; और

(vii) आर. टी. आई. अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य पूर्ति है।

सूचना का अर्थ "सार्वजनिक" के अर्थ को सीमित नहीं करता है। अधिनियम के तहत ब्याज।

गोपनीयता हितों के साथ प्रकटीकरण में हितों को संतुलित करना

108. हमने "व्यक्तिगत" की मूल सामग्री की ओर रुख किया है।

धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) के तहत किसी निर्धारण पर पहुंचने पर सूचना अधिकारी द्वारा विचार किए जाने वाले विशिष्ट कारकों के रूप में सूचना "और" लोक हित "। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी "सार्वजनिक हित" के दोनों विचारों को उठाती है और

" व्यक्तिगत जानकारी "। खंड (जे) के पाठ में सूचना अधिकारी से यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या "व्यापक सार्वजनिक हित व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है"। सूचना अधिकारी को एक बनाने में हितों का संतुलन या वजन करना चाहिए

दोनों हितों को संतुलित करने में। तीसरे निर्देशात्मक प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर देने में, यह न्यायालय सूचना अधिकारी द्वारा लागू किए जाने वाले विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को निर्धारित नहीं करेगा।प्रतिगामी गोपनीयता हितों के साथ प्रकटीकरण में रुचि।

न्यायमूर्ति सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एस. सी. अग्रवाल ने एस. एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के लिए बोलते हुए कहाः

न्याय का गर्भपात "और" कार्रवाई में निष्पक्ष खेल "को सुरक्षित करना। जैसा कि बताया गया है।कारणों को दर्ज करने के बारे में आवश्यकता को पहले से बाहर करें

एक अर्ध प्रयोग करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा इसका निर्णय

न्यायिक कार्य अवसरों को छोड़कर इस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।

मनमानेपन और में निष्पक्षता की एक डिग्री सुनिश्चित करनानिर्णय लेने की प्रक्रिया। विस्तार को ध्यान में रखते हुए

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के क्षितिज पर, हमारी राय है,कि कारण दर्ज करने की आवश्यकता के रूप में माना जा सकता है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक जो शासन करता है

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति का प्रयोग। नियम हैं।

प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नहीं हैं।

(जोर दिया गया)

कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है।

और न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ जांच। किसी मामले में धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) के तहत निर्धारण करने में, यह संतोषजनक नहीं होगा यदि कोई सूचना अधिकारी केवल यह दर्ज करे कि गोपनीयता का हित सार्वजनिक हित से अधिक है। कुछ और चाहिए। दो हितों को ध्यान में रखने के लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करके और सूचना अधिकारी को इस ढांचे के भीतर विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है, सूचना अधिकारी के मनमाने अभ्यास या विवेक के खिलाफ संरक्षित किया जाता है।

109. लॉर्ड डेनिंग के भविष्यवादी शब्दों मेंः

" ..... प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिएपूर्णः और एकमात्र कर्तव्य जो इस स्वतंत्रता को सीमित करना चाहिए

वे हैं जो हर किसी को ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं

एक ही। " 104 न तो सूचना का अधिकार और न ही निजता का अधिकार

आर. टी. आई. अधिनियम के ढांचे के तहत पूर्ण अधिकार। जहाँ सूचना का अनुरोध करने में सूचना आवेदक का सूचना का अधिकार हो।

103 (1990) 4 एस. सी. सी. 495 104 लॉर्ड डेनिंग, फ्रीडम अंडर द लॉ (हैमलिन लेक्चर) 1968 (स्वीट एंड मैक्सवेल)।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. टी. आई. अधिनियम उस व्यक्ति की निजता के अधिकार को छूता है जिसकी जानकारी मांगी जाती है, आर. टी. आई. अधिनियम सूचना अधिकारी से दोनों हितों को तौलने और यह निर्धारित करने का आह्वान करता है कि कौन सा अधिक मजबूत है। थलाप्पलम सर्विस कॉप में। बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य 05 न्यायमूर्ति के. एस. पी. राधाकृष्णन ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" 61. सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार हैं –

भारत का संविधान, स्पष्ट रूप से विनियमित, प्रतिबंधित औरव्यापक लोक हित में कटौती की गई। पूर्ण या अनियंत्रित

व्यक्तिगत अधिकार किसी भी आधुनिक काल में मौजूद नहीं हैं और न ही हो सकते हैं।

राज्य। सूचना प्राप्त करने का नागरिकों का अधिकार वैधानिक है।आर. टी. आई. अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त, लेकिन साथ ही

अधिनियम में ही सीमाएँ भी प्रदान की गई हैं, जो है –

प्रस्तावना और अन्य प्रावधानों से स्पष्ट

एक्ट करें। नागरिक, उस स्थिति में, हमेशा अधिकार का दावा कर सकते हैं।

निजता के लिए, सूचना तक पहुँचने का नागरिक का अधिकार होना चाहिए

सम्मान किया जाता है, साथ ही एक नागरिक के निजता के अधिकार का भी।

(जोर दिया गया)

110. द्वारा अपनाए जाने वाले सटीक दृष्टिकोण को निर्धारित करने में

सूचना अधिकारी धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) के तहत निर्धारण करते समय कैंपबेल बनाम एम. जी. एम. लिमिटेड के निर्णय पर ध्यान देना उचित होगा, जिसके तथ्यों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। उस मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को दावेदार के गोपनीयता अधिकारों को संतुलित करने के लिए कहा गया था, मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन 1 07 के अनुच्छेद 8 के तहत एक 'नार्कोटिक्स बेनामी' बैठक से बाहर निकलते हुए फोटो खिंचवाया जा रहा था और प्रतिवादी के अधिकार को प्रकाशित करने के लिए ईसीएचआर के अनुच्छेद 10 के तहत जानकारी जो प्रदान करता है

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हालांकि दस्तावेजों के प्रकटीकरण के संबंध में मामला नहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स गोपनीयता और स्वतंत्र भाषण हितों को संतुलित करने के बारे में कई उल्लेखनीय टिप्पणियां करता है। लॉर्ड निकोल्स ने कहाः

" 20. मुझे इसे एक बिंदु पर थोड़ा और आगे ले जाना चाहिए। अनुच्छेद 8 (1)

निजी और पारिवारिक जीवन का सम्मान करने की आवश्यकता को पहचानता है।

106 [2004] यूकेएचएल 22

107 " ई. सी. एच. आर. सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अनुच्छेद 8 (2) मानता है कि ऐसे अवसर हैं जब घुसपैठ निजी और पारिवारिक जीवन उचित हो सकता है। इनमें से एक है जहाँ

अधिकारों की सुरक्षा के लिए घुसपैठ आवश्यक है और

दूसरों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 10 (1) के महत्व को मान्यता देता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन अनुच्छेद 10 (2), अनुच्छेद 8 (2) की तरह,

यह स्वीकार करता है कि ऐसे अवसर हैं जब अधिकारों की रक्षा की जाती है

अन्य लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देना आवश्यक बना सकते हैंरास्ता। जब ये दोनों लेख कठिन होते हैं

आनुपातिकता का सवाल उठ सकता है। ये है सवाल

प्रारंभिक प्रश्न से अलग है कि क्या प्रकाशित किया गया है

अनुच्छेद 8 के भीतर होने से जुड़ी जानकारी

शिकायतकर्ता के निजी या पारिवारिक जीवन का क्षेत्र।

(जोर दिया गया)

पहला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या निजता का अधिकार है।

जिस व्यक्ति की जानकारी मांगी गई है, उसे नियुक्त किया गया है। इस दृष्टिकोण को बाद में एचआरएच प्रिंस ऑफ वेल्स बनाम एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड 08 में अपील न्यायालय द्वारा लागू किया गया था। धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) का पाठ भी इस सीमा को स्पष्ट करता है। खंड (जे) को पहली बार में शामिल करने के लिए, मांगी गई जानकारी को "व्यक्तिगत जानकारी" का गठन करना चाहिए। यह इस सवाल से स्वतंत्र एक जांच है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ गोपनीयता के हित को कैसे संतुलित किया जाना चाहिए।

111. जहाँ माँगी गई जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" है

अदालत को आगे गोपनीयता हित के साथ प्रकटीकरण या प्रसार में रुचि को संतुलित करना चाहिए। बैरोनेस हेल ने कैम्पबेल में अपनी राय में कहाः

" 137. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि 'उचित अपेक्षा' गोपनीयता 'एक सीमा परीक्षण है जो संतुलन अभ्यास लाता है

यह उम्मीद की जा सकती है कि प्राप्तकर्ता के प्रतिगामी अधिकारप्रबल होंगे।

140. आनुपातिकता परीक्षण का अनुप्रयोग अधिक सीधा होता है जब केवल एक कन्वेंशन अधिकार खेल में होता हैः

तब सवाल यह है कि क्या दावा किया गया निजी अधिकार पर्याप्त है।

मौलिक के साथ हस्तक्षेप की डिग्री के लिए औचित्य

सही है। यह बहुत कम सीधा होता है जब दो सम्मेलन होते हैं।

अधिकार खेल में हैं, और हस्तक्षेप करने की आनुपातिकता

आनुपातिकता के विरुद्ध संतुलित होना चाहिए

दूसरे को सीमित करें। चूँकि प्रत्येक एक मौलिक अधिकार है, वहाँ

स्पष्ट रूप से इसकी रक्षा के लिए एक "सामाजिक आवश्यकता" है।

141. दोनों पक्षों ने न्यायालय के मूल दृष्टिकोण को स्वीकार किया

प्रत्येक के लिए आनुपातिकता परीक्षण। इस मामले में पक्षकार अलग–अलग थे।इस बारे में कि क्या विचारण न्यायाधीश या अपील न्यायालय ने किया था

यह, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपील न्यायालय ने मान लिया था

अनुच्छेद 10 अधिकार के लिए प्रधानता जबकि प्रतिवादी ने तर्क दिया कि विचारण न्यायाधीश ने अनुच्छेद 8 के अधिकार के लिए प्रधानता ग्रहण की थी।

(जोर दिया गया)

112. एक बार मांगी गई जानकारी की पहचान "व्यक्तिगत" के रूप में की गई है।

सूचना अधिकारी को वास्तविक अधिकारों की पहचान करनी चाहिएव्यक्तिगत मामले में दावा किया गया। 'जनहित' और 'गोपनीयता' की मूल सामग्री को निर्धारित करने में इन अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित किया गया है। किसी भी मामले में, सूचना अधिकारी को पहचान करनी चाहिए

'लोक हित' प्रकटीकरण के पक्ष में सटीक हित, और 'गोपनीयता' और गैर–प्रकटीकरण के पक्ष में वजन वाले हित। तब सूचना अधिकारी को इसके औचित्य की जांच करनी चाहिए

बैरोनेस हेल, निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार दोनों वैध उद्देश्य हैं। आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने में,सूचना अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी अधिकार का संक्षिप्तकरण प्रतिगामी अधिकार को लागू करके प्राप्त किए जाने वाले वैध उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

114. दोनों हितों को संतुलित करने के लिए सूचना अधिकारियों द्वारा लागू किए जाने वाले विश्लेषणात्मक परीक्षण से सहमत होने के बाद, कुछ ऐसे कारकों को निर्धारित करना भी उचित है जिन पर इस तरह के संतुलन में विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 1982 की धारा 11 बीकुछ 'अप्रासंगिक कारकों' को निर्धारित करता है जिन पर यह निर्धारित करने में विचार नहीं किया जाना चाहिए कि जानकारी का खुलासा करना है या नहीं। धारा 11 बी निम्नानुसार हैः

" ..... अप्रासंगिक कारक

(4) निम्नलिखित कारकों को यह तय करने में ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए कि क्या दस्तावेज़ तक पहुँच, संतुलन पर, सार्वजनिक हित के विपरीत होगीः

(क) दस्तावेज़ तक पहुँच के परिणामस्वरूप राष्ट्रमंडल सरकार को शर्मिंदगी हो सकती है, या राष्ट्रमंडल सरकार में विश्वास की हानि हो सकती है;

(ख) दस्तावेज़ तक पहुँच के परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति हो सकता है

दस्तावेज़ की गलत व्याख्या या गलत समझ;

(ग) दस्तावेज़ का लेखक उच्च वरिष्ठता का था (या है)

जिस एजेंसी से दस्तावेज़ तक पहुँच के लिए अनुरोध किया गया था;

(घ) दस्तावेज़ तक पहुँच के परिणामस्वरूप भ्रम पैदा हो सकता है या

अनावश्यक बहस "।

ऊपर बताए गए कारक प्रासंगिक या अनुमेय नहीं हैं।

सूचना के अधिकार पर प्रतिबंध और यह निर्धारित करने में विचार नहीं किया जाना चाहिए कि आर. टी. आई. अधिनियम के तहत जानकारी का खुलासा करना है या नहीं।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 के खंड (2) में प्रावधान है कि एक सूचना आवेदक को कोई कारण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है कि जानकारी क्यों मांगी गई है। एक सूचना अधिकारी के लिए इस आधार पर जानकारी के प्रकटीकरण से इनकार करना खुला नहीं होगा कि जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रम, शर्मिंदगी या अनावश्यक बहस का कारण बनेगी। उन आधारों की गणना करके जिन पर जानकारी को प्रकट करने के सामान्य दायित्व से छूट दी जा सकती है, धारा 8 का खंड (1) इस धारणा को नकारता है कि जानकारी को गोपनीयता के एकमात्र आधार पर रोका जा सकता है।

। निष्कर्ष

115. प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी (1) से संबंधित है

उच्चतम न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पदोन्नति से संबंधित पत्राचार और फाइल टिप्पणियाँ, (2) 1997 के प्रस्ताव के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा की गई संपत्ति की घोषणा से संबंधित जानकारी, और (3) समाचार पत्र की रिपोर्ट में नामित वकील और न्यायाधीश के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की पहचान और प्रकृति। तीसरे रेफरल प्रश्न के लिए इस न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या

माँगी गई जानकारी को धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) के तहत छूट प्राप्त है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मांगी गई जानकारी खंड (जे) के तहत छूट प्राप्त है, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या माँगी गई जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" है और गोपनीयता के अधिकार को संलग्न करती है, (ii) वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रकटीकरण के पक्ष में सार्वजनिक हित के विशिष्ट प्रमुखों और दावा किए गए विशिष्ट गोपनीयता हितों की पहचान करना, (iii) ऐसे हितों को प्रतिबंधित करने के लिए औचित्य निर्धारित करना और (iv) यह सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करना कि किसी भी अधिकार को कानूनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता से अधिक संक्षिप्त नहीं किया गया है।

काउंटरवेलिंग राइट। आर. टी. आई. की धारा 11 के तहत प्रक्रिया होनी चाहिए

जहां मांगी गई जानकारी 'तीसरे पक्ष की जानकारी' है, उसका अनुपालन किया जाता है। वर्तमान फैसले में 'व्यक्तिगत जानकारी' और 'जनहित' शब्दों की मूल सामग्री भी निर्धारित की गई है।

जे दिशाएँ

न्यायाधीशों की "व्यक्तिगत जानकारी" का गठन नहीं करता है और गोपनीयता के अधिकार को शामिल नहीं करता है। परिसंपत्तियों की घोषणा की सामग्री यह "व्यक्तिगत जानकारी" के अर्थ में आएगा और धारा 8 के खंड (1) के खंड (जे) के तहत निर्धारित परीक्षण आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रक्रिया के साथ लागू होगा।

सी. पी. आई. ओ. को ध्यान में रखते हुए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार, 2010 की सिविल अपील संख्या 2683 खारिज कर दी गई है और 2009 के एल. पी. ए. संख्या 501 में 12 जनवरी 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया है।117. 2010 की सिविल अपील संख्या 10044 और 1045 को सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जांच के लिए भेज दिया गया है और

वर्तमान निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने के बाद निर्णय लिया गया। इन अपीलों में मांगी गई जानकारी इसके अंतर्गत आती है।किसी निर्धारण पर पहुंचने के लिए 'तीसरे पक्ष की जानकारी' के अर्थ और धारा 11 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

भाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा हैः

" न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और खुलेपन के साथ–साथ विचार–विमर्श की गोपनीयता सबसे नाजुक और जटिल क्षेत्रों में से एक है। स्पष्ट रूप से, स्थिति प्रगतिशील होने के साथ–साथ विकसित भी हो रही है क्योंकि चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और खुला बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से, चिंता व्यक्त किए जाने के बाद बदलाव आया है

नामों और उन लोगों के कारणों के प्रकटीकरण पर जिन्हें अनुमोदित नहीं किया गया था। यह पद अतीत के अनुभवों और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए रास्ते बनाता रहेगा।

मैं इस विषय पर अपने कुछ विचार जोड़ना चाहता हूं। कॉलेजियम का जन्म न्यायिक व्याख्या के कारण हुआ है। महत्वपूर्ण रूप से, कॉलेजियम अपने ही जन्म–पीड़ा का शिकार है। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले मानदंडों और व्यक्तिगत मामलों में उन मानदंडों के अनुप्रयोग दोनों से संबंधित जानकारी के अभाव में, नागरिकों ने सूचना के संवैधानिक अधिकार को लागू किया है, जो आर. टी. आई. अधिनियम द्वारा सुगम है।यदि अधिकार की सामग्री और कानून के प्रवर्तन को न्यायपालिका में उनके अनुप्रयोग में एक सार्थक आयाम प्राप्त करना है–जैसा कि यह आवश्यक है, तो कुछ कदम आवश्यक हैं। उनमें से सबसे प्रमुख यह है कि उच्च पदों पर न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का आधार

न्यायपालिका को परिभाषित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। यह वह प्रक्रिया है जिसका पालन नियुक्तियाँ करने में किया जाता है, लेकिन न्यायिक नियुक्तियाँ करते समय अपनाए जाने वाले मूल मानदंडों के संदर्भ में भी किया जाता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण है

उच्च न्यायिक अधिकारी और [2019] 16 एस. सी. आर. के लिए उम्मीदवारों के चयन में ध्यान में रखे जाने वाले मानदंडों के बारे में जानने में जनहित का तत्व।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक नियुक्तियाँ करना। ज्ञान एक शक्तिशाली साधन है जो अनुप्रयोग में निरंतरता सुनिश्चित करता है और आत्मविश्वास पैदा करता हैन्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया की पवित्रता के लिए आवश्यक है। ऐसा

अनिवार्य रूप से इसलिए है क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली यह मानती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव स्वयं न्यायाधीशों द्वारा शुरू किए जाते हैं। न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में आवश्यक महत्वपूर्ण मानदंडों में शामिल हैं:

(i) उच्च न्यायिक पद के उद्देश्य के लिए बार के सदस्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है;

((ii) वे मानदंड जो यह निर्धारित करने में लागू होते हैं कि क्या

बार का सदस्य निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है:

ए) अनुभव के रूप में मात्रा और प्रकृति में परिलक्षित होता है

अभ्यास; बी) उन क्षेत्रों में डोमेन विशेषज्ञता जो मुकदमेबाजी की विकसित प्रकृति और प्रत्येक न्यायालय की आवश्यकताओं के लिए तैयार हैं;

ग) आय की आवश्यकताएँ, यदि कोई हों, प्रथा की प्रकृति और न्यायालय में प्रचलित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।

या संबंधित क्षेत्र;

घ) लिखित कार्य, अनुसंधान और शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में कानून के विकास के लिए विचाराधीन उम्मीदवार द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता; और ई) उम्मीदवार का सामाजिक अभिविन्यास, जिसे शब्दों में परिभाषित किया गया है

प्रो बोनो या कानूनी सहायता कार्य की सीमा;

((iii) न्यायपालिका की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता

समावेशी संस्थान और लिंग के संदर्भ में इसकी विविधता,

अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े लोगों का प्रतिनिधित्व, अभिविन्यास और

अन्य प्रासंगिक कारक।वर्तमान निर्णय यह परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है कि मानक क्या हैं

न्यायिक नियुक्तियों के लिए होना चाहिए। हालाँकि, जिस बात पर जोर देने की आवश्यकता है, वह यह है कि जो मूल मानक ध्यान में रखे गए हैं, उन्हें तैयार किया जाना चाहिए और एक ऐसे उपाय के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए जो नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा देगा। तैयार किए गए और लागू किए गए मानदंडों के उचित प्रचार से कुछ हद तक पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और न्यायपालिका और सरकार के भीतर सभी स्तरों पर निर्णय लेने में जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। नियम हो सकते हैं

उच्च न्यायिक पद के लिए जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के मूल्यांकन के लिए पालन किए जाने वाले मानदंडों को भी स्पष्ट करें। सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम में एक महत्वपूर्ण जनहित है।

सुभाष चंद्र अग्रवाल

उस आधार का खुलासा करना जिसके आधार पर न्यायिक अनुभव वाले लोगों का मूल्यांकन उच्च न्यायिक पद पर पदोन्नति के लिए किया जाता है, विशेष रूप से योग्यता, अखंडता और न्यायिक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए। न्यायिक नियुक्तियाँ करने में पालन किए जाने वाले मानदंडों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने से आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 के उद्देश्य और अधिदेश को पूरा किया जाएगा, प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ेगा और बाहरी विचारों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। प्रक्रिया में प्रवेश करें।

एन. वी. रमना, जे.

" मानवाधिकारों के क्षेत्र में निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार को समान माना जाना चाहिए और किसी को भी दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, बल्कि संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

1. मुझे अपने विद्वान भाइयों के विद्वतापूर्ण निर्णयों को पढ़ने का अवसर मिला है, जिन्होंने इस पर व्यापक रूप से विचार किया है

इस मामले का महत्व, गोपनीयता और विस्तार से सूचना के अधिकार के पहलू से संबंधित है। हालांकि, बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, मैं उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ पहलुओं के संबंध में स्वतंत्र कारण प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करता हूं, क्योंकि इस मामले का समाज के अधिकारों की तुलना में किसी व्यक्ति के अधिकारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पारदर्शिता और जवाबदेही के पहलू, जिन्हें निजता के अधिकार के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है, को इस न्यायालय द्वारा पहले कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे एक अलग राय अनिवार्य हो गई है।2. यह मामला दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों यानी सूचना का अधिकार और गोपनीयता के अधिकार के बीच आवश्यक संतुलन से संबंधित है। अक्सर इन दोनों अधिकारों को परस्पर विरोधी के रूप में देखा जाता है, हालाँकि, हमें यह दोहराने की आवश्यकता है कि दोनों अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अधिकार के दो पहलुओं को इस तरह से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें जो आवश्यक है वह संतुलन सूत्र प्रदान करना है जिसे आसानी से व्यक्तिगत मामलों में लागू किया जा सकता है।

3. इस दृष्टिकोण से, यह मामला हमारे समक्ष यह निर्णय लेने के लिए है कि क्या आवेदन दिनांकित 06.07.2009 (इसके बाद "प्रथम" के रूप में संदर्भित किया गया है)आवेदन ") प्रत्यर्थी द्वारा जानकारी

मांगने के लिए, अलग–अलग आवेदन दिनांक 23.01.2009 (इसके बाद" दूसरा [2019] 16 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदन ") और 10.11.2007 (इसके बाद" तीसरा "के रूप में संदर्भित किया जाता है।

आवेदन ") बनाए रखने योग्य हैं या नहीं। पहला आवेदन भारत के मुख्य न्यायाधीश और श्री न्यायमूर्ति आर. रघुपति के बीच पूर्ण पत्राचार से संबंधित जानकारी से संबंधित है। दूसरा आवेदन

न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू, न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली और न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम की फाइल टिप्पणियों से संबंधित है। तीसरा आवेदन सर्वोच्च न्यायालय के कनिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को की गई संपत्ति की घोषणा से संबंधित जानकारी से संबंधित है। 4. प्रत्यर्थी/आवेदक ने प्रस्तुत किया कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के समक्ष उपरोक्त तीन आवेदन

भारत ") को क्रमशः 04.08.2009, 25.02.2009 और 30.11.2007 दिनांकित आदेशों के माध्यम से खारिज कर दिया गया।5. पहले आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर प्रतिवादी ने अपील में पहले अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क किया जो भी था

05.09.2009 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। व्यथित होने के कारण, प्रत्यर्थी ने केंद्रीय सूचना के लिए दूसरी अपील को प्राथमिकता दी।

कमीशन [संक्षेप में "सी. आई. सी".]। सी. आई. सी. ने दिनांक 25.11.2009 के आदेश के माध्यम से इस अपील की अनुमति दी और मांगी गई जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश दिया। उसी से व्यथित, सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 की सिविल अपील संख्या 10045 को प्राथमिकता दी है।

6. दूसरे आवेदन के संबंध में, सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25.02.2009 के आदेश द्वारा मांगी गई जानकारी को अस्वीकार कर दिया था।

उसमें। व्यथित होने के कारण, प्रत्यर्थी ने पहली अपील को प्राथमिकता दी जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांकित 25.03.2009 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। सी. आई. सी. के समक्ष दायर दूसरी अपील को दिनांक 24.11.2009 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। सी.

पी. आई. ओ. से नाराज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 की सिविल अपील संख्या 10044 को प्राथमिकता दी है।

7. तीसरा आवेदन सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2007 के आदेश के आधार पर खारिज कर दिया गया था कि

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा जानकारी नहीं ली गई थी। पहली अपील का निपटारा एक आदेश के साथ किया गया था जिसमें सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "आर. टी. आई. अधिनियम") की धारा 6 (3) के लागू होने के सवाल पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। सी. पी. आई. ओ. ने आदेश 07.02.2009 के माध्यम से प्रत्यर्थी/आवेदक को उच्च न्यायालयों के संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संपर्क करने की आवश्यकता थी।

सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [एन. वी. रमना, जे.]

पीड़ित प्रतिवादी/आवेदक ने सीधे अपील में सी. आई. सी. से संपर्क किया जिसे 06.01.2009 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की रिट याचिका (सी) संख्या 288 दायर की। एल. डी. एकल न्यायाधीश ने दिनांक 02.09.2009 के आदेश द्वारा सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी जारी करने का निर्देश दिया। पीड़ित होते हुए, सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 की लेटर पेटेंट अपील संख्या 501 दायर की जो थी

बाद में उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ को भेजा गया। पूर्ण पीठ ने दिनांक 12.01.2010 के आदेश द्वारा लेटर पेटेंट अपील को खारिज कर दिया। दुखी,

सी. पी. आई. ओ., भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के समक्ष 2010 की सिविल अपील संख्या 2683 दायर की है।

8. इस संदर्भ में, तीनों अपीलों को 26.11.2010 दिनांकित एक आदेश द्वारा टैग किया गया था, एक बड़ी पीठ के गठन के लिए एक संदर्भ दिया गया था और तदनुसार यह हमारे सामने है।

9. इससे पहले कि हम किसी अन्य पहलू पर विचार करें, अपीलकर्ताओं द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां ली गईं कि यह पीठ इस पर विचार नहीं कर सकती थी

यह मामला इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस न्यायालय की कार्यक्षमता का उसी पर सीधा प्रभाव पड़ा। हम उपरोक्त राय को इस कारण से स्वीकार नहीं करते हैं कि यह न्यायालय इस मामले की सुनवाई

करते समय एक आवश्यक न्यायालय के रूप में बैठा है। भारत के चुनाव आयोग के मामले में v. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, (1996) 4 एस. सी. सी. 104, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

16. हमारे पास सिद्धांत की स्पष्ट अवधारणा होनी चाहिए। यह अच्छी तरह से तय है कि कानून कुछ चीजों को करने की अनुमति देता है

आवश्यकता जिसे वह अन्यथा न्यायिक औचित्य की कसौटी पर स्वीकार नहीं करेगा। अलग तरह से कहा गया है, आवश्यकता का सिद्धांत प्राधिकरण के लिए निर्णय लेना अनिवार्य बनाता है और न्यायिक औचित्य के विचारों को स्वीकार करना चाहिए। इसे अक्सर पक्षपात के मामलों में लागू किया जाता है जहां इस मुद्दे को तय करने के लिए कोई अन्य प्राधिकरण या न्यायाधीश नहीं होता है। यदि सिद्धांतकुछ अपरिहार्य स्थितियों में आवश्यकता को पूरी तरह से खेलने की अनुमति नहीं है, यह स्वयं न्याय के मार्ग को बाधित करेगा और चूक करने वाले पक्ष को इससे लाभ होगा। एक निश्चित कर कानून का मामला लें जो न्यायाधीशों को अनुमत कुछ अनुलाभों पर कर लगाता है। यदि इस तरह के प्रावधान की वैधता को चुनौती दी जाती है तो न्यायपालिका के सदस्यों के अलावा किसे इसका फैसला करना चाहिए। यदि सभी न्यायाधीशों को इस दलील पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि इस तरह के कानून को निरस्त करने से उन्हें लाभ होगा, तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे मामलों में आवश्यकता का सिद्धांत लागू होता है। यदि विकल्प किसी पक्षपाती व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति देने या कार्रवाई को पूरी तरह से दबाने के बीच है, तो विकल्प पूर्व के पक्ष में होना चाहिए क्योंकि यह [2019] 16 एस. सी. आर. का एकमात्र तरीका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय लेने को बढ़ावा देना। वर्तमान मामले में भी यदि दोनों चुनाव

आयुक्त एक सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँचने में सक्षम होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यदि नहीं तो आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करना पड़ सकता है। 10. इस संदर्भ में, अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करना होगा जो भारत में किसी भी विवाद का अंतिम मध्यस्थ है और

संवैधानिक मामलों का सर्वोच्च न्यायालय। इस दृष्टि से इस तरह की आपत्तियों को कायम नहीं रखा जा सकता है।

11. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें आर. टी. आई. अधिनियम की योजना का संक्षिप्त संदर्भ लेना होगा। वस्तुओं का कथन और

कारण एक ऐसे लोकतंत्र के निर्माण के एक महान लक्ष्य की परिकल्पना करते हैं जिसमें जानकार नागरिक और एक पारदर्शी सरकार शामिल हो। यह भी।

प्रभावी सरकार, कुशल संचालन, ऐसी पारदर्शी प्रणालियों के खर्च और कुछ संवेदनशील जानकारी के लिए गोपनीयता की आवश्यकताओं के बीच संतुलन प्रदान करता है। यह मानता है कि ये सिद्धांत आपस में टकराव पैदा करने के लिए अपरिहार्य हैं और इस तरह के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य की आवश्यकता है और लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता को बनाए रखने की और आवश्यकता है। इस मानक लोकतांत्रिक आदर्श की मान्यता के लिए हमें सरकार के कुशल संचालन की जवाबदेही और पारदर्शिता के इष्टतम स्तरों पर और विस्तार करने की आवश्यकता है। खंड के तहत

2 (च) सूचना को किसी भी रूप में किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है।

12. इस धारा का उद्देश्य आर. टी. आई. अधिनियम के दायरे में उपलब्ध किसी भी प्रारूप में निहित सभी प्रकार की जानकारी को शामिल करना था। उपरोक्त परिभाषा को और व्यापक बनाया गया है

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (i) के तहत प्रदान की गई 'अभिलेख' की परिभाषा। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (जे) के तहत परिभाषित सूचना के अधिकार का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में है।

13. आर. टी. आई. अधिनियम का अध्याय 2 धारा 3 के तहत एक बयान के साथ शुरू होता है जिसमें घोषणा की जाती है कि सभी नागरिकों को आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सूचना का अधिकार होगा।

धारा 4 एक दायित्व सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v. सुभाष चंद्र अग्रवाल [एन. वी. रमना, जे.]

सार्वजनिक प्राधिकरणों पर डेटा का न्यूनतम मानक बनाए रखने के लिए जो नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। इसके अलावा यह खंड संचार के विभिन्न तरीकों और साधनों का उपयोग करके नागरिकों को सूचित करने के लिए डेटा के सक्रिय प्रसार को भी अनिवार्य करता है। धारा 5 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित सी. पी. आई. ओ. या एस. पी. आई. ओ. को नामित करने की अपेक्षा करती है, जैसा कि मामला उन लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए हो सकता है जो मांग करते हैं

एक ही।

14. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 6 में उस व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया का प्रावधान है जो आर. टी. आई. के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है।

आर. टी. आई. अधिनियम। धारा 7 आगे इस तरह के भीतर समय सीमा प्रदान करती है

नामित अधिकारियों को सूचना चाहने वाले द्वारा दायर आवेदनों पर निर्णय लेना होता है। हमारे प्रयोजनों के लिए धारा 8 प्रासंगिक समझती है और तदनुसार इसे नीचे निकाला गया है।

" 8. सूचना के प्रकटीकरण से छूट। —

(1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी नागरिक को देने का कोई दायित्व नहीं होगा,

:

(घ) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से नुकसान होगा

जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक लोक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देता है; (जे) ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनेगी, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण,

मामला इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता हैः

बशर्ते कि संसद या राज्य विधानमंडल को ऐसी जानकारी से इनकार नहीं किया जा सकता है जिससे किसी को भी इनकार नहीं किया जाएगा।

व्यक्ति। "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 10 पर ध्यान देना प्रासंगिक हो सकता है जो छूट प्राप्त जानकारी की पृथकता से संबंधित है। का आदेश

धारा यह है कि जहां सूचना तक पहुँच के अनुरोध में छूट प्राप्त और गैर–छूट प्राप्त दोनों भाग शामिल हैं, यदि गैर–छूट प्राप्त भागों को प्रकट किया जा सकता है, तो ऐसे भाग जिन्हें यथोचित रूप से काटा जा सकता है और

अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जा सकती है।16. धारा 11 जो यहाँ शामिल चर्चा के लिए सामग्री है, निम्नानुसार बताती है –

" 11. तीसरे पक्ष की जानकारी।

(1) जहां कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध पर किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसे प्रदान किया गया है और जिसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है,

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर, अनुरोध के ऐसे तीसरे पक्ष को और इस तथ्य की लिखित सूचना देगा कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जो भी मामला हो, जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, और तीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा कि क्या जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, और जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष के ऐसे प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखा जाएगाःबशर्ते कि कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित हो।

यह ऐसे तीसरे पक्ष के हितों को किसी भी संभावित नुकसान या क्षति के महत्व से अधिक है।

(2) जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से के संबंध में किसी तीसरे पक्ष को उप–धारा (1) के तहत नोटिस दिया जाता है, तो तीसरा पक्ष दस दिनों के भीतर भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [एन. वी. रमना, जे.]

ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से, इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाए

प्रस्तावित प्रकटीकरण।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी,

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, धारा 6 के तहत अनुरोध प्राप्त होने के चालीस दिनों के भीतर, यदि तीसरे पक्ष को उप–धारा (2) के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया है, तो निर्णय लेंगे कि क्या इसका खुलासा करना है या नहीं।

जानकारी या अभिलेख या उसका कुछ हिस्सा और तीसरे पक्ष को अपने निर्णय की लिखित सूचना दें।

(4) उप–धारा (3) के तहत दी गई सूचना में शामिल होगा –

बयान कि तीसरा पक्ष जिसे नोटिस दिया गया है, वह धारा के तहत अपील करने का हकदार है

19 फैसले के खिलाफ।

17. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत जनादेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करता है, जिसमें, तीसरे पक्ष को प्रदान किया जाता हैसुनवाई का अवसर और प्राधिकरण को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण तीसरे पक्ष को प्रकटीकरण में संभावित नुकसान से अधिक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 11 के तहत होने वाले 'गोपनीय' शब्द का उपयोग वाणिज्यिक रूप से गोपनीय है।

जानकारी, अन्य प्रकार की गोपनीय जानकारी और निजी जानकारी।

18. हम आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रदान की गई अन्य प्रक्रियात्मक धाराओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका मामले पर कोई असर नहीं है।

चिंतित हैं।

19. आर. टी. आई. अधिनियम की योजना को देखने के बाद हमें इसकी आवश्यकता है

यह समझें कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) से उत्पन्न होता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम में यह न्यायालय। राज नारायण (1975) 4 एस. सी. सी. 428

अभिव्यक्ति जब तक उसे सरकारी गतिविधियों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है। हमारा देश लोकतांत्रिक होने के नाते, सरकार की आलोचना करने का अधिकार तभी प्रभावी ढंग से लिया जा सकता है जब जवाबदेही और पारदर्शिता हो। उचित स्तरों पर बनाए रखा। उसी को ध्यान में रखते हुए, सूचना के अधिकार को स्पष्ट रूप से बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए एक परिणाम कहा जा सकता है।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. सबसे पहले, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जानकारी उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के पास नहीं है, बल्कि मुख्य न्यायाधीश के पास हैभारत सरकार के पास आदान–प्रदान से संबंधित उपरोक्त जानकारी है।

व्याख्या की गई है जिसमें आयोजित और प्राधिकरण के बीच संबंध को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब इसके लिए एक अर्थ प्रदान किया जाता हैउपरोक्त अवधि। इस मोड़ पर, हमें टाइन बनाम पर न्यू कैसल विश्वविद्यालय के मामले का अवलोकन करने की आवश्यकता है। जानकारी

आयुक्त और ब्रिटिश यूनियन फॉर एबॉलिशन ऑफ विविसेक्शन, [2011]

यू. के. यू. टी. 185 ए. ए. सी., जिसमें ऊपरी न्यायाधिकरण ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है –

" 'होल्ड' एक साधारण अंग्रेजी शब्द है। हमारे निर्णय में इसका उपयोग अधिनियम में कुछ तकनीकी अर्थों में नहीं किया गया है। हम नहीं मानते कि इसके अर्थ को परिभाषित करना उचित है

कानूनी कब्ज़ा या जमानत जैसी अवधारणाओं का संदर्भ, या मुकदमेबाजी में दस्तावेजों का खुलासा करने के दायित्व से संबंधित अदालत के नियमों से लिए गए वाक्यांशों का उपयोग करके। इसके अर्थ के परिष्कृत कानूनी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

या उपयुक्त। हालाँकि, यह अवलोकन करना आवश्यक है कि 'धारण' विशुद्ध रूप से भौतिक अवधारणा नहीं है, और इसे अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए। अनुभाग

3 (2) (ख) इसे स्पष्ट करता हैः एक प्राधिकरण अपनी ओर से अपनी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोजित करके अधिनियम की आवश्यकताओं से बच नहीं सकता है जो एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसके विपरीत, हम मानते हैं कि एस। 1 केवल लागू नहीं होगा

क्योंकि जानकारी एक दस्तावेज़ में निहित है किभौतिक रूप से प्राधिकरण के परिसर में होता हैः सूचना और प्राधिकरण के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए, ताकि यह ठीक से कहा जा सके कि जानकारी प्राधिकरण के पास है। उदाहरण के लिए, प्राधिकरण के एक कर्मचारी का अपना व्यक्तिगत हो सकता है।

काम के दौरान उसकी जेब में या उसके कार्यालय के डेस्क के दराज में एक दस्तावेज़ पर जानकारी; इसका मतलब यह नहीं है कि जानकारी प्राधिकरण द्वारा रखी गई है।

21. उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारा सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v के तहत होने वाले 'आयोजित' शब्द के लिए एक समान व्याख्या प्रदान की जा सकती है।

सुभाष चंद्र अग्रवाल [एन. वी. रमना, जे.]

2 (जे) अधिनियम के। इसलिए, उसी को देखते हुए 'आयोजित' शब्द में निम्नलिखित जानकारी शामिल नहीं है।

1. अर्थात्, अनुरोध या व्यवस्था के बिना, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को भेजा या जमा किया जाता है जो मान्य नहीं है।

स्वयं इसे प्राप्त करने के लिए तैयार है और जो नहीं

बाद में इसका उपयोग करें;

2. यह गलती से एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास छोड़ दिया जाता है; 3. यह सिर्फ एक सार्वजनिक प्राधिकरण के माध्यम से गुजरता है;

4. वह किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कर्मचारी या अधिकारी का है, लेकिन जिसे उस कर्मचारी या अधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण के परिसर में लाया जाता है। 1.

उच्चतम न्यायालय के प्रमुख ने स्पष्ट रूप से हमसे यह अभिनिर्धारित करने की अपेक्षा की है कि संबंधित प्राधिकारी सूचना धारण कर रहा है और तदनुसार अपीलार्थियों के तर्क में कोई योग्यता नहीं है।22. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीशों के पास घोषित संपत्ति के संबंध में जानकारी

संबंधित उच्च न्यायालयों को विश्वास, प्रत्ययी क्षमता में रखा जाता है;

इसके अलावा, उपरोक्त जानकारी न्यायाधीशों की निजी जानकारी है जिसे आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रकट नहीं किया जा सकता है।

23. सूचना के अधिकार के लिए छूट जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 के तहत निहित। उपरोक्त प्रावधान का विश्लेषण करने से पहले, हमें छूट खंडों की व्याख्या से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अब ठीक है।

विधायिका [सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) v. देखें। दिलीप कुमार और अन्य। , (2018) 9 एस. सी. सी. 40; रेचनुंगशोफ बनाम। ओस्टेरिचिसररंडफंक और ओआरएस। , सी–465/00]।

1 फिलिप कोपेल, सूचना अधिकार कानून और व्यवहार (चौथा संस्करण। (2014)) , पेज। 362 .

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. पुनरावृत्ति की कीमत पर हम ध्यान देते हैं कि गोपनीय जानकारी के लिए सूचना के अधिकार की छूट धारा के तहत शामिल है।

8 (1) (घ) एक प्रत्ययी संबंध के तहत सूचना के अधिकार से छूट धारा 8 (1) (ई) के तहत आती है और निजी जानकारी से छूट आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत निहित है।25. अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया पहला तर्क यह है कि उपरोक्त जानकारी गोपनीय है, इसलिए यह आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) के तहत दी गई छूट के अंतर्गत आती है। द.

उपरोक्त छूट न्यायाधीश द्वारा विश्वासघात से संबंधित लंबे समय तक बनाए गए कानून (जिसे हाल ही में निजी जानकारी का दुरुपयोग कहा गया है) से उत्पन्न होती है।

26. विश्वास भंग कार्रवाई के तहत, इस शीर्ष के तहत कार्रवाई करने के लिए तीन आवश्यकताएं आवश्यक थीं।

मेगारी, जे., की राय में इन शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

उसी '; दूसरा' के विश्वास के बारे में जानकारी उन परिस्थितियों में प्रदान की गई होनी चाहिए जो एक दायित्व का आयात करती हैं विश्वास '; तीसरा,' जानकारी का अनधिकृत उपयोग होना चाहिए जो संचार करने वाले पक्ष के लिए नुकसानदेह होगा '।

27. विश्वास का उल्लंघन एक पूर्ण अधिकार और सार्वजनिक अधिकार नहीं था

ब्याज, जिसे लंबे समय से सामान्य कानून न्यायशास्त्र के तहत शामिल किया गया है। जनहित की इस रक्षा का पता प्रारंभिक रूप से लगाया जा सकता है।

गार्टसाइड बनाम का मामला। आउटराम, (1856) 26 एल. जे. सी. एच. (एन. एस.) 113, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अन्याय में प्रकटीकरण के बारे में कोई विश्वास नहीं है। यहबाद में लॉर्ड डेनिंग ने फ्रेजर वी में अन्याय का विस्तार किया। इवांस, [1969] 1 क्यू. बी. 349, जिसमें अन्याय को केवल एक उदाहरण के रूप में संदर्भित किया गया था

विश्वासघात के लिए 'न्याय कारण या बहाना'। इस अन्याय को प्रारंभिक सेवा v में और बढ़ाया गया था। पुटरिल, [1968] 1 क्यू. बी. 396, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अन्याय प्रकृति के किसी भी दुराचार को शामिल करता है जिसे सार्वजनिक हित में दूसरों के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। इस पंक्ति में थॉमस उन्गोएड, जे., बेलॉफ बनाम में। प्रेसड्राम, [1973] 1 ऑल ई. आर. 24, ने

नोट किया कि अन्याय में देश की सुरक्षा के उल्लंघन या कानून के उल्लंघन में किया गया या विचार किया गया कोई भी मामला शामिल होगा।

देश के वैधानिक कर्तव्य, धोखाधड़ी या अन्यथा विनाशकारी सहित

या उसके लोग और निस्संदेह समान गंभीरता के अन्य कुकर्म। सी. पी. आई. ओ., भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [एन. वी. रमना, जे.]

28. अंततः अन्याय की भाषा हिल गई और सार्वजनिक हित पर प्रवचन ने विश्वासघात के बचाव के रूप में पदभार संभाला [लायन लैबोरेटरीज़ बनाम देखें। इवांस, [1985] क्यूबी 526]। यह जरूरी होगा।

महामहिम के अटॉर्नी जनरल बनाम में लॉर्ड गॉफ को उद्धृत करने के लिए। द ऑब्जर्वर लिमिटेड और अन्य। , [1991] ए. सी. 109, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि "अब यह स्पष्ट है कि [अन्याय का] सिद्धांत उन मामलों तक फैला हुआ है जिनके सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण की आवश्यकता है।"

29. अन्याय के शासन से लेकर जनहित रक्षा तक के उपरोक्त विस्तार ने ऑस्ट्रेलियाई अदालतों का ध्यान आकर्षित नहीं किया है

जिसमें, जस्टिस गम्मो, कॉर्स पेवी व्हाइटिंग और बायर्न बनाम में। सीमा शुल्क कलेक्टर, (1987) 14 एफ. सी. आर. 434 और स्मिथ क्लाइन औरफ्रेंच लैबोरेटरीज [ऑस्ट्रेलिया] लिमिटेड बनाम सामुदायिक सेवा और स्वास्थ्य विभाग, (1990) 22 एफ. सी. आर. 73 ने तर्क दिया कि सार्वजनिक हित "अगर कुछ हद तक अस्पष्ट है तो सुरम्य है" और "न्यायिक विशिष्टता के लिए न्यौता के रूप में कानून का इतना नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले का निर्णय तदर्थ आधार पर किया जाए कि क्या समग्र तथ्यों के आधार पर इसका सम्मान करना बेहतर है।

या विश्वास के दायित्व को ओवरराइड करना। 30. यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी तर्क का एक पूर्ण लोक हित रक्षा से लोक हित के संतुलन की ओर परिवर्तन हुआ है। इस पर

हम वुडवर्ड बनाम के मामले का अवलोकन कर सकते हैं। हचिन्स, [1977] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 760, जिसमें यह देखा गया था कि "यह सच्चाई जानने में सार्वजनिक हित के खिलाफ विश्वास बनाए रखने में सार्वजनिक हित को संतुलित करने का सवाल है"।

31. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) ने गोपनीयता की रक्षा की कार्रवाई को केवल वाणिज्यिक, बौद्धिक जानकारी तक सीमित कर दिया है।

संपत्ति अधिकार और वे जो प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठता बनाए रखने से संबंधित हैं। इसलिए, उपरोक्त खंड केवल संबंधित है।

हालाँकि, धारा 8 (1) (डी) के तहत जानकारी अपने दायरे में नहीं आती है। गोपनीय सूचना कार्रवाई का ऐसा उल्लंघन।

32. अन्य प्रकार की गोपनीयता पर आते हुए, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि

गोपनीयता केवल वाणिज्यिक गोपनीयता तक ही सीमित नहीं हो सकती है, बल्कि अन्य प्रकार की गोपनीयताओं तक भी विस्तार करने की आवश्यकता है।

[डचेस ऑफ आर्गिल वी। आर. टी. आई. [2019] 16 एस. सी. आर. के तहत ड्यूक ऑफ आर्गिल, 1967 सीएच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

योजना के तहत ऐसी अन्य गोपनीय जानकारी का ध्यान रखा जाता है।आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11। धारा 11 के तहत भाषा और उद्देश्य

यह वाणिज्यिक और अन्य प्रकार की गोपनीयताओं सहित सभी प्रकार की गोपनीयताओं तक फैला हुआ है। इस धारा का उद्देश्य यह है कि तीसरे पक्ष को एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जो जानकारी को गोपनीय मानता है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 के तहत वाणिज्यिक जानकारी के अलावा गोपनीय जानकारी के मामलों में भी 'जनहित को संतुलित करने की कसौटी' को लागू करने की आवश्यकता है, जैसा कि चर्चा की गई है। इस संदर्भ में, संबंधित तीसरे पक्ष को सुनने की आवश्यकता है और उसके बाद अधिकारियों को आदेश पारित करने की आवश्यकता है जैसा कि यहां संकेत दिया गया है।

33. इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जानकारी

तीसरे पक्ष से संबंधित यहाँ मांगी गई छूट के तहत शामिल हैं।जैसा कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) अर्थात निजी जानकारी में प्रदान किया गया है।

34. विश्वासघात से लेकर निजी जानकारी/गोपनीयता दावे के दुरुपयोग तक का विकास धीरे–धीरे हुआ। वहाँ से स्थानांतरण थाइस संबंध पर ध्यान केंद्रित करना कि क्या जानकारी में ही एक आवश्यक गोपनीय गुणवत्ता थी [महामहिम के अटॉर्नी जनरल को देखें]

अस्से (सुप्रा)]। ध्यान में इस बदलाव के परिणामस्वरूप दुरुपयोग का विकास हुआ

यह स्वीकार करें कि इन दोनों परीक्षणों को अलग रखना बहुत मुश्किल है विश्लेषणात्मक रूप से।

ओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम। सुभाष चंद्र अग्रवाल [एन. वी. रमना, जे.]

पहला कदम

36.न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए पहला कदम यह पता लगाना है कि क्या जानकारी निजी है और क्या संबंधित पक्ष से संबंधित जानकारी को गोपनीयता की उचित अपेक्षा है। मर्रे प्रेस समाचार पत्र पीएलसी, [2009] सीएच 481 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" जैसा कि हम इसे देखते हैं, यह सवाल कि क्या गोपनीयता की उचित अपेक्षा है, एक व्यापक सवाल है, जो ध्यान में रखता है

मामले की सभी परिस्थितियाँ। इनमें दावेदार की विशेषताएँ, उस गतिविधि की प्रकृति जिसमें दावेदार संलग्न था, जिस स्थान पर यह हो रहा था, घुसपैठ की प्रकृति और उद्देश्य, सहमति का अभाव और क्या यह शामिल है कि क्या वह ऐसा कर रहा था।

दावेदार पर प्रभाव ज्ञात था या अनुमान लगाया जा सकता था और

जिन परिस्थितियों और उद्देश्यों के लिए

जानकारी प्रकाशक के हाथों में आ गई। ”

37. उपरोक्त चर्चा से हम ध्यान दे सकते हैं कि ऐसे कारक हैं जिन पर यह निष्कर्ष निकालने से पहले विचार करने की आवश्यकता है कि क्या संबंधित व्यक्ति की गोपनीयता की उचित अपेक्षा थी।

गैर–संपूर्ण कारक हैं;

1. सूचना की प्रकृति।

2. निजी जीवन पर प्रभाव।

3. अनुचित आचरण।

4. आपराधिकता

5. वह स्थान जहाँ गतिविधि हुई थी या जानकारी थी

पाया गया।

6. दावेदारों की विशेषताएँ जैसे कि एक सार्वजनिक व्यक्ति होना,

नाबालिग आदि और उनकी प्रतिष्ठा।

7. सहमति का अभाव।

8. परिस्थितियाँ और उद्देश्य जिनके लिए जानकारी

प्रकाशकों के हाथों में आ गया।

9 . दावेदार पर प्रभाव।

10. घुसपैठ की प्रकृति और उद्देश्य।

इन गैर–संपूर्ण कारकों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मांगी गई जानकारी निजी है या नहीं।

व्यक्तियों को गोपनीयता की उचित अपेक्षाएँ होती हैं। कुछ मामलों में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जो स्वाभाविक रूप से निजी है और गोपनीयता के तहत अनुमानित रूप से संरक्षित है।

अधिकार। इन सूचनाओं में लिंग, आयु और यौन प्राथमिकताएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त परीक्षण के तहत पहली आवश्यकता का आकलन करते समय इन उदाहरणों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 38. यदि जानकारी को उपरोक्त सूत्रीकरण के तहत सख्ती से शामिल किया जाता है, तो व्यक्ति को सूचना के अधिकार से छूट दी जाती है, जब तक कि 'जनहित परीक्षण' से इसे खत्म करने की आवश्यकता न हो।

दूसरा कदम

39. यह सुनिश्चित करने के बाद कि क्या जानकारी निजी है या नहीं, एक न्यायाधीश को यह नोट करने के लिए एक संतुलन परीक्षण अपनाने की आवश्यकता होती है कि क्या जनता

ब्याज आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है। 'व्यापक लोक हित' शब्द को उपरोक्त चर्चा के आलोक में समझने की आवश्यकता है जो इंगित करता है कि प्रकटीकरणकर्ता की उपयुक्तता को देखने के लिए एक 'संतुलन परीक्षण' को शामिल करने की आवश्यकता है। कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें हमें अधिकारों को संतुलित करते हुए ध्यान में रखने की आवश्यकता है जो यहां प्रासंगिक हैं।

40. कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार एक पर है

बराबर पैर। एक प्राथमिक दृष्टिकोण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि

एक दायां दूसरे को पछाड़ देता है। हालांकि ऐसे अमेरिकी मामले हैं, जिन्होंने यह विचार रखा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को पछाड़ देती है

प्रत्येक मामले में अन्य अधिकार। हालाँकि, भारत में हम अधिकारों को ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं।

41. प्रासंगिक संतुलन में 'आनुपातिकता परीक्षण' शामिल है। [देखें।

के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 एस. सी. सी. 1]। परीक्षण यह देखने के लिए है कि क्या जानकारी जारी करना आवश्यक होगा, निर्भर करता है

सूचना चाहने वाले पर 'सामाजिक आवश्यकता' दिखाना या' लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्यकारी आवश्यकता '। हम कर सकते हैं।

" जनहित में कुछ "। इसलिए, भौतिक अंतर उपरोक्त अवधारणाओं के बीच उन मामलों से संबंधित है जो सी. पी. आई. ओ. को प्रभावित करते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय v.

सुभाष चंद्र अग्रवाल [एन. वी. रमना, जे.]

जनता के राजनीतिक, नैतिक और भौतिक कल्याण को सार्वजनिक मनोरंजन, जिज्ञासा या मनोरंजन से अलग करने की आवश्यकता है।

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत हमें यह मानने की आवश्यकता है कि केवल पूर्व ही छूट का अपवाद है। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि के एस पुट्टास्वामी (ऊपर) में बहुमत की राय में कहा गया है कि डेटा

गोपनीयता गोपनीयता के अधिकार का हिस्सा है, हालाँकि, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डेटा सुरक्षा की अवधारणा अभी भी विकसित हो रही है [गूगल स्पेन बनाम देखें। एईपीडी, सी/131/12; बवेरियन लेगर बनाम आयोग, [2007] ईसीआर

।।4523]। चूंकि हम उपरोक्त पहलुओं से चिंतित नहीं हैं, इसलिए हमें यह कहने के अलावा और कुछ नहीं कहना चाहिए कि डेटा संरक्षण के सिद्धांतों को अधिकार में एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता है।

सूचना न्यायशास्त्र। 42. पारदर्शिता, न्यायिक स्वतंत्रता और आर. टी. आई. अधिनियम के पहलू पर आते हुए, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक संतुलन की आवश्यकता है

तीन समान रूप से महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बीच। हमारे संविधान को संरक्षित करने का पूरा कवच न्यायपालिका पर निर्भर है, जबकि अन्य शाखाएं ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। एक ढाल के रूप में, न्यायिक

स्वतंत्रता वह आधार है जिसके साथ न्यायपालिका ने अपना विश्वास बनाए रखा है

नागरिकों द्वारा। उसी के आलोक में, न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के प्रयासों से बचाने की आवश्यकता है। इस तरह के हस्तक्षेप के लिए न्यायिक स्वतंत्रता के अनुरूप उचित मात्रा में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है।

43. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पारदर्शिता नहीं हो सकती है

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दक्षता समान रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपने निरपेक्ष तक चलने की अनुमति दी गई है। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि सूचना के अधिकार का उपयोग न्यायपालिका के प्रभावी कामकाज को बाधित करने के लिए निगरानी के उपकरण के रूप में करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे को लागू करते समयसंबंधित प्राधिकारी को इन विचारों को भी संतुलित करने की आवश्यकता है।

44. उपरोक्त चर्चा के अनुरूप, हमें यह ध्यान रखना होगा कि

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 के तहत 'जनहित' का आकलन करते समय निम्नलिखित गैर–विस्तृत विचारों पर विचार करने की आवश्यकता है।

ए। जानकारी की प्रकृति और सामग्री

बी। गैर–प्रकटीकरण के परिणाम; खतरे और लाभ

जनता के लिए [2019] 16 एस. सी. आर

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

सी। गोपनीय दायित्व का प्रकार।

डी। विश्वासपात्र के विश्वास; उचित संदेह

ई. जिस पक्ष को जानकारी का खुलासा किया जाता है

एफ. जानकारी प्राप्त करने का तरीका

जी। सार्वजनिक और निजी हितएच. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आनुपातिकता।

उस परीक्षण का पता लगाने के बाद जिसे लागू करने की आवश्यकता हैआर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट का उल्लेख करते हुए, कि तथ्यात्मक पर विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है

हमारे सामने पेश किए गए मामले। तदनुसार, मैं सहमत हूँ

सायन बहुमत तक पहुँच गए।

संदर्भ और अपीलों का निपटारा।